उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961

विषय—सूची

धाराएँ

पृष्ठ

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ 2
2. परिभाषायें 2

अध्याय 2

क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत

क्षेत्र पंचायतें

3. ग्राम्य क्षेत्रों का खण्डों में विभाजन 8
4. खण्डों में परिवर्तन का प्रभाव 8
5. क्षेत्र पंचायत की स्थापना और उसका निगमन 9
6. क्षेत्र पंचायत की रचना 9
6—क. स्थानों का आरक्षण 11
6—ख. क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक नामावली 12
6—ग. मत का अधिकार आदि 12
7. क्षेत्र पंचायत का प्रमुख और उप—प्रमुख 12
7—क प्रमुखों के पदों का आरक्षण 13
8. क्षेत्र पंचायत और उसके सदस्यों का कार्यकाल 13
8—क. खण्डों के पुनः संघठन परिणाम 15
9. प्रमुख तथा उप—प्रमुख का कार्यकाल 15
9—क. कुछ मामलों में अस्थायी व्यवस्था 15
10. क्षेत्र पंचायतों का संघठन तथा पुनस्संघठन 16
11. प्रमुख, उप—प्रमुख या सदस्य का त्याग—पत्र 16

12. आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति 16
13. क्षेत्र पंचायत की सदस्यता के लिये अनर्हता 17
14. सदस्यता या अनर्हता के सम्बन्ध में विवाद 18
15. प्रमुख या उप–प्रमुख में अविश्वास का प्रस्ताव 19
16. प्रमुख या उप–प्रमुख का हटाया जाना 21

जिला पंचायत

17. जिला पंचायत की स्थापना तथा उसका निगमन 22
18. जिला पंचायत की रचना 24
18–क. स्थानों का आरक्षण 25
18–ख. जिला पंचायत की निर्वाचक नामावली 26
18–ग. मत का अधिकार आदि 27
19. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 27
19–क. अध्यक्षों के पदों का आरक्षण 27
20. जिला पंचायत और उसके सदस्यों का कार्यकाल 28
21. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 29
21–क. कुछ मामलों में अस्थायी व्यवस्था 29
22. जिला पंचायत का संघठन तथा पुनस्संघठन और निर्वाचन व्यय की वसूली 29
23. भ्रष्टाचार के कारण अनर्हता 30
24. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का त्याग–पत्र 31
25. आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति 31
26. सदस्य या अध्यक्ष होने के लिये अनर्हता 32
27. सदस्यता या अनर्हता के सम्बन्ध में विवाद 32
27–क. प्रमुख, उप–प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने या बने रहने के लिये विधायकों तथा कतिपय पदधारियों पर रोक 32
27–ख. एक साथ एक से अधिक पद धारण करने का निषेध 34
27–ग. एक साथ दो पद धारण करने पर अग्रेतर रोक 34
28. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास का प्रस्ताव 34
29. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का हटाया जाना 37
30. राज्य सभा या राज्य विधान परिषद के सदस्य का निवास स्थान 38

अध्याय 3

क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के अधिकार और कृत्य

31. अधिनियम के अधीन अधिकारों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन 39

32. क्षेत्र पंचायतों के सामान्य अधिकार और कृत्य 39

33. जिला पंचायत के सामान्य अधिकार और कृत्य 39

34. जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा अपने किसी कृत्य का अन्य स्थानीय प्राधिकारी को प्रतिनिधान 40

35. ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में कतिपय अधिकार 41

36. ग्राम पंचायतों द्वारा बनाई गई उपविधियों तथा उनके कर सम्बन्धी प्रस्तावों को स्वीकार करने का अधिकार 41

37. जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में अपवाद 41

38. क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का अन्य प्राधिकारियों के साथ सहयोग करना तथा ऐसी संस्थाओं की, जिसका वह प्रबन्ध न करती हो, सहायता करने का अधिकार 43

अध्याय 4

जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायतों के अधिकार और कृत्य

39. जिला पंचायत के अधिकारी तथा सेवक 44

40. अर्हताएँ, सेवा की शर्तें आदि 46

41. जिला पंचायत के अधीन सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति 46

42. वित्त अधिकारी की नियुक्ति 46

43. अभियन्ता तथा कुछ अन्य नियुक्तियों की प्रणाली 46

44. सेवकों के कुछ वर्गों का केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग 48

45. चुनाव समिति 48

46. इस अधिनियम के प्रचलित होने का वर्तमान अधिकारियों तथा सेवकों पर प्रभाव 48

47. कुछ पदों पर स्थानापन्न तथा स्थायी नियुक्तियॉं 50

48. क्षेत्र पंचायतों के अधिकारी तथा सेवक 50

49. प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के लिये खण्ड विकास अधिकारी 51

50. जिला पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों के अधिकारियों तथा अन्य सेवकों के अधिकार, कृत्य और कर्तव्य 51

51. जिला पंचायत के अधिकारियों तथा सेवकों पर नियन्त्रण 51
52. क्षेत्र पंचायतों के अधिकारियों तथा सेवकों पर नियन्त्रण 52
53. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत के सेवकों को दण्ड 52
54. राज्य सरकार का नियुक्ति आदि करने का अधिकार 53
55. जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के समस्त अधिकारी तथा लोक–सेवक होंगे 53

अध्याय 5

जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत के कार्य का संचालन

56. जिला पंचायत अधिकारों का प्रयोग 54
57. जिला पंचायत द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान 55
58. अध्यक्ष के कर्तव्य 56
59. अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष तथा मुख्य अधिकारों का प्रतिनिधान 59
60. उपाध्यक्ष के कर्तव्य 57

बैठकें

61. जिला पंचायत की बैठकें 57
62. बैठकों की प्रक्रिया आदि 58
63. जिला योजनाएँ तैयार करना 59
64. जिला पंचायत की कमेटियॉं 59
65. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई जिला पंचायत की समितियों का संघठन 60
66. कार्य समिति का संघठन 60
67. धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य समितियों का संघठन 61
68. धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समितियों के कार्यकाल तथा उनके सदस्यों के निर्वाचन की रीति 61
69. समितियों के सभापति तथा उप–सभापति और उनके कार्यकाल 62
70. अन्य समितियों का संघठन 62
71. समितियों में व्यक्तियों का अनुमेलन 62
72. कार्य समिति के अधिकार तथा कृत्य 63
73. वित्त समिति के अधिकार तथा कृत्य 63
74. धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य समितियों के अधिकार तथा कृत्य 63

75. उप समितियाँ 64
76. समिति और उप–समिति की बैठकें 64
77. संयुक्त समितियाँ 64
78. मुख्य अधिकारी के अधिकार और उत्तरदायित्व 65
79. क्षेत्र पंचायतों अधिकारों का प्रयोग 66
80. क्षेत्र पंचायत के अधिकारों का प्रतिनिधान 66
81. प्रमुख के कर्तव्य 67
82. प्रमुख द्वारा उप–प्रमुख को प्रतिनिधान 68
83. उप–प्रमुख के कर्तव्य 68
84. क्षेत्र पंचायत की बैठकें 69
85. क्षेत्र पंचायत की बैठकों की प्रक्रिया, आदि 69
86. क्षेत्र पंचायत द्वारा योजना तैयार करना 70
87. क्षेत्र पंचायत की समितियाँ 70
88. समितियों का संघठन 71
89. समितियों के निर्वाचन की रीति तथा उनका कार्यकाल 72

89–क. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई क्षेत्र पंचायत की समितियों का संघठन 72
90. उप समितियाँ 73
91. धारा 87 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समितियों के कृत्य 73
92. खंड विकास अधिकारी के अधिकार तथा उत्तरदायित्व 74
93. समितियों या उप–समितियों का अधीन रहना 75
94. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत का प्रतिवेदन आदि की अपेक्षा और प्रश्न करने का अधिकार 76
95. कतिपय सरकारी कर्मचारियों से सहायता तथा परामर्श लेने का जिला पंचायत का अधिकार 76
96. कारणों का रजिस्ट्रीकरण 77
97. अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों के प्रयोग तथा सम्पादन के सम्बन्ध में विवाद 78
98. कार्यों तथा कार्यवाहियों की वैधता 78

अध्याय 6

निधि, सम्पत्ति तथा संविदाएँ

99. जिला—निधि तथा क्षेत्र निधि 80

100. जिला पंचायत लोकल अथारिटीज लोन्स एक्ट, 1914 के अधीन लोकल अथारिटी होगी 80

101. निधि की अभिरक्षा या उसका लगाया जाना....81

101—क. क्षेत्र पंचायत निधि से आहरण और वितरण....81

102. निधि का उपयोग 81

103. जिला पंचायत में निहित सम्पत्ति 83

104. क्षेत्र पंचायत में निहित सम्पत्ति....83

105. भूमि का अनिवार्य अर्जन....84

106. सार्वजनिक संस्थाएँ 84

107. सम्पत्ति को संक्रामित करने का अधिकार 85

107—क. अतिक्रमण या अवरोध के लिये शास्ति 85

108. जिला निधि या क्षेत्र निधि से प्रतिकर का भुगतान 86

109. मेलों आदि में विशेष पुलिस संरक्षण के लिये जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय का दिया जाना....86

110. जिला पंचायत का बजट तैयार और पारित करना....86

111. जिला पंचायत का पुनरीक्षण 89

112. जिला पंचायत के बजट में दिखाई गई न्यूनतम रोकड़ बाकी 89

113. बजट की प्रतिलिपि का आयुक्त तथा राज्य सरकार को भेजा जाना....89

114. बजट में व्यवस्थित धनराशि से अधिक व्यय करने का निषेध....89

115. क्षेत्र पंचायत का बजट तैयार और पारित करना 89

116. जिला पंचायत के बजट के सम्बन्ध में कतिपय उपबन्ध क्षेत्र पंचायत के बजट पर प्रवृत्त होंगे....91

117. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा संविदाएँ....91

118. कतिपय विषय जो नियमों द्वारा शास्ति होंगे....91

अध्याय 7

कराधान तथा शुल्कों और पथकरों का उद्ग्रहण

119. कर जो जिला पंचायत द्वारा आरोपित किये जा सकते हैं 93

विभव तथा सम्पत्ति पर कर

120. विभव तथा सम्पत्ति कर का आरोपण जारी रहना 93
121. विभव तथा सम्पत्ति पर कर आरोपित करने की शर्त और निर्बन्धन 94
122. विभव तथा सम्पत्ति कर की ग्राम पंचायत के माध्यम से वसूली 95

करारोपण

123. करारोपण के लिये प्रारम्भिक प्रस्तावों का तैयार किया जाना 95
124. प्रस्ताव तैयार हो जाने के बाद की प्रक्रिया 96
125. राज्य सरकार का जिला पंचायत के प्रस्तावों को स्वीकार करने का अधिकार 96
126. नियमों का राज्य सरकार द्वारा बनाया जाना 97
127. जिला पंचायत का करारोपण निदेश देने का संकल्प 97
128. करारोपण 97
129. करों में परिवर्तन की प्रक्रिया 97
130. कुछ करों के सम्बन्ध में परिवर्तित या परिष्कृत प्रक्रिया 97
131. विमुक्ति 98
131—क. क्षेत्र पंचायत द्वारा करारोपण 98
132. राज्य सरकार का किसी कर के दोषों को दूर करने या उसे समाप्त करने का अधिकार 98
133. दायित्व बतलाने का आभार 99
134. निरीक्षण का अधिकार 99
135. कर के सम्बन्ध में अपील 100
136. कालावधि तथा अभ्यर्थित कर का प्राथमिक रूप में जमा किया जाना 100
137. व्यय 100
138. कराधान के विषय में दीवानी और दण्ड न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक 100
139. व्यावृत्तियाँ 101
140. निर्धारण, वसूली अथवा अन्य विषयों के सम्बन्ध में नियम 101
141. करों में ग्राम पंचायतों का अंश 102

शुल्क और पथकर

142. जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत की सम्पत्ति को पट्टे की अधीनता से भिन्न किसी रूप में प्रयोग करने के लिये शुल्क 102

143. लाइसेन्स शुल्क आदि 102

144. कुछ अन्य शुल्क 102

145. बाजारों के सम्बन्ध में लाइसेन्स शुल्क और पथकर 103

146. धारा 144 तथा 145 के अधीन लगाये गये शुल्कों तथा पथकरों की वसूली की रीति 103

अध्याय 8

करों तथा कुछ अन्य देयों की वसूली

147. करों तथा अन्य देयों की वसूली की रीति 104

148. बिल का प्रस्तुत किया जाना 104

149. बिल में निर्दिष्ट की जाने वाली बातें 104

150. मॉंग का नोटिस 104

151. अधिपत्र का जारी किया जाना 105

152. अधिपत्र के निष्पादन के लिये बलात प्रवेश 105

153. अधिपत्र के निष्पादन की रीति 106

154. अधिपत्र के अधीन वस्तुओं का विक्रय तथा विक्रय धन की प्रयुक्ति 106

155. ग्राम्य क्षेत्र के बाहर स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अधिपत्र के निष्पादन की दशा में प्रक्रिया 107

156. शुल्क और व्यय 108

157. व्यावृत्ति 108

158. वाद चलाने या मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करने का वैकल्पिक अधिकार 108

159. भूमि के किराये की वसूली 108

160. अन्य अचल सम्पत्ति के लिये लगान या किराये की वसूली 109

161. जिला पंचायत को देय धनराशियों की वसूली 109

अध्याय 9

इमारतों, सार्वजनिक नालियों तथा सड़कों आदि के सम्बन्ध में

अधिकार और शास्ति

इमारतों का विनियमन

162. परिभाषा 110

163. इस अध्याय की कुछ धाराओं की प्रवृत्ति की परिसीमा 110

164. इमारत का निर्माण या उसमें परिवर्तन नोटिस के पश्चात् तथा उपविधियों के अनुसार होगा 111

निर्माण–कार्य की क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति

165. क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण–कार्य की स्वीकृति 111

166. स्वीकृति की अवधि 112

167. ऐसे निर्माण–कार्यों का निरीक्षण जिनके लिये स्वीकृति अपेक्षित हो 112

168. धारा 165 के अधीन दिये गये आदेश के कारण हुई क्षति के लिये प्रतिकर 113

169. धारा 165 के अधीन स्वीकृति का प्रभाव 113

170. इमारत का अवैध निर्माण या परिवर्तन 114

171. निर्माण रोकने तथा निर्मित इमारत को गिराने के क्षेत्र पंचायत के अधिकार 114

सार्वजनिक नालियॉं

172. सार्वजनिक नालियॉं 114

173. सार्वजनिक नालियों में परिवर्तन 115

174. सार्वजनिक नाली का उपयोग स्वामियों द्वारा 115

सड़क सम्बन्धी विनियम

175. ऐसे स्थल पर जो कि सार्वजनिक या निजी सड़क से लगा हुआ न हो, इमारत का निर्माण करने के पहले सड़क का विन्यास करने तथा बनाने का उपबन्ध 115

176. सड़क के विन्यास तथा निर्माण की अनुमति 116

177. कुछ दशाओं में सड़क के विन्यास अथवा निर्माण के लिये क्षेत्र पंचायत की स्वीकृति का मान लिया जाना 117

178. स्वीकृति की अवधि....118
179. सड़क का अवैध निर्माण....118
180. अस्वीकृत सड़क को परिवर्तित करने तथा उसे तोड़
देने के सम्बन्ध में क्षेत्र पंचायत के अधिकार....118
181. सड़कों तथा नालियों के ऊपर प्रक्षेपों के लिये क्षेत्र पंचायत की स्वीकृति....119
182. बिना अनुमति के सड़कों अथवा नालियों के ऊपर प्रक्षेपों के निर्माण के लिये शास्ति....119
183. सड़कों तथा नालियों के ऊपर अतिक्रमण करने वाले
मार्गों तथा प्रक्षेपों को हटाने का अधिकार....120
184. सड़कों के समतल किये जाने तथा उसमें खड़ंजा लगाये
जाने आदि की अपेक्षा करने का अधिकार....120
185. इमारत आदि बनाने के समय सड़क के संरक्षण की
अपेक्षा करने का अधिकार....121
186. झाड़ियों और पेड़ों को छाँटने की अपेक्षा करने का अधिकार....121
187. आकस्मिक अवरोधों को हटाने का अधिकार....121
188. किसी सड़क को प्रभावित करने वाली जल प्रणालियों तथा
नाली के पानी के निकास के लिये बने पाइपों का विनियमन....122

सार्वजनिक सड़कें

189. सार्वजनिक सड़कों पर निर्माण, उनका सुधार तथा
स्थलों की व्यवस्था करने का अधिकार....122
190. किसी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित किया जाना....123
191. सार्वजनिक सड़कों पर निर्माण रेखा विनियमित करने का अधिकार....124
192. सार्वजनिक सड़कों आदि का निर्माण करते समय
समुपयुक्त प्राधिकारी के कर्तव्य....125

जलसंभरण स्त्रोतों की रक्षा

193. निजी जल–मार्ग आदि साफ किये जाने अथवा बन्द
किये जाने की अपेक्षा करने का अधिकार....125
194. महामारी फैलने पर आपातिक अधिकार....126
195. जल सम्भरण के किसी स्त्रोत के निकट से शौचालयों
आदि का हटाया जाना....126
196. नाली या जलकार्य के ऊपर अनधिकृत निर्माण आदि....127

बाजार, वधशाला, भोजन की बिक्री आदि

197. बिक्री के प्रयोजनार्थ पशुओं के वध का स्थान 127
198. ऐसे पशुओं के सम्बन्ध में जिनका बिक्री के प्रयोजनार्थ वध नहीं किया जायेगा, जिला मजिस्ट्रेट का अधिकार 128
199. दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखे गये अथवा भोजन के उपयोग में लाये जाने वाले पशुओं के अनुपयुक्त भोजन देना 128
200. भोजन, पेय तथा भेषजों की बिक्री के स्थानों का निरीक्षण 128
201. अस्वास्थ्यकर वस्तुओं का अभिग्रहण तथा हानिकारक और गत प्रभाव भेषजों का हटाया जाना 129

कुछ व्यापारों तथा व्यवसायों से पैदा होने वाले कंटक

202. क्षोभकर व्यापारों का विनियमन 129
203. पथ नियम की उपेक्षा 130
204. प्राधिकृत परिमाण से अधिक परिमाण में रखे गये ज्वलनशील पदार्थों की तलाशी लेने का अधिकार 130
205. अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में अपवाद 131
206. खड़न्जों आदि को हटाना 131
207. आग्नेयास्त्र आदि को जोड़ना 132
208. ध्वस्त इमारतों, आरक्षित कुओं आदि से होने वाले खतरे को रोकने का अधिकार 132
209. सड़क का अवरोध 133

रोक की रोकथाम तथा स्वच्छता

210. फैक्टरियों, स्कूलों तथा अन्य सार्वजनिक समागम के स्थानों के लिये शौचालय 134
211. तालाबों, आदि से उत्पन्न होने वाले कंटक को हटाने की अपेक्षा करने का अधिकार 134
212. गन्दी भूमि की सफाई 135
213. कूड़ा—करकट, विष्ठा आदि के निस्तारण का विनियमन 135
214. कूड़ा—करकट, विष्ठा आदि के अनुचित निस्तारण के लिये शास्ति 135
215. सार्वजनिक सड़क आदि पर मलादि के उत्सर्जन के लिये शास्ति 139
216. मनुष्यों के रहने के योग्न भवन 136
217. कुछ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किये गये कार्यों के लिये दण्ड 136
218. स्वास्थ्य के लिये हानिकर खेती, खाद के प्रयोग

	अथवा सिंचाई का निषेध	136
219.	हानिकर वनस्पतियों को साफ करने की स्वामियों से अपेक्षा करने का अधिकार	137
220.	खोदी हुई भूमि को भरने का जलोत्सारित करने की अपेक्षा करने का अधिकार	137
221.	कब्रिस्तान या श्मशान के सम्बन्ध में अधिकार	138
	निरीक्षण, प्रवेश, तलाशी आदि	
222.	निरीक्षण का अधिकार	138
223.	प्रवेश का अधिकार	139
	जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा नियोजित व्यक्तियों को रूकावट	
224.	जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा नियोजित व्यक्तियों को रूकावट के लिये दण्ड	140
	अध्याय 10	
	बाह्य नियन्त्रण	
225.	जिला पंचायत पर नियत प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट के निरीक्षण आदि के अधिकार	141
226.	जिला मजिस्ट्रेट के कुछ अन्य अधिकार और कर्तव्य	141
227.	सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों तथा संस्थाओं का निरीक्षण	142
228.	नियत प्राधिकारी का अधिनियम के अधीन कार्यवाही निलम्बित करने का अधिकार	142
229.	आपात के समय जिला मजिस्ट्रेट के असाधारण अधिकार	143
230.	जिला पंचायत के चूक करने की दशा में राज्य सरकार का अधिकार	143
231.	सदस्यों का हटाया जाना	144
232.	राज्य सरकार का जिला पंचायत को विघटित करने का अधिकार	145
233.	जिला पंचायत के विघटन का परिणाम	146
234.	परिषद् के अवक्रमण का परिणाम	146
235.	जिला परिषद् के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट के कतिपय अन्य अधिकार	146
236.	क्षेत्र समितियों का बाह्य नियन्त्रण	146

अध्याय 11

नियम, विनियम तथा उपविधियॉं

237. राज्य सरकार का नियम बनाने का अधिकार 148

238. कार्य—संचालन आदि के लिये विनियम बनाने का अधिकार 148

239. जिला पंचायत को उपविधियॉं बनाने का अधिकार 151

क. निर्माण 151

ख. नालियॉं, सण्डास, मलकूप आदि 153

ग. सड़कें 153

घ. बाजार, वधशालायें, भोजन—विक्रय आदि 154

ङ. क्षोभकर व्यवसाय 155

च. सार्वजनिक सुरक्षा तथा सुविधा 156

छ. रोग की रोकथाम तथा स्वच्छता 157

ज. प्रकीर्ण 157

240. नियमों तथा उपविधियों का उल्लंघन 159

241. राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों का पूर्व प्रकाशन आदि 159

242. जिला पंचायत द्वारा बनाये गये विनियमों तथा उपविधियों की पुष्टि आदि 160

अध्याय 12

प्रक्रिया

243. अनुपालन के लिये उचित समय का निश्चित किया जाना 161

244. नोटिस की तामील 161

245. दोषपूर्ण आकार 162

246. व्यक्ति विशेष को जारी किये गये नोटिस की अवज्ञा 162

247. अभियोजन के लिये प्राधिकार 163

248. अपराधों में समझोत का अधिकार 163

249. जिला पंचायत में निहित सम्पत्ति की क्षति के लिये प्रतिकर 163

250. अपराधों में तथा जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत के प्राधिकारियों की सहायता के सम्बन्ध में पुलिस के अधिकार तथा कर्तव्य 164

251. जिला पंचायत के आदेश के विरूद्ध अपील 154

252. व्यय 164

253. अपीलीय अधिकारी के आदेश का अन्तिम होना 165

254. कुछ मामलों में निलम्बन या अभियोजन 165
255. जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा देय प्रतिकर के सम्बन्ध में विवाद 165
256. स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवादों का निर्णय 166
257. जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के अधिकार या सेवक आदि के विरूद्ध 166
258. दीवानी न्यायालयों द्वारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या उनके अधिकारों के विरूद्ध अस्थायी आदेश का निर्देश 167

अध्याय 13

प्रकीर्ण

259. राज्य सरकार द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान 168
260. वृत्त पुस्तिकाओं तथा कर निर्धारण सूचियों के निरीक्षण की सुविधा 168
261. नियमों, विनियमों तथा उपविधियों के प्रचार की व्यवस्था 168
262. जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के अधिलेखों के सिद्धि की रीति 168
263. जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत कर्मचारियों को लेख्य, प्रस्तुत करने के लिये बुलाये जाने पर निर्बन्धन 168

264. सदस्यों द्वारा जिला पंचायतों या क्षेत्र पंचायतों के निर्माण कार्यों तथा रजिस्टरों का निरीक्षण 169
264—क. मानेदय और भत्ते 169
264—ख. निर्वाचन की रीति और संचालन 169

264—ग. प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण आदि के कर्मचारी बृन्द को निर्वाचन के लिये उपलब्ध किया जायेगा 170
264—घ. परिसर, यानों आदि का निर्वाचन के प्रयोजन के लिये अधिग्रहण 170
264—ङ. हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर संदत्त किया जाना 172
264—च. जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति 173
264—छ. किसी परिसर आदि में प्रवेश करने और उनके निरीक्षण की शक्तियॉं 173
264—ज. अधिगृहीत परिसर से बेदखली 173
264—झ. अधिग्रहण से परिसर की निर्मुक्ति 174
264—ञ. अधिग्रहण सम्बन्धी किसी आदेश के उल्लंघन के लिये शास्ति 174
265. इन्डियन रेलवे तथा यूनाइटेड प्राविन्सेज विलेज के सम्बन्ध में व्यावृत्ति 174

अध्याय 14

संक्रमणकालीन उपबन्ध, निरसन तथा संशोधन

266. अन्य अधिनियमितियों में उल्लेख का अर्थ 175

267. कुछ दशाओं में सम्पत्ति आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों तथा आभारों का उत्तराधिकार 176

268. देय धनराशियाँ 176

269. ऋण आभार, संविदाएँ तथा विचाराधीन कार्यवाहियाँ 176

270. नियुक्तियाँ करों, बजट के तखमीनों तथा निर्धारणों का जारी रहना आदि 177

271. जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के संघठन तक के लिये व्यवस्था 178

272. कठिनाइयाँ दूर करने का अधिकार 179

273. संशोधन 180

274. निरसन 180

अनुसूची

1. अनुसूची 1 क्षेत्र पंचायतों के अधिकार और कृत्य 181
2. अनुसूची 2 भाग—क 185
3. अनुसचीी 2 भाग—ख 190
4. अनुसूची 3 191
5. अनुसूची 4 जिला पंचायत के अधिकार तथा कृत्य 195
6. अनुसूची 5 मुख्य अधिकारी के अनुसूचित अधिकार तथा कृत्य 203
7. अनुसूची 6 क्षेत्र पंचायत तथा कृत्य 206
8. अनुसूची 7 खण्ड विकास अधिकारी के अनुसूचित अधिकार तथा कृत्य 212
9. अनुसूची 8 कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन 215

[1][उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत] अधिनियम, 1961[2]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1961)

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 द्वारा संशोधित)

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1963
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1963
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1965
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1969
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1970
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 22, 1970
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 18, 1971
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1972
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 34, 1972
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1973
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 37, 1976
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1978
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1984
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 20, 1990
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1994
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1995
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2000
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 24, 2001
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 25, 2005
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007

[उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में 14 सितम्बर, 1960 को तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधन सहित 1 मई, 1961 को पारित, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 19 मई, 1961 को स्वीकार कर लिये गये।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 नवम्बर, 1961 को प्राप्त हुई तथा दिनांक 3 दिसम्बर, 1961 को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश में क्षेत्र (पचायतों और जिला पंचायतों) की स्थापना की व्यवस्था करने के लिये।

---

[1] अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा संशोधित हुआ जो कि उ0प्र0 असाधारण गजट भाग 1 (क) दिनांक 22–4–94 को प्रकाशित हुआ।

[2] उद्देश्यों व कारणों के विवरण के लिये 18 अगस्त, 1960 का उत्तर प्रदेश असाधारण गजट देखिये।

अधिनियम

उ0प्र0 अधिनियम सं0 26, 1947 – यह इष्टकर है कि शासकीय कृत्यों के लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को आगे बढ़ाने, ग्राम्य क्षेत्रों में सम्यक् स्थानीय शासन सुनिश्चित करने और यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज एक्ट, 1947 के अधीन स्थापित [3][ग्राम सभाओं] के अधिकारों तथा कृत्यों का [3] [क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों] से समन्वय करने के लिये खण्ड तथा जिला स्तरों पर कुछ शासकीय कृत्यों के सम्पादनार्थ उत्तर प्रदेश के जिलों में क्रमशः [3] [क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों] की स्थापना की व्यवस्था की जाय;

अतएव भारतीय गणतन्त्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है –

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ** – (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश [1][क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत] अधिनियम, 1961 कहलायेगा।

(2) इस प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

[1][''(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि राष्ट्रीय आपात के कारण या देश या उसके किसी भाग की सुरक्षा या अभिरक्षा के परिरक्षण के लिये ऐसा करना वांछनीय है, गजट में अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश के किसी जिले या जिले के किसी भाग के संबंध में इस अधिनियम का प्रवर्तन निलम्बित या प्रतिसंहृत कर सकती है या निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध परिवद्धनों, लोप या परिवर्तनों के रूप में ऐसे परिष्कारों के साथ उस क्षेत्र पर प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे और तदुपरान्त जब तक कि अधिसूचना निरस्त न कर दी जाय, यथास्थिति, ऐसे जिले या उसके किसी भाग पर अधिनियम का प्रवर्तन निलम्बित या प्रतिसहृत रहेगा या अधिनियम उपबन्ध उक्त प्रकार से विनिर्दिष्ट परिष्कारों के साथ प्रवृत्त होंगे'']

2. **परिभाषाऍं** – विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में –

---

[1] अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा संशोधित।

[2] अधिनियम सं0 21, 1995 द्वारा संशोधित।

[3] अधिनियम सं0 21, 1995 द्वारा प्रतिस्थापित

(1) ''अनुसूचित जातियों'' का तात्पर्य उन जातियों से है जो ''भारत का संविधान'' के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित जातियॉ समझी जायें;

(2) ''अनुसूचित बैंक'' का वही अर्थ होगा जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट, 1934 में ''शिड्यूल्ड बैंक'' का है;

(3) ''अन्तरिम जिला परिषद्'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अधीन संगठित अन्तरिम [1][जिला परिषद से है;

(4) ''उपविधि'' का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके बनाई गई उपविधि से है;

(5) ''कलेक्टर'' के अन्तर्गत वह अपर (एडीशनल) कलेक्टर भी है जिसे कलेक्टर ने लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपना कोई कृत्य प्रतिनिहित किया हो;

(6) [1][''क्षेत्र पंचायत''] का तात्पर्य धारा 5 के अधीन [3] [निगमित] [1][क्षेत्र पंचायत] से है तथा इसके अन्तर्गत [1][क्षेत्र पंचायत] की कोई समिति, सदस्य, अधिकारी या सेवक भी होगा जिसके द्वारा [1][क्षेत्र पंचायत] के इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग अथवा किसी कर्तव्य या कृत्य का सम्पादन इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हो;

[1] [''और 'क्षेत्र समिति' का तात्पर्य इस अधिनियम, जैसा कि यह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधन के पूर्व था, के अधीन स्थापित किसी क्षेत्र समिति से है'']

[2][(7) 'खण्ड' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र पंचायत के पंचायत क्षेत्र से है;

(8) [1][पिछड़े वर्गों, 'ग्राम सभा' 'ग्राम पंचायत', 'सर्किल', 'राज्य निर्वाचन आयोग', 'वित्त आयोग' और 'जनसंख्या के वही अर्थ होंगे जो संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में क्रमशः उनके लिये दिये गये हैं'];

(9) ''गृह'' के अन्तर्गत कोई दुकान, गोदाम, छादक (शेड) तथा गाड़ी या पशु रखने के लिये प्रयुक्त कोई भाड़ा भी है;

---

[1] अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(10) ''ग्राम्य क्षेत्र'' का तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया, छावनी तथा [3] [नगर निगम] क्षेत्र के अतिरिक्त जिले के क्षेत्र से है;

(11) '' जिला पंचायत'' [2] [जिला पंचायत] का तात्पर्य धारा 17 के अधीन [4] [निगमित][2] [जिला पंचायत] से होगा तथा इसके अन्तर्गत [2] [जिला पंचायत] की कोई समिति तथा उसका [जिला पंचायत] कोई सदस्य, अधिकारी या सेवक भी होगा जिसके द्वारा [जिला पंचायत] के इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग अथवा किसी कर्तव्य का कृत्य का सम्पादन इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हो;

[2][''और 'जिला परिषद्' का तात्पर्य इस अधिनियम, जैसा कि यह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधन के पूर्व था, के अधीन स्थापित किसी जिला परिषद् से है''] बढ़ा दिये जायेंगे।

(12) ''[2] [जिला पंचायत] का सेवक'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो [2] [जिला पंचायत] से वेतन पाता हो और उसकी सेवा में हो;

(13) ''डिस्ट्रिक्ट बोर्ड'' तथा ''बोर्ड'' का तात्पर्य यूनाइटेड प्राविंसेज डिस्ट्रिक्ट बोड्र्स एक्ट, 1992 के अधीन स्थापित डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से है;

(14) '' जिला मजिस्ट्रेट'' का तात्पर्य, [2] [दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20]के अधीन नियुक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से है;

(15) ''जिला स्तर के अधिकारी'' का तात्पर्य जिले के ऐसे अधिकारियों से है जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस रूप में निर्दिष्ट करें;

(16) ''त्रिमास'' का तात्पर्य तीन महीने की उस अवधि से है जो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में से किसी महीने के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ हो;

[1]["(16–क) 'मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खण्ड (टटट) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से है;"]

[1][(17) (क)''नगर पालिका'' ''नगरपालिका बोर्ड'' तथा ''नोटीफाइड एरिया'' के वही अर्थ होंगे जो यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 के अधीन क्रमशः ''म्यूनिसिपैलिटीज'', ''म्यूनिसिपल

[1] अधिनियम सं0 21, 1995 द्वारा बढ़ाया गया।

बोर्ड'' तथा नोटीफाइड एरिया'' के हैं;

(ख) ''टाउन एरिया'' का वही अर्थ होगा जो यू0पी0 टाउन एरियाज एक्ट, 1914 में दिया गया है;

(ग) ''छावनी'' तथा '' छावनी बोर्ड'' के वही अर्थ होंगे जो कैन्टोनमेन्ट्स एक्ट, 1924 के अधीन क्रमशः ''कैन्टोनमेन्ट'' तथा कैन्टोनमेन्ट बोर्ड'' के हैं;

(घ) ''नोटीफाइड एरिया कमेटी'' या ''नोटीफाइड एरिया की कमेटी'' का तात्पर्य यू0पी म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 338 के अधीन संगठित कमेटी से है; और

(ङ) ''टाउन एरिया कमेटी'' या ''टाउन एरिया की कमेटी'' का तात्पर्य यू0पी0 टाउन एरियाज एक्ट, 1914 की धारा 5 के अधीन स्थापित कमेटी से है;][2]

(18) [3][''नगर निगम''] का तात्पर्य उत्तर प्रदेश [2][नगर निगम] अधिनियम, 1959 ई0 के अधीन स्थापित [2][नगर निगम] से है;

(19) ''नियत'' का तात्पर्य इस अधिनियम या तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम द्वारा नियत से है;

(20) ''नियत प्राधिकारी'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी प्रयोजन के लिये नियम प्राधिकारी के रूप में गजट में विज्ञापित किया गया हो;

(21) ''नियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम से है;

(22) [4][* * *]

(23) किसी खण्ड या जिले के सम्बन्ध में ''निश्चित दिनांक'' का तात्पर्य क्रमशः [5][उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, उस खण्ड के लिये प्रथम क्षेत्र पंचायत या उस जिले के लिये प्रथम जिला पंचायत के संघठन के दिनांक''] से है;

---

[1] अधिनियम सं0 2, 1963 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1963 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा निकाला गया।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।

(24) ''न्यायाधीश'' का तात्पर्य जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) से है और इसके अन्तर्गत जिला न्यायाधीश द्वारा तदर्थ नामांकित या नामोदिष्ट कोई अन्य अधीनस्थ दीवानी न्यायाधिकारी (सिविल जुडिशियल आफिसर) भी है;

(25) '' भूमि प्रबन्धक समिति'' का तात्पर्य यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, यू0पी0 एक्ट संख्या 26, 1947 में यथापरिभाषित भूमि प्रबन्धक समिति से है;

(26) ''मण्डल'' या जिला'' या ''तहसील'' के वहीं अर्थ होंगे, जो यूनाइटेड प्राविंसेज लैन्ड रेवेन्यू एक्ट, यू0पी0 एक्ट संख्या 3, 1901 में क्रमशः ''डिवीजन'' ''डिस्ट्रिक्ट'' तथा''तहसील'' शब्दों के हैं;

(27) किसी [1][क्षेत्र पंचायत] अथवा [जिला पंचायत] के सम्बन्ध में ''मण्डल आयुक्त'' का तात्पर्य यूनाइटेड प्राविंसेज लैन्ड रेवेन्यू, यू0पी0 एक्ट संख्या 3, 1901 की धारा 12 के अधीन उस मण्डल (डिवीजन) के लिये नियुक्त आयुक्त (कमिश्नर) से है जिसके भीतर, यथास्थिति, [क्षेत्र पंचायत] अथवा [1][जिला पंचायत] अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो तथा उक्त एक्ट की धारा 13 के अधीन उस मण्डल के नियुक्त अपर आयुक्त (एडीशनल कमिश्नर) भी इसके अन्तर्गत हैं;

(28) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(29) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(30) ''लोक सेवक'' का तात्पर्य इण्डियन पैनल कोड, एक्ट संख्या 45, 1800 की धारा 21 में यथापरिभाषित ''पब्लिक सर्वेन्ट'' से है;

(31) [2][* * *]

(32) [2][* * *]

(33) ''विनियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके बनाये गये विनियम से है;

(34) [1][किसी खण्ड के सम्बन्ध में 'संघटक ग्राम पंचायत' का तात्पर्य उस ग्राम पंचायत से है जो उस खण्ड के भीतर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो] ;

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 29, 1995 द्वारा निकाला गया।

(35) [1][''सरकार'' का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या भारतीय संघ के किसी राज्य की सरकार से है;

(36) '' सरकार की सेवा में व्यक्ति'' के अन्तर्गत जिला सरकारी अभिभावक (डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेन्ट कौंसिल), अपर या सहायक जिला सरकारी अभिभावक, कोई ऐसा अन्य अभिभावक जिसे सरकार ने रखा हो, परन्तु जिसे मासिक वेतन न दिया जाता हो, सरकारी कोषाध्यक्ष (गवर्नमेंट ट्रेजरर), पूर्णतया अवैतनिक पद धारण करने वाला व्यक्ति अथवा कोई ऐसा व्यक्ति, जो सरकार की सेवा से निवृत्त हो गया हो, नहीं है;

(37) ''सार्वजनिक सड़क'' का तात्पर्य उस सड़क, पुल, पुलिया, सामान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है जिस पर होकर आने—जाने का जनसाधारण की विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो और जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो;

(38) ''सार्वजनिक स्थान'' का तात्पर्य उस स्थान से है जो निजी सम्पत्ति न हो और जनसाधारण के प्रयोग अथवा उपभोग के लिये खुला हो, चाहे वह स्थान स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो या न हो;

(39) ''स्थानीय प्राधिकारी'' के अन्तर्गत [1] [ग्राम पंचायत] भी है;

(40) [1] ['पंचायत क्षेत्र' का तात्पर्य, —

(क) किसी क्षेत्र पंचायत के संदर्भ में, किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है, और

(ख) किसी जिला पंचायत के संदर्भ में, किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है।''

---

[1] मूल अधिनियम की धारा 1 का खण्ड (35) निकाल दिया गया और उसके बाद के खण्ड (36) से लेकर (46) तक, उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1963 द्वारा पुनः अंकित करके क्रमशः (35) से (39) कर दिया गया।

अध्याय 2

[1][**क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत**]

[**क्षेत्र पंचायतें**]

3. ग्राम्य क्षेत्रों का खण्डों में विभाजन – राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रत्येक खण्ड का नाम और उसके क्षेत्र की सीमायें या उसके संघटक अंश निर्दिष्ट करते हुये प्रत्येक जिले के ग्राम्य क्षेत्र को खण्डों में विभाजित करेगी और इसी प्रकार वह नामों में परिवर्तन कर सकती है या खण्डों में क्षेत्र सम्मिलित करके या उनमें से क्षेत्र निकाल कर उनके क्षेत्रों तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या नये खण्ड बना सकती है।

4. खण्डों में परिवर्तन का प्रभाव – यदि धारा 3 के अधीन कोई क्षेत्र एक खण्ड से निकाल कर दूसरे में सम्मिलित किया जाये तो ऐसा क्षेत्र उस खण्ड को [1][क्षेत्र पंचायत] के क्षेत्राधिकार के अधीन न रहेगा जिसे वह निकाला गया हो और वह उस खण्ड की [1][क्षेत्र पंचायत] के, जिसमें वह सम्मिलित किया गया हो, क्षेत्राधिकार में तथा उसमें प्रवृत्त नियमों, विज्ञप्तियों, आदेशों, निदेशों और नोटिसों के अधीन हो जायेगा तथा राज्य सरकार उस [1][क्षेत्र पंचायत] की, जिसके क्षेत्राधिकार से क्षेत्र निकाला गया हो, आस्तियों (assets) का ऐसा भाग जो वह उचित समझे उस दूसरी [क्षेत्र पंचायत] के सुपुर्द कर सकती है और ऐसे अस्थायी आदेश तथा निदेश दे सकती है जो वह परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक समझे;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि एक खण्ड से निकाया गया क्षेत्र किसी ऐसे नये खण्ड में सम्मिलित किया जाय जिसके लिये कोई [1][क्षेत्र पंचायत] संगठिन न की गई हो तो [2][जब तक कि नये खण्ड के लिये [1][क्षेत्र पंचायत] संगठित न हो जाये] उस खण्ड की [1][क्षेत्र पंचायत], जिससे वह क्षेत्र निकाला गया हो, उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार या प्रयोग करती रहेगी और उस [क्षेत्र पंचायत] द्वारा उस क्षेत्र के सम्बन्ध में की गई कोई बात अथवा कार्यवाही जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गयी कोई नियुक्ति या प्रतिनिधान, जारी की गयी विज्ञप्ति, आदेश या निदेश, निर्मित नियम, विनियम, प्रपत्र, उपविधि या योजना, स्वीकृत अनुज्ञा–पत्र या लाइसेन्स या किया गया रजिस्ट्रीकरण भी है–नये खण्ड के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नयी [क्षेत्र पंचायत] द्वारा की गयी समझी जायेगी और तद्नुसार वह तब तक प्रभावी

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1973 की धारा 15 द्वारा रखा गया।

रहेगी जब तक कि उसे इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी बात या कार्यवाही द्वारा केवक्रांत न कर दिया जाये।

[3]['5. **क्षेत्र पंचायत की स्थापना और उसका निगमन** – [4][(1) प्रत्येक खंड के लिये एक क्षेत्र पंचायत होगी, जिसका नाम उस खण्ड क्षेत्र पंचायत का संघठन के नाम पर होगा और जो एतद्पश्चात् उपबंधित प्रकार से और निगमन द्वारा संघटित की जायेगी।

(2) क्षेत्र पंचायत एक निगमित निकाय होगी।

(3) क्षेत्र पंचायत का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाये, और जब तक इस प्रकार अवधारित न किया जाये तब तक उसी स्थान पर होगा जहॉ वह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व स्थित था;'']

[1][(4) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट श्रेणी के सदस्यों में किसी रिक्ति से किसी क्षेत्र पंचायत के संघटन या पुनस्संघटन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी।

[2][6. **क्षेत्र पंचायत की रचना** – (1) क्षेत्र पंचायत एक प्रमुख, जो इसका पीठासीन होगा, और निम्नलिखित से मिलकर बनेगी –

(क) खण्ड में ग्राम पंचायतों के समस्त प्रधान;

(ख) निर्वाचित सदस्य, जो पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इस प्रयोजन के लिये पंचायत क्षेत्र ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, यथासाध्य दो हजार होगी :

[3][प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, चमोली या उत्तरकाशी के पर्वतीय जिलों में उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट ग्राम के केन्द्र से एक किलोमीटर के अर्द्धव्यास (दो किलोमीटर के व्यास) के भीतर के क्षेत्र को, यद्यपि कि उस क्षेत्र की जनसंख्या दो हजार से कम हो, प्रादेशित निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर सकती है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भागतः सम्मिलित नहीं किया जायेगा।'']

[4][**उत्तरांचल राज्य संशोधन** – ''धारा 6 (1) (ख) 1 – निर्वाचित सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इस प्रयोजन के लिये, पंचायत क्षेत्र निम्नलिखित रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा –

(1) पर्वतीय क्षेत्र में 25000 तक ग्रामीण जनसंख्या वाले विकास खण्ड में 20 निर्वाचन क्षेत्र तथा 25000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्ड में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर किन्तु अधिकतम 40 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे;

(2) मैदानी क्षेत्रों में 50000 तक जनसंख्या वाले विकास खण्ड में 20 निर्वाचन क्षेत्र तथा 50000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर किन्तु अधिकतम 40 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्तानुसार निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या का अनुपात यथासाध्य संबंधित विकास खण्ड में समान होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी क्षेत्र पंचायत कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र भागतः सम्मिलित नहीं किया जायेगा।''

(ग) लोकसभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्णतः या भागतः खण्ड समाविष्ट है।

(घ) राज्य सभा के सदस्य और राज्य की विधान परिषद् के सदस्य जो खण्ड के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) और (घ) में उल्लिखित क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को प्रमुख या उप प्रमुख के निर्वाचन और उनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के मामलों को छोड़कर क्षेत्र पंचायत की कार्यवाहियों में भाग लेने और उसकी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा किया जायेगा।

[1][''(4) जिला पंचायत का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जो पूर्णतः या भागतः किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में पड़ता हो, ऐसी क्षेत्र

---

[1] अधिनियम सं0 1619/सत्रह–वि–1–1(क)–32–1999 दिनांक 29 जुलाई खण्ड (क) दिनांक 29 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हुआ।

पंचायत की बैठकों में विशेष आमन्त्रित के रूप में भाग लेने और अपने विचार व्यक्त करने का हकदार होगा किन्तु ऐसी बैठकों में उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।''

6–क. स्थानों का आरक्षण – प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, क्षेत्र पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य वही होगी जो उस खण्ड में अनुसूचित जातियों की या उस खण्ड में अनुसूचित जनजातियों की या उस खण्ड में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात उस खण्ड की कुल जनसंख्या में है और ऐसे स्थान किसी क्षेत्र पंचायत में भिन्न–भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से ऐसे क्रम में, जैसा नियत किया जाये, आवंटित किये जा सकेंगे :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि क्षेत्र पंचायत में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के सत्ताईस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

[1][अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि क्षेत्र पंचायत में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।''

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे।

(3) स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान, जिसके अन्तर्गत उपधारा (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे, और ऐसे स्थान किसी क्षेत्र पंचायत में भिन्न–भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का चक्रानुक्रम से ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाये, आवंटित किया जा सकेंगे।

(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण – यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और स्त्रियों को अनारक्षित स्थानों के लिये चुनाव लड़ने से निवारित नहीं करेगी।

6–ख. क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक नामावली – (1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक क्षेत्र पंचायत की एक निर्वाचक नामावली होगी।

---

[1] अधिनियम सं0 21 सन् 1995 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) क्षेत्र पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 9 के अधीन तैयार की गई ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर बनेगी जितने क्षेत्र पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट है और किसी क्षेत्र पंचायत में ऐसे किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिये निर्वाचक नामावली पृथकतः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि क्षेत्र पंचायत के किसी निर्वाचन के लिये नामांकन करने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में किया गया कोई सुधार निष्कासन या परिवर्द्धन उस निर्वाचन के प्रयोजनों के लिये ध्यान में नहीं रखा जायेगा।

6—ग. मत का अधिकार आदि — इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम तत्समय क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, उसके किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकारी होगा और क्षेत्र पंचायत की सदस्यता या किसी पद के निर्वाचन के लिये अर्ह होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो, किसी क्षेत्र पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिये अर्ह नहीं होगा।

7. क्षेत्र पंचायत का प्रमुख और उप—प्रमुख — (1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख और एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जायेंगे।

(2) क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के किसी पद में रिक्ति के होते हुये भी प्रमुख और उप—प्रमुख के पद के लिये चुनाव किया जा सकेगा।

[1](3) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2007 के प्रारम्भ होने के पूर्व उप प्रमुख के पद पर निर्वाचित हुए व्यक्ति अपे कार्यकाल की समाप्ति तक इस रूप में में पद को धारण किये रहेगें, मानों उक्त अधिनियम न बनाया गया हो।

7—क. प्रमुखों के पदों का आरक्षण — (1) राज्य में क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित रहेंगे —

---

[1] अधिनियम सं0 1619/सत्रह—वि—1—1(क)—32—1999 दिनांक 29 जुलाई खण्ड (क) दिनांक 29 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हुआ।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आरक्षित प्रमुखों के पदों की संख्या का अनुपात ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या में है और ऐसे आरक्षित पद भिन्न–भिन्न क्षेत्र पंचायतों को चक्रानुक्रम से ऐसे, क्रम में जैसा नियत किया जाय, आवंटित किया जा सकेंगे –

प्रतिबन्ध है कि पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण राज्य में प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के सत्ताईस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

[2] [''प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हो तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।'']

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे।

(3) प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद, जिसके अन्तर्गत उपधारा (2) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे और ऐसे पदों को चक्रानुक्रम से राज्य में भिन्न–भिन्न क्षेत्र पंचायतों के लिये ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाये, आवंटित किये जा सकेंगे।

(4) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये प्रमुखों के पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण – यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और स्त्रियों को अनारक्षित पदों के लिये चुनाव लड़ने से निवारित नहीं करेगा।

8. क्षेत्र पंचायत और उसके सदस्यों का कार्यकाल – (1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत, यदि इस अधिनियम के अधीन उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो, अपने प्रथम बैठक के लिये नियत दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक, न कि उससे अधिक बनी रहेगी।

(2) किसी क्षेत्र पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल, यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त कर दिया जाये तो, क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल के अवसान तक होगा।

(3) किसी क्षेत्र पंचायत का संघठन करने के लिये निर्वाचन –

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व,

(ख) उसके विघटन के दिनांक से छः मास की अवधि के अवसान के पूर्व, पूरा किया जायेगा –

प्रतिबन्ध यह है कि जहां विघटित क्षेत्र पंचायत की शेष अवधि, जिसके लिये वह बनी रहती, छः मास से कम है वहॉ ऐसी अवधि के लिये क्षेत्र पंचायत का संघठन करने के लिये इस उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

[1]["(3–क) इस अधिनियम कें किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, जहॉ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोक हित में, किसी क्षेत्र पंचायत का संघठन करने के लिये उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहॉ राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा प्रशासनिक समिति, जिसमें जिला पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये, ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे, अर्ह व्यक्ति होंगे, या प्रशासक, नियुक्त कर सकता है और प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छह मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, पद धारण करेगा और जिला पंचायत, उसके अध्यक्ष और समितियों की समस्त शक्तियॉ, कृत्य और कर्तव्य, यथास्थिति, ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे औरउनके द्वारा उनका प्रयोग सम्पादन और निर्वहन किया जायेगा।''

(4) किसी क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल के अवसान के पूर्व उसके विघठन पर संगठित की गयी क्षेत्र पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिये ऐसी रहेगी, जिस अवधि तक विघटित क्षेत्र पंचायत उपधारा (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित न की जाती।

(5) कोई भी व्यक्ति जो धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) या (घ) के अधीन क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो उस पद पर, जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य बना था, न रहने पर क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो उस पद पर, जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य बना था, न रहने पर, सदस्य न रहेगा।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 22, 2000 द्वारा बढ़ाया गया जो उ0प्र0 असाधारण गजट भाग 1 खण्ड (क) दि0 5 मई सन् 2000 को प्रकाशित हुआ।

8–क. खण्डों के पुनः संघटन परिणाम – [1][* * *]

9. प्रमुख तथा उप–प्रमुख का कार्यकाल – [(1)] इस अधिनियम में की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, किसी [2][क्षेत्र पंचायत] के प्रमुख या उप–प्रमुख कार्यकाल उसके निर्वाचित होते ही प्रारम्भ हो जायेगा और [क्षेत्र पंचायत] के कार्यकाल तक रहेगा;

[3][* * *]

[4]['(2) जब प्रमुख का पद रिक्त हो तब प्रमुख का निर्वाचन होने तक जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा प्रमुख के कृत्यों का निर्वाह करने के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसे वह ठीक समझे।"

[5][**9–क. कुछ मामलों में अस्थायी व्यवस्था** – [जब प्रमुख अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो तब जिस दिनांक तक प्रमुख अपना पदभार फिर से न ग्रहण कर ले, उस दिनांक तक जिला मजिस्ट्रेट, आदेश द्वारा प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकता है, जिसे वह ठीक समझे।]'

10. [6][क्षेत्र पंचायत] का संघटन तथा पुनस्संघठन – (1) राज्य सरकार प्रत्येक खण्ड के लिये प्रथम [क्षेत्र पंचायत] के संघटन का और [7][उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अथवा जब इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अन्यथा उपेक्षित हो]उसके पुनस्संघठन का प्रबन्ध धारा 6 के उपबन्धों का ध्यान रखते हुये करेगी।

(2) [8][* * *]

(3) [9][* * *]

11. प्रमुख, उप–प्रमुख या सदस्य का त्याग–पत्र – [10][(1) प्रमुख, उप–प्रमुख या क्षेत्र पचांयत का कोई निर्वाचित सदस्य स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद–त्याग कर सकता है जो प्रमुख की दशा में सम्बन्धित जिला पंचायत के अध्यक्ष को और अन्य दशाओं में क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को सम्बोधित होगा।]

(2) प्रमुख का त्याग–पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब त्याग–पत्र की अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत [1][क्षेत्र पंचायत] के कार्यालय में प्राप्त हो जाये और उप प्रमुख या सदस्य का त्याग–पत्र

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा निकाला गया।

उस दिनांक से प्रभावी होगा जब [क्षेत्र पंचायत] के कार्यालय में उसका नोटिस प्राप्त हो जाये [2][और यह समझा जायेगा कि ऐसा प्रमुख, उप–प्रमुख या सदस्य ने अपने पद रिक्त कर दिये हैं।]

[1][**12. आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति** – यदि किसी प्रमुख, उप–प्रमुख या क्षेत्र पंचायत के किसी निर्वाचित सदस्य का स्थान मृत्यु या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाये, तो उस [4] [रिक्ति की पूर्ति ऐसी रिक्ति के दिनांक से छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व] उसके पूर्ति उसके पूर्वाधिकारी के शेष कार्यकाल के लिये यथास्थिति, धारा 6 या 7 में उपबन्धित रीति से की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि रिक्ति होने के दिनांक को क्षेत्र पंचायत का शेष कार्यकाल छः मास से कम हो तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी।

[5] [**13. क्षेत्र पंचायत की सदस्यता के लिये अनर्हता** – कोई व्यक्ति क्षेत्र पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिये और उसका सदस्य होने के लिये अनर्हित होगा यदि –

(क) उसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिये इस प्रकार अनर्ह कर दिया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो;

(ख) वह किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 42 के अधीन स्थापित किसी न्याय पंचायत के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो;

(ग) वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी न्याय पंचायत या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी समिति की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो;

(घ) उस पर ऐसी अवधि के लिये जैसी नियत की जाये, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह ग्राम पंचायत, न्यायत पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के अन्तर्गत कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में उसके द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा हो;

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ङ) वह अनुमोदित दिवालिया हो;

(च) वह किसी ऐसे अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो;

(छ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन बनाये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का या दण्ड दिया गया हो;

(ज) उसे ऐसेसियल सप्लाइज (टेम्परेरी पावर्स) एक्ट, 1946 अथवा यू0पी0 कन्ट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्परेरी पावर्स) एक्ट, 1947 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छः मास से अधिक की अवधि के कारावास या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो;

(झ) उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन तीन मास से अधिक अवधि के लिये कारावास का दण्ड दिया गया हो;

(ञ) उसे स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो;

(ट) उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो;

(ठ) उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक निर्योग्यताओं का निराकरण अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो;

(ड) उसे किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा विधि–व्यवसायी के रूप में कार्य करने से विवर्जित कर दिया गया हो;

(ढ) धारा 23 के अधीन यह घोषित कर दिया गया हो कि उसने उक्त धारा के अर्थ में कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है और वह घोषणा प्रभावी बनी हो; या

(ण) उसे क्षेत्र पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत न किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ग), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट) या (ठ) के अधीन अनर्हता की अवधि ऐसे दिनांक से जिसे नियत किया जाये, पॉच वर्ष होगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति, बकायों का भुगतान कर दिये जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिये जाने पर खण्ड (ङ) के अधीन अनर्हता न रह जायेगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किन्हीं खण्डों के अधीन कोई अनर्हता नियत रीति से राज्य सरकार द्वारा हटायी जा सकती है।

14. **सदस्यता या अनर्हता के सम्बन्ध में विवाद** – (1) यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति धारा 6 की उपधारा (1) के [1][खण्ड (क)] के अधीन [2] [क्षेत्र पंचायत] का सदस्य है अथवा नहीं, तो वह विवाद राज्य सरकार को नियत रीति से अभिदिष्ट कर दिया जायेगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा।

[3][(2) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का विधितः चुना गया सदस्य है अथवा नहीं या वह ऐसा सदस्य होने के लिये पात्र है अथवा नहीं, तो वह प्रश्न न्यायाधीश को नियत रीति से निर्दिष्ट कर दिया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा।]

(3) यदि न्यायाधीश यह निर्णय करे कि सदस्य विधितः नहीं चुना गया था [4][* * *] या वह [5][क्षेत्र पंचायत] का सदस्य रहने का पात्र नहीं रह गया है तो वह सदस्य उस निर्णय के दिनांक से क्षेत्र समिति का सदस्य न रहेगा।

15. **प्रमुख या उप–प्रमुख में अविश्वास का प्रस्ताव** – (1) निम्नलिखित उपधाराओं में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार क्षेत्र पंचायत के प्रमुख या किसी उप प्रमुख में अविश्वास का प्रस्ताव किया जा सकता है तथा उस पर कार्यवाही की जा सकती है;

(2) प्रस्ताव करने के अभिप्राय का लिखित नोटिस, जो नियत प्रपत्र में होगा तथा [1][क्षेत्र पंचायत के तात्कालिक निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से कम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरकृत होगा, प्रस्तावित प्रस्ताव की प्राप्ति के साथ, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से किसी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उस कलेक्टर को दिया जायेगा जिसका [1][क्षेत्र पंचायत पर क्षेत्राधिकार हो]।

(3) तदुपरान्त कलेक्टर –

(1) [3][क्षेत्र पंचायत] की एक बैठक उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये [4][क्षेत्र पंचायत] के कार्यालय में अपने द्वारा निश्चित दिनांक को बुलायेगा और यह दिनांक उपधारा (2) के अधीन उसे नोटिस दिये जाने के दिनांक से तीस दिन के बाद का न होगा; तथा

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) [5][क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य] को ऐसी बैठक का कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस ऐसी रीति से देगा, जो नियत की जाये।

स्पष्टीकरण — इस उपधारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की गणना करने में वह अवधि निकाल दी जायेगी जिसमें इस धारा के अधीन किये गये प्रस्ताव के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी याचिका पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया स्थगन आदेश, यदि कोई हो, प्रचलित रहा हो और वह अतिरिक्त समय भी निकाल दिया जायेगा जो सदस्यों को बैठक के नये नोटिस जारी करने के निमित्त अपेक्षित हो।

(4) ऐसी बैठक की अध्यक्षता उस परगने का परगना अधिकारी करेगा जिसमें [क्षेत्र पंचायत] क्षेत्राधिकारी का प्रयोग करती हो।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि [क्षेत्र पंचायत] एक से अधिक परगनों में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो अथवा परगना अधिकारी किसी कारणवश अध्यक्षता न कर सकता हो, तो कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई वैतनिक अपर सहायक कलेक्टर उक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा।]

[6][(4—क) यदि बैठक के लिये निश्चित समय से आधे घण्टे के भीतर, ऐसा अधिकारी अध्यक्षता करने के लिये उपस्थित न हो तो बैठक उस दिनांक और समय तक के लिये स्थगित हो जायेगी जिसे वह अधिकारी उपधारा (4—ख) के अधीन निश्चित करेगा।

(4—ख) यदि उपधारा 4 में उल्लिखित अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो वह तत्सम्बन्धी अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे किसी अन्य दिनांक और समय के लिये स्थगित कर सकता है जिसे वह निश्चित करे, किन्तु यह दिनांक उपधारा (3) के अधीन बैठक के लिये निश्चित दिनांक से 25 दिन से अधिक न होगा। वह कलेक्टर को लिखित रूप में बैठक के स्थगन की सूचना अविलम्ब देगा। कलेक्टर सदस्यों को अगली बैठक की सूचना उपधारा (3) के अधीन नियत रीति से कम से कम दस दिन पहले देगा।

[7][(5) उपधारा (4—क) तथा (4—ख) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर] इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिये बुलायी गई बैठक स्थगित न की जायेगी।

(6) इस धारा के अधीन बुलायी गयी बैठक के प्रारम्भ होते ही, पीठासीन अधिकारी [8][क्षेत्र पंचायत] को वह प्रस्ताव पढ़कर सुनायेगा, जिस पर विचार करने के लिये बैठक बुलायी गयी हो तथा यह घोषित करेगा कि उस पर वाद—विवाद किया जा सकता है।

(7) इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर वाद–विवाद स्थगित न किया जायेगा।

[1](8) यदि ऐसा वाद विवाद बैठक आरम्भ होने के लिये निश्चित समय से दो घन्टे बीतने के पहले ही समाप्त न हो गया हो, तो वह दो घण्टे बीतते ही स्वतः समाप्त हो जायेगा, वाद–विवाद की समाप्ति पर अथवा उक्त दो घंटों की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, वह प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया जायेगा [2][जो गुप्त मतदान द्वारा नियत रीति से होगा।

(9) पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव के गुण–दोषों पर नहीं बोलेगा और न वह उस पर मत देने का अधिकारी होगा।

(10) पीठासीन अधिकारी बैठक समाप्त होने के पश्चात् तुरन्त बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति तथा साथ में प्रस्ताव की एक प्रति और उस पर हुये मतदान का परिणाम राज्य सरकार को तथा क्षेत्राधिकार युक्त जिला पंचायत को भेजेगा।

(11) यदि प्रस्ताव [3][क्षेत्र पंचायत] के तत्कालीन सदस्यों की कुल संख्या के [4][आधे से अधिक] समर्थन से पारित हो तो –

(क) पीठासीन अधिकारी उक्त तथ्य का प्रकाशन [क्षेत्र पंचायत] के कार्यालय के नोटिस–बोर्ड पर एक नोटिस चिपकवा कर तथा गजट में उसे विज्ञापित करा कर भी, करायेगा; और

(ख) यथास्थिति, प्रमुख या उप–प्रमुख उस दिनांक के, जब उक्त नोटिस [क्षेत्र पंचायत] के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाया गया हो, अगले दिन से अपने पद पर न रहेगा और उसे रिक्त कर देगा।

(12) यदि प्रस्ताव पूर्वोक्त रूप से पारित न हुआ हो अथवा यदि गणपूर्ति न होने के कारण बैठक न हो सकी हो, तो जब तक कि उक्त बैठक के दिनांक से [5][एक वर्ष] व्यतीत न हो जाय, तब तक उसी प्रमुख या उप–प्रमुख में अविश्वास व्यक्त करने वाले किसी अनुवर्ती प्रस्ताव का नोटिस ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(13) इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव का नोटिस यथास्थिति, प्रमुख या उप–प्रमुख के पद ग्रहण करने के [5][एक वर्ष] के भीतर ग्रहण नहीं किया जायेगा।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 16, 1965 की धारा 5(3) द्वारा प्रतिस्थापित।

[7][16. **प्रमुख या उप–प्रमुख का हटाया जाना** – (1) यदि राज्य सरकार की राय में किसी क्षेत्र पंचायत का प्रमुख या कोई उप–प्रमुख इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन जानबूझकर नहीं करता या पालन करने से इन्कार करता है या अपने से में निहित अधिकारों का दुरूपयोग करता है अथवा अपने कर्तव्यों के पालन में अनाचार का दोषी पाया जाता है या मानसिक या शारीरिक रूप से अपने कर्तव्यों के पालन में असमर्थ हो गया है, तो राज्य सरकार, यथास्थिति, प्रमुख या ऐसे उप–प्रमुख को स्पष्टीकरण का समुचित अवसर देने के पश्चात् और इस मामले में अन्य पक्ष का परामर्श मांगने और यदि उसकी राय ऐसे परामर्श मांगने के पत्र के भेजे जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्राप्त हो जाये, तो इस राय पर विचार कर लेने के बाद, यथास्थिति, ऐसे प्रमुख या उप–प्रमुख को आदेश द्वारा पद से हटा सकती है और ऐसा आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी विधि–न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसे रूप में जैसा नियत किया जाय, किसी जॉच में प्रथम दृष्टया यह पाया जाये कि किसी प्रमुख या उप–प्रमुख ने वित्तीय और अन्य अनियमिततायें की है तो ऐसा प्रमुख या उप–प्रमुख अन्तिम जॉच में आरोपों से मुक्त होने तथा वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और सम्पादन नहीं करेगा और तब उन शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग और सम्पादन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त क्षेत्र पंचायत के तीन निर्वाचित सदस्यों की समिति द्वारा किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन अपने पद से हटाया गया प्रमुख या उप–प्रमुख अपने पद से हटाये जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक प्रमुख या उप–प्रमुख के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र न होगा।]

[1][**जिला पंचायत**]

17. जिला पंचायत की स्थापना तथा उसका निगमन –

[2][(1) प्रत्येक जिले के लिये एक जिला पंचायत होगी जिसका नाम उस जिले की जिला पंचायत कार्यालय के नाम पर होगा और जो एतद्पश्चात् उपबंधित प्रकार से संघठन और निगमन संगठित की जायेगी।

(2) जिला पंचायत एक निगमित निकाय होगी।"]

[3][(2–क) [4][जिला पंचायत] का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्वारित किया जाये, किन्तु जब तक इस प्रकार निर्धारित न किया जाये तब तक उसी स्थान पर

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 29, 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।

होगा, जहाँ पर वह उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 1965 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व स्थित था।

(3) जब कोई नया जिला बनाया जाये तो नया जिला बनाने के ठीक पहले उसके किसी क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाली उस क्षेत्राधिकार का तब तक प्रयोग करती रहेगी जब तक कि उस नये जिले में (नये) [जिला पंचायत] की स्थापना न हो जाये, और नयी [जिला पंचायत] की स्थापना पर –

(1) उस [5][जिला पंचायत] की स्थापना के दिनांक के (जिसे आगे 'उक्त दिनांक' कहा गया है) ठीक पूर्ववर्ती दिनांक पर नये जिले के क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाली [3][जिला पंचायत] द्वारा आरोपित उद्ग्रहीत सभी कर, शुल्क, अर्थ दण्ड अथवा शस्तियाँ और सभी स्वीकृत लाइसेन्स अथवा अनुज्ञा–पत्र इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार नयी [जिला पंचायत] द्वारा आरोपित, उद्ग्रहीत या स्वीकृत समझे जायेंगे और जब तक वे समाप्त, परिष्कृत अथवा परिवर्तित न कर दिये जायें तब तक इसी प्रकार वसूली योग्य अथवा प्रभावी बने रहेंगे ; और

(2) नये जिले के क्षेत्र में उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को क्षेत्राधिकार रखने वाली [6][जिला पंचायत] द्वारा की गयी कोई बात अथवा कार्यवाही जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन द्वारा की गयी नियुक्ति या प्रतिनिधान, जारी की गयी विज्ञप्ति, आदेश या निदेश, निर्मित नियम, विनियम, प्रपत्र, उपविधि या योजना, स्वीकृत अनुज्ञा–पत्र व लाइसेन्स या किया गया रजिस्ट्रीकरण भी है – नये जिले के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नयी [1][जिला पंचायत] द्वारा की गयी समझी जायेगी और तद्नुसार वह तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि उसे अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी बात की कार्यवाही द्वारा अवक्रांत न कर दिया जाये।

(4) यदि किसी समय कोई नया क्षेत्र किसी वर्तमान जिले में समाविष्ट किया जाये और ऐसे समादेश के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को कोई [जिला पंचायत] उस क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रही हो तो उपधारा (3) के उपबन्ध इस प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों नया समाविष्ट क्षेत्र कोई नया जिला हो और परिवर्धित जिले के लिये नयी संगठित [जिला पंचायत] उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिये नयी [जिला पंचायत] हो;

[2][(5) धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट श्रेणी के सदस्यों में किसी रिक्ति से किसी जिला पंचायत से संघठन या पुनस्संघठन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी।

(6) जिला पंचायत का संघठन गजट में अधिसूचित किया जायेगा'' ।]

[3][18. **जिला पंचायत की रचना** – (1) जिला पंचायत एक अध्यक्ष, जो उसका पीठासीन होगा, और निम्नलिखित से मिलकर बनेगी –

(क) जिले में समस्त क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख ;

(ख) निर्वाचित सदस्य, जो जिला पंचायत के प्रादेशित निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इस प्रयोजन के लिये पंचायत क्षेत्र ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, यथासाध्य, 50,000 होगी;

[4]["प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, चमोली या उत्तरकाशी के पर्वतीय जिलों में उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट ग्राम के केन्द्र से सात किलोमीटर के अर्द्धव्यास (चौदह किलोमीटर के व्यास) के भीतर के क्षेत्र को, या उसके बराबर किसी क्षेत्र को जैसा नियत किया जाये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर सकती है यद्यपि कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पचास हजार से कम हो।]

अग्रेतर प्रतिबन्ध है कि किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक क्षेत्र पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भागतः सम्मिलित नहीं किया जायेगा।'']

[5][**उत्तरांचल राज्य संशोधन** – ''धारा 18(1)(ख) – निर्वाचित सदस्य जो जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इस प्रयोजन के लिये, पंचायत क्षेत्र निम्नलिखित रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा –

[(1) पर्वतीय क्षेत्र में 24000 तक जनसंख्या वाले विकास खण्ड में न्यूनतम 2 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे तथा 24000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्ड में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किये जायेंगे;

(2) मैदानी क्षेत्रों में 50000 तक जनसंख्या वाले विकास खण्ड में न्यूनतम 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे तथा 50000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्तानुसार निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या का अनुपात यथासाध्य सम्बन्धित विकास खण्ड में समान होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक क्षेत्र पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भागतः सम्मिलित नहीं किया जायेगा।''

(ग) लोकसभा का सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पंचायत क्षेत्र का कोई भाग समाविष्ट है;

(घ) राज्य सभा के सदस्य और राज्य की विधान परिषद् के सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) और (घ) में उल्लिखित जिला पंचायत के सदस्यों को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन और उनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के मामलों को छोड़कर जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग लेने और उसकी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा किया जायेगा।

[1][(4) किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नियत रीति से किया जा सकता है, और यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में नियम भूतलक्षी प्रभाव से, किन्तु उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व से नहीं बनाये जा सकते हैं।]

18—क. स्थानों का आरक्षण — (1) प्रत्येक जिला पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात जिला पंचायत में प्रत्यक्ष द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में, यथाशक्य, वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की या उस पंचायत क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या

---

[1] अधिनियम सं0 218 विधायी एवं संसदीय कार्य/2002 दिनांक 19 जून, 2002 द्वारा संशोधित जो उत्तरांचल असाधारण गजट भाग—1 खण्ड (क) दिनांक 19 जून, 2002 में प्रकाशित हुआ।

में से है और ऐसे स्थान किसी जिला पंचायत में भिन्न–भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से ऐसे क्रम में, जैसा नियत किया जाये, आवंटित किये जा सकेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के सत्ताईस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

[2]["अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हो तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।'']

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या के एक–तिहाई से अन्यून स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे।

(3) स्थानों की कुल संख्या के एक–तिहाई से अन्यून स्थान, जिसके अन्तर्गत उपधारा (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी जिला पंचायत में भिन्न–भिन्न प्रादेशित निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से ऐसे क्रम में, जैसा नियत किया जाये, आवंटित किये जा सकेंगे।

(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों के लिये स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण – यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और स्त्रियों को अनारक्षित स्थानों के लिये चुनाव लड़ने से निवारित नहीं करेगी।

18–ख. जिला पंचायत की निर्वाचन नामावली – (1) प्रत्येक जिला पंचायक के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक निर्वाचक नामावली होगी।

(2) जिला पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र पंचायतों के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर बनेगी जितने जिला पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट है और किसी जिला पंचायत के ऐसे किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली पृथकतः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत के किसी निर्वाचन के लिये नामांकन करने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में किया गया कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन उस निर्वाचन के प्रयोजनों के लिये ध्यान में नहीं रखा जायेगा।

18–ग. मत का अधिकार आदि – इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, उसके किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकारी और जिला पंचायत की सदस्यता किसी पद के निर्वाचन के लिये अर्ह होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो, किसी जिला पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिये अर्ह नहीं होगा।

19. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष – (1) प्रत्येक जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुने जायेंगे।

(2) जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के पदों में किसी रिक्ति के होते हुये भी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिये चुनाव किया जा सकेगा।

19–क. अध्यक्षों के पदों का आरक्षण – (1) राज्य में जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित रहेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात ऐसे पदों की कुल संख्या से, यथाशक्य, वही होगा जो राज्य में अनुसूचित जातियों की, या राज्य अनुसूचित जन–जातियों की या राज्य में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या में है और ऐसे आरक्षित पद भिन्न–भिन्न जिला पंचायतों को चक्रानुक्रम से ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाय, आवंटित किये जा सकेंगे :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण राज्य में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के सत्ताईस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

[1][अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।]''

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या के एक–तिहाई से अन्यून, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों या पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे।

(3) अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के एक–तिहाई से अन्यून पद जिसके अन्तर्गत उपधारा (2) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे और ऐसे पद

[1] अधिनियम सं0 21 सन् 1995 द्वारा बढ़ाया गया।

चक्रानुक्रम से राज्य में भिन्न–भिन्न जिला पंचायतों के लिये ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाय, आवंटित किये जा सकेंगे।

(4) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों के लिये अध्यक्षों के पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभाव नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण – यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और स्त्रियों को अनारक्षित पदों के लिये चुनाव लड़ने से निवारित नहीं करगी।

20. जिला पंचायत और उसके सदस्यों का कार्यकाल – (1) प्रत्येक जिला पंचायत, यदि धारा 232 के अधीन उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है, तो अपनी प्रथम बैठक के लिये नियत दिनांक से पांच वर्ष तक की अवधि तक, न कि उससे अधिक बनी रहेगी।

(2) किसी जिला पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाय तो जिला पंचायत के कार्यकाल के अवसान तक होगा।

(3) किसी जिला पंचायत का संघठन करने के लिये निर्वाचन –

(क) उपधारा (11) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व,

(ख) उसके विघटन के दिनांक से छः मास की अवधि के अवसान के पूर्व, पूरा किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ शेष अवधि जिसके लिये वह बनी रहती, छः मास से कम है, वहॉ ऐसी अवधि के लिये जिला पंचायत का संघठन करने के लिये उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

[1][''(3–क) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, जहॉ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोक हित में, किसी जिला पंचायत का संघठन करने के लिये उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा प्रशासनिक समिति, जिसमें जिला पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये, ऐसी संख्या में

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 22 सन् 2000 द्वारा बढ़ाया गया जो कि उ0प्र0 असाधारण गजट भाग 1 खण्ड (क) दि0 5 मई, सन् 2000 को प्रकाशित हुआ।

जैसी वह उचित समझे, अर्ह व्यक्ति होंगे, या प्रशासक, नियुक्त कर सकता है और प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छह मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, पद धारण करेगा और जिला पंचायत, उसके अध्यक्ष और समितियों की समस्त शक्तियॉ, कृत्य और कर्तव्य, यथास्थिति, ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग सम्पादन और निर्वहन किया जायेगा।

(4) किसी जिला पंचायत के कार्यकाल के अवसान के पूर्व उसके विघटन पर संघठित की गई जिला पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिये बनी रहेगी जिस अवधि तक विघटित जिला पंचायत उपधारा (1) के अधीन बनी रहती यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती।

(5) कोई भी व्यक्ति जो धारा 18 की उपधारा (1) खण्ड (क), (ग) या (घ) के अधीन जिला पंचायत का सदस्य हो उस पद पर, जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य बना या न रहने पर सदस्य न रहेगा।

21. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल – इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्यकाल उसके निर्वाचित होते ही प्रारम्भ हो जायेगा और जिला पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

[1][**21–क.** [2][**कुछ मामलों में अस्थायी व्यवस्था** – [1][जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या वह] अनुपस्थित, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तब जिस दिनांक तक अध्यक्ष अपना पदभार फिर से न ग्रहण कर लें, उस दिनांक तक राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसे वह ठीक समझें।

22. [2]**[जिला पंचायत] का संघठन तथा पुनस्संघठन और निर्वाचन व्यय की वसूली –** (1) राज्य सरकार वर्तमान [1][जिला पंचायत] के, यदि कोई हो, कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अथवा जब कभी इस

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 22 सन् 2000 द्वारा बढ़ाया गया जो कि उ0प्र0 असाधारण गजट भाग 1 खण्ड (क) दि0 5 मई, सन् 2000 को प्रकाशित हुआ।

[2] अधिसूचना सं0 1619/सत्रह–वि–1–1 (क) –32–1999 दि0 29 जुलाई सन् 1999 द्वारा संशोधित।

अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अन्यथा अपेक्षित हो, [2][जिला पंचायत] के संघठन या पुनस्संघठन का प्रबन्ध करेगी।

[(2) [1][* * *]

23. **भ्रष्टाचार के कारण अनर्हता** – [2][(1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्वाचन–विवादों का निर्णय करने के लिये सक्षम कोई प्राधिकारी किसी उम्मीदवार को जिसके सम्बन्ध में यह पाया जाये कि उसने भ्रष्टाचार किया है, घोषणा के दिनांक से पॉच वर्ष से अधिक किसी अवधि में [2][क्षेत्र पंचायत] या [2][जिला पंचायत] या जिला के सदस्य के रूप में चुने जाने [2][* * *] या [2][क्षेत्र पंचायत] का प्रमुख या [2][जिला पंचायत] का अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने अथवा किसी ऐसे पद या स्थान पर जो [2][क्षेत्र पंचायत] या [2][जिला पंचायत] दे सकती हो या उसके अधिकार में हो, नियुक्त होने या रहने के अयोग्य घोषित कर सकता है।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने भ्रष्टाचार किया है, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षता स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा –

(1) किसी मतदाता को प्रकट,, साशय–मिथ्या–निरूपण, अथवा उत्पीड़न करके या हानि पहुॅचाने की धमकी देकर, किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने अथवा मत न देने के लिये प्रेरित करता है अथवा प्रेरित करने का प्रयत्न करता है;

(2) किसी मतदाता को, किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने या मत न देने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को कोई धनराशि या मूल्यवान प्रतिफल या कोई स्थान या नियोजन देने का प्रस्ताव करता है अथवा देता है या किसी व्यक्तिगत सुविधा या लाभ का वचन देता है;

(3) किसी ऐसे मतदाता के नाम से मत देता है या दिलवाता है, जो मत देने वाला व्यक्ति नहीं है;

(4) खण्ड (1), (2) और (3) में निर्दिष्ट किसी कृत्य को करने के लिये (इण्डियन पैनल कोड के अर्थ में) अभिप्रेरित (abet) करता है;

(5) किसी उम्मीदवार को अथवा निर्वाचक को ऐसा विश्वास करने के लिये प्रेरित करता है अथवा प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह अथवा कोई अन्य व्यक्ति

---

[1] अधिनियम सं0 21 सन् 1995 द्वारा बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

जिसमें वह अभिरूचि रखता है, दैवी प्रकोप अथवा आध्यात्मिक परिनिन्दा का भागी होगा या बना दिया जायेगा;

(6) जाति, समुदाय, सम्प्रदाय या धर्म के आधार पर मतार्थना करता है;

(7) कोई अन्य ऐसा कार्य करता है जिसे राज्य सरकार नियम द्वारा भ्रष्टाचार नियत करे।

स्पष्टीकरण – किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत सुविधा या लाभ का वचन के अन्तर्गत स्वयं उस व्यक्ति के, या किसी अन्य व्यक्ति के, जिसमें वह अभिरूचि रखता हो, लाभ का वचन भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत [1][क्षेत्र पंचायत] या [जिला पंचायत] में किसी विशिष्ट बात के पक्ष में, विरोध में मत देने का वचन नहीं है।

24. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का त्याग–पत्र – (1) [जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई निर्वाचित सदस्य स्व हस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद–त्याग सकता है, जो अध्यक्ष की दशा में राज्य सरकार को और अन्य दशाओं में अध्यक्ष को सम्बोधित होगा और जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी को दिया जायेगा।

(2) अध्यक्ष का त्याग–पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब राज्य सरकार द्वारा त्याग–पत्र की स्वीकृति [जिला पंचायत के कार्यालय में प्राप्त हो जाये और उपाध्यक्ष या सदस्य का त्याग–पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब त्याग–पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत हो जाय [1][और यह समझा जायेगा कि ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया है।]

25. [2][**आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति** – यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जिला पंचायत के किसी निर्वाचित सदस्य का पद मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाये तो उस [3][रिक्ति की पूर्ति ऐसी रिक्ति के दिनांक से छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व] उसके पूर्वाधिकारी के शेष कार्यकाल के लिये, यथास्थिति, धारा 18 या 19 में उपबन्धित रीति से की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी रिक्ति होने के दिनांक को जिला पंचायत की शेष अवधि छः मास से कम हो तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] धारा 25 और 26 उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी।

[3] अधिसूचना सं0 1619/सत्रह–वि–11 (क)–32–1999 दिनांक 29 जुलाई सन् 1999 द्वारा संशोधित।

26. [1]**[सदस्य या अध्यक्ष होने के लिये अनर्हता** – जो व्यक्ति धारा 13 में उल्लिखित किसी अनर्हता से ग्रस्त हो, धारा 18 के अधीन सदस्य के रूप में अथवा धारा 19 के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये अनर्ह होगा।]

27. सदस्यता या अनर्हता के सम्बन्ध में विवाद – (1) यदि वह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति धारा 18 की उपधारा (1) [1][खण्ड क] के अधीन [1][जिला पंचायत] का सदस्य है अथवा नहीं, तो वह विवाद राज्य सरकार को नियत रीति से अभिदिष्ट किया जायेगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा।

(2) यदि वह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति –

(क) धारा 18 के अधीन [1][जिला पंचायत] का सदस्य विधितः [1][* * *] चुना गया है या नहीं; या

(ख) धारा 20 के प्रयोजनों के लिये [1][जिला पंचायत] के सदस्य [2][* * *] के रूप में चुने जाने [1][* * *] का पात्र रह गया है या नहीं; या

(ग) धारा 19 के प्रयोजनों के लिये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य होने के लिये अनर्हित हो गया है या नहीं, तो

वह विवाद न्यायाधीश को नियत रीति से अभिदिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा।

27–क. प्रमुख, या, अध्यक्ष] या उपाध्यक्ष होने या बने रहने के लिये विधायकों तथा कतिपय पदधारियों पर रोक – (1) धारा 7, 19 और 27 में दी हुई किसी बात के होते हुये भी –

(क) कोई भी व्यक्ति, [प्रमुख, या, अध्यक्ष] निर्वाचित किये जाने या होने के लिये अनर्हित होगा, यदि वह –

(1) संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो; या

(2) किसी [3][नगर निगम] का नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख हो; या

(3) किसी [1][नगरपालिका] का प्रेसीडेंट या वाइस प्रेसीडेंट हों; या

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2 सन् 1963 की धारा 17(2) द्वारा निकाला गया।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 सन् 1994 द्वारा ''नगरपालिका'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(4) किसी टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन या किसी नोटीफाइड एरिया कमेटी का प्रेसीडेन्ट हो;

(ख) यदि कोई व्यक्ति, [प्रमुख, या अध्यक्ष] निर्वाचित हो जाने के पश्चात् बाद में खण्ड (क) के उपखण्ड (1) से (4) तक में उल्लिखित किसी पद पर, निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट हो जाये तो वह अपने निर्वाचन या अपने नाम निर्देशन की घोषणा के भारत या उत्तर प्रदेश के गजट में प्रथम बार प्रकाशित किये जाने के दिनांक को प्रमुख, या अध्यक्ष के पद पर न रह जायेगा, और तदुपरान्त ,[प्रमुख, या अध्यक्ष] के जैसी भी स्थिति हो, पद में आकस्मिक रिक्ति हो जायेगी;

(ग) ऐसा कोई भी प्रश्न या विवाद कि क्या कोई व्यक्ति खण्ड (ख) के अधीन अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर है या नहीं, धारा 27 के अधीन न्यायाधीश को न तो अभिर्दिष्ट किया जायेगा और न उसके समक्ष उठाया जायेगा;

(घ) ऐसे किसी प्रश्न या विवाद के सम्बन्ध में कि क्या कोई व्यक्ति खण्ड (ख) के अधीन प्रमुख, या अध्यक्ष के पद पर नहीं रह रहा है, कोई वाद किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(2) किसी न्यायालय या न्यायाधिकारण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी, यदि कोई व्यक्ति प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के पश्चात् वाद में 30 अप्रैल, 1969 के पूर्व किसी समय उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) से (4) तक में उल्लिखित किसी पद पर, निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट हो जाये और उक्त दिनांक के ठीक पूर्व ऐसा पद धारण किये रहे तो, वह उक्त दिनांक को प्रमुख, या अध्यक्ष के पद पर न रह जायेगा, और तदुपरान्त प्रमुख या अध्यक्ष , जैसी भी दशा हो, पद में आकस्मिक रिक्ति हो जायेगी और इस प्रकार पद पर न रह जाने के सम्बन्ध में उक्त उपधारा के खण्ड (ग) और (घ) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू से होंगे जिस प्रकार से उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन पद न रह जाने के सम्बन्ध में लागू होते हों, और किसी ऐसे प्रश्न या विवाद के सम्बन्ध में उक्त दिनांक के ठीक पूर्व धारा 27 के अधीन न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन कोई वाद समाप्त हो जायेगा।][2]

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा ''नगरपालिका बोर्ड'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 20 सन् 1990 द्वारा बढ़ाया गया।

[1][**27–ख. एक साथ एक से अधिक पद धारण करने का निषेध** – कोई व्यक्ति एक साथ एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से –

(क) क्षेत्र पंचायत का सदस्य न होगा, या

(ख) जिला पंचायत का सदस्य न होगा, और किसी क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत में एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित किसी व्यक्ति द्वारा एक स्थान के अतिरिक्त सभी स्थानों को रिक्त किये जाने की व्यवस्था नियमों द्वारा की जा सकती है।]

[2]**[27–ग. एक साथ दो पद धारण करने पर अग्रेतर रोक** – (1) कोई व्यक्ति निम्नलिखित किसी पद पर निर्वाचन के लिये या पद धारण करने के लिये अनर्ह होगा –

(क) किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य, प्रमुख या उपप्रमुख, यदि वह जिला पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो, और

(ख) जिला पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि वह किसी लेख पंचायत का सदस्य, प्रमुख या उपप्रमुख हो।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र पंचायत के सदस्य, प्रमुख या उपप्रमुख के पद के साथ–साथ, या बाद में, जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होता है तो, यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, प्रमुख या उपप्रमुख के पद पर नहीं रह जायेगा।

(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पश्चात् हुये प्रथम निर्वाचनों में यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पद के लिये चुना जाता है जिनको एक साथ धारण करने के लिये वह उपधारा (1) के अधीन अनर्ह है, तो वह निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के दिनांक से साठ दिन के भीतर या उक्त पदों के सम्बन्ध में निर्वाचनों के परिणाम की घोषणा भिन्न–भिन्न दिनांकों को की गई है तो अन्तिम घोषणा के दिनांक से साठ दिन के भीतर एक पद को छोड़कर अन्य सभी पदों के अपना त्याग–पत्र प्रस्तुत करेगा और इस तरह से त्याग–पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में जिला पंचायत में उसके पद को छोड़कर अन्य सभी पद रिक्त समझे जायेंगे।]"

28. अध्यक्ष या [1]**[उपाध्यक्ष] में अविश्वास का प्रस्ताव** – (1) निम्नलिखित उपधाराओं में दी गयी प्रक्रिया के

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21 सन् 1995 द्वारा बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21 सन् 1995 द्वारा बढ़ाया गया।

अनुसार [2][क्षेत्र पंचायत] के अध्यक्ष या [3][उपाध्यक्ष] में अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव किया जा सकता है तथा उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

(2) प्रस्ताव के अभिप्राय का लिखित नोटिस, जो नियत प्रपत्र में होगा और [1][जिला पंचायत] के तत्समय सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे [1][निर्वाचित सदस्यों] द्वारा हस्ताक्षरकृत होगा, प्रस्तावित की प्रतिलिपि के साथ, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले [1][निर्वाचित सदस्यों] में से किसी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसे कलेक्टर को दिया जायेगा [1][जिला पंचायत] पर क्षेत्राधिकार हो।

(3) तदुपरान्त कलेक्टर –

(1) [1][जिला पंचायत] की बैठक उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिये [1][जिला पंचायत] के कार्यालय में अपने द्वारा निश्चित दिनांक को बुलायेगा और यह दिनांक उपधारा (1) के अधीन उसे नोटिस दिये जाने के दिनांक से तीस दिन के बाद का न होगा; तथा

(2) [1][निर्वाचित सदस्यों] को ऐसी बैठक का कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस ऐसी रीति से देगा जो नियत की जाय;

स्पष्टीकरण – इस उपधारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की गणना करने में वह अवधि निकाल दी जायेगी जिसमें इस धारा के अधीन दिये गये प्रस्ताव के विरूद्ध प्रस्तुत की गई याचिका पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया स्थगन आदेश, यदि कोई हो, प्रचलित रहा हो और वह अतिरिक्त समय भी निकाल दिया जायेगा जो [1][निर्वाचित सदस्यों] की बैठक के नये नोटिस जारी करने के निमित्त अपेक्षित हो।

(4) कलेक्टर, जिले के न्यायाधीश से ऐसी बैठक की अध्यक्षता की व्यवस्था करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जिला न्यायाधीश अध्यक्षता करने की बजाय अपने अधीनस्थ किसी दीवानी न्यायाधिकारी (सिविल जुडीशियल आफिसर) को, जो दीवानी न्यायाधीश

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 20 सन् 1990 द्वारा बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 20 सन् 1990 द्वारा बढ़ाया गया।

(सिविल जज) से निम्न श्रेणी का न हो, ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने का आदेश दे सकता है।

[1][(4—क) यदि बैठक के लिये निश्चित समय से आधे घण्टे के भीतर, ऐसा अधिकारी अध्यक्षता करने के लिये उपस्थित न हो तो बैठक उस दिनांक और समय तक के लिय स्थगित हो जायेगी जिसे वह अधिकारी (4—ख) के अधीन निश्चित करेगा।

(4—ख) यदि उपधारा (4) में उल्लिखित अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो वह तत्सम्बन्धी अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे किसी अन्य दिनांक और समय के लिये स्थगित कर सकता है जिसे वह निश्चित करे, किन्तु यह दिनांक उपधारा (3) के अधीन बैठक के लिये निश्चित दिनांक से 25 दिन से अधिक न होगा। वह कलेक्टर को लिखित रूप में बैठक के स्थगतन की सूचना अविलम्ब देगा। कलेक्टर [2][निर्वाचित सदस्यों] की अगली बैठक की सूचना उपधारा (3) के अधीन नियत रीति से कम से कम दस दिन पहले देगा।

(5) [1][उपधारा (4—क) तथा (4—ख) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर] इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिये बुलायी गई बैठक स्थगित न की जायेगी।

(6) इस धारा के अधीन बुलायी गयी बैठक के प्रारम्भ होते ही पीठासीन अधिकारी [2][जिला पंचायत] को वह प्रस्ताव पढ़कर सुनायेगा जिस पर विचार करने के लिये बुलायी गयी हो और यह घोषित करेगा कि उस प्रस्ताव पर वाद—विवाद किया जा सकता है।

(7) इस धारा के अधीन प्रस्ताव पर वाद—विवाद स्थगित न किया जायेगा।

(8) यदि ऐसा वाद—विवाद, बैठक आरम्भ होने के लिये निश्चित समय से दो घण्टे बीतने के पहले ही समाप्त न हो गया हो तो दो घण्टे बीतते ही स्वतः समाप्त हो जायेगा। वाद—विवाद की समाप्ति पर अथवा उक्त दो घण्टे की समाप्ति पर जो भी पहले हो, वह प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया जायेगा [3][जो गुप्त मतदान द्वारा नियत रीति से होगा।]

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 16 सन् 1965 की धारा 7(1) द्वारा बढ़ायी गयी।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 16 सन् 1965 की धारा 7(2) द्वारा जोड़ा गया।

(9) पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव के गुण–दोषों पर नहीं बोलेगा और वह उस पर मत देने का अधिकारी होगा।

(10) पीठासीन अधिकारी, बैठक समाप्त होने के पश्चात् तुरन्त बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति तथा साथ में प्रस्ताव की एक प्रति और उस पर हुये मतदान का परिणाम राज्य सरकार को तथा कलेक्टर को भेजेगा।

(11) यदि प्रस्ताव [1][जिला पंचायत] के तत्कालीन [1][निर्वाचित सदस्यों] की कुल संख्या के [2][आधे से अधिक] के समर्थन से पारित हुआ हो तो –

(क) पीठासीन अधिकारी उक्त तथ्य का प्रकाशन, उनका नोटिस [3][जिला पंचायत] के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तुरन्त चिपकवा कर तथा गजट में उसे विज्ञापित कराकर, भी करायेगा; और

(ख) अध्यक्ष [3][या उपाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो] उस दिनांक के, जब उक्त नोटिस [4][जिला पंचायत] के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाया गया हो, अगले दिन से अपने पद पर न रहेगा और उसे रिक्त कर देगा।

(12) यदि प्रस्ताव पूर्वोक्त रूप से पारित न हुआ हो, अथवा यदि गणपूर्ति न होने के कारण बैठक न हो सकी हो, तो जब तक कि उक्त बैठक के दिनांक से [2][एक वर्ष] व्यतीत न हो जाये तब तक अध्यक्ष उपाध्यक्ष में अविश्वास व्यक्त करने वाले किसी अनुवर्ती प्रस्ताव का नोटिस ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(13) इस धारा के अधीन प्रस्ताव का कोई नोटिस अध्यक्ष [3][या उपाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो] के पद ग्रहण करने के [2][एक वर्ष] के भीतर ग्रहण न किया जायेगा।

29. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का हटाया जाना – (1) यदि राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जब वह अध्यक्ष के स्थान पर कार्य करता हो, अधिनियम के अधीन, अपने कर्तव्यों या कृत्यों का जान–बूझ कर पालन नहीं करता या पालन करने से इन्कार करता है या अपने में निहित अधिकारों का दुरूपयोग करता है या अपने कर्तव्यों के पालन में अनाचार का दोषी पाया जाये [या अपने

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा जोड़ा गया।

[2] अधिसूचना सं0 1306/सत्रह–वि–1–1 (क) –13–1998 दि0 13 जुलाई, 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 20 सन् 1990 द्वारा बढ़ाया गया।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

कर्तव्य के पालन में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाये] राज्य सरकार, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को स्पष्टीकरण का समुचित अवसर देने के पश्चात् उसको आदेश द्वारा पद से हटा सकती है [और ऐसा आदेश अन्तिम होगा तथा उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी]।

[1][प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसे रूप में जैसा नियत किया जाय, किसी जॉच में प्रथम दृष्टया यह पाया जाये कि किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने वित्तीय और अन्य अनियमितताऍ की हैं तो ऐसा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अन्तिम जॉच में आरोपों से मुक्त होने तक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और सम्पादन नहीं करेगा और तब तक उन शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और सम्पादन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त जिला पंचायत के तीन निर्वाचित सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जायेगा।'']

[2][(2) [* * *]

(3) इस धारा के अधीन अपने पद से हटया गया कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद से हटाये जाने के दिनांक से तीन वर्ष तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने का पात्र न होगा।

30. राज्य सभा या राज्य विधान परिषद के सदस्य का निवास स्थान – [2][* * *]

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा जोड़ा गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा निकाला गया।

अध्याय 3

[2][क्षेत्र पंचायतों] तथा [1][जिला पंचायतों] के अधिकार और कृत्य

31. अधिनियम के अधीन अधिकारों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन – 1. प्रत्येक [3][क्षेत्र पंचायत] तथा [3][जिला पंचायत] इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन अपने को प्रदत्त तथा सौंपे गये या प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार, किसी भी समय अपने किसी भी विभाग द्वारा जिले के या उससे नीचे के स्तर पर तत्समय सम्पादन किसी कृत्य को किसी [3][क्षेत्र पंचायत] अथवा समस्त [3][क्षेत्र पंचायतों] या किसी [2][जिला पंचायत] अथवा समस्त [1][जिला पंचायतों] को सौंप सकती है और इस प्रकार सौंपे गये कृत्य को वापस ले सकती है।

[3][(3) जहॉ राज्य सरकार उपधारा (2) के अधीन कोई कृत्य जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत को सौंपनी है तो वह निदेश दे सकती है कि संबद्ध विभाग को कोई कार्यक्रम योजना या परियोजना भी यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत को अन्तरित हो जायेगी और उसका कार्यान्वयन उसके नियन्त्रण में या उसके अधीन किया जायेगा।]

32. [1][क्षेत्र पंचायतों] के सामान्य अधिकार और कृत्य – प्रत्येक [1][क्षेत्र पंचायत] खण्ड के भीतर अनुसूची 1 में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करेगी ।

33. [1][जिला पंचायत के सामान्य अधिकार और कृत्य – 1. प्रत्येक [1][जिला पंचायत] निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करेगी –

(1) जिन मेलों तथा उत्सवों का प्रबन्ध राज्य सरकार करती है या आगे कर उनसे भिन्न मेलों तथा उत्सवों का, [1][ग्राम पंचायतों], [1][क्षेत्र पंचायतों[1]] तथा [1][जिला पंचायतों] द्वारा प्रबन्ध और नियन्त्रण के प्रयोजन के लिये क्रमशः [1][ग्राम पंचायत] के मेलों तथा उत्सवों [1][क्षेत्र पंचायत] के मेलों तथा उत्सवों और [1][जिला पंचायत] के मेलों तथा उत्सवों के रूप में

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा जोड़ा गया।

वर्गीकरण और जब ऐसा करना आवश्यक या वांछनीय समझा जाये तो ऐसे वर्गीकरण को बदलना।

(2) [1][ग्राम पंचायतों] [1][क्षेत्र पंचायतों] तथा [1][जिला पंचायतों] द्वारा प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये सड़कों का क्रमशः ग्राम सड़कों, अन्तग्रप्ति सड़कों तथा जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण।

(3) जिले की [1][ग्राम पंचायतों] तथा [1][क्षेत्र पंचायतों] के कार्यकलापों का तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार, सामान्य रूप से पर्यवेक्षण।

(4) तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये एक ओर राज्य सरकार तथा दूसरी ओर [1][क्षेत्र पंचायतों] और [1][ग्राम पंचायतों] के बीच पत्र व्यवहार के मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करना।

(5) अनुसूची 2 के भाग—क में निर्दिष्ट अधिकार और कृत्य।

(6) ऐसे अन्य कृत्य का सम्पादन करना जो नियत किये जायें।

2. अनुसूची 2 में भाग (ख) में निर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में जिला पंचायत जिसके भीतर समुचित व्यवस्था कर सकती है।

34. [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा अपने किसी कृत्य का अन्य स्थानीय प्राधिकारी को प्रतिनिधान – (1) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] किसी भी समय, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से तथा जिले में विद्यमान किसी [1][ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति की सम्मति से, उक्त गॉव सभा, गॉव पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति को उस क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत वह [1][ग्राम सभा] [1][ग्राम पंचायत] या भूमि प्रबन्धक समिति क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हों, इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को प्रतिनिहित कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि [1][जिला पंचायत] [1][क्षेत्र पंचायत] किसी भी समय राज्य सरकार की स्वीकृति से इस प्रकार प्रतिनिहित किसी अधिकार या कृत्य को वापस ले सकती है।

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) [1][जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत] को और [1][क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत] को इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को इसी प्रकार प्रतिनिहित कर सकती है।

(3) राज्य सरकार किसी समय निर्देश दे सकती है कि [1][जिला पंचायत] का कोई अधिकार या कृत्य जिले में [1][क्षेत्र पंचायतों] या [1][ग्राम पंचायतों] को संक्रामित किया जाये या [1][क्षेत्र पंचायतों] का कोई अधिकार या कृत्य [1][ग्राम पंचायतों] को संक्रामित किया जाय या [1][क्षेत्र पंचायत] का कोई अधिकार या कृत्य [1][जिला पंचायतों] को और [1][ग्राम पंचायतों] का [1][क्षेत्र पंचायतों] या [1][जिला पंचायतों] को संक्रामित किया जाय।

35. ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में कतिपय अधिकार – (1) जिले के समस्त [1][ग्राम पंचायतों] के सम्बन्ध में अनुसूची 3 के दूसरे स्तम्भ में दिये गये अधिकारों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग तथा सम्पादन निश्चित दिनांक से [1][जिला पंचायत] अथवा [1][क्षेत्र पंचायत] जिसकी यह संघठक [ग्राम पंचायत] हो, जैसी भी उक्त अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में उल्लिखित हो, द्वारा किया जायेगा।

(2) यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज एक्ट, 1947 या ''1950 ई0 का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम'' में किसी बात के होते हुये भी कोई [जिला पंचायत] जिले के किसी [ग्राम पंचायत से अपेक्षा कर सकती है कि वह अपने कार्यों में से किसी का समन्वय [1][ग्राम पंचायतों] के उसी प्रकार के कार्यों से करें और तदुपरान्त [2][* * *] ग्राम पंचायत तथा भूमि प्रबन्धक समिति उस अपेक्षा की पूर्ति करेगी।

36. [1][ग्राम पंचायतों] द्वारा बनाई गई उपविधियों तथा उनके कर सम्बन्धी प्रस्तावों को स्वीकार करने का अधिकार यू0पी0 एक्ट संख्या 16, 1947 – यूनाईटेड प्राविन्सेज पंचायत राज एक्ट, 1947 तथा तदन्तर्गत बनाई गई किसी नियमावली में अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी –

(क) जिले की किसी [1][ग्राम पंचायत द्वारा उक्त एक्ट की धारा 37 में वर्णित कोई कर अथवा उपशुल्क (rate) आरोपित करने के लिये प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को अनुमोदित और स्वीकृत करने का अधिकार तथा एक्ट की धारा 111 तथा 112 के अधीन जिले के भीतर किसी [1][ग्राम पंचायत के निमित्त उपविधियॉ बनाने और

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा निकाला गया।

स्वीकृत करने का अधिकार निश्चित दिनांक से जिले का [1][जिला पंचायत] में निहित होगा और उसी को प्राप्त होगा; तथा

(ख) [1][* * *]

37. [जिला पंचायतों] और [क्षेत्र पंचायतों] के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में अपवाद – इस अधिनियम में कोई बात–

(1) न तो किसी [1][क्षेत्र पंचायत] या [जिला पंचायत] को उसके नियन्त्रण के बाहर के किसी अभिकरण द्वारा सम्पादित और अनुरक्षित किसी कार्य या संस्था के सम्बन्ध में कोई अधिकार प्रदान करेगी; और

(2) न किसी [1][क्षेत्र पंचायत] या [जिला पंचायत] को, किसी [नगर निगम], नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया, छावनी या टाउन एरिया के सीमाओं के भीतर किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देगी, जो यथास्थिति [1][नगर निगम, नगरपालिका] नोटीफाइड एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मजिस्ट्रेट या टाउन एरिया कमेटी में निहित हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि [2][क्षेत्र पंचायत] या [1][जिला पंचायत] –

(क) [3][* * *]

(ख) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर किसी स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल औषधालय, निर्धन–गृह, शरणालय, अनाथालय, निरीक्षण–गृह या ऐसे अन्य निर्माण या संस्था का, जो एक मात्र पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर रहने वालों के लाभार्थ अनुरक्षित न की जाती हो, निर्माण या अनुरक्षण कर सकती है और उस पर नियन्त्रण रख सकती है; और

(ग) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर कोई ऐसा कार्य कर सकती है जिसका करना इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिये आवश्यक हो।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 16 सन् 1965 की धारा 9 द्वारा निकाला गया।

38. [1][क्षेत्र पंचायत] या [1][जिला पंचायत] का अन्य प्राधिकारियों के साथ सहयोग करना तथा ऐसी संस्थाओं की, जिसका वह प्रबन्ध न करती हो, सहायता करने का अधिकार – इस सम्बन्ध में बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत –

(क) किसी अन्य [1][क्षेत्र पंचायत] या [1][जिला पंचायत] जैसी भी दशा हो, या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के साथ ऐसे कार्यों या उपक्रमों (undertaking) में सम्मिलित हो सकती है जिनसे उसके द्वारा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित समस्त क्षेत्रों को लाभ पहुॅचता हो; और

(ख) ऐसे किसी कार्य में या संस्था को अंशदान दे सकती है, जिससे यथास्थिति, खण्ड या जिले को लाभ पहुॅचता हो, भले ही वह कार्य खण्ड या जिले के बाहर किया जाये, संस्था खण्ड या जिले के बाहर अनुरक्षित हो या वे किसी [1][नगर निगम], नगर पालिका, छावनी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया के क्षेत्र में हो।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 सन् 1994 द्वारा बदला गया।

अध्याय 4

[1][जिला पंचायत] तथा [1][क्षेत्र पंचायतों] के अधिकार और कृत्य

39. [1][**जिला पंचायत के अधिकारी तथा सेवक** – [2][(1) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये किन्हीं विशेष निदेशों के अधीन रहते हुये, जिला पंचायत अधिकारियों के निम्नलिखित पद होंगे –

(1) मुख्य अधिकारी;
(2) अपर मुख्य अधिकारी;
(3) वित्त अधिकारी;
(4) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी;
(5) पेयजल अभियन्ता;
(6) विकास अधिकारी;
(7) कार्य अधिकारी;
(8) अभियन्ता;
(9) बेसिक शिक्षा अधिकारी
(10) कृषि अधिकारी;
(11) सहकारिता अधिकारी;
(12) पशुधन अधिकारी;
(13) समाज कल्याण अधिकारी
(14) ग्रामीण अभियन्त्रण अभियन्ता;
(15) युवा कल्याण अधिकारी;
(16) भूमि संरक्षण अधिकारी;
(17) उद्यान अधिकारी;
(18) पंचायत राज अधिकारी
(19) लघु सिंचाई अभियन्ता;
(20) बाल विकास अधिकारी;
(21) कर अधिकारी;
(22) मत्स्य अधिकारी;
(23) गन्ना अधिकारी;
(24) दुग्ध अधिकारी;
(25) माध्यमिक शिक्षा अधिकारी;
(26) नलकूप अभियन्ता;''

(2) [3][जिला पंचायत], ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायें, अपने कार्यों के सम्बन्ध में, ऐसे अन्य अधिकारियों (जिनके अन्तर्गत अतिरिक्त अभियन्ता तथा अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी भी है) तथा सेवकों के पद सृजित कर सकती है, जो नियमों द्वारा किये जायें।

[4]["(3) राज्य सरकार के, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जहां किसी जिले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी तैनात न हों, वहॉ मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता जल निगम, जिला

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] अधिसूचना सं0 1619/सत्रह–वि–1–1 (क) –32–1999 दि0 29 जुलाई, 1999 द्वारा संशोधित जो उ0प्र0 सरकारी असाधारण गजट भाग–1 खण्ड (क) दिनांक 29 जुलाई, 1999 को प्रकाशित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा बदला गया।

[4] अधिसूचना सं0 1619/सत्रह–वि–1–1 (क) –32–1999 दि0 29 जुलाई, 1999 द्वारा संशोधित ।

विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ, मुख्या पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता (लघु सिंचाई), जिला कार्यक्रम अधिकारी, (बाल विकास परियोजना), यथास्थिति, सहायक निदेशक मत्स्य या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मत्स्य किसान विकास अभिकरण, जिला गन्ना विकास अधिकारी, उप दुग्ध विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षण और अधिशासी अभियन्ता (नलकूप) क्रमशः उपधारा (1) के खण्ड (1), (4), (5), (6), (9) से (20) तक और (22) से (26) तक में उल्लिखित पद भी धारण करेंगे।''

[(3–क)राज्य सरकार यह निदेश दे सकती है कि [1][उपधारा (1) के खण्ड (7), (8) और (21)] में उल्लिखित सभी या कोई पद ऐसे अधिकारी द्वारा तथा ऐसी शर्तों पर जो निर्दिष्ट की जायें, पदेन धारण किये जायेंगे।

(3–ख) राज्य सरकार, आदेश द्वारा [2][जिला पंचायत] में अधिकारी या सेवक का कोई अन्य पद सृजित कर सकती है, और

(क) निदेश दे सकती है कि ऐसा पद राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी या सेवक द्वारा जो निर्दिष्ट किया जाय, पदेन धारण किया जायेगा; या

(ख) किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त कर सकती है; या

(ग) ऐसे पद पर भर्ती को विनियमित कर सकती है, और ऐसी शर्तों को जिन पर वह पद धारण किया जायेगा, निर्दिष्ट कर सकती है।

[3][(3–ग)उपधारा (3–ख) के अधीन इस प्रकार सृजित कोई पद राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना समाप्त नहीं किया जायेगा।

(4) [2][जिला पंचायत] का कार्य विभागों में किया जायेगा और विभागों तथा उन अधिकारियों के जो उनके अध्यक्ष होंगे, नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा।

---

[1] अधिसूचना सं0 1619/सत्रह–वि–1–1 (क) –32–1999 दि0 29 जुलाई, 1999 द्वारा संशोधित ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा बदला गया।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 16 सन् 1965 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

40. अर्हताएँ, सेवा की शर्तें आदि – (1) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन सृजित वित्त अधिकारी, कार्याधिकारी, अभियन्ता और कर अधिकारी पदों पर तथा उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन सृजित समस्त पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हतायें वे होंगी जो नियत की जायें।

(2) [1][जिला पंचायत] के अधिकारियों तथा अन्य सेवकों की उपलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य शर्तें में होंगी जो नियत की जाये।

41. [1][जिला पंचायत] के अधीन सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति – (1) तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये राज्य सरकार –

(क) [1][जिला पंचायत] की प्रार्थना पर तथा ऐसे समय के लिये और ऐसी शर्तों पर जो परस्पर तय हो जायें, अपने किसी कर्मचारी की सेवायें [1][जिला पंचायत] को सौंप सकती है; तथा

(ख) ऐसी दशा में जब किसी सरकारी कार्यालय का कार्य किसी [1][जिला पंचायत] को संक्रामित हो जाय, लिखित आदेश द्वारा [1][जिला पंचायत] से अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे सरकारी कार्यालय के सभी कर्मचारियों को या उसके ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें सरकार नामोदिष्ट या नाम निर्दिष्ट करे ऐसे पदों पर और ऐसी शर्तों पर जो उस आदेश में निर्दिष्ट है, नियोजित करे और ऐसा करने पर उक्त कर्मचारियों की सेवायें तत्समय परिषद को सौंपी गई समझी जायेंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि [1][जिला पंचायत] द्वारा इस प्रकार नियोजित सेवक किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा वापस बुलाया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते जिला निधि में से उसी प्रकार दिये जायेंगे मानों वे [1][जिला पंचायत] के सेवक हों।

42. वित्त अधिकारी की नियुक्ति – [1][जिला पंचायत] का वित्त अधिकारी नियमों में व्यवस्थित रीति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

43. अभियन्ता तथा कुछ अन्य नियुक्तियों की प्रणाली – (1) कार्याधिकारी, अभियन्ता तथा कर अधिकारी के पदों पर तथा धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन सृजित ऐसे पदों पर, [1][जिनका वेतनमान ऐसा हो जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे] नियुक्तियाँ परिषद द्वारा, राज्य लोक–सेवा आयोग, अथवा अन्य ऐसे आयोग अथवा चुनाव बोर्ड के, जिसे राज्य सरकार तदर्थ

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा बदला गया।

समस्त [1][पंचायतों] के लिये अथवा किन्हीं [1][पंचायतों] के समुदाय के लिये, पृथक रूप से संघठित करें, (दोनों दशाओं में इसे आगे 'आयोग' कहा गया है) परामर्श से, नियत रीति से की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि आयोग और [1][जिला पंचायत] के बीच कोई मतभेद हो तो वह विषय राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

(2) [2][ऐसे किसी अन्य] वर्ग के, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, पदों को छोड़कर [1][जिला पंचायत] के लिये नियमों द्वारा निर्दिष्ट किसी विभाग से सम्बद्ध ऐसे पदों पर [1][जिनका वेतनमान ऐसा हो जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे] नियुक्तियॉ मुख्य अधिकारी द्वारा की जायेंगी।

[3][(3) इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये, [1][जिला पंचायत] के अधीन उपधारा (1) तथा (2) में वर्णित पदों से भिन्न पदों पर नियुक्तियॉ –

(क) [2][* * *]

(ख) अन्य दशाओं में, धारा 45 के अधीन संगठित चुनाव समिति के परामर्श से, अध्यक्ष द्वारा की जायेंगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी दशा में अध्यक्ष का यह मत हो कि, [2][चुनाव समिति] की सलाह अनुचित या अन्यायपूर्ण है तो वह मामले को मण्डल के आयुक्त को अभिदिष्ट कर सकता है जिसका उस मामले में निर्णय अन्तिम बन्धनकारी होगा।][2]

(4) पूर्ववर्ती उपधारा में किसी बात के होते हुये भी –

(क) यदि राज्य सरकार ने धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया हो, तो वह आदेश अभिभावी होगा, तथा

(ख) राज्य सरकार किसी भी समय किसी [1][जिला पंचायत] से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे सरकारी कर्मचारी को जिसकी सेवायें धारा 41 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन [1][जिला पंचायत] को सौंपी गयी हों तथा जिसने एतदर्थ अपनी सहमति दे दी हो अपनी ही सेवा में कर ले और इस प्रकार [1][जिला

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा बदला गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 34 सन् 1972 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 16 1965 द्वारा प्रतिस्थापित।

पंचायत] की सेवा में कर लिये जाने पर वह सरकारी कर्मचारी न रह कर [1][जिला पंचायत] का सेवक हो जायेगा।

44. सेवकों के कुछ वर्गों का केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग – धारा 41, 42 तथा 43 में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार किसी समय कार्याधिकारियों, अभियन्ताओं, वित्त अधिकारियों तथा अन्य [2][अधिकारियों और कर्मचारियों] का एक केन्द्रीय, संक्राम्य संवर्ग बना सकती है और जब कोई ऐसा संवर्ग बना दिया गया हो तो कार्याधिकारियों, अभियन्ताओं, वित्त अधिकारियों या अन्य उपर्युक्त [2][अधिकारियों और कर्मचारियों] के पदों पर, जैसी भी दशा हो, नियुक्तियॉ उक्त संवर्ग के व्यक्तियों में से ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों पर की जायेगी जो नियमों द्वारा नियत की जायें तथा इस अधिनियम में अन्यत्र किसी बात के होते हुये भी ऐसे किसी संवर्ग के लिये व्यक्तियों का चुनाव तथा संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानान्तरण और दण्ड नियमों द्वारा विनियमित होंगे।

45. चुनाव समिति – (1) एक चुनाव समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे –

(क) अध्यक्ष–सभापति।

(ख) कार्य–समिति का एक सदस्य जिसे कार्य समिति प्रति वर्ष निर्दिष्ट करेगी।

(ग) उस विभाग का अध्यक्ष जिसमें नियुक्ति की जानी है .... सचिव।

(2) समिति परामर्श देने में निर्णय बहुमत द्वारा करेगी और समिति के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा।

46. इस अधिनियम के प्रचलित होने का वर्तमान अधिकारियों तथा सेवकों पर प्रभाव यू0पी0 एक्ट सं0 10, 1922 – (1) समस्त अधिकारी तथा सेवक, [3][जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व जिला परिषद के नियोजन में हों] धारा 39 तथा 43 में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, [1][जिला पंचायत] द्वारा नियोजित अधिकारी तथा सेवक हो जायेंगे और जब तक कि धारा 39 के अधीन सृजित पदों पर नियुक्ति न हो जायें, वे उन्हीं वेतनों तथा भत्तों के अधिकारी होंगे जिनके अधिकारी वे उक्त दिनांक के ठीक पहले थे और सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहेंगे जिनके अधीन वे उक्त दिनांक के ठीक पहले थे।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा बदला गया।

[2] अधिसूचना सं0 1619/सत्रह–वि–1–1 (क) –32–1999 दि0 29 जुलाई, 1999 द्वारा संशोधित ।

[3] अधिनियम सं0 21 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) धारा 39 के अधीन सृजित पदों पर उपधारा (1) में उल्लिखित अधिकारियों तथा सेवकों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा –

(क) उन पदों पर नियुक्तियॉ, जिनके लिये धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है, उक्त उपधारा के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी;

(ख) अन्य पदों पर नियुक्तियॉ तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार अध्यक्ष द्वारा की जायेंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष द्वारा की गई नियुक्ति से क्षुब्ध कोई अधिकारी या सेवक उस आदेश के दिनांक से जिसके द्वारा नियुक्ति की गई हो तीस दिन के भीतर मण्डल के आयुक्त को अभ्यावेदन दे सकता है और उस दशा में मण्डल के आयुक्त का निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा –

(ग) यदि किसी पद के लिये पूर्वोक्त अधिकारियों तथा सेवकों में से कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो उस पद पर नियुक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बाहर से की जा सकती है। [ऐसी अधिकारियों तथा सेवकों उपयुक्तता पर नियत रीति से विचार किया जायेगा;][1]

(घ) यदि उपर्युक्त कोई अधिकारी या सेवक उस पद को, जिस पर उसे नियुक्त किया जाये, इस आधार पर अस्वीकार कर दे कि उस वद से सम्बद्ध वेतन या वेतन का कालमान उसके वर्तमान वेतन या वेतन के कालमान से कम है, तो उसकी सेवा ऐसे नोटिस के पश्चात् तथा उन शर्तों पर समाप्त कर दी जायेगी जिनका अधिकारी वह उस दशा में होता जब कि इस अधिनियम के पारित हुये बिना ही उसका पद समाप्त कर दिया जाता;

(ङ) खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन नियुक्तियॉ करने में अधिकारियों तथा सेवकों के सेवाकाल तथा अनुभव का यथोचित ध्यान रखा जायेगा ; और

(च) कोई अधिकारी अथवा सेवक जो ऐसे पद पर नियुक्त किया जाये जिसका वेतन या वेतन का कालमान उसके वर्तमान या वेतन के कालमान से कम हो, उस आदेश के दिनांक से जिसके द्वारा उसे उक्त पद पर नियुक्त किया जा रहा हो, तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अभ्यावेदन दे सकता है और उस दशा में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1963 की धारा 20 द्वारा जोड़ा गया।

(3) पूर्वोक्त जिला बोर्ड या अन्तरिक जिला पंचायत के अधीन किसी अधिकारी या सेवक द्वारा दी गई सेवा, पेन्शन और उपदान या भत्ता दिये जाने के प्रयोजनों के लिये [1][जिला पंचायत] के अधीन की गई सेवा समझी जायेगी।

[2]**[47. कुछ पदों पर स्थानापन्न तथा स्थायी नियुक्तियॉ** – **[**(1) धारा 43, 44, 46 में किसी बात के होते हुये भी, धारा 43 की उपधारा (1) में उल्लिखित पदों पर स्थानापन्न तथा अस्थायी नियुक्तियॉ धारा 43 में या धारा 44 के अधीन बनाये गये नियमों में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग से परामर्श किये बिना की जा सकती है, किन्तु उपधारा (2) में की गई व्यवस्था को छोड़कर, ऐसी कोई नियुक्ति आयोग से परामर्श किये बिना एक वर्ष से अधिक नहीं चलेंगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई नियुक्तियॉ, विशेष परिस्थितियों में, और यदि नियुक्ति प्राधिकारी जिला पंचायत हो तो राज्य सरकार के अनुमोदन से, आयोग से परामर्श किये बिना दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिये जारी रह सकती है।**]**[1]

48. क्षेत्र पंचायत के अधिकारी तथा सेवक – (1) अन्य उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक क्षेत्र पंचायत इस अधिनियम के अधीन, अपने कृत्यों का सम्पादन कर सके। इस उद्देश्य से उसमें नियोजित किये जाने वाले अधिकारियों और सेवकों की अर्हतायें, वेतनक्रम, संख्या तथा सेवा की शर्तें वहीं होंगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

(2) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के विकास खण्डों में तत्समय नियोजित अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवायें ऐसी शर्तों पर [1]**[**क्षेत्र पंचायत**]** के सुपुर्द कर दी जायेंगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी समय यह निदेश दे सकती है कि [1]**[**जिला पंचायत**]** विकास खण्डों के तत्समय नियोजित सेवकों के किसी वर्ग के सम्बन्ध में जिला संवर्ग संघठित करे और उपधारा (3) में की गयी व्यवस्था के अनुसार उस संवर्ग के सदस्यों की सेवाएँ [1]**[**क्षेत्र पंचायत**]** के सुपुर्द कर दे।

(3) [1]**[**जिला पंचायत**]** प्रत्येक [1]**[**क्षेत्र पंचायत**]** के लिये उपधारा (2) में उल्लिखित कर्मचारियों के अतिरिक्त अपेक्षित सभी कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जिससे कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन कर सके और ऐसे सभी कर्मचारियों की सेवायें **[**क्षेत्र पंचायत**]** के सुपुर्द ऐसी शर्तों पर की गयी समझी जायेंगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 16, 1965 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

49. प्रत्येक [1][**क्षेत्र पंचायत**]** के लिये खण्ड विकास अधिकारी** – (1) प्रत्येक [1][क्षेत्र पंचायत] का एक खण्ड विकास अधिकारी होगा।

(2) खण्ड विकास अधिकारी, जिसकी सेवायें तत्समय क्षेत्र पंचायत के सुपुर्द कर दी गयी हों, [1]**[**क्षेत्र पंचायत**]** का खण्ड विकास अधिकारी होगा।

50. [1][जिला पंचायतों] तथा [1][क्षेत्र पंचायतों] के अधिकारियों तथा अन्य सेवकों के अधिकार, कृत्य और कर्तव्य –

(1) [1]**[**जिला पंचायतों[1]**]** तथा [1]**[**क्षेत्र पंचायतों**]** के अधिकारियों तथा अन्य सेवकों के अधिकार, कृत्य और कर्तव्य वे होंगे जिनकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन, किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन तथा नियमों द्वारा की जाये।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, [1]**[**जिला पंचायत के विभागाध्यक्ष अपने अपने विभागों में काम करने वाले अधिकारियों तथा अन्य सेवकों की दशा में, और मुख्य अधिकारी अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की दशा में, उन्हें अधिकार, कृत्य तथा कर्तव्य सौंप सकता है और खण्ड विकास अधिकारी उस [1]**[**क्षेत्र पंचायत**]** में, जिसका कि खण्ड विकास अधिकारी हो, नियोजित अधिकारियों तथा अन्य सेवकों को अधिकार, कर्तव्य तथा कृत्य सौंप सकता है।

51. [1][जिला पंचायत] के अधिकारियों तथा सेवकों पर नियन्त्रण –

(1) (क) [1]**[**जिला पंचायत**]**, मुख्य अधिकारी तथा अन्य विभागाध्यक्षों पर ऐसा नियन्त्रण रखेगी जो नियत किया जाये, और अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह प्रतिवर्ष मुख्य अधिकारी के कार्य तथा आचरण के बारे में अपनी समीक्षा के आधार पर अपनी अभ्युक्ति उस प्राधिकारी को भेजे, जिससे मुख्य अधिकारी के सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य और आचरण के विषय में नियतकालिक प्रविष्टियॉ अभिलिखित करने की अपेक्षा की जाती हो।

(ख) पूर्वोक्त प्राधिकारी उक्त सरकारी कर्मचारी के कार्य और आचरण के विषय में कोई अन्य प्रविष्टि अभिलिखित करने के अतिरिक्त खण्ड (क) के अधीन अध्यक्ष द्वारा भेजी गयी अभ्युक्ति को भी अभिलिखित करेगा।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) [1]**[**जिला पंचायत**]** में नियोजित समस्त अधिकारियों एवं सेवकों पर [2]**[* * *]** मुख्य अधिकारी का प्रशासकीय नियन्त्रण रहेगा और विशेष रूप से यह अधिकार होगा कि वह प्रतिवर्ष ऐसे अधिकारियों एवं सेवकों के कार्य तथा आचरण के बारे में अपनी समीक्षा के आधार पर, अपनी अभ्युक्ति उस प्राधिकारी को, यदि कोई हो, भेजे जिससे उक्त अधिकारियों एवं सेवकों के सरकारी कर्मचारियों के रूप में कार्य और आचरण के विषय में नियतकालिक प्रविष्टियॉ अभिलिखित करने की अपेक्षा की जाती हो। ऐसा प्राधिकारी, उक्त सरकारी कर्मचारियों के कार्य और आचरण के विषय में कोई प्रविष्टि अभिलिखित करने के अतिरिक्त, मुख्य अधिकारी भेजी गयी अभ्युक्ति को भी अभिलिखित करेगा।

(3) [2]**[* * *]**

(4) [3]**[**जिला पंचायत**]** के विभागाध्यक्षों का अपने–अपने विभागों में काम करने वाले अधिकारियों तथा सेवकों पर सीधा नियन्त्रण रहेगा।

52. [3]**[क्षेत्र पचांयतों के अधिकारियों तथा सेवकों पर नियन्त्रण** – (1) प्रमुख का खण्ड विकास अधिकारी पर सामान्य नियन्त्रण रहेगा।

(2) [3]**[**क्षेत्र पंचायत**]** में नियोजित समस्त अन्य अधिकारी तथा सेवक, खण्ड विकास अधिकारी के सामान्य नियन्त्रण के अधीन काम करेंगे।

(3) [3]**[**क्षेत्र पंचायत**]** के अधिकारी तथा अन्य सेवक ऐसे सीधे नियन्त्रण के अधीन काम करेंगे जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

(4) [3]**[**क्षेत्र पंचायत**]** में नियोजित अधिकारियों तथा अन्य सेवकों का स्थानान्तरण तथा उनकी चरित्र–पुस्तिका में नियतकालिक प्रविष्टियों का अभिलेखन और उन्हें आकस्मिक अवकाश का दिया जाना राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ बनाये गये नियमों द्वारा शासित होगा।

53. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत के सेवकों को दण्ड – जिला पंचायत या किसी क्षेत्र में नियोजित अधिकारियों तथा अन्य सेवकों का दण्ड – जिसके अन्तर्गत दण्ड के आदेशों के विरूद्ध अपील,

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा निकाला गया।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा बदला गया।

अपील में दिये गये आदेशों के पुनरीक्षण का अधिकार, यदि कोई हो, और जांच होने तक निलम्बन भी है – नियमों द्वारा विनियमित होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि वह प्राधिकारी जिस किसी अधिकारी या सेवक को पदच्युत करने, सेवा से हटाने या पंक्तिच्युत करने का अधिकार दिया जाये, ऐसे अधिकारी या सेवक के पद के नियुक्ति–प्राधिकारी से निम्न पद का न होगा।

द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि उन कर्मचारियों की दशा में, जिनकी नियुक्ति राज्य लोक–सेवा आयोग के परामर्श से करना अपेक्षित हो, दण्ड देने वाले अधिकारी के लिये किसी ऐसे कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने या पंक्तिच्युत करने का आदेश देने के पहले आयोग से नियत रीति से परामर्श करना आवश्यक होगा।

54. राज्य सरकार का नियुक्ति आदि करने का अधिकार – (1) उपधारा 43 में निर्दिष्ट कोई प्राधिकारी, उचित समय के भीतर, धारा 3 में निर्दिष्ट या उसके अधीन सृजित किसी पद पर धारा 43 में व्यवस्थित रीति से या धारा 41 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में; नियुक्ति न करे, तो राज्य सरकार उस प्राधिकारी को नियुक्त करने तथा यदि आवश्यक हो तो, आयोग से परामर्श करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् स्वयं उस पर नियुक्त कर सकती है और ऐसी नियुक्ति इस अधिनियम के अनुसार की गयी समझी जायेगी।

(2) यदि [1]**[**जिला पंचायत**]** धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन किसी क्षेत्र पंचायत के लिये कर्मचारी की व्यवस्था न करे तो राज्य सरकार [1]**[**जिला पंचायत**]** के कर्मचारियों में से ऐसे कर्मचारियों की व्यवस्था कर सकती है, और ऐसे कर्मचारी उक्त उपधारा के अधीन [1]**[**क्षेत्र पंचायत**]** में प्रतिनियुक्ति (Placed on deputation) समझे जायेंगे।

55. [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के समस्त अधिकारी तथा लोक–सेवक होंगे – [1]**[**जिला पंचायत**]** या [1]**[**क्षेत्र पंचायत**]** का प्रत्येक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, अधिकारी या सेवक**]**[2] इण्डियन पैनल कोड, एक्स सं0 45, 1860 के अर्थ में लोक सेवक (Public Servant) समझा जायेगा तथा उक्त कोड की धारा 161 में "legal remuneration" की परिभाषा में प्रयुक्त शब्द "Government" में, इस धारा के प्रयोजनार्थ [1]**[**जिला पंचायत**]** तथा [1]**[**क्षेत्र पंचायत**]** भी सम्मिलित समझी जायेगी।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 5

[1][जिला पंचायत] तथा [1][क्षेत्र पंचायत] के कार्य का संचालन

56. **[जिला पंचायत के अधिकारों का प्रयोग** – (1) अनुसूची 4 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का, सिवाय उनके जिनके सामने उक्त अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में कोई प्रविष्टि की गई है, [1][जिला पंचायत] द्वारा अपनी बैठक में संकल्प पारित करके ही प्रयोग किया जा सकता है और संपादन किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

(2) [1][जिला पंचायत] के निम्नलिखित अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग तथा सम्पादन [1][जिला पंचायत] के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, अर्थात् –

(क) [1][जिला पंचायत] के उन सेवकों की, जिनकी धारा 43 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी [1][जिला पंचायत] है, सेवा, छुट्टी, वेतन, भत्ते तथा अन्य विशेषाधिकार के विषय में उठने वाले प्रश्नों का इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तदर्थ किन्हीं विनियमों के अनुसार समाधान;

(ख) विवरण–पत्र, लेखे, प्रतिवेदन तथा लेखों की प्रतिलिपियां, [1][जिला पंचायत] अथवा उसकी किसी समिति द्वारा पारित संकल्पों की प्रतिलिपियां या इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित प्रस्ताव एवं आपत्तियां नियत प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार को प्रस्तुत करना;

(ग) अनुसूची 4 के दूसरे स्तम्भ में उल्लिखित वे अधिकार, कर्तव्य तथा कृत्य जिनका उस अनुसूची के तीसरे स्तम्भ के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयोग या सम्पादन अपेक्षित हो अथवा जो धारा 57 के अधीन [1][जिला पंचायत] द्वारा अध्यक्ष को प्रतिनिहित किये जाये;

(घ) [1][जिला पंचायत] के अन्य समस्त कर्तव्य, अधिकार तथा कृत्य जिनका संकल्प द्वारा प्रयोग या सम्पादन व्यक्त रूप से अपेक्षित न हो और जो अनुसूची 4 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट न किये गये हों तथा धारा 57 के अधीन [1][जिला पंचायत] द्वारा अध्यक्ष से भिन्न किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित न किये गये हों।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) अनुसूची 5 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट अधिकारों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग या सम्पादन मुख्य अधिकारी द्वारा [1][जिला पंचायत] की ओर से किया जायेगा।

57. [जिला पंचायत] द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान – (1) [1][जिला पंचायत], किसी के अधिकार, कर्तव्य या कृत्य को छोड़कर जो –

(क) अनुसूची 4 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट हो और जिसके सामने या तो तीसरे स्तम्भ में कोई प्रविष्टि न हो या तीसरे स्तम्भ में की गई प्रविष्टि द्वारा यह अपेक्षित हो कि उक्त अधिकार, कर्तव्य या कृत्य का प्रयोग या सम्पादन किसी विशिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया जाय;

(ख) धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा अथवा धारा 58 द्वारा अध्यक्ष के लिये रक्षित हो अथवा उसको सौंपा गया हो; तथा

(ग) धारा 78 के अधीन [1][जिला पंचायत] के मुख्य अधिकारी के लिये रक्षित हों;

समस्त अथवा किन्हीं अधिकारों, कर्तव्यों या कृत्यों को जो इस अधिनियम के अधीन उसे दिये गये हों, या उस पर आरोपित किये गये हों या उसको सौंपे गये हों, विनियम द्वारा प्रतिनिहित कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अनुसूची 4 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट कोई अधिकार, कर्तव्य अथवा कृत्य उसके सामने तीसरे स्तम्भ में की गई प्रविष्टि के अधीन किसी निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को ही प्रतिनिहित किया जा सकता हो तो ऐसा अधिकार, कर्तव्य अथवा कृत्य केवल उसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रतिनिहित किया जा सकता है।

(2) उपधारा (3) की व्यवस्था के अधीन रहते हुये, [1][जिला पंचायत] किसी ऐसे अधिकार, कर्तव्य या कृत्य का, जिसे उसने उपधारा (1) के अधीन प्रतिनिहित किया हो, स्वयं प्रयोग या संपादन न करेगी और न उसके प्रयोग या सम्पादन में हस्तक्षेप करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन [1][जिला पंचायत] द्वारा किसी अधिकार, कर्तव्य या कृत्य का प्रतिनिधान इस शर्त के अधीन किया जा सकता है कि ऐसे प्रतिनिधान के अनुसरण में दिये गये समस्त अथवा किन्हीं आदेशों के विरूद्ध अपील निर्दिष्ट अवधि के भीतर [1][जिला पंचायत] को की जा सकेगी या निर्दिष्ट अवधि के भीतर [1][जिला पंचायत] द्वारा उसका पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह [1][जिला पंचायत] की किसी समिति के किसी संकल्प के, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा कार्यान्वयन पर कोई रोक लगाती है अथवा [1][जिला पंचायत] के किसी सेवक को इसके सेवा क्षेत्र के भीतर कार्य करने से रोकती है।

58. अध्यक्ष के कर्तव्य – अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) जब तक इस अधिनियम द्वारा अन्यथा व्यवस्थित न हो अथवा यथोचित कारण से वह ऐसा न कर सके –

(1) [1][जिला पंचायत] तथा उसकी उन समितियों को, जो तदर्थ नियत की जाय, सभी बैठकों को बुलाये और उनकी अध्यक्षता करे;

(2) [1][जिला पंचायत] की सभी बैठकों में कार्य के सम्पादन को तदर्थ बनाये गये किसी विनियम के अनुसार अन्यथा नियन्त्रित करें;

(ख) जिला पंचायत के वित्तीय प्रशासन पर दृष्टि रखे तथा कार्यपालक प्रशासन का अधीक्षण करे तथा यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो उसकी ओर [जिला पंचायत] का ध्यान आकृष्ट करे; तथा

(ग) किन्हीं ऐसे अन्य कर्तव्य का सम्पादन करे जो इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य निधि के अधीन उससे अपेक्षित हों अथवा उस पर आरोपित किये जायें।

59. अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष तथा मुख्य अधिकारी को प्रतिनिधान – (1) [1][जिला पंचायत] का अध्यक्ष, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, उपाध्यक्ष अथवा मुख्य अधिकारी को अधिकार दे सकता है कि वह धारा 58 के खण्ड (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों से भिन्न अध्यक्ष के अधिकारों, कर्तव्यों अथवा कृत्यों में किसी एक या अधिक का, उसके सामान्य पथ–प्रदर्शन के अधीन, प्रयोग या सम्पादन करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेश में किसी अधिकार के प्रयोग, कर्तव्य अथवा कृत्य के सम्बन्ध में कोई शर्त नियत की जा सकती है तथा कोई निर्बन्धन लगाया जा सकता है।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

60. उपाध्यक्ष के कर्तव्य – उपाध्यक्ष –

(क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में [1][जिला पंचायत] की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, सिवाय उस दशा के जब वह उचित कारणवश ऐसा न कर सके तथा किसी बैठक की अध्यक्षता करते समय अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों तथा कृत्यों का सम्पादन करेगा तथा उसके समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है;

(ख) अध्यक्ष का पद रिक्त होने की दशा में अथवा तुरन्त आवश्यकता की दशा में अथवा अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति या असमर्थता की दशा में अध्यक्ष के किसी अन्य कर्तव्य या कृत्य का सम्पादन और किसी अन्य अधिकार का प्रयोग करेगा;

(ग) किसी भी समय धारा 59 के अधीन अध्यक्ष द्वारा उसको प्रतिनिहित किसी कर्तव्य या कृत्य का सम्पादन या अवसर आ पड़ने या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा;

(घ) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, सिवाय उस दशा में जब वह उचित कारणवश ऐसा न कर सके, तथा किसी बैठक में अध्यक्षता करते समय अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों का सम्पादन करेगा तथा उसके समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है;

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (घ) की दशा में, जब अध्यक्ष अपने पद पर हो तो, ऐसे अधिकार का प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन जो तदर्थ निर्मित नियमों में निर्दिष्ट हैं, कार्य समिति के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा।

61. [1][जिला पंचायत] की बैठकें – [2][(1) कार्य सम्पादन के लिये प्रति दो मास में [1][जिला पंचायत] की कम से कम एक बार बैठक होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी जिला पंचायत की प्रथम बैठक के लिये नियत किया जाने वाला दिनांक उसके संघटन के दिनांक से तीस दिन के भीतर होगा।]

(2) अध्यक्ष अथवा जिले से उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, जब कभी भी वह उचित समझें, [1][जिला पंचायत] की बैठक बुला सकता है तथा [1][जिला पंचायत] के सदस्यों के कम से कम पंचमांश के लिखित अधियाचन पर, जो अध्यक्ष पर तामील किया जा चुका हो अथवा प्राप्ति पत्र सहित रजिस्ट्री डाक (रजिस्टर्ड ए0डी0) द्वारा [1][जिला पंचायत] को उसके

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 24 सन् 2001 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

कार्यालय के पते पर भेजा जा चुका हो, ऐसे अधियाचन की तामील या प्राप्ति के दिनांक से एक महीने के भीतर [1][जिला पंचायत] की बैठक अवश्य बुलायेगा।

(3) कोई बैठक आगामी अथवा किसी वाद के दिन के लिये स्थगित की जा सकती है तथा कोई स्वगनोपरान्त बैठक उसी रीति से फिर स्थगित की जा सकती है।

(4) प्रत्येक बैठक [1][जिला पंचायत] के कार्यालय में अथवा किसी ऐसे अन्य सुविधापूर्ण स्थान में, जिसकी सम्यक् रूप से सूचना दे दी गयी हो, की जायेगी।

62. बैठकों की प्रक्रिया आदि – [1][जिला पंचायत] की बैठकों से सम्बद्ध निम्नलिखित विषय नियम द्वारा शासित होंगे –

(क) बैठकों के कार्य सम्पादन;

(ख) कार्य के सम्पादन के लिये गणपूर्ति;

(ग) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता;

(घ) सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछना;

(ङ) बैठक की सूचना;

(च) बैठक में व्यवस्था बनाये रखना;

(छ) मतदान द्वारा निर्णय;

(ज) वृत्त पुस्तिका (minute book) तथा संकल्प;

(झ) सरकारी कर्मचारियों, राज्य द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों का चर्चाओं में उपस्थित होने तथा भाग लेने का अधिकार;

(ञ) [1][जिला पंचायत] का राज्य सरकार के कर्मचारियों से अपनी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा करने का अधिकार;

(ट) बैठकों के सम्बन्ध में [1][जिला पंचायत] के अधिकारियों का अधिकार;

(ठ) [1][जिला पंचायत] का मुख्य अधिकारी से प्रतिवेदन, विवरणी आदि की अपेक्षा करने का अधिकार; तथा

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ड) अन्य आनुषांगिक विषय जिनके नियत किये जाने की आवश्यकता हो या उन्हें नियत किया जाना चाहिये।

63. जिला योजनाएँ तैयार करना – [1][(1) जिला पंचायत जिले की क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात् जिले के लिये प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी।

(2) उपधारा (1) में, निर्दिष्ट योजना को जिला पंचायत की कार्य समिति द्वारा नियत रीति से तैयार किया जायेगा और मुख्य अधिकारी उस योजना को नियोजित समिति के समक्ष रखेगा जो उसके सम्बन्ध में ऐसी सिफारिशें कर सकती हैं जो वह उचित समझें।

(3) अध्यक्ष योजना को नियोजन समिति की सिफारिशों सहित, यदि कोई हो, जिला पंचायत के समक्ष रखेगा, जो उसे ऐसे रूप में अनुमोदित कर सकती है जैसा वह उचित समझे और इसे संविधान के अनुच्छेद 243–य व में उल्लिखित जिला योजना समिति को उस दिनांक को उस दिनांक तक जो नियत किया जाये, प्रस्तुत करेगी।]

64. [1][**जिला पंचायत की कमेटियॉ** – (1) [1][जिला पंचायत] धारा 22 के अधीन संघठित या पुनर्संगठित हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, ऐसी रीति से तथा ऐसे कर्तव्य के सम्पादन के निमित्त जिनकी व्यवस्था आगे की गई है, निम्नलिखित समितियॉ, नियुक्त करेगी :

(क) कार्य समिति;

(ख) वित्त समिति;

[1][(ग) शिक्षा एवं जन–स्वास्थ्य समिति;

(घ) कृषि, उद्योग एवं निर्माण समिति, और

(ङ) समता समिति।]

(2) इस अधिनियम में निर्दिष्ट कृत्यों का सम्पादन करने के लिये [1][जिला पंचायत] की एक नियोजन समिति भी होगी और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे –

(क) अध्यक्ष, जो सभापति होगा;

(ख) उपाध्यक्ष, जो उप–सभापति होगा;

(ग) मुख्य अधिकारी जो समिति का सचिव होगा; और

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) जिला स्तर के समस्त अधिकारी।

[1]["**65. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई जिला पंचायत की समितियों का संघठन** — (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी; प्रत्येक जिला पंचायत, धारा 64 में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं समितियों के स्थान पर, जिन्हें इस धारा में आगे पूर्व समिति कहा गया है, इस अधिनियम के अधीन पूर्व समिति को समनुदेशित सभी या किन्हीं शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों या कर्तव्यों के सम्पादन के लिये ऐसी अन्य समिति या समितियॉ संगठित करेगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, और वह ऐसी समिति या समितियों को अपनी ऐसी अन्य शक्तियों, कृत्यों या कर्तव्यों को प्रतिनिहित कर सकती है जैसा वह उचित समझे और किसी पूर्व समिति की किसी विशिष्ट शक्ति, कृत्य या कर्तव्य के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन पूर्व समिति के स्थान पर किसी समिति के संघठित हो जाने पर उस शक्ति, कृत्य या कर्तव्य के सम्बन्ध में पूर्व समिति समाप्त हो जायेगी और इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में पूर्व समिति के प्रति कोई निर्देश इस धारा के अधीन संगठित समिति के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन संघठित प्रत्येक समिति में एक सभापति और छः अन्य सदस्य होंगे जो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से, ऐसी रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, निर्वाचित किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य; अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य और पिछड़े वर्गों का एक सदस्य होगा :

अगेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या जिला पंचायत का कोई अन्य सदस्य किसी ऐसी समिति का सभापति होगा।''

66. कार्य समिति का संघठन — (1) कार्य समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे —

(क) अध्यक्ष;

(ख) उपाध्यक्ष;

(ग) धारा 64 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (ङ) तक में निर्दिष्ट समितियों के सभापति;

[1] अधिसूचना सं0 1619/सत्रह—वि—1—1 (क) —32—1999 दि0 29 जुलाई, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) [1][जिला पंचायत] के सदस्यों की संख्या चालीस तक होने पर तीस या चालीस से अधिक होने पर छः व्यक्ति जो उक्त सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे।

(2) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कार्य समिति के क्रमशः सभापति तथा उप–सभापति होंगे।

(3) [1][जिला पंचायत] का मुख्य अधिकारी कार्य समिति का सचिव होगा।

67. धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य समितियों का संघठन – (1) धारा 64 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (ङ) तक में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति में [1][जिला पंचायत के] सदस्यों की संख्या चालीस तक होने पर, छः या चालीस से अधिक होने पर, नौ सदस्य होंगे, जिनका निर्वाचन [1][जिला पंचायत] के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जायेगा।

(2) अध्यक्ष, वित्त समिति [2][और शिक्षण एवं जन स्वास्थ्य समिति] का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा।

68. धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समितियों के कार्यकाल तथा उनके सदस्यों के निर्वाचन की रीति–

(1) धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समितियों के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति द्वारा और नियत की जाने वाली रीति से होगा।

(2) धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति का कार्यकाल [1][जिला पचांयत] के कार्यकाल तक होगा, किन्तु प्रत्येक समिति के निर्वाचित सदस्यों के एक तिहाई सदस्य प्रति वर्ष क्रम निवृत्त होंगे, और क्रम से निवृत्त होने के कारण हुई रीतियों की पूर्ति उपधारा (1) में व्यवस्थित रीति से की जायेगी।

(3) उन सदस्यों का अवधारण जो अपने निर्वाचन के पश्चात् प्रथम वर्ष निवृत्त होंगे, और उन सदस्यों का अवधारण, जो अपने निर्वाचन के दो वर्ष पश्चात् निवृत्त होंगे, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से पर्चियॉ डालकर किया जायेगा।

(4) मृत्यु, त्याग–पत्र या अन्य कारण से किसी समिति के निर्वाचित सदस्य के पद में होने वाली रिक्ति की दशा में उसमें उस रिक्ति की पूर्ति, ऐसे सदस्य के शेष कार्यकाल के लिये, उपधारा (1) में व्यवस्थित रीति से दूसरे सदस्य का निर्वाचन करके की जायेगी।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा बढ़ाया गया ।

69. समितियों के सभापति तथा उप–सभापति और उनके कार्यकाल – (1) कार्य समिति तथा वित्त समिति से भिन्न धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति अपनी प्रथम बैठक में, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे, अपने सदस्यों में से एक को अपना सभापति तथा दूसरे को उपसभापति निर्वाचित करेगी।

(2) वित्त समिति अपनी प्रथम बैठक में संकल्प द्वारा अपने सदस्यों में से एक को अपना उप–सभापति निर्वाचित करेगी।

(3) दोनों ओर मतों की संख्या समान होने की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा किन्तु अन्यथा उपधारा (1) के अधीन समिति की अध्यक्षता करते समय उसे कोई मत देने का अधिकार न होगा।

(4) प्रत्येक निर्वाचित सभापति तथा उप–सभापति का कार्यकाल निर्वाचन के दिनांक में से एक वर्ष का होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचित सभापति या उप–सभापति बहिर्गामी सभापति तथा उप–सभापति के शेष कार्यकाल के लिये निर्वाचित किया जायेगा।

[1][**70. अन्य समितियों का संघटन** – धारा 65 के अधीन नियुक्त किसी समिति का संघटन तथा कार्यकाल और उसके सदस्यों, सभापति तथा उप–सभापति के निर्वाचन की रीति और कार्यकाल वही होंगे, जो यथास्थिति विनियमों या संकल्पों द्वारा व्यवस्थित हों।

[1][**71. समितियों में व्यक्तियों का अनुमेलन** – इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी समिति, अथवा [2][जिला पंचायत] द्वारा धारा 65 के अधीन विनियम द्वारा स्थापित किसी समिति के लिये यह वैध होगा कि वह समिति के कुल सदस्यों के कम से कम आधे सदस्य समर्थित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में अनुमेलित करे।

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार अनुमेलित सदस्यों की संख्या दो तक सीमित रहेगी और अनुमेलित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा, किन्तु समिति के कार्यकाल से आगे न बढ़ेगा,

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस प्रकार अनुमेलित सदस्य को मत देने का अधिकार न होगा।

---

[1] अधिसूचना सं0 1619/सत्रह–वि–1–1 (क) –32–1999 दि0 29 जुलाई, 1999 द्वारा धारा 70 और धारा 71 निकाल दी गयी।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित ।

72. कार्य समिति के अधिकार तथा कृत्य – कार्य समिति उन अधिकारों का प्रयोग कर सकती है और उन कर्तव्यों तथा कृत्यों का सम्पादन करेगी –

(1) जिसका प्रयोग या सम्पादन इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उससे (कार्य समिति से) अपेक्षित हो;

(2) जो अनुसूची 4 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट हों तथा जिसके सामने अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में शब्द ''कार्य समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा'' लिखे हों; और

(3) जो धारा 57 के अधीन [1][जिला पंचायत] द्वारा कार्य समिति को प्रतिनिहित किये गये हों।

प्रतिबन्ध यह है कि कार्य समिति अपने ऐसे अधिकारों, कर्तव्यों अथवा कृत्यों को जो नियमों द्वारा नियत किये जायें, धारा 75 के अधीन स्थापित किसी उप–समिति को अथवा [1][जिला पंचायत] के किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकती है।

73. वित्त समिति के अधिकार तथा कृत्य – (1) वित्त समिति निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग कर सकती है और कर्तव्यों तथा कृत्यों का सम्पादन करेगी –

(क) वर्ष पर्यन्त आय तथा व्यय की प्रगति पर दृष्टि रखना तथा मुख्य अधिकारी को ऐसे निर्देश जारी करना जो उक्त समिति आवश्यक समझे।

(ख) अनुदानों के उचित विनियोग का पर्यवेक्षण करना;

(ग) अधिकार, कृत्य तथा कर्तव्य, जो उसे प्रतिनिहित किये गये हों, अथवा जिनका प्रयोग, अथवा सम्पादन अनुसूची 4 के तीसरे स्तम्भ के अधीन उससे अपेक्षित हो।

(2) उपधारा (1) को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिये वित्त समिति की [1][जिला पंचायत] के लेखे प्राप्त होंगे।

74. धारा 64 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट अन्य समितियों के अधिकार तथा कर्तव्य – [2][शिक्षा एवं जनस्वास्थ्य समिति, उद्योग एवं निर्माण समिति और समता समिति] के अधिकार, कर्तव्य और कृत्य वही होंगे जो इस अधिनियम तथा तदर्थ निर्मित नियमों में व्यवस्थित हों।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा बदला गया ।

75. उप समितियॉ – (1) समिति, किसी ऐसे विषय की परीक्षा करने तथा प्रतिवेदन देने के लिये जिससे उसका सम्बन्ध हो, अथवा अपने किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिये एक या अधिक उप–समितियॉ नियुक्त कर सकती है।

(2) उप–समिति का संघठन तथा कार्यकाल वे होंगे जो समिति द्वारा निश्चित किये जायें।

(3) यदि समिति उप–समिति का प्रतिवेदन या कार्य अनुमोदित कर दे तो वह समिति का प्रतिवेदन या कार्य समझा जायेगा।

76. समिति और उप–समिति की बैठकें – (1) धारा 64 में निर्दिष्ट समितियों की बैठक मास में कम से कम एक बार होगी।

(2) समितियों तथा उप–समितियों की बैठकों के सम्बन्ध में धारा 62 में निर्दिष्ट विषय नियमों द्वारा शासित होंगे।

77. संयुक्त समितियॉ – (1) कोई [1][जिला पंचायत] सहमत होने वाले एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों से इस बात के लिये संयुक्त हो सकती है कि वे किसी ऐसे कार्य के संयुक्त समितियॉ सम्पादन के लिये जिसमें उनका संयुक्त हित तथा एक ऐसे कारण द्वारा जिस पर सम्बद्ध प्राधिकारियों के तदर्थ हस्ताक्षर हो, एक संयुक्त समिति नियुक्त करें और यदि राज्य सरकार अपेक्षा करे तो जिला पंचायत अवश्य ऐसा करेगी।

(2) ऐसे कारण में यह निश्चित कर दिया जायेगा कि कौन स्थानीय प्राधिकारी संयुक्त समिति में अपने प्रतिनिधित्व के लिये कितने सदस्य चुनेगा, कौन व्यक्ति उस समिति का सभापति होगा, संयुक्त समिति सहमत होने वाले प्राधिकारियों में एक या अधिक के द्वारा प्रयोज्य अधिकारों में से किन अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी तथा उसके कार्य तथा पत्र–व्यवहार किस रीति से किये जायेंगे।

(3) ऐसा कारण सभी सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये हुये दूसरे कारण द्वारा समय–समय पर परिवर्तित अथवा रद्द किया जा सकता है, तथा इस उपधारा के अधीन किसी कारण के रद्द किये जाने की दशा में, उसके अन्तर्गत समस्त कार्यवाहियॉ उस दिनांक से अप्रवर्ती समझी जायेगी जो उस दूसरे कारण में निर्दिष्ट किया जायेगा।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान में दो या अधिक प्राधिकारियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी मतभेद का निर्णय धारा 256 के अधीन राज्य सरकार को अभिदिष्ट करके किया जायेगा।

78. मुख्य अधिकारी के अधिकार और उत्तरदायित्व – (1) मुख्य अधिकारी [1][जिला पंचायत] का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और जिला पंचायत के प्रति उत्तरदायी होगा तथा वह निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग करेगी, अर्थात् –

(क) [1][जिला पंचायत] को देय या उसे दी गई कोई धनराशि लेने, वसूल करने तथा उसे जिला निधि में जमा करने का अधिकार;

(ख) इस अधिनियम की धाराओं तथ उपधाराओं द्वारा प्राप्त अधिकार तथा इन अधिकारों के प्रयोग के लिये आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार;

(ग) अनुसूची 5 के पहले स्तम्भ में निर्दिष्ट धाराओं तथा उपधाराओं के अधीन [1][जिला पंचायत] की ओर से प्रयुक्त किये जाने वाले अधिकार तथा इन अधिकारों का प्रयोग के लिये आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार;

(घ) अध्यक्ष के नियन्त्रण के अधीन रहते हुये ऐसा कोई लाइसेन्स स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने, निलम्बित करने या वापस लेने का अधिकार जिसे स्वीकृत करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा उसे प्राप्त हो;

(ङ) कोई अन्य अधिकार [1][जिला पचांयत] द्वारा मुख्य अधिकारी को प्रतिनिहित किया गया हो; तथा

(च) उन सेवकों से भिन्न, जिनके लिये धारा 43 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी परिषद है, [1][जिला पंचायत] के समस्त सेवकों की सेवा, छुट्टी, वेतन, भत्ता तथा अन्य विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्नों का तदर्थ बनाये गये किन्हीं विनियमों के अनुसार समाधान करने का अधिकार;

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के अधीन मुख्य अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध उससे क्षुब्ध सेवक उस निर्णय की सूचना दिये जाने के दिनांक से तीस दिन के

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

भीतर अध्यक्ष को अभ्यावेदन दे सकता है और उस दिशा में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(2) [1][जिला पचांयत] की ओर से समस्त कार्यो तथा संविदाओं के समुचित निष्पादन का उत्तरदायित्व मुख्य अधिकारी पर होगा।

(3) मुख्य अधिकारी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा [1][अपर मुख्य अधिकारी] को अधिकार दे सकता है कि वह मुख्य अधिकारी के ऐसे अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों में किसी एक या अधिक का, जो मुख्य अधिकारी को [1][जिला पंचायत] या अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिहित न किये गये हों, उसके सामान्य पथ–प्रदर्शक के अधीन रहते हुये प्रयोग या सम्पादन करे।

79. [1][क्षेत्र पंचायतों] अधिकारों का प्रयोग – (1) अनुसूची 6 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का, सिवाय उनके जिनके सामने उक्त अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में कोई प्रविष्टि की गई है, [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा बैठक में संकल्प पारित करके ही प्रयोग किया जा सकता है और सम्पादन किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

(2) प्रमुख [1][क्षेत्र पंचायत] के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करेगा जो अनुसूची 6 के तीसरे स्तम्भ के अधीन प्रमुख द्वारा प्रयोग या सम्पादन किये जाने के लिये अपेक्षित है या जो प्रमुख की धारा 80 के अधीन [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा प्रतिनिहित किये जायें।

(3) अनुसूची 7 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग या सम्पादन [1][क्षेत्र पंचायत] की ओर से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा, अन्यथा नहीं, और वह उन समस्त अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन भी करेगा जिनके विषय में व्यक्त रूप से यह अपेक्षित नहीं है कि वे संकल्प द्वारा प्रयुक्त या सम्पादित हों और जो अनुसूची 6 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट नहीं हैं तथा जो [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा धारा 80 के अधीन खण्ड में खण्ड विकास अधिकारी से भिन्न किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित नहीं किये गये हैं।

80. [1][क्षेत्र पंचायत] के अधिकारों का प्रतिनिधान – (1) [1][क्षेत्र पंचायत] ऐसे अधिकारों, कर्तव्यों या कृत्यों को ध्यान दीजिये –

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) अनुसूची 6 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट हो और जिनके सामने या तीसरे स्तम्भ में कोई प्रविष्टि न हो या तीसरे स्तम्भ में की गई प्रविष्टि द्वारा यह अपेक्षित हो कि उन अधिकारों, कर्तव्यों या कृत्यों का प्रयोग या सम्पादन किसी विशिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया जाये;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्रमुख या खण्ड विकास अधिकारी के लिये रक्षित हो अथवा उसको सौंपे गये हों;

(ग) किन्हीं ऐसे अधिकारों, कर्तव्यों या कृत्य को जो इस अधिनियम के अधीन उसे दिये गये हों, या उस पर आरोपित किये गये हों या उसको सौंपे गये हों संकल्प द्वारा प्रतिनिहित कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अनुसूची 6 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट कोई अधिकार, कर्तव्य अथवा कृत्य उसके सामने तीसरे स्तम्भ में की गई प्रविष्टि के अधीन किसी निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को ही प्रतिनिहित किया जा सकता हो तो ऐसा अधिकार, कर्तव्य अथवा कृत्य केवल उसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रतिनिहित किया जा सकता है।

(2) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह [1][क्षेत्र पंचायत] की किसी समिति के किसी संकल्प के इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा कार्यान्वयन पर कोई रोक लगाती है अथवा [1][क्षेत्र पंचायत] के किसी सेवक को उसके सेवा क्षेत्र के भीतर कार्य करने से रोक सकती है।

81. प्रमुख के कर्तव्य – प्रमुख का कर्तव्य होगा कि वह –

(क) जब कि इस अधिनियम द्वारा अन्यथा व्यवस्थित न हो अथवा यथोचित कारण से वह ऐसा न कर सके –

(1) [1][क्षेत्र पंचायत] तथा उनकी उन समितियों की, जो तदर्थ नियत की जाये, सभी बैठकों को बुलाये और उनकी अध्यक्षता करे;

(2) [1][क्षेत्र पंचायत] की बैठकों में कार्य सम्पादन को तदर्थ बनाये गये किसी विनियम के अनुसार अन्यथा नियन्त्रित करे;

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) [1][क्षेत्र पचांयत] के वित्तीय प्रशासन पर दृष्टि रखे तथा कार्यपालक प्रशासन की अधीक्षण करे [2][तथा उसमें किसी त्रुटि को क्षेत्र पंचायत की जानकारी में लाये और]

(ग) किन्हीं ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करे जो इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन उससे अपेक्षित हों अथवा उस पर आरोपित किये जायें।

82. प्रमुख द्वारा उप–प्रमुख को प्रतिनिधान – [2][(1) [1][क्षेत्र पंचायत] का प्रमुख सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ज्येष्ठ या कनिष्ठ उप–प्रमुख को अधिकार दे सकता है कि वह धारा 81 के खण्ड (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों से भिन्न प्रमुख के अधिकारों, कर्तव्यों अथवा कृत्यों में किसी एक या अधिक का उसके सामान्य पथ–प्रदर्शक के अधीन, प्रयोग या सम्पादन करे।

[3][(2) धारा (1) के अधीन प्रमुख द्वारा कोई आदेश किसी शक्ति के प्रयोग और किसी कर्तव्य का किसी कृत्य के सम्पादन के सम्बन्ध में कोई शर्त नियत कर सकता है या निर्बन्धन आरोपित कर सकता है।

83. उप–प्रमुख के कर्तव्य – (1) ज्येष्ठ उप–प्रमुख –

(क) प्रमुख की अनुपस्थिति में [1][क्षेत्र पंचायत] की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, सिवाय उस दशा में जब वह उचित कारणवश ऐसा न कर सके, तथा किसी बैठक की अध्यक्षता करते समय प्रमुख के समस्त कर्तव्यों तथा कृत्यों का सम्पादन करेगा तथा उसके समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सके।

(ख) प्रमुख का पद रिक्त होने की दशा में अथवा तुरन्त आवश्यकता की दशा में; अथवा प्रमुख की अस्थायी अनुपस्थिति या असमर्थता की दशा में प्रमुख के किसी अन्य कर्तव्य का पालन और किसी अन्य अधिकार का प्रयोग करेगा; और

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा बढ़ाया गया।

[3] उपधारा (1) को पुनः संख्यांकित किया गया और उसके पश्चात् उपधारा (2) बढ़ा दिया गया अधिनियम सं0 9, 1994।

(ग) किसी भी समय, धारा 82 के अधीन प्रमुख द्वारा उनको प्रतिनिहित किसी कर्तव्य या कृत्य का सम्पादन या अवसर आ पड़ने पर किसी अधिकार का प्रयोग करेगा।

(2) कनिष्ठ उप–प्रमुख किसी भी समय, धारा 82 के अधीन प्रमुख द्वारा उसको प्रतिनिहित किसी कर्तव्य या कृत्य का सम्पादन या अवसर आ पड़ने पर अधिकार का प्रयोग करेगा और ज्येष्ठ उपप्रमुख की अनुपस्थिति में या ज्येष्ठ उप–प्रमुख का पद रिक्त होने की दशा में उपधारा (1) में निर्दिष्ट उप–प्रमुख के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करेगा।

84. [1]**[क्षेत्र पंचायत] की बैठकें** – [2][(1) कार्य–सम्पादन के लिये, प्रति दो मास में समिति की कम से कम एक बार बैठक होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक के लिये नियत किया जाने वाला दिनांक उसके संघटन के दिनांक से तीस दिन के भीतर होगा।

(2) प्रमुख, अथवा खण्ड से उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ उप–प्रमुख, अथवा यदि खण्ड से ज्येष्ठ उप–प्रमुख भी अनुपस्थित हो तो कनिष्ठ उप–प्रमुख, जब कभी भी वह उचित समझे, [1][क्षेत्र पंचायत] की बैठक बुला सकता है तथा [1][क्षेत्र पंचायत] के निर्वाचित सदस्यों के कम से कम पंचमांश के लिखित अधियाचन, जो प्रमुख पर तामील किया जा चुका हो, अथवा प्राप्ति–पत्र सहित रजिस्ट्री डाक (रजिस्टर्ड ए0डी0) द्वारा [1][क्षेत्र पंचायत] को उसके कार्यालय के पते पर भेजा जा चुका हो, ऐसे अधियाचन के तामील या प्राप्ति के दिनांक के एक महीने के भीतर [1][क्षेत्र पंचायत] की बैठक अवश्य बुलायेगा।

[1][(3) कोई बैठक आगामी या किसी पश्चात्वर्ती दिन तक स्थगित की जा सकती है और इस प्रकार स्थगित बैठक इसी प्रकार आगे भी स्थगित की जा सकती है।

(4) प्रत्येक बैठक क्षेत्र पंचायत कार्यालय या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर, जिसकी सम्यक् रूप से सूचना दी जा चुकी हो, होगी।]

85. [1]**[क्षेत्र पंचायत] की बैठकों की प्रक्रिया, आदि** – [1][क्षेत्र पंचायत] की बैठकों के सम्बन्ध में भी, धारा 62 में निर्दिष्ट प्रकार के विषय तदर्थ नियमों द्वारा शासित होंगे।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 24, 2001 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

86. [1]**[क्षेत्र पंचायत] द्वारा योजना तैयार करना** – (1) क्षेत्र पंचायत खण्ड की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात् खण्ड के लिये प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजना क्षेत्र पंचायत की कार्य समिति खण्ड विकास अधिकारी, वित्त एवं विकास–समिति और समता समिति की सहायता से नियत रीति से तैयार करेगी और इसे क्षेत्र पंचायत को प्रस्तुत करेगी।

(3) क्षेत्र पंचायत योजना पर विचार करेगी और इसे किसी परिष्कार के साथ या बिना किसी परिष्कार के अनुमोदित कर सकती है।

(4) खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत द्वारा यथा अनुमोदित योजना को जिला पंचायत को उस दिनांक से पहले जो नियत किया जाय, प्रस्तुत करेगा।]

87. [1]**[क्षेत्र पंचायत] की समितियॉ** – (1) [1][क्षेत्र पंचायत] धारा 10 के अधीन संगठित या पुनस्संघठित हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र; ऐसी रीति से तथा ऐसे कर्तव्यों के सम्पादन के निमित्त जिसकी व्यवस्था आगे की गई है, निम्नलिखित समितियॉ नियुक्त करेगी –

[1][(क) कार्य समिति;

(ख) वित्त एवं विकास समिति;

(ग) शिक्षा समिति; और

(घ) समता समिति।'']

(2) तदर्थ नियत किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुये, [1][क्षेत्र पंचायत] समस्त खण्ड अथवा उसके किसी भाग में किन्हीं निर्दिष्ट कर्तव्यों अथवा कर्तव्यों के वर्ग के सम्पादन में अपनी सहायता के लिये अन्य समितियॉ स्थापित कर सकती है [2][और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो अवश्य स्थापित करेगी] और ऐसी किसी समिति को अपने ऐसे समस्त अथवा कोई अधिकार प्रतिनिहित कर सकती है जो उक्त सहायता के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1963 की धारा 21 द्वारा रखे गये।

(3) पूर्ववर्ती उपधारायें उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त, [1][क्षेत्र पंचायत] समय–समय पर, किसी ऐसे विषय की, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन [1][क्षेत्र पंचायत] का निर्णय अपेक्षित हो, जॉच करने अथवा उस पर प्रतिवेदन देने के प्रयोजन के लिये अपने सदस्यों में से एक या अधिक परामर्श समितियॉ नियुक्त कर सकती है।

88. समितियों का संघठन – [1][(1) अन्य उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन रहते हुये धारा 87 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट समितियों में खण्ड के भीतर प्रत्येक सर्किल से एक सदस्य होगा जिसे क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायेगा।]

(2) प्रमुख तथा दोनों उपप्रमुख [1][कार्य समिति] के पदेन सदस्य होगा और कार्य समिति का पदेन सदस्य होगा और कार्यसमिति, वित्त एवं विकास समिति

(3) ज्येष्ठ उपप्रमुख, [1][वित्त एवं विकास समिति] का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा और खण्डों में स्थित कृषि विद्यालय (यदि कोई हो) का प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) समिति का अपर सदस्य होगा।

[2][(3–क)ज्येष्ठ उप–प्रमुख समता समिति का पदेन सदस्य और सभापति होगा।

(4) कनिष्ठ उपप्रमुख [1][शिक्षा समिति] का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा और [1][खण्ड] में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा जूनियर हाईस्कूलों के प्रधानाचार्यो और प्रधानाध्यापकों में से एक को [1][क्षेत्र पंचायत] के संकल्प द्वारा अनुमेलित किया जायेगा।

(5) अपने गठन के पश्चात् यथाशीघ्र धारा 87 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्य समिति से भिन्न प्रत्येक समिति अपने प्रथम बैठक में अपने सदस्य में से एक को उपसभापति निर्वाचित करेगी।

(6) धारा 87 की उपधारा (2) तथा (3) में निर्दिष्ट समितियों का संघठन वह होगा जो नियत किया जाये।

(7) किसी सदस्य के स्थान या सभापति अथवा उप–सभापति के पद की आकस्मिक रिक्ति होने की दशा में यथास्थिति, जो सदस्य सभापति या उपसभापति निर्वाचित किया जाये,

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा जोड़ा गया।

वह समिति के शेष कार्यकाल के लिये यथासम्भव उसी रीति से निर्वाचित किया जायेगा जिस रीति से उसका पूर्वाधिकारी निर्वाचित किया गया था।

89. समितियों के निर्वाचन की रीति तथा उनका कार्यकाल – (1) धारा 87 में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति के सदस्यों और अन्य पद धारकों का निर्वाचन ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाय।

(2) धारा 87 की उपधारा (1) तथा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति का कार्यकाल समिति की पहली बैठक के दिनांक से एक वर्ष का होगा, किन्तु वह किसी भी दशा में [1][क्षेत्र पंचायत] के कार्यकाल के आगे न बढ़ेगा।

[1]["**89–क. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई क्षेत्र पंचायत की समितियों का संघठन** – इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, प्रत्येक क्षेत्र पंचायत धारा 87 में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं समितियों के स्थान पर जिन्हें इस धारा में आगे पूर्व समिति कहा गया है, इस अधिनियम के अधीन पूर्व समिति की समनदेशित सभी या किन्हीं शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों या कर्तव्यों के संपादन के लिये ऐसी अन्य समिति या समितियॉ संघठित करेगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये और वह ऐसी समिति या समितियों को अपनी ऐसी अन्य शक्तियों, कृत्यों या कर्तव्यों को प्रतिनिहित कर सकती है जैसा वह उचित समझे और किसी पूर्व समिति की किसी विशिष्ठ शक्ति, कृत्य या कर्तव्य के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन पूर्व समिति के स्थान पर किसी समिति के संघठित हो जाने पर उस शक्ति, कृत्य या कर्तव्य के सम्बन्ध में पूर्व समिति समाप्त हो जायेगी और इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में, या उसके अधीन बनाये गये नियमों में पूर्व समिति के प्रति कोई निर्देश इस धारा के अधीन संघठित समिति के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन संघठित प्रत्येक समिति में एक सभापति और छः अन्य सदस्य होंगे जो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ऐसी रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, निर्वाचित किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य और पिछड़े वर्गों का एक सदस्य होगाः

---

[1] अधिसूचना सं0 1619/सत्रह–वि–1–1 (क) –32–1999 दि0 29 जुलाई, 1999 द्वारा नयी धारा 89–क बढ़ायी गयी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि प्रमुख, ज्येष्ठ उप–प्रमुख या कनिष्ठ उप–प्रमुख या क्षेत्र पंचायत का कोई अन्य सदस्य किसी ऐसी समिति का सभापति होगा।''

90. उप समितियॉ – (1) [क्षेत्र पंचायत], संकल्प द्वारा, [1][वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति या समता समिति] के सदस्यों में से एक या अधिक उपसमितियॉ संघठित कर सकती है और ऐसी उप–समिति की, यथास्थिति, उत्पादन समिति या कल्याण समिति के ऐसे कृत्य सौंप सकती है, जो वह उचित समझे।

(2) धारा 87 में उल्लिखित कोई समिति अपने पर आरोपित किसी कर्तव्य या कर्तव्यों के वर्ग के निर्वहन में अपनी सहायता के लिये अपने सदस्यों में से एक या अधिक उप–समितियॉ संघठित कर सकती है।

(3) उप–समितियों की रचना तथा उनका कार्यकाल और आकस्मिक रिक्तियों को पूर्ति करने की रीति वही होगी, जो यथास्थिति [क्षेत्र पंचायत] या समिति द्वारा निश्चित की जाये।

91. धारा 87 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समितियों के कृत्य – (1) [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा वित्त, करारोपण(taxation) [2][आर्थिक विकास] तथा सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में अपने कृत्यों का सम्पादन किये जाने में [1][कार्य समिति] उसकी सहायता करेगी और वह ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करेगी –

(i) जिनका प्रयोग या सम्पादन इस अधिनियम के अधीन उससे अपेक्षित हो; या

(ii) जो धारा 80 के अधीन [1][क्षेत्र पंचायत] उसे प्रतिनिहित किये गये हों।

(2) कृषि, सहकारिता, पशुपालन, लघु सिंचाई–कार्य, ग्रामीण उद्योग और उत्पादन कार्यों के क्षेत्र में सुधार करने से सम्बद्ध उसके अधिकारों के प्रयोग तथा उसके कर्तव्यों और कृत्यों के सम्पादन में और ऐसे अन्य अधिकारों के प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों में [1][वित्त एवं विकास समिति] [1][क्षेत्र पंचायत] की सहायता करेगी –

(i) जिनका प्रयोग या सम्पादन इस अधिनियम के अधीन उससे अपेक्षित हो;

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा बढ़ाया गया।

(ii) जो धारा 80 के अधीन [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा [1][वित्त एवं विकास समिति] को प्रतिनिहित किये गये हों।

(3) स्वास्थ्य, स्वच्छता, [1][सामाजिक न्याय], महिला–कल्याण, युवक–कल्याण तथा रचनात्मक कार्यक्रम के क्षेत्र में सुधार करने से सम्बद्ध अधिकारों के प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों के सम्पादन में और ऐसे अन्य अधिकारों के प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों के सम्पादन में समता समिति क्षेत्र पंचायत की सहायता करेगी –

(i) जिनका प्रयोग या सम्पादन इस अधिनियम के अधीन उससे अपेक्षित हो; या

(ii) जो धारा 80 के अधीन [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा [समता समिति] के प्रतिनिहित किये गये हों।

[1][(3–क)शिक्षा समिति शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के सम्बन्ध में क्षेत्र पंचायत को उसके अधिकारों के प्रयोग और उसके कर्तव्यों और कृत्यों के सम्पादन में सहायता करेगी।''

(4) ऊपर उल्लिखित कोई समिति नियमों द्वारा नियत रीति से और शर्तों के अधीन रहते हुये, [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों से भिन्न अपने किन्हीं अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों को [1][क्षेत्र पंचायत] के किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकती है।

[2][(5) राज्य सरकार, किसी भी समय, यह निदेश दे सकती है कि [1][वित्त एवं विकास समिति] या [1][समता समिति] का कोई अधिकार, कर्तव्य या कृत्य धारा 87 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित किसी समिति को संक्रामित किया जाये।]

92. खंड विकास अधिकारी के अधिकार तथा उत्तरदायित्व – (1) खण्ड विकास अधिकारी [1][क्षेत्र पंचायत] का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और [1][क्षेत्र पंचायत] तथा उसकी समितियों के संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिये उत्तरदायी होगा तथा उन अधिकारों, कर्तव्यों और कृत्यों के अतिरिक्त जिनकी इस अधिनियम में उसके द्वारा प्रयोग तथा सम्पादन की अपेक्षा की गयी है, और तदर्थ किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित अधिकारों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग तथा सम्पादन करेगा, अर्थात् –

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1963 की धारा 22 द्वारा बढ़ायी गयी।

(1) क्षेत्र निधि को देय या उसे दी गयी कोई धनराशि लेने, वसूल करने तथा उसे क्षेत्र निधि में जमा करने का अधिकार।

[1][(2) [1][क्षेत्र पंचायत] की निधियों में से धनराशि निकालना तथा उसका वितरण करना।

(3) कोई विवरण, लेखे, प्रतिवेदन, लेखों की प्रतिलिपियॉ, [2][क्षेत्र पंचायत] या उसकी किसी समिति द्वारा पारित संकल्पों की प्रतिलिपियॉ अथवा इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित प्रस्ताव तथा आपत्तियॉ नियत प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।

(4) [1][ग्राम पंचायतों] को उनके विकास कार्य में –जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा निर्धारित मानकों तथा स्थूल नीति के अनुसार योजनायें बनाना, उनका निष्पादन और पूर्वोक्त योजनाओं के निष्पादन में पायी गयी किन्हीं त्रुटियों को [1][क्षेत्र पंचायत] के ध्यान में लाना भी है सहायता देना।

(5) धारा 52 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये [1][क्षेत्र पंचायत] में नियोजित समस्त अधिकारियों तथा सेवकों की सेवा, अवकाश, वेतन, भत्ता तथा अन्य विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्नों का तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अनुसार समाधान करने का अधिकार।

(6) इस धारा या किसी अन्य धारा के अधीन प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के लिये आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार।

(7) ऐसे अधिकार, कर्तव्य और कृत्य भी जो राज्य सरकार [1][क्षेत्र पंचायत] की सम्मति से सौंपे।

(2) क्षेत्र पंचायत की ओर से समस्त कार्यों तथा संविधानों के समुचित निष्पादन का उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी पर होगा।

---

[1] अधिसूचना सं0 1619/सत्रह–वि–1–1 (क) –32–1999 दि0 29 जुलाई, 1999 द्वारा नयी धारा 89–क बढ़ायी गयी।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

93. समितियों या उप–समितियों का अधीन रहना – (1) [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] किसी भी समय, अपनी किसी समिति से, तथा उसी प्रकार समिति अपनी किसी उप–समिति से यथास्थिति, ऐसी समिति अथवा उप–समिति को कार्यवाहियों का प्रतिवेदन या उनके उद्धरण या कोई विवरणी मांग सकती है।

(2) यथास्थिति, समिति अथवा उप–समिति, उपधारा (1) के अधीन की गई प्रार्थना का यथाशक्य शीघ्र अनुपालन करेंगे।

94. [1][जिला पंचायत] तथा [1][क्षेत्र पंचायत] का प्रतिवेदन आदि की अपेक्षा और प्रश्न करने का अधिकार – (1) [1][जिला पचांयत] अध्यक्ष अथवा मुख्य अधिकारी से और [1][क्षेत्र पंचायत] प्रमुख या खण्ड विकास अधिकारी ने अपनी किसी बैठक में निम्नलिखित देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है–

(क) यथास्थिति [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के प्रशासन से सम्बद्ध किसी विषय में कोई विवरणी, विवरण, अनुमान आंकड़े या अन्य सूचना;

(ख) किसी उप–समिति या प्रतिवेदन या स्पष्टीकरण; तथा

(ग) कोई ऐसा प्रतिवेदन, पत्र–व्यवहार या योजना अथवा अन्य लेख्य या उसकी प्रतिलिपि जो उसके कब्जे या नियन्त्रण में अध्यक्ष, प्रमुख, मुख्य अधिकारी, या खण्ड विकास अधिकारी के रूप में हो या जो, यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] अथवा [1][क्षेत्र पंचायत] के या [1][जिला पंचायत] अथवा [1][क्षेत्र पंचायत] के किसी सेवक के कार्यालय में अभिलिखित या दाखिल हो।

(2) यथास्थिति, अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी, प्रमुख या खण्ड विकास अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन की गयी प्रत्येक अपेक्षा का अनुचित विलम्ब किये बिना, पालन करेगा।

(3) इस धारा से या इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के ऐसे उपबन्ध बनाने पर रोक लगाती है उसकी बैठकों में, नियत शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुये, सदस्य द्वारा प्रश्न पूछे जाने का प्राधिकार दिया गया।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1]["**95. कतिपय सरकारी कर्मचारियों से सहायता तथा परामर्श लेने का जिला पंचायत का अधिकार** – निम्नलिखित अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे जिला पंचायत को ऐसी सहायता और परामर्श, जहां तक उसका सम्बन्ध उनके विभाग से हो, दें जो आवश्यक या वांछनीय हो अथवा अपने जिला योजना कार्यक्रम तथा अन्य कार्य को कार्यान्वित करने के लिये जिला पंचायत जिसकी अपेक्षा करे –

(1) सम्बन्धित सर्किल के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस निमित्त नाम–निर्दिष्ट अधिशासी अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग);

(2) सम्बन्धित सर्किल के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट अधिशासी अभियन्ता (उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद);

(3) सम्बन्धित सर्किल के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट अधिशासी अधिकारी (नहर);

(4) मुख्य चिकित्सा अधिकारी;

(5) जिले में क्षेत्राधिकार प्रयोग करने वाला मंडल वनाधिकारी (डिवीजनल फारेस्ट आफिसर);

(6) जिलापूर्ति अधिकारी;

(7) उप क्षेत्रीय विपणन अधिकारी;

(8) जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी;

(9) सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र;

(10) जिले के ऐसे अन्य अधिकारी जो अनुसूची–2 के भाग–क में विनिर्दिष्ट जिला पंचायत के किन्हीं कृत्यों के सम्बद्ध विभाग के प्रभारी हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इन अधिकारियों में से कोई धारा 39 की उपधारा (3–क) के अधीन जिला पंचायत के पदेन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाये, तो उस पर इस धारा के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं होंगे।''

96. कारणों का रजिस्ट्रीकरण – जब इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, एक्ट सं0 16, 1908 अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में यह अपेक्षा की गई हो कि किसी लेख्य के लिखने वाले अथवा उसके

---

[1] अधिसूचना सं0 1619/सत्रह–वि–1–1 (क) –32–1999 दि0 29 जुलाई, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित।

अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उनके सम्बन्ध में कोई कार्य किया जायेगा, और यह लेख्य[1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की ओर से लिखा गया हो अथवा वह ऐसा लेख्य हो जिसके अधीन [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] दावा करे, तो वह कार्य, उपर्युक्त अधिनियमित अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, [1][जिला पंचायत] की दशा में मुख्य अधिकारी द्वारा अथवा [1][जिला पंचायत] के तदर्थ अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा और [1][क्षेत्र पंचायत] की दशा में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा या [1][क्षेत्र पंचायत] के तदर्थ अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

97. अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों के प्रयोग तथा सम्पादन के सम्बन्ध में विवाद – (1) जब इस विषय में कोई सन्देह उत्पन्न हो कि इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग, अथवा किसी कर्तव्य या कृत्य के सम्पादन के लिये [2][जिला पंचायत] अध्यक्ष, कार्य समिति, वित्त समिति, मुख्य अधिकारी [1][जिला पंचायत] की कोई अन्य समिति अथवा अधिकारी उचित प्राधिकारी हैं या नहीं, तो मामला मुख्य अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

(2) जब इस विषय में कोई संदेह उत्पन्न हो कि इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार के प्रयोग अथवा किसी कर्तव्य या कृत्य के सम्पादन के लिये [1][क्षेत्र पंचायत] प्रमुख, [1][कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति], खण्ड विकास अधिकारी या [1][क्षेत्र पंचायत] की कोई अन्य समिति अथवा अधिकारी उचित प्राधिकारी है या नहीं, तो मामला जिला मजिस्ट्रेट को अभिदिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा। ऐसा कोई भी निर्णय देने में जिला मजिस्ट्रेट उन सामान्य आदेशों से निर्देशित होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर एतदर्थ जारी किये जायें।

98. कार्यों तथा कार्यवाहियों की वैधता – (1) [1][जिला पंचायत] में, या [1][जिला पंचायत] की किसी समिति में या कार्य समिति द्वारा नियुक्त किसी उपसमिति में वर्तमान किसी रिक्ति के कारण उसका कोई कार्य या कार्यवाही अमान्य न होगी।

(2) यदि कार्य या कार्यवाही किये जाने के समय उपस्थित व्यक्तियों में बहुमत, यथास्थिति, [1][जिला पंचायत], समिति या उपसमिति के ऐसे सदस्यों का रहा हो जिनमें कोई ऐसी

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा बदला गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा बदला गया।

अनर्हता अथवा दोष न हो, तो [1][जिला पंचायत] के अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति या उपसमिति के सदस्य के रूप में अथवा [1][जिला पंचायत] की या ऐसी समिति अथवा उपसमिति की बैठक में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की अनर्हता, या उनके निर्वाचन, अनुमेलन या नियुक्ति में त्रुटि के कारण यह न समझा जायेगा कि जिला पंचायत, समिति या उपसमिति का कोई कार्य या कार्यवाही अमान्य हो गई है।

(3) जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हो जाये, तब तक प्रत्येक लेख्य या कार्यवृत्त (minutes) के विषय में, जो [2][जिला पंचायत] या समिति या उपसमिति की कार्यवाही का अभिलेख भावित हो– यदि वह सारतः उसी रीति से तैयार तथा हस्ताक्षर किया गया हो जो उस प्रकार की कार्यवाही का अभिलेख तैयार करने तथा उस पर हस्ताक्षर करने के लिये नियत की गई हो–यह समझा जायेगा कि वह यथाविधि संघठित ऐसी [जिला पंचायत] समिति या उपसमिति की यथाविधि संयोजित बैठक की कार्यवाही का शुद्ध अभिलेख है, जिसके सब सदस्यों यथाविधि अर्ह थे।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं के उपबन्ध प्रत्येक [2][क्षेत्र पंचायत] उसकी समिति अथवा उपसमिति के कार्यों तथा कार्यवाहियों पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 6

निधि, सम्पत्ति तथा संविदाएँ

99. जिला–निधि तथा क्षेत्रनिधि – (1) प्रत्येक [1][जिला पंचायत] के लिये एक निधि की स्थापना की जायेगी जो जिला–निधि कहलायेगी और प्रत्येक [1][क्षेत्र पंचायत] के लिये एक निधि की स्थापना की जायेगी जो क्षेत्र–निधि कहलायेगी। [1][जिला पंचायत] द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गयी सभी धनराशियॉ [1][राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान सहित] या लिये गये समस्त ऋण जिला–निधि में तथा [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गयी सभी धनराशियॉ या [2][राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान सहित] या लिये गये समस्त ऋण क्षेत्र निधि में जमा किये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] अपने द्वारा किसी प्रयोजन विशेष के लिये प्राप्त किये गये निधि के भागों को उसी प्रयोजन विशेष के लिये अलग रक्षित कर देगी और उन्हें उसी प्रयोजन को पूरा करने में व्यय करेगा।

(2) इस धारा में कोई बात [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के उन आधारों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जो किसी ऐसे न्यास से उत्पन्न हों जो विधितः उस पर आरोपित किया गया हो उसन स्वीकार किया हो।

(3) [2][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] नकद अथवा वस्तु के रूप में ऐसे अंशदान स्वीकार कर सकती है जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक उपयोगिता के किसी कार्य के लिये दे और तत्पश्चात् [1][जिला पंचायत] या क्षेत्र समिति उसे, जहॉ कहीं आवश्यक हो अपने अंशदान सहित उस कार्य के निष्पदन में लगायेगी।

100. [1][जिला पंचायत] लोकल अथारिटीज लोन्स एक्ट, 1914 के अधीन लोकल अथारिटी होगी – (1) [1][जिला पंचायत] लोकल अथारिटीज लोन्स एक्ट, एक्ट सं0 9, 1914 में यथापरिभाषित ''लोक अथारिटी'' समझी जायेगी तथा उस अधिनियम के अधीन रूपया उधार लेने के प्रयोजनार्थ उसके समस्त उपबन्धों तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के अधीन रहेगी।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट, एक्ट सं0 2, 1934 की धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये तथा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से जिला पंचायत ऐसी रीति से तथा उन उद्देश्यों के लिये और उन शर्तों के, जिनके अन्तर्गत निक्षेप निधि रखने की शर्त भी है और जो नियमों द्वारा नियत की जायेगी, अधीन रहते हुये ऋण–पत्र जारी करके खुले बाजार में ऋण ले सकती है।

101. निधि की अभिरक्षा या उसका लगाया जाना – (1) जिला निधि या क्षेत्र निधि सरकारी खजाने या उप–खजाने में या ऐसे बैंक में जिसे सरकारी खजाने का काम सौंपा गया है, जमा की जायेगी या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से एक या अधिक अनुसूचित बैंकों या सहकारी बैंकों में जमा की जायेगी जिन्हें यह तदर्थ निर्दिष्ट करें।

(2) उन स्थानों में जहाँ इस प्रकार का कोई खजाना या बैंक न हो, जिला निधि या क्षेत्र निधि किसी महाजन की या महाजन के रूप में कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में रखी जा सकती है जिसने उस निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये तथा मांग करने पर भुगतान करने के लिये ऐसी प्रतिभूति दे दी हो जो राज्य सरकार उस विशेष मामले में पर्याप्त समझे।

(3) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी भी बात से यह न समझा जायेगा कि वह [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] को अपनी निधि के किसी ऐसे अंश को जिसकी तत्काल व्यय के लिये आवश्यकता न हो राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट संख्या 2, 1882 की धारा 20 में वर्णित प्रतिभूतियों में से किसी में लगाने, अथवा स्टेट बैंक आफ इण्डिया या अन्य किसी प्राधिकारी या संख्या के पास सावधि निक्षेप (fixed deposit) के रूप में जमा करने से रोकती है।

[1]["**101–क. क्षेत्र पंचायत निधि से आहरण और वितरण** – क्षेत्र पंचायत निधि में से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण प्रमुख और खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

102. निधि का उपयोग – (1) जिला निधि तथा [2][जिला पंचायत] में निहित समस्त सम्पत्ति और क्षेत्र–निधि तथा [2][क्षेत्र पंचायत] में निहित समस्त सम्पत्ति उन व्यक्त या उपलक्षित प्रयोजनों के लिये उपयोग में लायी जायेगी जिनके लिये, इस अथवा या अन्य किसी अधिनियमित द्वारा या

---

[1] अधिसूचना सं0 1619/सत्रह–वि–1–1 (क) –32–1999 दि0 29 जुलाई, 1999 द्वारा धारा 101–क नयी धारा बढ़ायी गयी।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उसके अधीन, यथास्थिति, [2][जिला पंचायत] या क्षेत्र पंचायत को अधिकार प्रदान किये गये हों या उस पर कर्तव्य या आभार आरोपित किये गये हों।

(2) [2][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] यथास्थिति, जिले या खंड की सीमाओं के बाहर भूमि अर्जित करने या किराये पर लेने के लिये या ऐसी सीमाओं के बाहर कोई निर्माण–कार्य सम्पादित करने के निमित्त कोई व्यय –

(क) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से अन्यथा, अथवा

(ख) ऐसे निबन्धनों और शर्तों से अन्यथा जो राज्य सरकार आरोपित करे, नहीं करेगी।

(3) धारा 99 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, [2][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] की निधि और सम्पत्ति का उपयोग पूर्वता के निम्नांकित क्रम से किया जायेगा –

(क) विधितः [2][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] पर आरोपित अथवा उसके द्वारा स्वीकृत न्यास से उत्पन्न होने वाले दायित्व और आभार।

(ख) अधिष्ठान व्यय का– जिसके अन्तर्गत पेंशन, भविष्य–निधि तथा अवकाश भत्ते भी हैं–भुगतान।

(ग) सरकार को देय समस्त धनराशियाँ।

(घ) लोकल अथारिटीज लोन्स एक्ट, 1914 के उपबन्धों के अधीन लिया गया कोई ऋण चुकाना तथा ब्याज का भुगतान।

(ङ) कोई धनराशि जिसका धारा 109 की उपधारा (2), धारा 137 की उपधारा (3), धारा 229 की उपधारा (2), धारा 230 की उपधारा (3) तथा धारा 252 की उपधारा (3) के अधीन, यथास्थिति, जिला निधि या क्षेत्र निधि से भुगतान किये जाने का आदेश दिया गया हो, तथा

(च) इस अधिनियम की धारा 31, 32, 33 और 34 के अथवा किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन [1][जिला पंचायत] पर आरोपित कर्तव्यों तथा आभारों का निर्वहन।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

103. जिला पंचायत के निहित सम्पत्ति – राज्य सरकार द्वारा निश्चित किसी व्यावृत्ति (reservation) के अधीन रहते हुये इस धारा में वर्णित प्रकार की ऐसी समस्त सम्पत्ति जो जिले के भीतर स्थित हो, [1][जिला पंचायत] में निहित होगी और उसकी सम्पत्ति होगी तथा अन्य ऐसी समस्त सम्पत्ति के साथ, जो जिला पंचायत में निहित हो जाय, उसके निदेश, प्रबन्ध और नियन्त्रण के अधीन रहेगी और इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त अधिकार में रखी तथा उपयोग में लायी जायेगी, अर्थात् –

(क) प्रत्येक प्रकार की सब सार्वजनिक इमारतें जो जिला–निधि से निर्मित की गई हों या उससे अनुरक्षित की जाती हों।

(ख) समस्त सार्वजनिक मार्ग जो जिला निधि से निर्मित किये गये हों या उससे अनुरक्षित किये जाते हों, और उनके पत्थर तथा अन्य सामग्री और साथ ही ऐसे समस्त वृक्ष, निर्माण सामग्री उपकरण और वस्तुयें जिनकी व्यवस्था उक्त मार्गों के लिये की गयी हो, तथा

(ग) समस्त भूमि तथा अन्य सम्पत्ति, जो सरकार द्वारा अथवा दान या विक्रय द्वारा या अन्य प्रकार से स्थानीय सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये [1][जिला पंचायत] को संक्रमित की गयी हो।

104. क्षेत्र पंचायत में निहित सम्पत्ति – राज्य सरकार द्वारा निश्चित किसी व्यावृत्ति के अधीन रहते हुये इस धारा में वर्णित की ऐसी समस्त सम्पत्ति जो खण्ड भीतर स्थित हो, क्षेत्र पंचायत में निहित होगी और उसकी सम्पत्ति होगी तथा अन्य ऐसी समस्त सम्पत्ति के साथ, जो [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित हो जाय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त उसके निदेश प्रबन्ध और नियन्त्रण के अधीन रहेगी, अर्थात् –

(क) प्रत्येक प्रकार की समस्त सार्वजनिक इमारतें जो क्षेत्र से निर्मित की गयी हों या उससे अनुरक्षित की जाती हों।

(ख) समस्त सार्वजनिक मार्ग जो क्षेत्र–निधि से निर्मित किये गये हों या उससे अनुरक्षित किये जाते हों, और उनके पत्थर तथा अन्य सामग्री और साथ ही ऐसे समस्त वृक्ष, निर्माण–सामग्री, उपकरण और वस्तुयें जिनकी व्यवस्था उक्त मार्गों के लिये की गयी हों।

(ग) समस्त भूमि तथा अन्य सम्पत्ति, जो सरकार द्वारा अथवा दान या विक्रय द्वारा या अन्य प्रकार के स्थानीय प्रयोजनों के लिये [1][क्षेत्र पंचायत] को संक्रमित की गयी हो, तथा

(घ) खंड के भीतर स्थित सब तालाब और कुएँ और समस्त जमीनें इमारतें, सामग्री तथा वस्तुएँ जो उनसे सम्बद्ध या संसक्त हों, जो निजी सम्पत्ति न हों और न किसी सरकार द्वारा अन्तरिम [1][जिला पंचायत] से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित या नियंत्रित हों।

105. भूमि का अनिवार्य अर्जन – [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] इस अधिनियम या अन्य किसी अधिनियमिति के अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग अथवा अपने पर आरोपित किसी कर्तव्य के पालन के निमित्त, स्थायी रूप से, कोई भूमि या भूमि सम्बन्धी कोई अधिकार अर्जित करना चाहे, तो वह राज्य सरकार से प्रार्थना कर सकती है कि वह उसे लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट, 1904 एक्ट संख्या 1, 1894 के या अन्य किसी वर्तमान विधि के उपबन्धों के अधीन उसके व्यय से अर्जित कर लें।

(2) राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि या ऐसा अधिकार उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन अर्जित किये जाने पर तथा तदन्तर्गत दिलाये गये प्रतिकर का तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यवाहियों के सम्बन्ध में किये गये व्यय का भुगतान, यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा राज्य सरकार को कर दिये जाने पर, वह भूमि या अधिकार, यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित हो जायेगा।

106. सार्वजनिक संस्थाएँ – (1) प्रत्येक सार्वजनिक संस्था का जिसका अनुरक्षण पूर्णतया जिला–निधि या क्षेत्र निधि से होता है, प्रबन्ध, नियन्त्रण और प्रशासन, यथास्थिति, [2][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित होगा।

(2) अन्य कोई सार्वजनिक संस्था भी [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित की जा सकती है अथवा उसके प्रबन्ध, नियन्त्रण और प्रशासन के अधीन की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि उनके सम्बन्ध में परिषद् या क्षेत्र पंचायत के प्राधिकार की आयति नियम द्वारा नियत की जा सकती है।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) किसी भी सार्वजनिक संस्था की ऐसी समस्त सम्पत्ति, निबन्धन (endowment) और निधियां जो [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित हों अथवा उसके प्रबन्ध, नियन्त्रण और प्रशासन के अधीन की गई हों [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा उन प्रयोजनों के निमित्त न्यास के रूप में अपने अधिकार में रखी जायेंगी जिनके लिये ऐसी सम्पत्ति, निबन्ध तथा निधियॉ उस समय विधितः उपयोग में लायी जा सकती थी जबकि संस्था इस प्रकार निहित हुई थी या इस प्रकार अधीन की गई थी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह चैरिटेबुल इनडाउमेन्ट्स एक्ट, एक्ट संख्या 6, 1890 के अधीन किसी न्यास की सम्पत्ति को ट्रेजरार आफ चैरिटेबुल इनडाउमेन्ट्स में निहित होने से रोकती है।

107. सम्पत्ति को संक्रामित करने का अधिकार – (1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन आरोपित किसी निबन्ध के अधीन रहते हुये, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] अपने में निहित किसी सम्पत्ति को, जो ऐसी सम्पत्ति न हो, जो किसी ऐसे न्याय के रूप में उसके अधिकार में हो, जिसकी शर्तें उसके इस प्रकार संक्रामण के अधिकार से असंगत हों, विक्रय, बंधक, पट्टे दान विनियम द्वारा या अन्य किसी प्रकार से संक्रामित कर सकती है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी [जिला पंचायत] या [क्षेत्र पंचायत] राज्य सरकार की स्वीकृति से, अपने में निहित कोई सम्पत्ति सरकार को संक्रामित कर सकती है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे किसी ऐसे न्याय या सार्वजनिक अधिकारों पर प्रभाव पड़े जिनके अधीन वह सम्पत्ति हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक संक्रामण जो एक वर्ष से अनधिक की अवधि के पट्टे से भिन्न हो, एक करण द्वारा सम्पन्न होगा, जिस पर यथास्थिति [1][जिला पंचायत] या [क्षेत्र पंचायत] को सामान्य मुद्रा अंकित रहेगी तथा वह इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन आरोपित संविदा सम्बन्धी समस्त शर्तों का अनुपालन करेगा।

[2]["**107–क. अतिक्रमण या अवरोध के लिये शास्ति** – (1) जो कोई किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में उस जिला पंचायत की किसी भूमि पर, किसी सार्वजनिक सड़क में नाली के ऊपर की सीढ़ियों के निर्माण को छोड़कर, अतिक्रमण करता है, साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो बीस हजार रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] अधिसूचना सं0 1619/सत्रह–वि–1–1 (क) –32–1999 दि0 29 जुलाई, 1999 द्वारा धारा 107–क बढ़ायी गयी।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध जमानतीय और संज्ञेय होगा।''

108. जिला निधि या क्षेत्र निधि से प्रतिकर का भुगतान – [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] अपनी निधि में से किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर दे सकती है जिसे [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा अथवा उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन कार्य कराने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, इस अधिनियम या अन्य किसी अधिनियमित से या उसके अधीन प्राप्त अधिकार के प्रयोग से या आरोपित कर्तव्य के सम्पादन से क्षति पहुॅची हो और ऐसा प्रतिकर तभी देगी जब कि स्वयं क्षति उठाने वाले व्यक्ति से चूक न हुई हो।

109. मेलों आदि में विशेष पुलिस संरक्षण के लिये [1][जिला पंचायत] या [क्षेत्र पंचायत] द्वारा व्यय का दिया जाना– (1) जब [1][जिला पंचायत] या [क्षेत्र पंचायत] के सम्बन्ध में किये जाने वाले मेले, कृषि प्रदर्शनी या औद्योगिक प्रदर्शनी के अवसर पर अथवा [1][जिला पंचायत] या [क्षेत्र पंचायत] द्वारा नियन्त्रित और विनियमित पशु बाजार या पशु मेले के अवसर पर तथा स्थिति [जिला पंचायत] या [क्षेत्र पंचायत] राज्य सरकार से विशेष पुलिस संरक्षण की मॉग करे तो राज्य सरकार ऐसे संरक्षण की व्यवस्था कर सकती है और उक्त परिषद द्वारा न्याय रूप में देय समझे, अदा करेगी।

(2) यदि देय व्यय की राशि अदा न की जाये तो नियत प्राधिकारी ऐसा आदेश दे सकता है जिसमें जिला–निधि या क्षेत्र निधि को अपनी अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को यह निदेश हो कि वह उक्त व्यय उस निधि से अदा कर दे और वह व्यक्ति तद्नुसार उक्त धनराशि अदा करेगा।

110. [1][जिला पंचायत] का बजट तैयार और पारित करना – (1) [2][जिला पंचायत की] कार्य समिति नियत रीति से वित्त समिति के परामर्श से तथा धारा 99 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों का समुचित ध्यान रखते हुये प्रत्येक वर्ष ऐसे दिनांक के पूर्व जो नियम द्वारा तदर्थ निश्चित किया जाये, आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के अपने वास्तविक तथा प्रत्याशित आय–व्ययक का एक पूरा लेखा तथा आगामी 1 अप्रैल से आरम्भ होने वाले वर्ष के लिये बजट अनुमान तैयार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन बजट अनुमान तैयार करने में आय के अनुमान में राज्य सरकार से आयोजन और विकास के कार्यों के निमित्त प्राप्त अनुदानों को अलग प्रदर्शित किया

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा बढ़ाया गया।

जायेगा तथा व्यय के अनुमानों में यह अलग प्रदर्शित किया जायेगा कि उन अनुदानों को किस प्रकार व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

(3) तदुपरान्त अध्यक्ष नियम द्वारा तदर्थ निश्चित किये जाने वाले दिनांक पहले उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये लेखा तथा बजट अनुमान को [1][जिला पंचायत] की बैठक में प्रस्तुत करेगा।

(4) [1][जिला पंचायत] उपधारा (8) में उल्लिखित बैठक में बजट पर चर्चा करेगी और फिर विशेष प्रस्ताव द्वारा –

(क) पूरे बजट को पारित करेगी, या

(ख) बजट को किन्हीं ऐसे परिष्कारों सहित पारित करेगी जो वह उचित समझे, या

(ग) बजट को फिर से तैयार करने के लिये उसे कार्य समिति को लौटा देगी।

(5) जब जिला पंचायत उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन बजट लौटा दे तो कार्य समिति नया बजट तैयार करेगी और अध्यक्ष उस बजट को [1][जिला पंचायत] के समक्ष रखेगा और [1][जिला पंचायत] उस पर चर्चा करेगी तथा विशेष संकल्प द्वारा या तो उसे पूर्णतः या उसमें ऐसे संशोधन करके, जो वह उचित समझे, पारित करेगी।

[1][(6) (क) अध्यक्ष मण्डल आयुक्त के पास कार्य समिति का मूल बजट, कार्य समिति का, संशोधित बजट (यदि कोई हो) तथा [2][जिला पंचायत] द्वारा पारित बजट भेजेगा और मण्डल आयुक्त [2][जिला पंचायत] द्वारा पारित पूरे बजट को स्वीकार कर सकती है या उस भाग में, जो राज्य सरकार द्वारा नियोजन तथा विकास के कार्यों के निमित्त दिये गये अनुदानों से किये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में हो, कोई ऐसे परिवर्तन करने के पश्चात् जो वह उक्त अनुदानों के प्रयोजनों की सिद्धि के लिये उपयुक्त समझे उसे स्वीकार कर सकता है तथा बजट के अवशिष्ट भाग के सम्बन्ध में ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो वह उचित समझे।

(ख) यदि मण्डल आयुक्त खण्ड (क) के अधीन कोई सिफारिश न करें तो बजट ऐसे परिष्कारों सहित (यदि कोई हो), जो उसने उक्त खण्ड के अधीन किये हों,

---

[1] अधिसूचना सं0 1619/सत्रह–वि–1–1 (क) –32–1999 दि0 29 जुलाई, 1999 द्वारा उपधारा (6) निकाल दी गयी।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

अंतिम रूप से पारित समझा जायेगा। यदि मण्डल आयुक्त ने खण्ड (क) के अधीन कोई सिफारिशें की हों तो अध्यक्ष उन्हें [2][जिला पंचायत] के समक्ष रखेगा [2][जिला पंचायत] उन सिफारिशों के अनुसार बजट में परिवर्तन कर सकती हैं या कोई भी परिवर्तन करने से इन्कार कर सकती है। तब बजट, मण्डल आयुक्त द्वारा खण्ड (क) के अधीन किये गये परिवर्तनों सहित, यदि कोई हो, तथा [2][जिला पंचायत] द्वारा इस खण्ड के अधीन किये गये परिवर्तनों सहित, यदि कोई हो, अन्तिम रूप से पारित समझा जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) के अधीन मण्डल आयुक्त द्वारा किये गये परिवर्तनों की [2][जिला पंचायत] के आवेदन पर राज्य सरकार पुनरीक्षित कर सकती है और ऐसी दशा में इस खण्ड के अधीन पारित समझा गया बजट तदनुसार परिष्कृत समझा जायेगा।

(ग) यदि ऐसे दिनांक के पूर्व जो नियम द्वारा तदर्थ निश्चित किया जाये [2][जिला पंचायत] ने बजट न परित किया हो और न वह उसके द्वारा पारित समझा जाये या यदि अध्यक्ष ने खण्ड (क) के उपबन्धों के अधीन किसी बजट या किन्हीं बजटों को प्रस्तुत न किया हो तो मण्डल आयुक्त अध्यक्ष से ऐसी सूचना देने के लिये कह सकता है जिसकी उसे अपेक्षा हो तथा वह (आयुक्त) [2][जिला पंचायत] के लिये बजट तैयार कर सकता है और ऐसा बजट जिला पंचायत द्वारा अन्तिम रूप से पारित समझा जायेगा।

(घ) यदि उस दिनांक के पूर्व, जो नियम द्वारा तदर्थ निश्चित किया जाये, मण्डल आयुक्त की सिफारिशों खण्ड (ख) के अपेक्षानुसार [1][जिला पंचायत] के समक्ष प्रस्तुत न की जाये, या [1][जिला पंचायत] ने उन पर कोई निर्णय न किया हो, तो बजट, उन परिष्कारों सहित जिनकी मण्डल–आयुक्त ने सिफारिश की हो, अन्तिम रूप से पारित समझा जायेगा।]

(7) [1][जिला पंचायत] कार्य समिति के परामर्श से, समय–समय पर, जैसा परिस्थितियों के अनुसार वांछनीय है, [2][अपने द्वारा अन्तिम रूप से पारित] बजट में परिवर्तन कर सकती है :–

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] अधिसूचना सं0 1619/सत्रह–वि–1–1 (क) –32–1999 दि0 29 जुलाई, 1999 द्वारा संशोधित।

[1][प्रतिबन्ध यह है कि [1][जिला पंचायत] द्वारा बजट में किया गया प्रत्येक परिवर्तन अध्यक्ष द्वारा मण्डल आयुक्त को भेजा जायेगा और वह परिवर्तन यथासंभव उपधारा (6) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के उपबन्धों के अधीन रहेगा।]

111. [1][जिला पंचायत] का पुनरीक्षण – पहली अक्टूबर के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र वर्ष का पुनरीक्षित बजट तैयार किया जायेगा और यह पुनरीक्षित बजट, यथासंभव उन समस्त उपबन्धों के अधीन होगा जो धारा 110 के अधीन तैयार किये गये बजट पर प्रवृत्त होते हैं।

112. [1][जिला पंचायत] के बजट में दिखाई गई न्यूनतम रोकड़ बाकी – यदि राज्य सरकार आदेश द्वारा कोई न्यूनतम रोकड़ बाकी नियत करे तो कार्य समिति बजट तैयार करने में उस न्यूनतम रोकड़ बाकी के लिये व्यवस्था करेगी।

113. बजट की प्रतिलिपि का आयुक्त तथा राज्य सरकार को भेजा जाना – प्रत्येक [1][जिला पंचायत] अपने अन्तिम रूप से पारित बजट की एक प्रतिलिपि मण्डल आयुक्त को और दूसरी प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजेगी।

114. बजट में व्यवस्थित धनराशि से अधिक व्यय करने का निषेध – (1) जब इस अधिनियम के अधीन किसी [2][जिला पंचायत] का बजट या पुनरीक्षित बजट अन्तिम रूप से पारित किया जा चुका हो तो [1][जिला पंचायत] बजट के उस शीर्षक के अतिरिक्त जिसमें करों के लौटायें जाने की व्यवस्था हो, किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत, उस शीर्षक के अधीन पारित धनराशि से अधिक व्यय तब तक न करेगी जब तक कि वह बजट में परिवर्तन करके उस अधिक व्यय के लिये व्यवस्था न कर ले।

(2) जब किसी ऐसे शीर्षक के अन्तर्गत, जिसमें करों के लौटाये जाने की व्यवस्था हो, उस शीर्षक के अधीन अनुमोदित या स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया जाये तो बजट में परिवर्तन करके उस व्यय के लिये अविलम्ब व्यवस्था की जायेगी।

115. क्षेत्र पंचायत का बजट तैयार और पारित करना – (1) क्षेत्र पंचायत की कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति के परामर्श से और धारा 99 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों का समुचित ध्यान रखते हुये आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के अपने वास्तविक तथा प्रत्याशित आय–व्यय का एक पूरा लेखा तथा आगामी 1 अप्रैल

---

[1] अधिसूचना सं0 1619/सत्रह–वि–1–1 (क) –32–1999 दि0 29 जुलाई, 1999 द्वारा प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

से आरम्भ होने वाले वर्ष के लिये अपने आय–व्ययक का बजट उस दिनांक के पूर्व जो नियम द्वारा एतदर्थ निश्चित किया जाये, तैयार करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि अनुमानित आय में राज्य सरकार से नियोजन और विकास के कार्यों के निमित्त प्राप्त अनुदानों को अलग प्रदर्शित किया जायेगा तथा व्यय के अनुमानों में यह अलग प्रदर्शित किया जायेगा कि उन अनुदानों के किस प्रकार व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

[1][(2) प्रमुख, [1][कार्य समिति] द्वारा तैयार किये गये लेखे तथा बजट को उनके तैयार किये जाने के दिनांक से पॉच दिन के भीतर [1][जिला पंचायत] को प्रेषित करेगा और [1][जिला पंचायत] लेखे तथा बजट को नियोजित समिति के समक्ष परिनिरीक्षा के लिये और ऐसी सिफारिशें करने के लिये रखेगी जिन्हें करना नियोजित समिति समझे।]

[2][(3) नियोजन समिति की परिनिरीक्षा का परिणाम और उसकी सिफारिशें [1][क्षेत्र पंचायत] को ऐसे अन्य दिनांक के पूर्व संसूचित कर दी जायेगी, जिससे इस सम्बन्ध में नियम द्वारा निश्चित किया जाये।]

(4) [2][क्षेत्र पंचायत] इस सम्बन्ध में नियम द्वारा निश्चित दिनांक के पूर्व प्रत्येक वर्ष एक बैठक आयोजित करके उसमें [1][कार्य समिति] द्वारा तैयार किये गये लेखे तथा बजट [3][* * *] पर विचार विमर्श करेगी और तब बिना किसी परिष्कार के या ऐसे परिष्कारों के साथ, जिन्हें करना वह उचित समझे, संकल्प द्वारा बजट पारित करेगी।

(5) यदि किसी [1][क्षेत्र पंचायत] का बजट उसके पारण के लिये नियत दिनांक तक उपधारा (4) के अधीन पारित न किया गया हो, [4][कार्य समिति द्वारा तैयार किया गया बजट, पारित किया गया समझा जायेगा] और यह बात तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि [1][क्षेत्र पंचायत] उपधारा (4) के अधीन बजट पारित करके उसे अप्रवर्ती न घोषित कर दे।

---

[1] अधिसूचना सं0 1619/सत्रह–वि–1–1 (क) –32–1999 दि0 29 जुलाई, 1999 द्वारा उपधारा (2) और (3) निकाल दी गयी।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] अधिसूचना सं0 1619/सत्रह–वि–1–1 (क) –32–1999 दि0 29 जुलाई, 1999 द्वारा शब्द [तथा नियोजन समिति की परिनिरीक्षा के परिणाम और सिफारिशों] निकाल दिया गया।

[4] अधिसूचना सं0 1619/सत्रह–वि–1–1 (क) –32–1999 दि0 29 जुलाई, 1999 द्वारा संशोधित।

116. [1][जिला पंचायत] के बजट के सम्बन्ध में कतिपय उपबन्ध [1][क्षेत्र पंचायत] के बजट पर प्रवृत्त होंगे – धारा 111, 112, 113 तथा 114 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ क्षेत्र पंचायत के बजट पर प्रवृत्त होंगे।

117. [1][जिला पंचायत] तथा [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा संविदाएँ – (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] को ऐसी संविदाएँ करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक या इष्टकर हों।

(2) संविदाओं की स्वीकृत, निष्पादन, परिवर्तन तथा निर्वहन के सम्बद्ध समस्त विषय जिनके अन्तर्गत उनके लिये योजनाएँ, अनुमान तथा परियोजना से तैयार करना तथा उनके लिये स्वीकृति भी देना है–नियमों द्वारा विनियमित होंगे।

(3) यदि किसी संविदा का निष्पादन इस अधिनियम के उपबन्धों के अथवा तदर्थ निर्मित किन्हीं नियमों के अनुसरण से अन्यथा किया जाये तो यह [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] पर बन्धनकारी न होगा।

118. कतिपय विषय जो नियमों द्वारा शासित होंगे – निम्नलिखित विषय नियमों द्वारा शासित होंगे अर्थात्–

(क) अनुदान तथा ऋण देना;

(ख) लेखे जो[1][जिला पंचायत] या क्षेत्र समिति द्वारा रखे जायेंगे;

[1][(ग) जिला पंचायत की कार्य समिति द्वारा उसकी वित्त समिति से और क्षेत्र पंचायत की कार्य समिति द्वारा उसकी वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता से बजट के सम्बन्ध में परामर्श करने की रीति।]

(घ) रीति जिससे लेखों की परीक्षा की जायेगी और उन्हें प्रकाशित किया जायेगा तथा लेखा–परीक्षकों का व्यय को अस्वीकृत करने और किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक की अनधानता या अनाचार के कारण [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की किसी निधि या सम्पत्ति को हुई क्षति या उसके अपव्यय या दुरूपयोग के सम्बन्ध में [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के उक्त सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरूद्ध सिफारिश करने का अधिकार;

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ङ) दिनांक जिसके पूर्व बजट स्वीकृत करने के लिये बैठक की जायेगी;

(च) बजटों की तैयारी में अपनायी जाने वाली प्रणाली तथा प्रपत्र;

(छ) [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियॉं, विवरण और प्रतिवेदन; और

(ज) यात्रा–भत्ता, जिसके अन्तर्गत दैनिक–भत्ता भी है, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायतों] के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, प्रमुखों, उप–प्रमुखों तथा सदस्यों को दिया जा सकता है।

अध्याय 7

कराधान तथा शुल्कों और पथकरों का उद्ग्रहण

119. कर जो [1][जिला पंचायत] द्वारा आरोपित किये जा सकते हैं – (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये [1][जिला पंचायत] निम्नलिखित कर आरोपित कर सकती है या उनका आरोपण जारी रख सकती है] अर्थात –

(क) विभव तथा सम्पत्ति पर कर;

(ख) कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान–मण्डल को ''भारत का संविधान'' के अधीन, जिसके अन्तर्गत संविधान का अनुच्छेद 277 भी है, हो तथा जिसका [1][जिला पंचायत] द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।

(2) कर ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 285 के अधीन रहते हुये तथा इस अधिनियम तथा तदधीन निर्मित नियमों, विनियमों तथा उपविधियों के अनुसार निर्धारित और उद्ग्रहीत किये जायेंगे।

विभव तथा सम्पत्ति पर कर

120. विभव तथा सम्पत्ति पर कर का आरोपण जारी रहना – (1) यदि निश्चित दिनांक के पूर्व किसी जिले में विभव तथा सम्पत्ति पर कोई कर (tax on circumstances and property) प्रचलित रहा हो जो यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट, यू0पी0 एक्ट 10, 1922 के अधीन आरोपित किया गया हो या जारी रखा गया हो, तो ऐसा कर, जब तक कि वह राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समाप्त या परिवर्तित न कर दिया जाये, [1][जिला पंचायत] द्वारा उन्हीं दरों से और उन्हीं शर्तों पर, जिनसे और जिनके अधीन वह पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किया जा रहा था उद्ग्रहीत किया जाता रहेगा तथा धारा 121 में किसी बात के होते हुये भी, निश्चित दिनांक पर ऐसे करों के उद्गृहीत किये जाने के सम्बन्ध में प्रचलित समस्त नियम, विनियम और उपविधियॉ, समस्त आदेश तथा विज्ञप्तियॉ और समस्त नियुक्तियॉ, उसी प्रकार प्रचलित रहेंगी मानों वह इस अधिनियम के अधीन बनायी गईं, दिये गये या की गई हों और उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निरस्त, परिवर्तित या परिष्कृत किया जा सकेगा।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि निश्चित दिनांक से ठीक पूर्व, किसी जिले में विभव तथा सम्पत्ति पर कर पहले ही से प्रचलित न हो तो उस जिले की [1][जिला पंचायत] आगे दी गई रीति से ऐसा कर आरोपित कर सकती है।

(3) विभव तथा सम्पत्ति पर कर का कोई बकाया [1][जिला पंचायत] द्वारा स्वमति से अध्याय 8 के अधीन या मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

121. विभव तथा सम्पत्ति पर कर आरोपित करने की शर्त और निबंधन – [1][जिला पंचायत] का विभव तथा सम्पत्ति पर कर आरोपित करने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये होगा, अर्थात् –

(क) किसी ऐसे व्यक्ति पर आरोपित किया जा सकता है जो ग्राम्य क्षेत्र में रहता या व्यवसाय करता हो, प्रतिबन्ध यह है कि निर्धारणाधीन वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम छः महीने तक वह व्यक्ति इस प्रकार रहा हो या उसने इस प्रकार व्यवसाय किया हो;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति पर कर नहीं लगाया जायेगा जिसकी कुल कर योग्य आय [1][बारह हजार रूपये] वार्षिक से कम हो;

(ग) कर की दर कुल कर –योग्य आय पर तीन नये पैसे प्रति रूपया से अधिक न होगी; तथा

(घ) किसी व्यक्ति पर आरोपित कर की कुल धनराशि उस अधिकतम धनराशि से, यदि कोई हो, अधिक न होगी जो नियम द्वारा नियत की जाये।

स्पष्टीकरण – इस धारा को प्रयोजन के लिय ''कर–योग्य आय'' , से तात्पर्य अनुमानित आय से है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित वर्गों की आय न होगी –

(1) इण्डियन इनकम टैक्स एक्ट, 1922 (एक्ट संख्या 11, 1922) में यथा परिभाषित ''एग्रीकल्चरण इनकम'' (agricultural income) ;

(2) आय जिस पर यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपेलिटीज एक्ट, 1916 (यू0पी0 एक्ट सं0 2, 1916) की धारा 128 के अधीन किसी [नगर पालिका] या नोटीफाइड एरिया कमेटी द्वारा पहले ही कोई कर आरोपित किया जा चुका हो;

(3) आय जिस पर धारा 119 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किसी दूसरी परिषद द्वारा पहले ही कर आरोपित किया जा चुका हो;

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) आय जिस पर यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन एरियाज एक्ट, 1914 (यू0पी0 एक्ट सं0 2, 1914) की धारा 14 के अधीन पहले ही कोई कर आरोपित किया जा चुका हो;

(5) आय जिस पर उत्तर प्रदेश [1][नगर निगम] अधिनियम, 1959 (उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 1994) की धारा 172 के अधीन किसी [नगर निगम] द्वारा पहले ही कर आरोपित किया जा चुका हो।

122. विभव तथा सम्पत्ति कर की [2][ग्राम पंचायत] के माध्यम से वसूली – यूनाइटेउ प्राविन्सेज पंचायत राज एक्ट, 1947 में किसी बात के होते हुये भी [1][जिला पंचायत] ऐसा कमीशन देकर जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाये, किसी [1][ग्राम पंचायत] को उसके [1][क्षेत्र पंचायत के निवासियों] पर लगाये गये विभव तथा सम्पत्ति पर कर वसूल करने का कार्य सौंप सकती है और उस दशा में [1][ग्राम पंचायत] का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निवासियों से उक्त कर वसूल करे तथा उगाही हुई धनराशियों को जिला निधि में जमा करे।

करारोपण

123. करारोपण के लिये प्रारम्भिक प्रस्तावों का तैयार किया जाना – (1) जब कोई [1][जिला पंचायत] कर आरोपित करना चाहे तो वह विशेष संकल्प द्वारा प्रस्ताव तैयार करेगी जिसमें निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट की जायेंगी –

(क) कर, जो धारा 119 में वर्णित करों में से कोई होगा, जिसे वह आरोपित करना चाहे;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन पर कर का दायित्व डाला जायेगा तथा उस सम्पत्ति या अन्य कर–योग्य वस्तु या विभव का वर्णन जिसके सम्बन्ध में उन पर दायित्व डाला जायेगा, किन्तु जब कोई ऐसा वर्ग या वर्णन खण्ड (क) के अधीन या इस अधिनियम द्वारा पहले ही से पर्याप्त रूप से परिभाषित हो, तो उसकी पुनरावृत्ति की अपेक्षा न होगी;

(ग) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से उद्ग्राह्य कर की मात्रा या दर;

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) धारा 140 में उल्लिखित कोई अन्य विषय जिसके निर्दिष्ट किये जाने की राज्य सरकार नियम द्वारा अपेक्षा करे।

(2) [1][जिला पंचायत] उन नियमों का एक प्रालेख भी तैयार करेगी जो वह धारा 140 में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से बनवाना चाहे।

(3) तत्पश्चात् [1][जिला पंचायत] नियमों द्वारा नियत रीति से, उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये, प्रस्तावों और उपधारा (2) के अधीन तैयार किये गये नियमों के प्रालेखों को, ऐसे रूप में नोटिस के सहित जो [1][जिला पंचायत] विनियम द्वारा नियत करे, प्रकाशित करेगी।

124. प्रस्ताव तैयार हो जाने के बाद की प्रक्रिया – (1) कोई व्यक्ति जो सामान्यतया उस जिले में रहता हो या व्यवसाय करता हो, जिसके भीतर [1][जिला पंचायत] कर आरोपित करना चाहती हो, उक्त नोटिस के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर पूर्वगामी धारा के अधीन तैयार किये गये सभी या किसी प्रस्ताव के विरूद्ध लिखित रूप से आपत्ति कर सकता है और [1][जिला पंचायत] इस प्रकार की गई किसी भी आपत्ति पर विचार करेगी और विशेष संकल्प द्वारा उस पर आदेश पारित करेगी।

(2) यदि [1][जिला पंचायत] अपने प्रस्तावों को या उसमें से किसी प्रस्ताव को परिष्कृत करना चाहे तो वह परिष्कृत प्रस्तावों को और यदि आवश्यक हो तो पुनरीक्षित नियमों के प्रालेख को ऐसे नोटिस के सहित प्रकाशित करेगी जिससे वह व्यक्ति हो कि वे प्रस्ताव तथा नियम, यदि कोई हो, आपत्तियों के लिये पूर्व प्रकाशित प्रस्तावों और नियमों का परिष्कार करके बनाये गये हैं।

(3) परिष्कृत प्रस्तावों के सम्बन्ध में किन्हीं आपत्तियों पर उपधारा (1) में नियत रीति से कार्यवाही की जायेगी।

125. राज्य सरकार का [1][जिला पंचायत] के प्रस्तावों को स्वीकार करने का अधिकार – (1) जब [1][जिला पंचायत] अपने प्रस्तावों को अन्तिम रूप से निश्चित कर ले तो वह उन्हें, उनके सम्बन्ध में की गई आपत्तियों सहित, यदि कोई हो, नियत प्राधिकारी को भेजेगी और वह उन प्रस्तावों तथा आपत्तियों को, यदि कोई हों, राज्य सरकार को भेजेगा।

(2) उक्त आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार, जैसा वह उचित समझे, उन प्रस्तावों को स्वीकार करने से इन्कार कर सकती है या उन्हें और विचार

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

करने के लिये [1][जिला पंचायत] के पास भेज सकती है या उन्हें बिना परिष्कार किये स्वीकार कर सकती है या ऐसे परिष्कारों सहित स्वीकार कर सकती है जिनसे आरोपित की जाने वाली धनराशि में कोई वृद्धि न हो।

126. नियमों का राज्य सरकार द्वारा बनाया जाना – (1) जब राज्य सरकार ने धारा 125 की उपधारा (2) के अधीन [1][जिला पंचायत] के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया हो तो वह [1][जिला पंचायत] द्वारा भेजे गये नियमों के प्रालेख पर विचार करने के बाद तुरन्त धारा 237 के अधीन करने करके विषय में नियम बनाना प्रारम्भ करेगी जो वह उस समय आवश्यक समझे।

(2) जब नियम बन जायें तो उनकी एक प्रति [1][जिला पंचायत] को भेजी जायेगी।

127. [1][जिला पंचायत] का करारोपण निदेश देने का संकल्प – पूर्वगामी धारा के अधीन भेजी गयी नियमों की प्रति प्राप्त होने पर [1][जिला पंचायत] विशेष प्रस्ताव द्वारा, संकल्प में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से कर के आरोपण का निदेश देगी। उक्त दिनांक उस संकल्प के दिनांक से कम से कम छः सप्ताह बाद का होगा।

128. करारोपण – (1) [1][जिला पंचायत] द्वारा 127 के अधीन पारित संकल्प की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

(2) संकल्प की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर, राज्य सरकार 127 के अधीन निर्दिष्ट दिनांक से करारोपण को गजट में विज्ञापित करायेगी और सभी दशाओं में करारोपण इस प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुये किया जायेगा कि वह इस प्रकार विज्ञापित किया गया है।

(3) उपधारा (2) के अधीन करारोपण की विज्ञप्ति इस बात का निश्चायक प्रमाण होगी कि कर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आरोपित किया गया है।

129. करों में परिवर्तन की प्रक्रिया – कर को समाप्त या निलंबित करने की, या धारा 123 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में कर में परिवर्तन की प्रक्रिया यथासम्भव होगी जो धारा 123 से 128 तक में करारोपण के लिये नियत है।

130. कुछ करों के सम्बन्ध में परिवर्तित या परिष्कृत प्रक्रिया – धारा 123 से 129 तक में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार नियम द्वारा, धारा 119 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित किसी कर के आरोपण तथा उसमें परिवर्तन के सम्बन्ध में ऐसी अन्य या परिष्कृत प्रक्रिया नियत कर सकती है जो वह उचित समझे।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

131. विमुक्ति – (1) [1][जिला पंचायत] एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये, किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी राय में गरीबी के कारण कर का भुगतान करने में असमर्थ हो, इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्त कर सकती है तथा इस विमुक्ति का, जितनी बार यह आवश्यक समझे, नवीकरण कर सकती है।

(2) [1][जिला पंचायत] नियत प्राधिकारी द्वारा पुष्टिकृत विशेष संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी सम्पत्ति को या सम्पत्ति के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्त कर सकती है।

(3) राज्य सरकार, आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी सम्पत्ति के किसी प्रकार को इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्त कर सकती है।

131–क. [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा करारोपण – कोई क्षेत्र पंचायत, ऐसी रीति से जैसी नियत की जाये, निम्नलिखित का आरोपण कर सकती है–

(क) जलकर, जहॉ वह अपनी अधिकारिता के अधीन पीने के लिये, सिंचाई के लिये या किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिये पानी की व्यवस्था करने के लिये किसी योजना का निर्माण या अनुरक्षण करती है;

(ख) विद्युत कर, जहॉ वह किसी सार्वजनिक मार्ग या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करती है और उसका अनुरक्षण करती है; और

(ग) कोई ऐसा अन्य कर, जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, जिसके अन्तर्गत संविधान का अनुच्छेद 277 भी है, हो तथा जिसका क्षेत्र पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।'']

132. राज्य सरकार का किसी कर के दोषों को दूर करने या उसे समाप्त करने का अधिकार – (1) जब कभी राज्य सरकार को किसी भी शिकायत पर या अन्यथा यह प्रतीत हो कि [1][जिला पंचायत] द्वारा आरोपित कर का उद्ग्रहण लोकहित के प्रतिकूल है या किसी कर का भार न्यायसंगत नहीं है तो राज्य सरकार [1][जिला पंचायत] के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा [1][जिला पंचायत] से अपेक्षा कर सकती है कि वह, आदेश में निर्दिष्ट किये जाने वाले

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

समय के भीतर, किसी ऐसे दोष को दूर करने का उपाय करे जो उसके विचार से कर में या कर के निर्धारण या वसूली की रीति में विद्यमान हों।

(2) यदि [1][जिला पंचायत] राज्य सरकार के संतोषानुसार उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश का अनुपालन न करे या उसमें असमर्थ रहे तो राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, कर का या उसके किसी भाग का उद्ग्रहण, उस समय तक के लिये जब तक कि उक्त दोष दूर न कर दिया जाये, निलम्बित कर सकती है अथवा कर को समाप्त कर सकती है या कम कर सकती है।

133. दायित्व बतलाने का आभार – (1) [1][जिला पंचायत] लिखित आदेश द्वारा 121 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से ऐसी सूचना देने के लिये कह सकती है जो यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो कि –

(क) वह व्यक्ति उस कर का देनदार है या नहीं जो उसके विभव या सम्पत्ति पर निर्धारित किया गया है;

(ख) उस पर कितनी धनराशि निर्धारित की जानी चाहिये; तथा

(ग) उस भूमि या इमारत का, जो उसके अध्यासन में हो; वार्षिक मूल्य क्या है तथा स्वामी का नाम और पता है।

(2) किसी अन्य कर के सम्बन्ध में [1][जिला पंचायत] लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से जो उस कर का देनदार प्रतीत हो, ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकती है जो नियम द्वारा नियत की जाये।

(3) यदि वह व्यक्ति जिससे इस प्रकार सूचना देने के लिये कहा गया हो वह सूचना न दे या ऐसी सूचना दे जो असत्य हो तो दोषी पाये जाने पर उस पर जुर्माना किया जा सकेगा जो [1][1000] रू0 तक हो सकता है।

134. निरीक्षण का अधिकार – धारा 222 में निर्दिष्ट शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये, [जिला पंचायत] का अध्यक्ष तथा मुख्य अधिकारी और, यदि संकल्प द्वारा वह तदर्थ प्राधिकृत हो तो [जिला पंचायत] का अन्य कोई सदस्य, अधिकारी या सेवक मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ किसी इमारत में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी माप कर सकता है।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

135. कर के सम्बन्ध में अपील – (1) विभव तथा सम्पत्ति पर कर के निर्धारण या उसके निर्धारण में किये गये परिवर्तन के विरूद्ध अपील, नियत प्राधिकारी के उस रीति से की जा सकती है ओर उसके द्वारा उस रीति से निर्णीत की जायेगी जो नियमों द्वारा नियत की जाये।

(2) धारा 119 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्राप्त अधिकार के अधीन [1][जिला पंचायत] द्वारा आरोपित कर के विषय में राज्य सरकार, नियमों द्वारा ऐसे प्राधिकारी की व्यवस्था करेगी जिसे कर के निर्धारण में किये गये परिवर्तन के विरूद्ध अपील की जा सकेगी तथा उस रीति की व्यवस्था करेगी जिसके अनुसार ऐसी अपील प्रस्तुत तथा निर्णीत की जायेगी।

136. कालावधि तथा अभ्यर्थित कर का प्राथमिक रूप में जमा किया जाना – ऐसी कोई अपील तब तक न सुनी जायेगी और न उस पर निर्णय दिया जायेगा जब तक कि –

(क) वह निर्धारण के या निर्धारण में किये गये परिवर्तन के नोटिस की प्राप्ति के दिनांक के तीस दिन के भीतर, या यदि कोई नोटिस न दिया गया हो तो निर्धारण के या निर्धारण में किये गये परिवर्तन के अधीन की गयी पहली मॉग के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न की गयी हो; और

(ख) यदि अपील कर्ता से अभ्यर्थित धनराशि पचीस रूपये से अधिक हो तो ऐसी धनराशि का आधा भाग उसके द्वारा [1][जिला पंचायत] के कार्यालय में जमा न कर दिया गया हो।

137. व्यय – (1) धारा 135 के अधीन की गई किसी भी अपील में व्यय दिलाना, अपील का निर्णय करने वाले अधिकारी की स्वमति पर निर्भर होगा।

(2) इस धारा के अधीन [1][जिला पंचायत] को दिलाया गया व्यय [1][जिला पंचायत द्वारा अध्याय 8 में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

(3) यदि [1][जिला पचांयत] अपीलकर्ता को दिलाया गया व्यय, व्यय दिलाने वाले आदेश की सूचना [1][जिला पंचायत] को दिये जाने के दिनांक के बाद दस दिन के भीतर अदा न करे तो व्यय दिलाने वाला अधिकारी जिला निधि की अवशिष्ट धनराशि को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को व्यय की उक्त धनराशि अदा करने का आदेश दे सकता है और वह व्यक्ति तद्नूसार उक्त धनराशि अदा करेगा।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

138. कराधान के विषय में दीवानी और दण्ड न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक – (1) उस रीति या प्राधिकारी से, जिसकी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन व्यवस्था की गयी हो, भिन्न किसी रीति से या प्राधिकरी द्वारा किसी मूल्यांकन या निर्धारण के सम्बन्ध में या किसी व्यक्ति पर कर निर्धारित किये गये या लगाये जाने के दायित्व के सम्बन्ध में आपत्ति न की जायेगी।

(2) अपीलीय प्राधिकारी का ऐसा आदेश जिसके द्वारा गणना या निर्धारण या निर्धारण के दायित्व या कराधारा के सम्बन्ध में कोई आदेश पुष्टीकृत रद्द या परिष्कृत किया गया हो, अन्तिम होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अपीलीय प्राधिकारी के लिये वह वैध होगा कि वह आवेदन–पत्र दिये जाने पर या स्वतः अपने द्वारा अपील में दिये गये आदेश का, अपने मूल आदेश के दिनांक से तीन महीने के भीतर एक और आदेश पारित करके पुनर्विलोकन करें।

139. व्यावृत्तियॉं – कोई भी निर्धारण–सूची या अन्य सूची, नोटिस, बिल या अन्य ऐसा लेख जो किसी कर, परिव्यय किराये या शुल्क के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, वस्तु या विभव को निर्दिष्ट करता हो या निर्दिष्ट करता भावित हो; केवल इसी कारण कि किसी व्यक्ति के नाम, निवास–स्थान, व्यवसाय या पेशे के स्थान में अथवा सम्पत्ति, वस्तु या विभव के वर्णन में कोई त्रुटि रह गई हो, या केवल इस कारण कि उसमें कोई लिपिक अशुद्धि है या उसके आकार में कोई दोष है, अमान्य नहीं होगा और यह पर्याप्त होगा कि संबद्ध व्यक्ति, संपत्ति, वस्तु या विभव, की पहचान के प्रयोजन के निमित्त पर्याप्त वर्णन कर दिया गया है और किसी ऐसी सम्पत्ति के, जिस पर कर का दायित्व हो, स्वामी या अध्यासी का नाम देना आवश्यक न होगा।

140. निर्धारण, वसूली अथवा अन्य विषयों के सम्बन्ध में नियम – इस अधिनियम द्वारा तदर्थ की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये, निम्नांकित विषय नियमों द्वारा शासित होंगे, अर्थात् –

(क) करों का निर्धारण और वसूली;

(ख) करापवंचन की रोकथाम;

(ग) पद्धति जिसके अनुसार कर लौटाने की अनुज्ञा दी जायेगी और उनका भुगतान किया जायेगा;

(घ) विभव तथा सम्पत्ति पर करों के मध्य भुगतानों की मांग के नोटिस के लिये तथा अभिहरण के अधिपत्र (वारंट) के निष्पादन के लिये शुल्क;

(ङ) अभिहृत पशुधन के पोषण के निमित्त किये जाने वाले व्यय की दरें; तथा

(च) करों से सम्बद्ध अन्य कोई विषय जिसके बारे में इस अधिनियम में कोई व्यवस्था न की गई हो या अपर्याप्त व्यवस्था की गई हो और राज्य सरकार की राय में जिसके लिये व्यवस्था करना आवश्यक हो।

141. करों में [1][ग्राम पंचायतों] का अंश – [1][जिला पंचायत] विभव तथा सम्पत्ति पर कर से होने वाली अपनी शुद्ध आय (net proceeds) से जिले की [1][ग्राम पंचायत] की निधियों में ऐसी धनराशियॉ देंगी जो वह ऐसी प्रत्येक ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये अवधारित करें।

शुल्क और पथकर

142. [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की सम्पत्ति को पट्टे की अधीनता से भिन्न किसी रूप में प्रयोग करने के लिये शुल्क – (1) [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत], यथास्थिति अपने निहित में या अपने प्रबन्ध में सौंपी गयी किसी अचल सम्पत्ति के – जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा सार्वजनिक मार्ग या स्थान भी है जिसके प्रयोग या अध्यासन की वह, उसमें प्रक्षेप (projections) की अनुज्ञा देकर या अन्यथा, अनुमति देती है (पट्टे की अधीनता से भिन्न किसी रूप में) प्रयोग या अध्यासन के लिये शुल्क ले सकती है, जो उपविधि या सार्वजनिक नीलाम द्वारा या अनुबन्ध द्वारा निश्चित किया जायेगा।

(2) ऐसे शुल्क या तो उन शुल्कों के साथ उद्ग्रहीत किये जा सकते हैं जो धारा 143 के अधीन स्वीकृत, लाइसेन्स या अनुमति के निमित्त लिये जाते हैं या अध्याय 8 में नियत रीति से वसूल किये जा सकते हैं।

143. लाइसेन्स शुल्क आदि – [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] किसी ऐसे लाइसेन्स, स्वीकृति या अनुमति के लिये जिसे स्वीकृत करने का उसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन हक हो या जिसे स्वीकृत कराना उससे अपेक्षित हो, शुल्क ले सकती है जो उपविधि द्वारा निश्चित किया जायेगा।

144. कुछ अन्य शुल्क – राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पचांयत] विद्यालय शुल्क, पुस्तकालयों, सरायों या पड़ावों के प्रयोग के लिये शुल्क, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा निर्मित तथा अनुरक्षित निर्माण–कार्यों या संस्थाओं में से किसी या किन्हीं ऐसे कार्यों के जो मूलतः दुर्भित–निवारण या सहायता कार्यों के रूप में प्रारम्भ किये गये हों, प्रयोग के लिये या उनसे होने वाले लाभों के लिये शुल्क, सांड़ों तथा बीजाश्वों की सेवा और पशुओं की

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

रजिस्ट्री के लिये शुल्क, ऐसे मेलों, बाजारों, कृषि–प्रदर्शनों और औद्योगिक प्रदर्शनियों के लिये शुल्क–चाहे वे उसके प्राधिकार के अधीन की जाती हो या अन्यथा–जिनमें जन–साधारण को सम्मिलित होने की अनुमति हो और जिनमें [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] सर्वसाधारण के लिये सफाई सम्बन्धी तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करती हो, तथा [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा निर्मित, मरम्मत किये गये या अनुरक्षित पुलों के प्रयोग के लिये पथकर निश्चित कर सकती है और उन्हें उद्ग्रहीत कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] उन पड़ावों के प्रयोग के लिये शुल्क निश्चित या उद्ग्रहीत न करेगी जो उसमें निहित न हों।

145. बाजारों के सम्बन्ध में लाइसेन्स शुल्क और पथकर – राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुये, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] किसी ऐसे बाजार में जो उसके द्वारा स्थापित किया गया हो या जिसका वह अनुरक्षण या प्रबन्ध करती हो, निम्नलिखित शुल्कों या पथ–करों में से एक या अधिक आरोपित कर सकती है –

(क) ऐसे बाजारों में अपना व्यवसाय करने वाले दलालों, आढ़तियों, तौलों या मापकों पर लाइसेन्स शुल्क;

(ख) बिक्री के लिये ऐसे बाजार में माल लाने वाले वाहनों, लद्दू पशुओं या कुलियों पर पथ–कर;

(ग) ऐसे बाजार में बिक्री के लिये माल प्रदर्शित करने के अधिकार के लिये या उसमें किसी इमारत या संरचना का प्रयोग करने के लिये बाजार शुल्क;

(घ) ऐसे बाजार में बेचे जाने वाले पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क।

146. धारा 144 तथा 145 के अधीन लगाये गये शुल्कों तथा पथकरों की वसूली की रीति – धारा 144 तथा 145 में उल्लिखित जिन शुल्कों और पथ–करों का भुगतान न किया गया हो, वे अध्याय 8 में नियत रीति से वसूल किये जा सकते हैं।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 8

करों तथा कुछ अन्य देयों की वसूली

147. करों तथा अन्य देयों की वसूली की रीति – जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, धारा 148 में उल्लिखित कर तथा अन्य देय [1][जिला पंचायत] द्वारा आगे व्यवस्थित रीति से बाकीदार की चल सम्पत्ति का अभिहरण (distraint) तथा बिक्री–कर के वसूल किये जा सकते हैं।

148. बिल का प्रस्तुत किया जाना – (1) जैसे ही कोई व्यक्ति –

(क) [1][जिला पंचायत] द्वारा आरोपित किसी कर के मध्य किसी धनराशि का; अथवा

(ख) किसी अन्य धनराशि का, जो इस अधिनियम द्वारा या तदधीन नार्दन इण्डिया फेरीज एक्ट, 1878 (एक्ट संख्या 17, 1878), के अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि द्वारा इस अध्याय में व्यवस्थिति रीति के अनुसार वसूल करने योग्य घोषित की गई हो, देनदार हो जाय, [1][जिला पंचायत] यथाशीघ्र, ऐसे देनदार व्यक्ति को एक बिल प्रस्तुत करा देगी।

(2) जब तक कि नियम द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, कोई व्यक्ति प्रत्येक कर और लाइसेन्स शुल्क का देनदार उस अवधि के आरम्भ होने पर समझा जायेगा जिसके सम्बन्ध में ऐसा कर या शुल्क देय हो।

149. बिल में निर्दिष्ट की जाने वाली बातें – प्रत्येक ऐसे बिल में निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट होंगी –

(क) अवधि जिसके लिये तथा सम्पत्ति, व्यवसाय, विभव अथवा वस्तु जिसके सम्बन्ध में धनराशि मांगी गयी हो;

(ख) शास्ति जो भुगतान न किये जाने की दशा में आरोपित की जा सकेगी; और

(ग) धारा 136 की व्यवस्था के अनुसार समय जिसके भीतर अपील, यदि कोई हो, की जा सकती हो।

150. मॉग की नोटिस – यदि वह धनराशि, जिसके लिये पूर्वोक्त रीति से बिल प्रस्तुत किया जा चुका हो, बिल प्रस्तुत किये जाने के पन्द्रह दिन के भीतर [1][जिला पंचायत] के कार्यालय में अथवा उस

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

व्यक्ति का, जो विनिमय द्वारा ऐसे भुगतान प्राप्त करने के लिये अधिकृत किया गया हो, अदा न की जाये, तो [1][जिला पंचायत] उस धनराशि के लिये देनदार व्यक्ति पर ऐसे आकार में जो [1][जिला पंचायत] विनियम द्वारा नियत करे, मॉग का एक नोटिस तामील करवा सकती है।

151. अधिपत्र का जारी किया जाना – (1) यदि उक्त धनराशि का देनदार व्यक्ति मॉग के ऐसे नोटिस की तामील से तीस दिन के भीतर –

(क) नोटिस में मॉंगी गयी धनराशि अदा न करे, या

(ख) [1][जिला पचांयत] के ऐसे अधिकारी के, जिसे [1][जिला पंचायत] इस सम्बन्ध में विनियम द्वारा नियुक्त करे, संतोषानुसार इस बात का कारण न बताये कि वह धनराशि क्यों अदा न करे, तो

ऐसी धनराशि, वसूली के सम्पूर्ण व्यय सहित [1][जिला पंचायत] द्वारा ऐसे आकार में, जो [1][जिला पंचायत] विनियम द्वारा नियत करे, जारी करवाये गये अधिपत्र (वारन्ट) के अधीन बाकीदार की चल सम्पत्ति के अभिहरण और विक्रय द्वारा वसूली जा सकती है।

(2) इस धारा के अधीन जारी किये गये प्रत्येक अधिपत्र में अध्यक्ष के अथवा किसी ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे जिसे [1][जिला पचांयत] ने विनियम द्वारा यह अधिकार प्रतिनिहित किया हो।

152. अधिपत्र के निष्पादन के लिये बलात प्रवेश – [1][जिला पंचायत] के किसी ऐसे अधिकारी के लिये, जिसे धारा 151 के अधीन जारी किया गया अधिपत्र सम्बोधित हो, यह वैध होगा कि वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय अधिपत्र में आदिष्ट अभिहरण करने के निमित्त किसी इमारत के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में तोड़कर खोले अन्यथा नहीं –

(क) यदि अधिपत्र में कोई ऐसा विशेष आदेश हो जिसके द्वारा उसे तदर्थ प्राधिकृत किया गया हो; तथा

(ख) यदि उसके पास यह विश्वास करने के उचित कारण हो कि उक्त इमारत में ऐसी सम्पत्ति है जो अधिपत्र के अधीन अभिगृहीत (seize) की जा सकती है; तथा

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने और प्रवेश के लिये यथाविधि अनुमति मांगने के पश्चात् वह अन्यथा प्रवेश न कर सके :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा अधिकारी स्त्रियों के रहने के लिये उपयुक्त कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं करेगा और न उसके दरवाजे को तोड़ेगा जब तक कि उसने किसी स्त्री को, जो उसके भीतर हों, वहॉ से हट जाने का अवसर न दे दिया हो।

153. अधिपत्र के निष्पादन की रीति – (1) धारा 152 में उल्लिखित अधिकारी के लिये यह वैध होगा कि वह किसी बाकीदार की चल सम्पत्ति का ग्राम्य क्षेत्र के भीतर जहॉ कहीं भी वह पाई जाये, उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अभिहरण करे।

(2) निम्नलिखित सम्पत्ति का अभिहरण नहीं किया जायेगा –

(क) बाकीदार, उसकी पत्नी और बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र तथा बिस्तर, और उसके खाना बनाने के आवश्यक बर्तन;

(ख) कारीगरों के औजार;

(ग) लेखा पुस्तकें;

(घ) जब बाकीदार खेतिहर (agriculturist) हो तो उसके खेती के उपकरण, बीज, अनाज तथा ऐसे पशु जो उसके जीविकोपार्जन के लिये आवश्यक हों।

(3) अभिहरण अत्यधिक न होगा अर्थात् अभिहरण की गई सम्पत्ति मूल्य में यथासम्भव उस धनराशि के बराबर होगी जो अधिपत्र के अधीन वसूल की जानी है, और यदि किन्हीं ऐसी वस्तुओं का अभिहरण किया गया हो जिनका धारा 151 की उपधारा (2) द्वारा उसके अधीन अधिपत्र में हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति की राय में इस प्रकार अभिहरण नहीं किया जाना चाहिये तो वे सभी वस्तुयें तुरन्त लौटा दी जायेंगी।

(4) सम्पत्ति का अधिग्रहण करके अधिकारी उस सम्पत्ति की तुरन्त एक सूची बनायेगा और उसे हटाने के पूर्व, अधिहरण के समय उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को, उक्त सूची की अपने द्वारा हस्ताक्षरकृत एक प्रतिलिपि तथा इस आशय का एक लिखित नोटिस कि उक्त सम्पत्ति उस नोटिस के उल्लेख के अनुसार बेच दी जायेगी ऐसे आकार में, जो परिषद विनियम द्वारा नियत करे, देगा।

154. अधिपत्र के अधीन वस्तुओं का विक्रय तथा विक्रय धन की प्रयुक्ति – (1) यदि अभिग्रहीत सम्पत्ति शीघ्र और स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाने वाली हो अथवा यदि वसूल की जाने वाली धनराशि से

मिलकर उसकी अभिरक्षा के व्यय के उसके मूल्य से बढ़ जाने की सम्भावना हो, तो अध्यक्ष अथवा अन्य अधिकारी जिसने अधिपत्र पर हस्ताक्षर किये हों, उस व्यक्ति की जिसके कब्जे में सम्पत्ति अभिग्रहीत की गई थी, परन्तु इस आशय का नोटिस देगा कि उक्त सम्पत्ति तुरन्त बेच दी जायेगी और वह तदनुसार उसे बेच देगा, जब तक कि अधिपत्र में निर्दिष्ट धनराशि अविलम्ब अदा न कर दी जाये।

(2) यदि अभिग्रहीत सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन तुरन्त न बेच दी गई हो, तो वह या उसका पर्याप्त अंश, अधिपत्र निष्पादित करने वाले अधिकारी द्वारा तामील किये गये नोटिस में निर्दिष्ट समय के समाप्त होने पर [1][जिला पंचायत] के आदेशानुसार सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेजा जा सकता है; जब तक कि अधिपत्र उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसमें हस्ताक्षर किये थे, निलम्बित न कर दिया जाय या बाकीदार द्वारा देय धनराशि नोटिस, अभिपत्र में अभिहरण तथा सम्पत्ति के निरोध सम्बन्धी सभी आनुषंगिक व्ययों सहित अदा न कर दी जाये।

(3) शेष धनराशि, यदि कोई हो, डाक का कमीशन काटकर धनादेश (money order) द्वारा तुरन्त उस व्यक्ति को भेज दी जायेगी जिसके कब्जे से सम्पत्ति ली गई थी। यदि इस प्रकार भेजी गई धनराशि डाक–घर द्वारा [1][जिला पंचायत] को लौटा दी जाये, तो उसे जिलानिधि में जमा कर दिया जायेगा और साथ ही धनराशि के इस प्रकार जमा किये जाने का नोटिस उस व्यक्ति को दे दिया जायेगा, तथा यदि नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर [1][जिला पंचायत] को आवेदन–पत्र देकर उक्त धनराशि की मॉग की जाये तो वह धनराशि उस व्यक्ति को लौटा दी जायेगी। कोई धनराशि जिसके लिये उक्त नोटिस के तामील के दिनांक से एक वर्ष के भीतर मांग न की जाये, [1][जिला पंचायत] की सम्पत्ति हो जायेगी।

155. ग्राम्य क्षेत्र के बाहर स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अधिपत्र के निष्पादन की दशा में प्रक्रिया – (1) यदि किसी बाकीदार को पर्याप्त चल सम्पत्ति ग्राम्य क्षेत्र के भीतर न मिल सके तो जिला मजिस्ट्रेट [1][जिला पंचायत] के आवेदन–पत्र पर निम्नलिखित प्रयोजन के लिये अपने न्यायालय के किसी अधिकारी को अपना अधिपत्र जारी कर सकता है।

(क) मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के किसी अन्य भाग में स्थित बाकीदार की किसी चल सम्पत्ति या सामान का अभिहरण तथा बिक्री; अथवा

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) उत्तर प्रदेश के भीतर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी मजिस्ट्रेट के अधिकार–क्षेत्र के भीतर स्थित बाकीदार की किसी चल सम्पत्ति का अभिहरण तथा बिक्री।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कार्यवाही की जाने की दशा में, वह अन्य मजिस्ट्रेट इस प्रकार जारी किये गये अधिपत्र को पृष्ठांकित करेगा और उसे निष्पादित करवायेगा तथा वसूल की गई धनराशि को अधिपत्र जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को भिजवायेगा जो कि उसे [1][जिला पंचायत] को भेज देगा।

156. शुल्क और व्यय – धारा 150 के अधीन जारी किये गये प्रत्येक नोटिस तथा धारा 153 या 155 के अधीन किये गये अभिहरण का आदेशिका शुल्क तथा उक्त धाराओं के अधीन अभिग्रहीत किसी पशु के संधारण का व्यय, उन दरों से लिये जायेंगे जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये तत्सम्बन्धी नियमों में उल्लिखित हों और उन्हें धारा 151 के अधीन उद्ग्राह्य वसूली के व्यय में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

157. व्यावृत्ति – बिल, नोटिस, अभिहरण–अधिपत्र, सूची अथवा उससे सम्बद्ध किसी अन्य कार्यवाही में कोई त्रुटि या दोष या उसके ठीक आकार में न होने के कारण इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अभिहरण या विक्रय अवैध नहीं समझा जायेगा न उसे करने वाला व्यक्ति अनाधिकार प्रवेशक समझा जायेगा।

158. वाद चलाने या मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करने का वैकल्पिक अधिकार – (1) अभिहरण और विक्रय की कार्यवाही करने के बदले अथवा मॉगी गयी सम्पूर्ण धनराशि या उसका कोई अंश अभिहरण और विक्रय द्वारा वसूल न कर सकने की दशा में, [1][जिला पंचायत] उस धनराशि के देनदार व्यक्ति के विरूद्ध किसी क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय में वाद ला सकती है।

(2) विभव तथा सम्पत्ति पर कर के बकाये की दशा में [1][जिला पंचायत] धारा 148 के या इस धारा की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करने के अतिरिक्त तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार तथा अधीन रहते हुये, उसे मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल कर सकती है।

159. भूमि के किराये की वसूली – यदि [1][जिला पंचायत] में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गई भूमि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा [1][जिला पंचायत] को लगान या किराये के मध्य कोई धनराशि देय हो,

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

तो [1][जिला पंचायत] तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार तथा अधीन रहते हुये ऐसे किसी बकाये को मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल कर सकती है।

160. अन्य अचल सम्पत्ति के लिये लगान या किराये की वसूली – [1][जिला पंचायत] में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गई भूमि से भिन्न किसी अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा [1][जिला पंचायत] को लगान या किराये के मध्य देय कोई बकाया धारा 148 में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जायेगा।

161. [1][जिला पचांयत] को देय धनराशियों की वसूली – इस अधिनियम के अधीन या तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम या उपविधि के अधीन [1][क्षेत्र पंचायत को देय कोई धनराशि, जो इस अधिनियम या ऐसे नियम अथवा उपविधि द्वारा इस अध्याय में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकने योग्य घोषित की गई हो, आवश्यक परिवर्तन के साथ इस अध्याय की व्यवस्था के अनुसार वसूल की जायेगी।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 9

इमारतों, सार्वजनिक नालियों तथा सड़कों आदि के सम्बन्ध में अधिकार और शास्ति

इमारतों का विनियमन

162. परिभाषा – इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये –

(क) ''समुपयुक्त प्राधिकारी'' का तात्पर्य [1][क्षेत्र पंचायत] से होगा यदि विषय [1][क्षेत्र पंचायत] के कृत्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो तथा दशाओं में [1][जिला पंचायत] से होगा।

(ख) क्षेत्र के किसी भाग के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र भी है [1][क्षेत्र पंचायत] का तात्पर्य उस भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली [1][क्षेत्र पंचायत] से होगा।

163. इस अध्याय की कुछ धाराओं की प्रवृत्ति की परिसीमा – (1) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, इस अध्याय की धारा 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 209, 213 और 216 के उपबन्ध ग्राम्य क्षेत्र के केवल उन्हीं भागों में प्रवृत्त होंगे जो [जिला पंचायत] द्वारा इस धारा के अधीन निर्दिष्ट किये गये हों।

(2) [1][जिला पंचायत] संकल्प द्वारा घोषित कर सकती है कि उपधारा (1) में उल्लिखित धाराओं या उनमें से किसी एक या अधिक धाराओं के उपबन्ध जिले के ग्राम्य क्षेत्र के उस भाग में प्रवृत्त होंगे जो संकल्प में निर्दिष्ट किया हो और तत्पश्चात् संकल्प में वर्णित धाराओं के उपबन्ध इस प्रकार निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे और वह क्षेत्र ''नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र'' कहलायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र के निवासियों को संकल्प के सार्वजनिक नोटिस उस रीति से दिया जा चुका हो जो नियमों द्वारा नियत की जाये।

164. इमारत का निर्माण या उसमें परिवर्तन नोटिस के पश्चात् तथा उपविधियों के अनुसार होगा – (1) नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान अथवा सरकार [1][जिला पंचायत] या [क्षेत्र पंचायत] में निहित सम्पत्ति से लगी हुई या उसके पार्श्वस्था किसी इमारत का निर्माण या पुनर्निर्माण या किसी विद्यमान इमारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन या किसी कुएँ को बनाने या उसे बड़ा करने का कार्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम में [1][जिला पंचायत] द्वारा बनाई गई उपविधि के निदेशों के अनुसरण से अन्यथा नहीं किया जायेगा और उसका आरम्भ तब तक न किया जायेगा जब तक कि [1][क्षेत्र पंचायत] को प्रस्तावित निर्माण या परिवर्तन का ऐसे ब्योरों सहित, जिनका उक्त नोटिस के साथ प्रस्तुत किया जाना उपविधि द्वारा अपेक्षित हो, कम से कम एक महीने का अग्रिम नोटिस लिखित रूप में न दे दिया गया हो,

(2) किसी इमारत में कोई परिवर्तन इस अध्याय के तथा किसी नियम या उपविधि के प्रयोजन के लिये महत्वपूर्ण समझा जायेगा यदि –

(क) उससे इमारत के स्थायित्व या सुरक्षा पर या जल–निस्तारण संवातन (ventilatic) स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से इमारत की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की सम्भावना हो; या

(ख) उससे किसी इमारत की ऊंचाई, क्षेत्रफल या धन धारिता बढ़ती या घटती हो या इमारत के किसी कमरे की धन धारिता (cube capacity) किसी उपविधि द्वारा नियत न्यूनतम मात्रा से कम हो जाती हो; या

(ग) उससे कोई ऐसी इमारत या उसका भाग, जो मूलतः अन्य प्रयोजनों के लिये बनाया गया हो, मनुष्यों के रहने के स्थान में परिवर्तित हो जाये; या

(घ) वह ऐसा परिवर्तन हो, जो तदर्थ बनाई गई किसी उपविधि द्वारा महत्पपूर्ण परिवर्तन घोषित किया गया हो।

निर्माण–कार्य की [2][क्षेत्र पंचायत] द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति

165. [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा निर्माण–कार्य की स्वीकृति – (1) किसी उपविधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुये [1][क्षेत्र पंचायत] किसी ऐसे निर्माण–कार्य के लिये, जिसके सम्बन्ध में धारा 164 के अधीन

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

नोटिस दिया गया हो, स्वीकृति देने से इन्कार कर सकती है या उसे पूर्ण रूप से अथवा निम्नांकित के अधीन रहते हुये स्वीकार कर सकती है —

(क) ऐसा लिखित निदेश, जिसे क्षेत्र समिति धारा 239 की उपधारा (2) के शीर्षक 'क' के उपशीर्षक (च) में उल्लिखित सभी या किसी विषय के सम्बन्ध में देना उचित समझे; या

(ख) ऐसा लिखित निदेश, जिसमें किसी इमारत या इमारत के भाग की धारा 191 के अधीन नियत सड़क की नियमित निर्माण रेखा तक या ऐसी रेखा के नियत न होने की दशा में किसी पास की इमारत या इमारतों के अग्रभाग की रेखा तक पीछे हटाना अपेक्षित हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वीकृति देने से इन्कार करने की दशा में, [1][क्षेत्र पंचायत] धारा 164 के अधीन नोटिस देने वाले व्यक्ति को उक्त अस्वीकृति के कारणों की लिखित रूप से सूचना देगी।

(3) यदि [1][क्षेत्र पंचायत] धारा 164 के अधीन वैध नोटिस प्राप्त होने के बाद एक मास तक उस नोटिस के सम्बन्ध में उपधारा (1) में उल्लिखित प्रकार का आदेश देने और उसे उस व्यक्ति के पास, जिसने उक्त नोटिस दिया हो, पहुँचाने में उपेक्षा या चूक करे तो उक्त व्यक्ति लिखित पत्र द्वारा [1][क्षेत्र पंचायत] का ध्यान उस उपेक्षा या चूक की ओर आकृष्ट कर सकता है, और यदि ऐसी उपेक्षा, चूक एक मास तक और जारी रहे तो यह समझा जायेगा कि [1][क्षेत्र पंचायत] ने प्रस्तावित निर्माण—कार्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है।

166. स्वीकृति की अवधि — (1) [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा धारा 165 के अधीन दी गयी या दी गयी समझी जाने वाली स्वीकृति तीन वर्ष तक या उससे कम ऐसी अवधि के लिये, जो उपविधि द्वारा नियत की जाये, मान्य रहेगी।

(2) उक्त अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तावित निर्माण—कार्य पूर्वगामी धारा के अधीन स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा।

167. ऐसे निर्माण—कार्यों का निरीक्षण जिनके लिये स्वीकृति अपेक्षित हो — प्रमुख, खंड विकास अधिकारी और यदि [1][क्षेत्र पंचायत] के संकल्प द्वारा तदर्थ प्राधिकृत हो तो [1][क्षेत्र पंचायत] का कोई अन्य सदस्य अधिकारी या सेवक किसी भी समय, और बिना किसी चेतावनी के किसी ऐसे निर्माण—कार्य का, जिसके सम्बन्ध में धारा 164 के अधीन नोटिस अपेक्षित हो —

(क) जब निर्माण—कार्य हो रहा हो, या

(ख) उसके पूर्ण हो जाने के प्रतिवेदन की प्राप्ति को एक महीने के भीतर, या ऐसा प्रतिवेदन न मिलने की दशा में उस निर्माण—कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी समय, निरीक्षण कर सकता है।

168. धारा 165 के अधीन दिये गये आदेश के कारण हुई क्षति के लिये प्रतिकर — धारा 108 में किसी बात के होते हुये भी, धारा 164 के अधीन नोटिस देने वाला कोई व्यक्ति, [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा धारा 165 के अधीन दिये गये किसी आदेश के कारण हुई क्षति या हानि के लिये कोई प्रतिकर पाने का अधिकारी न होगा, जब तक कि —

(क) उक्त आदेश इस कारण से भिन्न कारण से न दिया गया हो कि प्रस्तावित निर्माण—कार्य किसी उपविधि का उल्लंघन करेगा या जनसाधारण या किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिये हानिकर होगा, या

(ख) उक्त आदेश में खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई निवेश की प्रकृति या जनसाधारण अथवा किसी अन्य व्यक्ति की सुरक्षा व्यवस्थित न हो, या

(ग) उक्त आदेश में धारा 165 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रकार का कोई निदेश न हो, या

(घ) उक्त आदेश में किसी इमारत के पुनर्निर्माण की स्वीकृति इस आधार पर देने से इंकार न किया गया हो कि उसकी योजना या रचना उस स्थान के लिये अनुपयुक्त है या वह अपने प्रयोजनों के लिये अभिप्रेत है जो उस स्थान के लिये अनुपयुक्त है या उससे धारा 239 की उपधारा (2) के शीर्षक 'क' के उपशीर्षक (घ) के अधीन किसी उपविधि का उल्लंघन होता है।

169. धारा 165 के अधीन स्वीकृति का प्रभाव — (1) धारा 165 के अधीन दी गई या दी गई समझी जाने वाली स्वीकृति उस व्यक्ति को, जिसे स्वीकृति दी गई हो या दी गई समझी जाये, किसी ऐसे शास्ति या फल से विमुक्त करने के अतिरिक्त जिसका वह धारा 170, 171 या 191 के अधीन अन्यथा भागी होता, कोई अधिकार या असमर्थता प्रदान या समाप्त न करेगी, न प्रतिष्टम्भ (estoppel) अथवा स्वीकरण के रूप में प्रवर्तित होगी, न सम्पत्ति में किसी आगम को प्रभावित करेगी और न उसका किसी अन्य प्रकार का कोई विधिक प्रभाव ही होगा।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) विशेषतः ऐसी स्वीकृति किसी व्यक्ति को धारा 181 द्वारा आरोपित इस आभार से मुक्त नहीं करेगी कि वह उस धारा में उल्लिखित किसी संरचना के लिये अलग स्वीकृति प्राप्त करे।

170. इमारत का अवैध निर्माण या परिवर्तन – जो व्यक्ति धारा 164 द्वारा अपेक्षित नोटिस दिये बिना या धारा 165 के उपबन्धों को, [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा स्वीकृति देने से इंकार करने के आदेश का, या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा धारा 165 के अधीन दिये गये किन्हीं लिखित निदेशों का या किसी उपविधि का उल्लंघन कर इमारत के किसी भाग का निर्माण, पुनर्निर्माण या उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन, या कोई कुऑ बनाना या उसे बड़ा करना आरम्भ करे, जारी रखे या उसे पूरा करे तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा, जो पॉच सौ रूपये तक हो सकता है।

171. निर्माण रोकने तथा निर्मित इमारत को गिराने के [क्षेत्र पंचायत] के अधिकार – [क्षेत्र पंचायत], किसी भी समय, लिखित नोटिस द्वारा किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी की उस भूमि पर किसी इमारत या इमारत के भाग का निर्माण, पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्तन करने से या उसमें कोई कुऑ बनाने या उसे बड़ा करने से रोकने का निर्देश दे सकती है, जब यह समझे कि ऐसा निर्माण पुनर्निर्माण, परिवर्तन, बनाया जाना या बड़ा किया जाना 170 के अधीन अपराध है और उसी प्रकार वह, यथास्थिति इमारत या इमारत के भाग या कुएँ में परिवर्तन करने या उसे गिराने का, जैसा भी आवश्यक समझे, निदेश दे सकती है।

सार्वजनिक नालियॉ

172. सार्वजनिक नालियॉ – [1][क्षेत्र पंचायत] नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र के भीतर ऐसी नालियॉ बना सकती है जिन्हें वह किसी बने हुये क्षेत्र को समुचित रूप से स्वच्छ रखने तथा जलोत्सारित करने के लिये आवश्यक समझे और ऐसी नालियों को किसी सड़क या स्थान के बीच से या , उनके आर–पार या उसके नीचे से ले जा सकती है, तथा स्वामी या अध्यासी को यथोचित लिखित नोटिस देने के बाद उन्हें किन्हीं इमारतों या भूमि में या उसमें होकर या उसके नीचे से ले जा सकती हैः

प्रतिबन्ध यह है कि नियमों द्वारा व्यवस्थित रीति से आकलित प्रतिकर उक्त स्वामी या अध्यासी को अदा कर दिया जायेगा।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

173. सार्वजनिक नालियों में परिवर्तन – (1) [1][क्षेत्र पंचायत] समय–समय पर किसी सार्वजनिक नाली को बड़ा या छोटा कर सकती है, या उसके मार्ग को बदल सकती है, उसे ढक सकती है या उसमें अन्य सुधार कर सकती है और ऐसी किसी नाली को रोक सकती है, बन्द कर सकती है या हटा सकती है।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग इस शर्त के अधीन होगा कि जब [1][क्षेत्र पंचायत] उक्त अधिकार का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को किसी वर्तमान सार्वजनिक नाली के उपयोग से वंचित करे तो वह उसके बदले एक दूसरी तथा उतनी ही उपयोगी नाली की व्यवस्था करेगी।

174. सार्वजनिक नाली का उपयोग स्वामियों द्वारा – (1) ग्राम्य क्षेत्र के भीतर किसी इमारत या भूमि के स्वामी या अध्यासी को अपनी नालियॉ [1][क्षेत्र पंचायत] की नालियों में गिराने का अधिकार होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह पहले [1][क्षेत्र पंचायत] की लिखित अनुमति प्राप्त कर लें, और किसी उपविधि से सुसंगत ऐसी शर्तों का अनुपालन करें जिन्हें [1][क्षेत्र पंचायत] उस रीति तथा अधीक्षण के सम्बन्ध में नियत करे जिसमें या जिसके अधीन [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित न हुई नालियों के प्रवाह को इस प्रकार विहित हुई नालियों से मिलाया जायेगा।

(2) जो व्यक्ति [1][क्षेत्र पंचायत] की लिखित अनुमति के बिना या किसी प्रविधि या उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी निदेश अथवा लगायी गयी किसी शर्त का उल्लंघन करके अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की नाली को [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित किसी नाली से जोड़े या जुड़वाये या ऐसे किसी जोड़ में परिवर्तन करे या करवाये, तो वह दोषी जाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा जो पचास रूपये तक हो सकता है, तथा [1][क्षेत्र पंचायत] लिखित नोटिस द्वारा उक्त व्यक्ति से ऐसे जोड़ को बन्द करने, तोड़ देने, परिवर्तित करने, पुनर्निर्मित करने या उस सम्बन्ध में ऐसी अन्य कोई कार्यवाही करने का अपेक्षा कर सकती है जो वह उचित समझे।

सड़की सम्बन्धी विनियम

175. ऐसे स्थल पर जो कि सार्वजनिक या निजी सड़क से लगा हुआ न हो, इमारत का निर्माण करने के पहले सड़क का विन्यास करने तथा बनाने का उपबन्ध – उस दशा को छोड़कर जब कोई स्थल किसी सार्वजनिक या निजी सड़क से लगा हुआ हो, यदि कोई व्यक्ति जो किसी नियन्त्रित ग्राम्य

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

क्षेत्र में किसी ऐसी भूमि का स्वामी हो या उस पर कब्जा रखता हो जो उस समय तक इमारतें बनाने के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त न की गयी हो, उस भूमि या उसके किसी भाग को इमारत बनाने के स्थल के रूप में प्रयुक्त करना, बेचना, पट्टे पर देना या अन्यथा संक्रामित करना चाहे, तो वह उक्त स्थल को प्रयुक्त करने, बेचने, पट्टे पर देने या अन्यथा संक्रमित करने के पूर्व एक ऐसी सड़क का विन्यास और निर्माण करेगा, जो उक्त स्थल को किसी वर्तमान सार्वजनिक या निजी सड़क से मिलाये।

176. सड़क के विन्यास तथा निर्माण की अनुमति – (1) किसी नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी नयी निजी सड़क का विन्यास या निर्माण आरम्भ करने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सड़क के विन्यास अथवा निर्माण की अनुमति प्राप्त करने के लिये [1][क्षेत्र पंचायत] को एक प्रार्थना–पत्र देगा और उसके साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत करेगा –

(क) सड़क की प्रस्तावित सतह, दिया तथा चौड़ाई;

(ख) सड़क का समरेखाकरण (alignment) और उसकी निर्माण रेखा; तथा

प्रार्थना पत्र में इस बात का भी उल्लेख करेगा कि सड़क को समतल करने, उसमें खड़न्जा लगाने, उसे पक्का करने, उसमें पत्थर लगाने तथा मोरियाँ बनाने के लिये क्या प्रबन्ध किया जायेगा।

(2) किसी सार्वजनिक सड़क की सतह और चौड़ाई तथा उससे लगी हुई किसी इमारत की ऊँचाई के सम्बन्ध में इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या उपविधियों के उपबन्ध, उपधारा (1) में उल्लिखित सड़क के विषय में भी प्रवृत्त होंगे तथा उस उपधारा में उल्लिखित अन्य समस्त विवरण [1][क्षेत्र पंचायत] के अनुमोदन के अधीन होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना–पत्र की प्रति के 60 दिन के भीतर क्षेत्र पंचायत सड़क के विन्यास अथवा निर्माण की स्वीकृति ऐसी शर्तों के अधीन देगी जिन्हें लगाना वह ठीक समझे, या उसे अस्वीकृत कर देगी, अथवा निर्दिष्ट किये गये समुचित समय के भीतर उसके सम्बन्ध में अतिरिक्त सूचना माँगेगी।

(4) ऐसी स्वीकृति देने से इन्कार किया जा सकता है, यदि –

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1) प्रस्तावित सड़क से किन्हीं ऐसे प्रबन्धों में बाधा पड़े जो सड़क में सुधार करने की किसी सामान्य योजना को कार्यान्वित करने के लिये, किये गये हों या [1][क्षेत्र पंचायत] की राय में जिसके किये जाने की संभावना हो, अथवा

(2) प्रस्तावित सड़क उपधारा (2) में उल्लिखित अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुरूप न हो, अथवा

(3) प्रस्तावित सड़क की प्ररचना ऐसी न हो जिसका कम से कम एक छोर से सार्वजनिक सड़क से मिले,

(4) कोई व्यक्ति, [1][क्षेत्र पंचायत] के आदेशों के बिना अथवा उसके आदेशों के अनुरूप किसी नई निजी सड़क अथवा मार्ग का विन्यास या निर्माण नहीं करेगा। यदि उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त सूचना मॉगी गई हो, तो उक्त सड़का का विन्यास अथवा निर्माण तब तक आरम्भ नहीं किया जायेगा जब तक कि उक्त सूचना को प्राप्ति के पश्चात् प्रार्थना–पत्र पर आदेश न दे दिया गया होः

प्रतिबन्ध यह है कि [1][क्षेत्र पंचायत] को ऐसी समस्त सूचना मिलने के पश्चात् जिसे वह प्रार्थना–पत्र के अन्तिम निस्तारण के लिये आवश्यक समझे, ऐसे आदेश देने में किसी भी दशा में तीस दिन से अधिक का विलम्ब नहीं किया जायेगा।

177. कुछ दशाओं में सड़क के विन्यास अथवा निर्माण के लिये [1][क्षेत्र पंचायत] की स्वीकृति मान लिया जाना – यदि [1][क्षेत्र पंचायत], धारा 176 के अधीन प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिन तक स्वीकृति प्रदान करने में उपेक्षा या चूक करे अथवा यदि अतिरिक्त सूचना मांगने के निमित्त उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन आदेश दिया गया हो तो, उस आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उस व्यक्ति को, जिसने प्रार्थना–पत्र दिया हो, [1][क्षेत्र पंचायत] अपेक्षित सूचना के ब्योरे भेजने में असफल रहे, तो ऐसा व्यक्ति लिखित–पत्र द्वारा समिति का ध्यान उक्त उपेक्षा, चूक अथवा असफलता की ओर आकृष्ट कर सकता है और यदि तीस दिन तक ऐसी उपेक्षा, चूक या असफलता जारी रहे तो यह समझा जायेगा कि [1][क्षेत्र पंचायत] ने प्रस्तावित सड़क के विन्यास तथा निर्माण के लिये पूर्ण रूप से स्वीकृति दे दी है :

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रतिबन्ध यह है कि इसमें दी हुई किसी बात से यह अर्थ न निकाला जायेगा कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों अथवा किन्हीं उपविधियों का उल्लंघन करके कोई कार्य करने का अधिकार दिया गया है।

178. स्वीकृति की अवधि – [1][क्षेत्र पचांयत] द्वारा धारा 176 तथा 177 के अधीन दी गयी अथवा दी गई समझी जाने वाली स्वीकृति एक वर्ष तक मान्य रहेगी।

(2) उक्त अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तावित सड़क पूर्वगामी धारा के अधीन स्वीकृति बिना आरम्भ नहीं की जायेगी।

179. सड़क का अवैध निर्माण – जो व्यक्ति धारा 176 द्वारा अपेक्षित नोटिस दिये बिना अथवा [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा धारा 177 या किसी उपविधि या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन दिये गये लिखित निदेश का उल्लंघन करके किसी सड़क का विन्यास अथवा निर्माण आरम्भ करे, उसे जारी रखे अथवा पूरा करे, तो वह दोषी जाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा जो पॉच सौ रूपये तक हो सकता है।

180. अस्वीकृत सड़क को परिवर्तित करने तथा उसे तोड़ देने के सम्बन्ध में [1][क्षेत्र पंचायत] के अधिकार –

(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 176 में उल्लिखित किसी सड़क के विन्यास अथवा निर्माण [1][क्षेत्र पंचायत] के आदेश के बिना अथवा उनके अनुरूप करता है, तो [1][क्षेत्र पचांयत], इस बात के होते हुये भी कि दोषी व्यक्ति के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन अभियोग चलाया गया हो, लिखित नोटिस द्वारा–

(क) दोषी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व, जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाये, [1][क्षेत्र पंचायत] के पास लिखित एवं अपने द्वारा हस्ताक्षरकृत उत्तर भेजकर, इस बात का पर्याप्त कारण बताये कि उस सड़क को [1][क्षेत्र पंचायत] के संतोषानुसार क्यों न परिवर्तित कर दिया जाय, अथवा यदि ऐसा परिवर्तन अव्यवहार्य हो तो वह सड़क क्यों न तोड़ दी जाय, अथवा

(ख) दोषी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकती है कि वह या तो स्वयं या किसी यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा, ऐसे दिन, समय और स्थान पर, जो नोटिस में निर्दिष्ट

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

किये जाएँ, [1][क्षेत्र पंचायत] के सम्मुख उपस्थित हो और यथा पूर्वोक्त कारण बताये।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिस पर ऐसा नोटिस तामील किया गया हो, [1][क्षेत्र पंचायत] के संतोषानुसार पर्याप्त कारण न बता सके, तो [1][क्षेत्र पंचायत] सड़क को परिवर्तित करने अथवा तोड़ देने के लिये, जो भी वह उचित समझे, आदेश दे सकती है।

181. सड़कों तथा नालियों के ऊपर प्रक्षेपों के लिये [1][क्षेत्र पंचायत] की स्वीकृति – (1) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं ऐसे नियमों के अधीन रहते हुये जिनमें किसी नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में सड़कों या नालियों के ऊपर प्रक्षेपों के लिये [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा स्वीकृति की शर्तें नियत की गई हों, [1][क्षेत्र पंचायत] उस दशा में जब अनुमति दी जाने की किसी उपविधि द्वारा व्यवस्था की गई हो –

(क) सड़कों में या उन पर स्थित इमारतों के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित अनुमति दे सकती है कि वह खुले बरामदों, छज्जों या कमरों का निर्माण या पुनर्निर्माण इस प्रकार से करे कि उनकी किसी ऊपरी मंजिल से उनका प्रक्षेप सड़क की सतह से उतनी ऊंचाई पर रहे और इमारत की कुर्सी या नींव (basement) की दीवार की रेखा से उतना आगे रहे जितना उक्त उपविधियों में नियत किया गया हो;

(ख) किसी इमारत या भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित अनुमति दे सकती है कि वह किसी प्रक्षेप या संरचना का निर्माण या पुनर्निर्माण इस प्रकार करे कि वह किसी सड़क की नाली से ऊपर उस आयति तक तथा उन शर्तों के अनुसार, जो उसी प्रकार नियत की गई हों, लटके, बढ़े या उस पर अतिक्रमण करे।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अनुमति देते समय [1][क्षेत्र पंचायत] वह आयति और शर्तें नियत कर सकती है जिस तक और जिनके अधीन, उक्त सड़क के ऊपर कोई छतों, ओलतियों, जल–फलकों (weather boards), दुकानों के तख्तों तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं को सड़क पर बढ़ने की अनुमति हो।

182. बिना अनुमति के सड़कों अथवा नालियों के ऊपर प्रक्षेपों के निर्माण के लिये शास्ति – जो व्यक्ति धारा 181 में उल्लिखित किसी प्रक्षेप अथवा संरचना का निर्माण या पुनर्निर्माण उक्त धारा द्वारा

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

अपेक्षित अनुमति के बिना अथवा उसके अधीन दी गई किसी अनुमति का उल्लंघन करके करे, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा जो दो सौ पचास रूपये तक हो सकता है।

183. सड़कों तथा नालियों के ऊपर अतिक्रमण करने वाले मार्गों तथा प्रक्षेपों को हटाने का अधिकार–

[1][क्षेत्र पंचायत] किसी इमारत के स्वामी अथवा अध्यासी से नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि वह किसी सड़क पर व लटकने वाले, उस पर बढ़े हुये या उस पर अतिक्रमण करने वाले अथवा उस पर की किसी नाली, मल नाले अथवा जल–प्रणाली में, या उस पर या उसके ऊपर, बने हुये किसी प्रक्षेप अथवा संरचना को हटा दे अथवा उसमें परिवर्तन करे।

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर अथवा इसके पूर्व विधितः विद्यमान किसी प्रक्षेप अथवा संरचना की दशा में, [1][क्षेत्र पंचायत] उसे हटाने अथवा उसमें परिवर्तन करने के फलस्वरूप होने वाली किसी क्षेति के लिये प्रतिकर देगी जो निर्माण करने तथा गिराने के व्यय के तिगुने से अधिक न होगा।

184. सड़कों के समतल किया जाने तथा उसमें खड़ंजा लगाये जाने आदि की अपेक्षा करने का अधिकार–

(1) यदि नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में निजी सड़क अथवा उसका कोई भाग [1][क्षेत्र पंचायत] के संतोषानुसार समतल न किया गया हो उसमें खड़न्जा न लगाया गया हो या उसको पक्का न किया गया हो या उसमें पत्थर न लगाये गये हों या मोरियों या नालियों की व्यवस्था न की गयी हो तो [1][क्षेत्र पंचायत] उन भू–गृहादि के, जिनके अग्र भाग उक्त सड़क या भाग की ओर हों या जो उसे लगे हुये हों, स्वामियों अथवा अध्यासियों को नोटिस देकर उनसे अपेक्षा कर सकती है कि वे उस कार्य को जो उसकी राय में आवश्यक हो, उस समय के भीतर जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाये, सम्पादित करें।

(2) यदि उक्त कार्य नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर सम्पादित न किया जाये तो [1][क्षेत्र पंचायत], यदि वह उचित समझे, उसे सम्पादित कर सकती है, तथा उसमें किया गया व्यय उक्त नोटिस की अवहेलना करने वाले स्वामियों अथवा अध्यासियों के अध्याय 8 के अधीन उनके अपने–अपने भू–गृहादि के अग्रभागों के अनुसार और ऐसे अनुपात में, जो [1][क्षेत्र पंचायत] निश्चित करे, वसूल किया जायेगा।

(3) यदि पूर्ववर्ती उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन कोई सड़क समतल की गयी हो या उसमें खड़ंजा लगाया गया हो या वह पक्की की गई हो या उसमें पत्थर लगाये गये हों या

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

मोरियॉ तथा नालियॉ बनायी गयी हों तो ऐसी सड़क उसके स्वामियों के कम से कम तीन चौथाई की अध्यर्थना पर सार्वजनिक सड़क घोषित कर दी जायेगी।

185. इमारत आदि बनाने के समय सड़क के संरक्षण की अपेक्षा करने का अधिकार – (1) [1][क्षेत्र पंचायत] की लिखित अनुमति पहले प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति कोई पेड़ या उसकी कोई शाखा नहीं काटेगा न किसी इमारत या उसके भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण करेगा, या उसे गिरायेगा, न किसी इमारत के बाहरी भाग में परिवर्तन अथवा उसकी मरम्मत करेगा; यदि ऐसा कार्य इस प्रकार का हो कि उससे सड़क का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के लिये अवरोध, खतरा या क्लेश अथवा अवरोध, खतरा या क्लेश का संकट पैदा हो।

(2) [1][क्षेत्र पंचायत] किसी भी समय नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि उपधारा (1) में उल्लिखित कार्यों में से कोई कार्य करने वाला अथवा करने का प्रस्ताव करने वाला कोई व्यक्ति तब तक उस कार्य को आरम्भ न करे अथवा उसे जारी रखने से रूका रहे जब तक कि वह सूर्यास्त से सूर्योदय तक पर्याप्त प्रकार के साथ ऐसी बाड़ा अथवा पर्दा, जो नोटिस में उल्लिखित या वर्णित हो, न लगाये, उनका अनुरक्षण न करे तथा उनकी व्यवस्था न करे और वह किसी भी समय नोटिस द्वारा यह भी अपेक्षा कर सकती है कि उक्त कार्यों में से किसी कार्य को प्रत्याशी से अथवा उसके अनुसरण में निर्मित किसी पर्दे अथवा बाड़े की नोटिस में नियत समय के भीतर, हटा दे।

(3) जो व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करे वह दोषी पाये जाने पर अर्थदण्ड का भागी होगा, जो पचास रूपये तक हो सकता है तथा प्रथम दोषसिद्ध के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें उक्त उल्लंघन जारी रहे, अतिरिक्त अर्थ–दण्ड का भागी होगा जो पॉच रूपये तक हो सकता है।

186. झाड़ियों और पेड़ों को छॉटने की अपेक्षा करने का अधिकार – [1][क्षेत्र पंचायत], नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी से नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि वह उस पर उगी हुई सड़क के पास की झाड़ियों को या उस पर उगे हुये पेड़ों की ऐसी शाखाओं को, जो सड़क के ऊपर लटकती हों और उसे अवरूद्ध करती हों, या खतरा पैदा करती हों, काटे या छांटे।

187. आकस्मिक अवरोधों को हटाने का अधिकार – जब कोई निजी मकान, दीवार या अन्य निर्माण या उससे जुड़ी हुई कोई अन्य वस्तु या कोई पेड़ गिर पड़े और सार्वजनिक नाली को अवरूद्ध करे या

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

सड़क को रोक ले, तो [1][क्षेत्र पंचायत] ऐसे अवरोध या रोक (encumbrance) को उसके स्वामी के व्यय से हटा सकती है और उस व्यय को अध्याय 8 में व्यवस्थित रीति से वसूल कर सकती है या नोटिस द्वारा स्वामी से अपेक्षा कर सकती है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर उसे हटा दे।

188. किसी सड़क को प्रभावित करने वाली जल प्रणालियों तथा नाली के पानी के निकास के लिये बने पाइपों का विनियमन – [1][क्षेत्र पंचायत], नोटिस द्वारा सड़क से लगी हुई किसी इमारत अथवा भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी से अपेक्षा कर सकती है कि वह इमारत अथवा भूमि के पानी को ग्रहण करने तथा उसे बाहर ले जाने और उसकी ऐसी रीति से जिसे [1][क्षेत्र पंचायत] ठीक समझे, निकासी के लिये, जल प्रणालियों तथा पाइपों की व्यवस्था करे और उन्हें अच्छी दशा में रखे जिससे कि सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों को असुविधा न हो।

सार्वजनिक सड़कें

189. सार्वजनिक सड़कों पर निर्माण, उनका सुधार तथा स्थलों की व्यवस्था करने का अधिकार – [1][क्षेत्र पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] –

(क) किसी नई सार्वजनिक सड़क का विन्यास तथा निर्माण कर सकती है और सुरंगे तथा उसके सहायक अन्य निर्माण बना सकती है,

(ख) किसी वर्तमान सार्वजनिक सड़क की, यदि वह यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित हो, चौड़ी, लम्बी, विस्तृत या परिवर्धित कर सकती है अथवा उसमें अन्य सुधार कर सकती है,

(ग) इस प्रकार निहित किसी सार्वजनिक सड़क को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायें, मोड़, बदल या रोक सकती है अथवा उसे बन्द कर सकती है,

(घ) स्वमति से उतनी लम्बाई–चौड़ाई के जो वह उचित समझे निर्माण–स्थलों की व्यवस्था कर सकती है जो किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क से लगे हुये या उसके पार्श्वस्थ हो, जो [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्मित अथवा चौड़ी, लम्बी, विस्तृत अथवा परिवर्धित की गई हो अथवा सुधारी गई हो,

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ङ) किसी ऐसे नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, जिसमें वे शर्तें नियत की गई हों, जिन पर [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा संपत्ति अर्जित की जा सकती हो। किसी ऐसी भूमि को, उस पर स्थित इमारतों सहित जिसे वह पूर्ववर्ती खण्डों द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके हाथ में ली गई अथवा प्रस्तावित किसी योजना अथवा कार्य के प्रयोजन के लिये आवश्यक समझे, उसके स्वामी के साथ कोई अनुबन्ध करके अथवा लैंड एक्वीजीशन एक्ट, 1894 (एक्ट सं0 1, 1894), अन्य किसी विधि के अधीन अर्जित कर सकती है, तथा

(च) किसी ऐसे नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, जिसमें वे शर्तें नियत की गई हों, जिन पर [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित संपत्ति संक्रामित की जा सकती हो, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा खण्ड (ङ) के अधीन अर्जित किसी संपत्ति को अथवा [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा सार्वजनिक सड़क के रूप में प्रयुक्त किसी ऐसी भूमि को, जिसकी उस प्रयोजन के लिये आवश्यकता न रह गई हों, पट्टे पर दे सकती है, बेच सकती है अथवा अन्य प्रकार से उसका निस्तारण कर सकती है, और ऐसा करने में वह उस पर विद्यमान किसी इमारत को हटाने, उस पर बनायी जाने वाली किसी नई इमारत के रूप, अवधि जिसके भीतर ऐसी नयी इमारत पूरी की जायेगी तथा किसी अन्य ऐसे विषय के सम्बन्ध में जो वह उचित समझे, कोई शर्त लगा सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कार्य हाथ में लेने में [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] या किसी भी दशा में, उपासना अथवा धार्मिक पवित्रता के किसी स्थान में हस्तक्षेप या उसका अतिक्रमण नहीं करेगी।

190. किसी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित किया जाना – (1) [1][क्षेत्र पंचायत] किसी भी समय, किसी सड़क पर, जो सार्वजनिक सड़क न हो, अथवा ऐसी सड़क के किसी भाग पर, सार्वजनिक नोटिस लगाकर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित करने के अपने आशय की सूचना दे सकती है और धारा 184 की उपधारा (3) के अधीन अध्यार्थना द्वारा अपेक्षित होने पर अवश्य ऐसा करेगी। उक्त नोटिस के इस प्रकार लगाये जाने के दो मास के भीतर उस सड़क के, अथवा सड़क के उक्त भाग के अथवा उसके अधिकांश भाग के स्वामी उक्त नोटिस के विरूद्ध [1][क्षेत्र पंचायत] की सम्बोधित

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

आपत्तियॉ प्रस्तुत कर सकते हैं। [1][क्षेत्र पंचायत] प्रस्तुत की गयी आपत्तियों पर विचार करेगी और यदि वह उन्हें अस्वीकार कर दे तो वह सड़क या उस भाग पर एक और सार्वजनिक नोटिस लगाकर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित सार्वजनिक नोटिस सड़क पर लगाये जाने के अतिरिक्त, किसी स्थानीय समाचार पत्र में, यदि कोई हो, अथवा ऐसी अन्य रीति से जो [1][क्षेत्र पंचायत] उचित समझे, प्रकाशित किया जायेगा।

(3) [1][जिला पंचायत] भी इस धारा के अधिकारों का प्रयोग किसी ऐसी सड़क या सड़कों के भाग के सम्बन्ध में कर सकती है जिसे वह जिला सड़कों में सम्मिलित करना चाहती हो।

191. सार्वजनिक सड़कों पर निर्माण रेखा विनियमित करने का अधिकार – (1) जब कभी समुपयुक्त प्राधिकारी किसी वर्तमान अथवा प्रस्तावित सार्वजनिक सड़क के दोनों अथवा किसी और इमारतों के लिये सामान्य निर्माण रेखा निर्धारित करना इष्टकर समझे, तो वह ऐसा करने के अपने आशय का सार्वजनिक नोटिस देगा।

(2) प्रत्येक ऐसे नोटिस में वह अवधि निर्दिष्ट की जायेगी जिसके भीतर आपत्तियॉ ली जायेंगी।

(3) समुपयुक्त प्राधिकारी निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त सब आपत्तियों पर विचार करेगा और तत्पश्चात् उक्त रेखा को परिभाषित करते हुये संकल्प पारित कर सकता है तथा इस प्रकार परिभाषित की हुई रेखा ''सड़क की नियमित निर्माण रेखा'' कहलायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार परिभाषित सामान्य निर्माण रेखा तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों की अपेक्षाओं का समनुरूप होगी।

(4) उसके बाद किसी व्यक्ति के लिये किसी इमारत या इमारत के भाग का पुनर्निर्माण या परिवर्तन इस प्रकार करना वैध न होगा कि वह सड़क की नियमित निर्माण रेखा के आगे बढ़ जाये, जब तक कि इस धारा 165 के अधीन स्वीकृति द्वारा लिखित अनुमति द्वारा ऐसा करने का प्राधिकार न दे दिया हो, और समुपयुक्त प्राधिकारी को इस धारा के अधीन ऐसी अनुमति प्रदान करने का अधिकार दिया जाता है।

(5) भूमि का कोई ऐसा स्वामी जिसे इस धारा के उपबन्धों द्वारा किसी भूमि पर किसी इमारत का निर्माण, पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्तन करने से रोक दिया गया हो, समुपयुक्त

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस क्षति के लिये प्रतिकर दे जो इस प्रकार रोके जाने के कारण उसे पहुँचे तथा सड़क की नियमित निर्माण रेखा के भीतर स्थित किसी भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर का भुगतान हो जाने पर वह भूमि समुपयुक्त प्राधिकारी में निहित हो जायेगी।

(6) समुपयुक्त प्राधिकारी नोटिस द्वारा किसी ऐसी इमारत या उसके भाग में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने की अपेक्षा कर सकता है, जिसका निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन उपधारा (4) का उल्लंघन करके किया गया हो।

192. सार्वजनिक सड़कों आदि का निर्माण करते समय समुपयुक्त प्राधिकारी के कर्तव्य – (1) समुपयुक्त अधिकारी किसी सार्वजनिक सड़क या अपने में किसी निहित जल–मार्ग, नाली या भू–गृहादि के निर्माण या मरम्मत के दौरान में या जब कभी उसमें निहित कोई सार्वजनिक सड़क, जल–मार्ग या भू–गृहादि, मरम्मत न होने के कारण या अन्यथा जन–साधारण द्वारा उपयोग के लिये असुरक्षित हो गये हों, तो दुर्घटना से बचाव के लिये सभी आवश्यक पूर्वोपाय निम्नांकित रूप से करेगा –

(क) पार्श्वस्था इमारतों में थूनी लगाकर और उनकी रक्षा करके,

(ख) ऐसे निर्माण या मरम्मत के समय यातायात को रोकने या उसे दूसरी ओर मोड़ने के प्रयोजन से किसी सड़क में या उसके आर–पार आड़, जंजीरें या खम्भे लगाकर, तथा

(ग) किसी कार्य की, जो रहा हो, रक्षा करके तथा उसके लिये सूर्यास्त से सूर्योदय तक पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करके।

(2) जो व्यक्ति समुपयुक्त प्राधिकारी के प्राधिकार या सम्मति के बिना, समुपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन निर्माण के सम्बन्ध में या दुर्घटना से बचाव के लिये किये गये किसी प्रबन्ध में हस्तक्षेप करेगा, वह दोषी पाये जाने पर अर्थदण्ड का भागी होगा जो पचास रूपये तक हो सकता है।

जलसंभरण स्त्रोतों की रक्षा

193. निजी जल–मार्ग आदि साफ किये जाने अथवा बन्द किये जाने की अपेक्षा करने का अधिकार – [1][क्षेत्र पंचायत] ऐसे किसी निजी जल–मार्ग, सोते, तालाब, कुए या अन्य स्थान के, जिसका पानी पीने के काम में लाया जाता हो, स्वामी या उस पर नियन्त्रण रखने वाल व्यक्ति से, नोटिस द्वारा यह

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

अपेक्षा कर सकती है और जब [1][जिला पंचायत] ऐसा करने के लिये कहे तो उससे यह अपेक्षा करेगी कि वह उसे अच्छी हालत में बनाये रखे और समय–समय पर उसमें से तलछट, कूड़ा–करकट या सड़ने वाली वनस्पति निकाल कर उसकी सफाई करे तथा [1][क्षेत्र पंचायत] उससे यह भी अपेक्षा कर सकती है कि वह उसे दूषित होने से उस रीति से बचाये जो [क्षेत्र पंचायत] उचित समझे।

(2) जब किसी ऐसे जल–मार्ग, सोते, तालाब, कुएँ या अन्य स्थान का पानी [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के संतोषानुसार पीने के लिये अनुपयुक्त सिद्ध हो तो [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] उसके स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उस पानी को न स्वयं पीने के उपयोग में लाये और न दूसरों को पीने के लिये उसका उपयोग करने दे और यदि ऐसे नोटिस के पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा वह पानी पीने के उपयोग में लाया जाये तो यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत], उसके स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से नोटिस द्वारा उस कुएं को स्थायी रूप से बन्द करने की या ऐसे जल–मार्ग, स्त्रोत, तालाब, कुएँ या अन्य स्थान को ऐसी रीति से घेर देने या उसके चारों ओर बाड़ लगा देने की अपेक्षा कर सकती है जिसका वह निर्देश दे जिससे कि उसका पानी इस प्रकार उपयोग में न लाया जा सके।

194. महामारी फैलने पर आपातिक अधिकार – जिले के ग्राम्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में हैजा या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विज्ञापित अन्य संक्रामक रोग फैल जाने की दशा में, [1][जिला पंचायत] का अध्यक्ष या [1][क्षेत्र पंचायत] का प्रमुख या उनमें से किसी के द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति, महामारी के फैले रहने की अवधि में, बिना नोटिस के और किसी भी समय किसी कुएँ, तालाब या अन्य स्थाना का, जिसमें से पानी पीने के लिये लाया जाता हो या लिये जाने की सम्भावना हो, निरीक्षण कर सकता है और उसे कीटाणु रहित कर सकता है और इसके अतिरिक्त उसमें से पानी का निकाला जाना रोकने के लिये ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जो वह उचित समझे।

195. जल सम्भरण के किसी स्त्रोत के निकट से शौचालायों आदि का हटाया जाना – [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] किसी ऐसे स्वामी या अध्यासी से जिनकी भूमि पर किसी स्त्रोत, कुएँ, तालाब, जलाशय या अन्य स्त्रोत जिसमें से सार्वजनिक प्रयोग के लिये पानी निकाला जाता हो या निकाला जा सकता हो, के पचास फीट के भीतर स्थित कोई नाली, संडास, शौचालय, मूत्रालय,

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

नलकूप या गलीज या कूड़ा–करकट का अन्य पात्र हो, नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे नोटिस की तामील के एक सप्ताह के भीतर उसे हटा दे या बन्द कर दे।

196. नाली या जल कार्य के ऊपर अनधिकृत निर्माण आदि – (1) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात् यथास्थिति [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक नाली या पुलिया या [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित किसी जल कार्य के ऊपर कोई सड़क बनाई गई हो अथवा किसी इमारत, दीवार या अन्य संरचना का निर्माण किया गया हो या कोई पेड़ लगाया गया हो तो यथास्थिति [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] –

(क) नोटिस द्वारा उस व्यक्ति से जिसने उक्त सड़क बनायी हो, संरचना का निर्माण किया हो या पेड़ लगाया हो अथवा उस भूमि के स्वामी या अध्यासी से जिस पर सड़क बनयी गयी हो, संरचना का निर्माण किया गया हो, या पेड़ लगाया गया हो, यह अपेक्षा कर सकती है कि वह सड़क, संरचना या पेड़ को हटा दे या उसके सम्बन्ध में कोई ऐसी अन्य कार्यवाही करे जो, यथास्थिति [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] समझे, अथवा

(ख) सड़क संरचना या पेड़ को स्वयं हटा सकती है या उसके सम्बन्ध में कोई ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जो वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन की गई कार्यवाही के ऊपर [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा किया गया कोई व्यय अध्याय 3 में व्यवस्थित रीति से उस व्यक्ति से वसूल किया जा सकेगा जिसने सड़क बनायी गयी हो, संरचना का निर्माण किया हो या पेड़ लगाया हो।

बजार, वधशाला, भोजन की बिक्री आदि

197. बिक्री के प्रयोजनार्थ पशुओं के वध का स्थान – (1) [1][क्षेत्र पंयायत], जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन से, बिक्री के प्रयोजनार्थ पशुओं के अथवा किसी निर्दिष्ट प्रकार के पशुओं के वध के लिये नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में भू–गृहादि निश्चित कर सकती है तथा उसी प्रकार के अनुमोदन से ऐसे भू–गृहादि के प्रयोग के लिये लाइसेन्स स्वीकृत कर सकती है और वापस ले सकती है।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) जब ऐसे भू–गृहादि निश्चित कर दिये गये हों, तो कोई व्यक्ति उक्त भू–गृहादि से दो मील के अर्ध–व्यास के भीतर किसी अन्य स्थान में बिक्री के प्रयोजनार्थ किसी ऐसे पशु का वध न करेगा।

(3) जो व्यक्ति दो मील के अर्ध–व्यास के भीतर किसी अन्य स्थान में ऐसे पशु का बिक्री के प्रयोजनार्थ वध करे, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा, जो इस प्रकार वध किये गये प्रत्येक पशु के लिये बीस रूपये तक हो सकता है।

198. ऐसे पशुओं के सम्बन्ध में जिनका बिक्री के प्रयोजनार्थ वध नहीं किया जायेगा, जिला मजिस्ट्रेट का अधिकार – जब कभी सार्वजनिक शान्ति या व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट को यह आवश्यक प्रतीत हो तो वह मण्डल के आयुक्त के नियंत्रण में रहते हुये सार्वजनिक नोटिस द्वारा ग्राम्य क्षेत्र के भीतर बिक्री से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये किसी निर्दिष्ट प्रकार के पशु या पशुओं के वध का निषेध या विनियमन कर सकती है तथा वह रीति जिससे और वह मार्ग जिससे होकर ऐसे वध स्थान में लाये जायेंगे तथा वहॉ से मांस बाहर ले जाया जायेगा, नियत कर सकता है।

199. दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखे गये अथवा भोजन के लिये उपयोग में लाये जाने वाले पशुओं के अनुपयुक्त भोजन देना – जो व्यक्ति ग्राम्य क्षेत्र में किसी ऐसे पशु को, जो दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखा गया हो अथवा जिसे भोजन के लिये उपयोग में लाया जा सकता हो, गन्दे या हानिकर पदार्थ खिलाये या खिलाये जाने दे, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा जो पचास रूपये तक हो सकता है।

स्पष्टीकरण – गन्दे अथवा हानिकारक भोजन का तात्पर्य उस भोजन से होगा जो नियमों में नियत किसी प्राधिकारी द्वारा तथा रीति के अनुसार गन्दा अथवा हानिकारक भोजन निर्दिष्ट किया गया हो।

200. भोजन, पेय तथा भेषजों की बिक्री के स्थानों का निरीक्षण – अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी तथा संकल्प द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किये जाने पर, [1][जिला पंचायत] का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी और इसी प्रकार प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत [1][क्षेत्र पंचायत] का कोई अन्य अधिकारी बिना नोटिस के दिन या रात में किसी भी समय, किसी ऐसे बाजार, दुकान, स्टाल अथवा स्थान में जो मनुष्य के भोजन अथवा पेय की बिक्री के लिये अथवा बधशाला के रूप में अथवा भेषजों की बिक्री के लिये प्रयुक्त

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

होता हो, प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है तथा किसी भोज्य अथवा पेय पदार्थ का अथवा किसी पशु अथवा भेषज का जो उसके भीतर हो, निरीक्षण और परीक्षण कर सकता है।

201. अस्वास्थ्यकर वस्तुओं का अभिग्रहण तथा हानिकारण और गत प्रभाव भेषजों का हटाया जाना–(1) यदि पूर्वगामी धारा के अधीन किसी स्थान का निरीक्षण करने में कोई भोज्य अथवा पेय पदार्थ अथवा कोई पशु मनुष्य के उपभोग के लिये अभिप्रेत, किन्तु तदर्थ अनुपयुक्त प्रतीत हो, तो इस प्रकार निरीक्षण करने वाला व्यक्ति उसका अभिग्रहण कर सकता है और उसे हटा सकता है, या उसे नष्ट करवा सकता है या उसका इस प्रकार निस्तारण करवा सकता है कि वह बिक्री के लिये या इस प्रकार उपभाग के लिये प्रदर्शित न किया जा सके।

(2) यदि समुचित रूप से यह सन्देह हो कि किसी भेषज में अपमिश्रण किया गया है या पुरानी हो जाने अथवा जलवायु के प्रभाव के कारण वह गत प्रभाव या अस्वास्थ्यकर हो गया है या अन्यथा इस प्रकार खराब हो गया है कि उसकी उपयोगिता कम हो गई है या उसका प्रभाव बदल गया है या वह अनिष्टकर हो गया है, तो निरीक्षण करने वाला व्यक्ति उसके लिये एक रसीद देकर उसे हटा सकता है और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(3) यदि उस मजिस्ट्रेट को जिसके समक्ष उपधारा (2) के अधीन भेषज प्रस्तुत किया हो, यह प्रतीत हो कि उसमें अपमिश्रण किया गया है या वह पूर्वोक्त रूप से गत प्रभाव अस्वास्थ्यकर या खराब हो गया है, तो वह उसके नष्ट किये जाने अथवा इस प्रकार निस्तारित किये जाने का जो वह ठीक समझे, आदेश दे सकता है और यदि वह प्रकट हो कि कोई अपराध किया गया है तो वह उसका संज्ञान करने के लिये कार्यवाही कर सकता है।

कुछ व्यापारों तथा व्यवसायों से पैदा होने वाले कंटक

202. क्षोभकर व्यापारों का विनियमन – (1) यदि [1][जिला पंचायत] के संतोषानुसार यह दिखाया जाये कि ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी इमारत या स्थान के, जिसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु के निर्माण संग्रह, क्रिया या निस्तारण के प्रयोजनार्थ फैक्टरी या कारोबार के अन्य स्थान रूप में प्रयोग करता है या प्रयोग का आशय रखता है और ऐसे प्रयोग के कारण अथवा ऐसे आशयगत प्रयोग के कारण, कोई लोक कंटक पैदा होता है या उसके पैदा होने की संभावना है तो [1][जिला

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

पंचायत] अपने विकल्प के उस इमारत या स्थान के स्वामी या अध्यासी से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह –

(क) उक्त इमारत या स्थान का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये प्रयोग न करे या न करने दें, या

(ख) उक्त इमारत या स्थान का केवल ऐसे प्रयोजन के लिये, केवल ऐसी शर्तों पर या ऐसे संरचनात्मक परिवर्तनों के पश्चात् के प्रयोग करे या प्रयोग करने दे जो [1][जिला पंचायत] ऐसे प्रयोजन के लिये उक्त इमारत या स्थान का प्रयोग करने को आपत्ति मुक्त करने के उद्‌देश्य से नोटिस में नियत करे।

(2) जो व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दिया गया नोटिस मिलने के पश्चात् किसी इमारत अथवा स्थान का नोटिस का उल्लंघन करके प्रयोग करे अथवा प्रयोग करने दे, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा जो दो सौ रूपये तक हो सकता है तथा प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें वह उक्त इमारत अथवा स्थान का इस प्रकार प्रयोग करे अथवा प्रयोग करने दे, अतिरिक्त अर्थ–दण्ड का भागी होगा जो चालीस रूपये तक हो सकता है।

203. पथ नियम की उपेक्षा – जो व्यक्ति ग्राम्य क्षेत्र में, सड़क पर कोई वाहन हॉकने, ले जाने अथवा चलाने में वास्तविक आवश्यकता की दशा सें अन्यथा –

(क) बायीं ओर न रहे, अथवा

(ख) उसी दिशा में जाने वाले वाहन से आगे निकलने में उसके दाहिनी ओर न रहे, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा जो दस रूपये तक हो सकता है।

अपवाद – यह धारा कुमायूं तथा उत्तराखण्ड मण्डलों के जिलों में प्रवृत्त न होगी, न उस दशा में प्रवृत्त होगी जब पूर्वोक्त व्यतिक्रम मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1939 ई0 की धारा 122[2] के अधीन दण्डनीय अपराध हो।

204. प्राधिकृत परिमाण से अधिक परिमाण में रखे गये ज्वलनशील पदार्थों की तलाशी लेने का अधिकार –

(1) जब जीवन या सम्पत्ति के लिये खतरे के निवारणार्थ ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, तो [1][क्षेत्र पंचायत] सार्वजनिक नोटिस द्वारा समस्त व्यक्तियों को किसी मकान, इमारत या स्थान में

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] देखिये मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 धारा 177।

जो नोटिस में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर हो, लकड़ी, सूखी घास, भूसा अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थों का संग्रह रखने या करने का अथवा किसी निर्दिष्ट परिमाण से अधिक परिमाण में उनके रखने या संग्रह करने का अथवा चटाइयॉ या फूस की झोपड़ियॉ रखने या आग जलाने का निषेध कर सकता है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन निषेध का उल्लंघन करके या उपधारा (1) के या किसी उपविधि के उपबन्धों के अधीन ऐसे मकान, इमारत अथवा स्थान में रखे जाने के अनुज्ञात परिमाण से अधिक परिमाण में, सूखी लकड़ी, घास, भूसा या अन्य ज्वलनशील पदार्थ का संग्रह रखे जाने या किये जाने का संदेह हो तो मुख्य अधिकारी अथवा मुख्य अधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत [1][जिला पंचायत] का कोई अधिकारी अथवा सेवक बिना नोटिस तथा दिन अथवा रात में किसी भी समय, ऐसे मकान या इमारत या स्थान में प्रवेश कर सकता है तथा निरीक्षण कर सकता है।

(3) यदि ऐसा पदार्थ किसी परिमाण में या प्राधिकृत परिमाण से अधिक परिमाण में पाया जाये तो, ऐसे आदेश के अधीन रहते हुये जो मजिस्ट्रेट इसके सम्बन्ध में दे, उसका अभिग्रहण किया जा सकता है और उसे कब्जे में लिया जा सकता है।

(4) यदि मजिस्ट्रेट यह निर्णय करे कि अभिग्रहीत पदार्थ उपधारा (1) के अधीन किये गये किसी निषेध के प्रतिकूल मकान, इमारत अथवा स्थान में जमा किया गया था, तो वह उसे जब्त करने का आदेश दे सकता है।

(5) इस या किसी अन्य अधिनियमिति के अथवा उद्धीन बनाये गये किसी उपबन्ध के अधीन रहते हुये इस प्रकार जब्त किया गया पदार्थ मजिस्ट्रेट के आदेश से बेचा जा सकता है तथा उससे होने वाली आय ऐसी बिक्री के सम्बन्ध में हुये व्यय की अदायगी के बाद जिला निधि में जमा की जायेगी।

205. अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में अपवाद – धारा 204 के अधीन जब्ती का कोई आदेश किसी अन्य ऐसी दीवानी अथवा फौजदारी की कार्यवाही में बाधक न होगा जो पदार्थ का संग्रह रखने या करने वाले अथवा अनुज्ञान परिमाण से अधिक परिमाण में संग्रह रखने या करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध की जा सकती हों।

206. खड़ण्जों आदि को हटाना– (1) जो व्यक्ति सार्वजनिक सड़क के खड़ण्जे नाली के पत्थर या अन्य सामग्री या उसकी मेड़ों, दीवारों या खम्भों या [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की वही

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

स्थिति ऐसी अन्य सम्पत्ति को, यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] या अन्य विधिसंगत प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना हटाता है, लेता है या उसमें परिवर्तन करता है अथवा अन्य किसी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप करता है, तो वह दोषी जाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा, जो एक सौ रूपये तक हो सकता है,

(2) उपधारा (1) में वर्णित प्रकार के किसी कार्य के किये जाने के कारण [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा किया गया व्यय अपराधी से अध्याय 8 में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकता है।

207. आगनेयास्त्र आदि को जोड़ना – जो व्यक्ति ऐसी रीति से आगनेयास्त्र छोड़े अथवा आतिशबाजी या आग के गुब्बारे छोड़े या कोई ऐसा खेल खेले जिससे पास से निकलने वाले या पास–पड़ोस में रहने या काम करने वाले व्यक्तियों के जीवन के लिये संकट उत्पन्न हो, या उत्पन्न होने की सम्भावना हो या जिससे सम्पत्ति को क्षति पहुॅचने का डर हो, तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा, जो बीस रूपये तक हो सकता है।

208. ध्वस्त इमारतों, आरक्षित कुओं आदि से होने वाले खतरे को रोकने का अधिकार – (1) [1][जिला पंचायत], नोटिस द्वारा किसी भूमि अथवा इमारत के स्वामी अथवा अध्यासी से अपेक्षा कर सकती है कि –

(क) वह किसी ऐसी इमारत, दीवार, कगार अथवा अन्य संरचना या उससे संलग्न किसी वस्तु को गिरा दे, अथवा उसकी ऐसी रीति से मरम्मत करे जो [1][जिला पंचायत] आवश्यक समझे अथवा किसी ऐसे पेड़ को हटा दे, जो उक्त स्वामी की हो, या उक्त अध्यासी के कब्जे में हो, जिसके विषय में [1][जिला पंचायत] को यह प्रतीत हो कि वह ध्वस्त दशा में है या व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति के लिये खतरनाक है, अथवा

(ख) वह किसी ऐसे कुएं, तालाब, जलाशय, पोखरे अथवा खोदे हुये स्थान की, जो उक्त स्वामी का हो या उक्त अध्यासी के कब्जे में हो और जो उसकी स्थिति मरम्मत के अभाव या अन्य ऐसी ही परिस्थितियों के कारण [1][जिला पंचायत] को खतरनाक प्रतीत हो, ऐसी रीति से मरम्मत करे, रक्षा करे या उसे घेर दे जिससे वह [1][जिला पंचायत] आवश्यक समझे,

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि [1][जिला पंचायत] को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति के लिये आसन्न संकट को रोकने के प्रयोजन के लिये तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है, तो [1][जिला पचांयत] का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं तुरन्त ऐसी कार्यवाही करे तथा ऐसी दशा में, धारा 222 के उपबन्धों के बावजूद [1][जिला पंचायत] के लिये यह आवश्यक होगा कि वह नोटिस दे, यदि [1][जिला पंचायत] को यह प्रतीत हो कि नोटिस देने के फलस्वरूप होने वाले विलम्ब से इस प्रकार की तुरन्त कार्यवाही करने का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा।

209. सड़क का अवरोध – (1) जो व्यक्ति [1][जिला पंचायत] की लिखित अनुमति के बिना –

(क) किसी वाहन को, उसमें जाते हुये पशु सहित अथवा उसके बिना, उस समय से, जो उसमें माल लादने या उसमें से माल उतारने या उस पर यात्रियों को चढ़ाने या उसमें से यात्रियों को उतारने के लिये आवश्यक हो, अधिक समय तक इस प्रकार खड़ा रखे या खड़ा रहने दे जिसे किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र की किसी सार्वजनिक सड़क में अवरोध उत्पन्न हो, अथवा

(ख) किसी वाहन या पशु को इस प्रकार छोड़ दे अथवा बांध दे कि उससे ऐसी सड़क में अवरोध उत्पन्न करता हो, अथवा

(ग) किसी वस्तु को, विक्रय के निमित्त स्टाल में या कपड़ा या लकड़ी की बनी दुकान में अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार प्रदर्शित करे कि उससे किसी ऐसी सड़क में अवरोध उत्पन्न हो, अथवा

(घ) किसी ऐसी सड़क में कोई इमारती सामान, बाक्स, गॉठ, बन्डल या व्यापारिक सामान जमा करे या जमा करने दे, अथवा

(ङ) किसी ऐसी सड़क में कोई मेड़, कटघरा, खम्भा, स्टाल या पाड़ या ऐसा ही कोई अन्य स्थाय (fixture) खड़ा करे या बनाये, अथवा

(च) सड़क के निर्बाध आवागमन को जान–बूझ कर किसी रीति से अवरूद्ध करे या कराये, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा, जो पचास रूपये तक हो सकता है।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) [1][जिला पंचायत] की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी अवरोध को हटाने का अधिकार होगा तथा उसे इस प्रकार हटाने का व्यय अपराधी से अध्याय 8 में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन सड़कों से अवरोधों को हटाने का [1][जिला पंचायत] द्वारा प्रयोज्य अधिकार [1][जिला पंचायत] द्वारा किसी ऐसे खुले स्थान से, चाहे वह [1][जिला पंचायत] में निहित हो, या न हो, जो निजी सम्पत्ति न हो, अवरोधों को हटाने के लिये भी प्रयोग में लाया जा सकेगा।

(4) इस धारा में दी हुई कोई बात सड़क के किसी ऐसे अवरोध पर प्रवृत्त न होगी जिसकी अनुज्ञा इस अधिनियम की किसी धारा अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि अथवा तदन्तर्गत दिये गये किसी लाइसेन्स से अधीन [1][जिला पंचायत] द्वारा दी गई हो।

रोग की रोकथाम तथा स्वच्छता

210. फैक्टरियों, स्कूलों तथा अन्य सार्वजनिक समागम के स्थानों के लिये शौचालय – [1][जिला पंचायत] ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसने बीस से अधिक श्रमिक या मजदूर नियोजित किये हों या जो किसी बाजार, स्कूल या नाट्यशाला या अन्य सार्वजनिक समागम स्थान का स्वामी हो या उसका प्रबन्ध करता हो, उस पर नियन्त्रण रखता हो, नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसी शौचालाय और मूत्रालयों की व्यवस्था करे जो [1][जिला पंचायत] उचित समझे उन्हें ठीक ढंग से बनाये रखे और उनकी प्रति दिन सफाई कराये :

प्रतिबन्ध यह है कि फैक्टरीज एक्ट, 1948 (एक्ट संख्या 63, 1948), द्वारा विनियमित फैक्टरीज पर इस धारा की कोई बात प्रवृत्त न होगी।

211. तालाबों, आदि से उत्पन्न होने वाले कंटक को हटाने की अपेक्षा करने का अधिकार – [1][जिला पंचायत], किसी भूमि या इमारत के स्वामी या अध्यासी से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उसमें स्थित किसी निजी कुएं, तालाब, जलाशय, पोखरे, गड्ढे या खोदे हुये स्थान को, जो [1][जिला पंचायत] के पास–पड़ोस में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद या क्षोभकर प्रतीत हो, साफ कराये या उसकी मरम्मत कराये या उसे ढंके, भरवाये या जलोत्सारण करवाये :

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त स्वामी या अध्यासी पूर्वगामी उपबन्ध के अधीन आदिष्ट जलोत्सारण के प्रयोजनार्थ आवश्यक कोई भूमि अथवा भूम्याधिकार [1][जिला पंचायत] के व्यय से अर्जित करने या अन्यथा उसकी व्यवस्था करने की [1][जिला पंचायत] से अपेक्षा कर सकता है।

212. गन्दी भूमि की सफाई – यदि कोई भूमि, गन्दी या अस्वास्थ्यकर दशा में हो तो [1][जिला पंचायत] उसके स्वामी से नोटिस द्वारा उस भूमि की सफाई करने या उसे अन्यथा उचित दशा में करने और आगे स्वच्छ और उचित दशा में रखने की अपेक्षा कर सकता है।

213. कूड़ा–करकट विष्टा आदि के निस्तारण का विनियमन – (1) [1][जिला पंचायत] किसी नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में –

(क) क्षोभकर पदार्थ तथा कूड़ा–करकट को अस्थायी रूप से जमा करने के लिये पात्रों तथा स्थानों की व्यवस्था कर सकती है;

(ख) विष्ठा तथा अन्य क्षोभकर पदार्थों और कूड़ा–करकट के निस्तारण के लिये स्थान निश्चित कर सकती है; तथा

(ग) सार्वजनिक नोटिस द्वारा ऐसे समय, रीति और शर्तों के सम्बन्ध में निदेश जारी कर सकती है जिस पर या जिनके अनुसार या जिसके अधीन रहते हुये खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) में निर्दिष्ट क्षोभकर पदार्थ का कूड़ा–करकट सड़क पर से ले जाये या जमा किया जाये या अन्यथा उसका निस्तारण किया जाये।

(2) निश्चित स्थान पर या उसके निकट उक्त निश्चय को व्यक्त करने वाला सूचना पट्ट प्रदर्शित कर देना उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन स्थान निश्चित करने की पर्याप्त सूचना माना जायेगा।

214. कूड़ा–करकट विष्टा आदि के अनुचित निस्तारण के लिये शास्ति – किसी ऐसी इमारत अथवा भूमि का अध्यासी जिससे कोई क्षोभकर पदार्थ, कूड़ा करकट या विष्ठा धाराा 213 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निश्चित स्थान से या उक्त उपधारा के खण्ड (क) के अधीन व्यवस्थित पात्र या स्थान से अन्यत्र किसी सार्वजनिक नाली के किसी भाग में या सार्वजनिक नालों से मिलने वाली किसी नाली में फेंका जाये या जमा किया जाये, तथा कोई व्यक्ति जो उक्त उपधारा के खण्ड (ग) के अधीन जारी किये गये [1][जिला पंचायत] के किसी निदेश का उल्लंघन करे, दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा जो बीस रूपये से अधिक न होगा।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

215. सार्वजनिक सड़क आदि पर मलादि के उत्सर्जन के लिये शास्ति – निर्दिष्ट क्षेत्रों में, जब कभी किसी गन्दे पानी की मोरी या गड्ढे, मल नाले या नलकूप का पानी, या कोई अन्य क्षोभकर पदार्थ, [1][जिला पंचायत] की लिखित अनुमति से बिना या ऐसी अनुमति में नियत किसी शर्त का उल्लंघन करके, किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान में या किसी ऐसे मलनाले या नाली में, जो तदर्थ पृथक न की गयी हो, बहने या निकलने दिया जाये या रखा जाये तो जिस भूमि या इमारत से ऐसा पानी या क्षोभकर पदार्थ बहे, निकले या निकाल कर रखा जाये उसका स्वामी दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा, जो बीस रूपये तक हो सकता है।

216. मनुष्यों के रहने के योग्य भवन – (1) किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में यदि कोई इमारत या उसका कोई कमरा जिला पंचायत की राय में, जलोत्सारण या संवातन के उचित साधनों के अभाव के परिणाम स्वरूप या अन्यथा, मनुष्यों के रहने के लिये अनुपयुक्त हो तो [1][जिला पंचायत] उसके स्वामी या अध्यासी को नोटिस द्वारा उस इमारत अथवा कमरे को मनुष्यों के रहने के काम में लाने अथवा लाने देने का या तो पूर्ण रूप से या तब तक के लिये निषेध कर सकती है जब तक कि उक्त नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर, उसमें ऐसा परिवर्तन न कर दे जो उस नोटिस में नियत किया जाये।

(2) जिस व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन नोटिस दिया गया हो, यदि वह उसका अनुपालन न करे तो [1][जिला पंचायत] के लिये यह वह एक और नोटिस द्वारा उस इमारत या कमरे के गिराये जाने की अपेक्षा करे।

217. कुछ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किये गये कार्यों के लिये दण्ड – जो व्यक्ति किसी संक्रामक, संसर्गिक या घृणित रोग से पीड़ित हुये –

(क) मानव उपयोग के लिये कोई भोज्य या पेय पदार्थ अथवा कोई औषधि या भेषज बिक्री के लिये तैयार या प्रस्तुत करता है, या

(ख) उक्त किसी पदार्थ, औषधि या भेषज को जब वह दूसरे व्यक्तियों द्वारा बिक्री के लिये प्रदर्शित किया गया हो, जान बूझ कर छूता है, या

(ग) गन्दे कपड़े धोने या उन्हें ले जाने का किसी व्यापार में भाग लेता है, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा जो बीस रूपये तक हो सकता है।

218. स्वास्थ्य के लिये हानिकर खेती, खाद के प्रयोग अथवा सिंचाई का निषेध – यदि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशक (Director of medical and health services) यह प्रमाणित करे कि

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

किसी प्रकार की फसल की खेती या किसी प्रकार की खाद का प्रयोग या किसी भूमि की किसी विशिष्ट रीति से सिंचाई –

(क) जो किसी ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में की जाती है पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिये हानिकर है, या ऐसे कार्यों को सरल बना देती है जो उनके स्वास्थ्य के लिये हानिकर है, या

(ख) जो उक्त ग्राम्य क्षेत्र से भीतर किसी निर्दिष्ट स्थान में की जाती है, के द्वारा उक्त निर्दिष्ट स्थान के जल सम्भरण के दूषित हो जाने या उसके अन्यथा पीने के लिये अनुपयुक्त हो जाने की सम्भावना है, तो

[1][जिला पंचायत] सार्वजनिक नोटिस द्वारा उस फसल की खेती, उस खाद का प्रयोग या सिंचाई की रीति के प्रयोग का जो इस प्रकार हानिकर बताया गया हो, निषेध कर सकती है या उसके सम्बन्ध में ऐसी शर्तें लगा सकती है जिनसे उक्त हानि अथवा दूषण रूक जायेः

प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी ऐसी भूमि पर, जिसके सम्बन्ध में ऐसा नोटिस जारी किया जा चुका हो, निषिद्ध कार्य निषेध के दिनांक से पूर्व पॉच वर्ष तक लगातार खेती के साधारण क्रम में किया जाता रहा हो तो भूमि में हित रखने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों को जिन्हें उक्त निषेध द्वारा क्षति पहुँची हो, जिला निधि से प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

219. हानिकर वनस्पितियों को साफ करने की स्वामियों से अपेक्षा करने का अधिकार – [1][जिला पंचायत], नोटिस द्वारा, किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी से किसी ऐसी वनस्पति या झाड़ी को साफ करने या हटाने की अपेक्षा कर सकती है जो स्वास्थ्य के लिये हानिकर या पड़ोसियों के लिये क्षोभकर हो।

220. खोदी हुई भूमि को भरने का जलोत्सारित करने की अपेक्षा करने का अधिकार – किसी ग्राम्य क्षेत्र में, जिनके लिये धारा 239 की उपधारा (2) के शीर्षक ''छ'' के उपशीर्षक (घ) के अधीन उपविधियॉ बनाई गयी हों, [1][जिला पंचायत] किसी ऐसी भूमि के स्वामी या अध्यासी से जिस पर कोई खुदाई–कार्य, नलकूप, तालाब या गड्ढा उक्त उपविधियों का उल्लंघन करके या उस शर्त का, जिसके अधीन रहते हुये वह खुदाई कार्य करने या नलकूप, तालाब या गड्ढा बनाने की अनुमति दी गयी हो, उल्लंघन करके किया या बनाया गया हो, नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे खुदे हुये स्थान, नलकूप या तालाब या गड्ढे को उक्त नोटिस से निर्दिष्ट अवधि के भीतर भर दे या उसे जलोत्सारित कर दे।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

221. कब्रिस्तान या श्मशान के सम्बन्ध में अधिकार – (1) [1][जिला पंचायत] सार्वजनिक नोटिस द्वारा, ऐसे कब्रिस्तान या श्मशान को जिनके सम्बन्ध में सिविल सर्जन या स्वास्थ्य अधिकारी ने यह प्रमाणित किया हो कि वह पास–पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिये हानिकर है या उसके हानिकर होने की सम्भावना है, उस दिनांक से जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाये, बन्द करने का आदेश दे सकती है तथा यदि समुचित दूरी के भीतर शवों को दफनाने या जलाने का कोई उपयुक्त स्थान न हो तो वह इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करेगी।

(2) ऐसे कब्रिस्तानों में शव को दफनाने का निजी स्थान ऐसे शर्तों के अधीन जो [1][जिला पंचायत] तदर्थ लगाये, उक्त नोटिस की व्यप्ति से मुक्त किया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि दफनाने के ऐसे स्थानों की सीमायें पर्याप्त रूप से परिभाषित हों, तथा वे स्थान केवल उनके स्वामियों के परिवार के सदस्यों को दफनाने के लिये हो, प्रयुक्त किये जायेंगे।

(3) [1][जिला पंचायत] की लिखित अनुमति के बिना कोई नया कब्रिस्तान या श्मशान, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, नहीं बनाया जायेगाः

(4) कोई व्यक्ति [1][जिला पंचायत] की लिखित अनुमति से अन्यथा किसी शव को किसी ऐसे कब्रिस्तान या श्मशान में जो उपधारा (1) के अधीन बन्द कर दिया गया हो या उपधारा (3) के उपबन्धों का उल्लंघन करके बनाया गया हो, न तो दफनाये या जायेगा और न दफनवाये या जलवायेगा।

(5) जो व्यक्ति किसी शव को इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल दफनाता या जलाता है या दफनवाता या जलवाता है या दफनाने या जलाने देता है, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा जो पचास रूपये तक हो सकता है।

निरीक्षण, प्रवेश, तलाशी आदि

222. निरीक्षण का अधिकार – अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी तथा संकल्प द्वारा तदर्थ प्राधिकृत होने पर [1][जिला पंचायत] का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी और इसी प्रकार प्रमुख खण्ड विकास अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत [1][क्षेत्र पंचायत] का कोई अन्य अधिकारी किसी इमारत या भूमि पर, निरीक्षण या सर्वेक्षण करने या किसी ऐसे निर्माण कार्य को

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

निष्पादित करने के उद्देश्य से जिसे निष्पादित करने के लिये यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] इस अधिनियम द्वारा या नियमों या उपविधियों द्वारा प्राधिकृत हो, अथवा जिसे निष्पादित करना [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के लिये इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या नियमों या उपविधियों के प्रयोजनों के लिये अथवा उनके अनुसरण में आवश्यक हो, सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना प्रवेश कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि –

(क) जब तक कि इस अधिनियम में या नियमों या उपविधियों में स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्थित न हो, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच प्रवेश नहीं किया जायेगा, तथा

(ख) जब कि इस अधिनियम में या उपविधियों में स्पष्ट रूप से हैं अन्यथा व्यवस्थित न हो, मनुष्यों के रहने के लिये प्रयुक्त किसी इमारत में सिवाय उस दशा के जब अध्यासी ने सम्मति दे दी हो–अध्यासी को अपने ऐसे प्रवेश के अभिप्राय का कम से कम चार घन्टे पूर्व लिखित नोटिस दिये बिना प्रवेश नहीं किया जायेगा, तथा

(ग) प्रत्येक अवस्था में और उस दशा में भी जब किसी भू–गृहादि में अन्यथा बिना नोटिस के प्रवेश किया जा सकता हो, पर्याप्त नोटिस दिया जायेगा, जिससे किसी ऐसे कक्ष में, जो स्त्रियों के लिये हो, रहने वाली स्त्रियॉ वहॉ से हट कर भू–गृहादि के किसी ऐसे दूसरे भाग में चली जायें जहां उनकी गोपनीयता में बाधा डालने की आवश्यकता न हो, तथा

(घ) प्रवेश किये गये भू–गृहादि के अध्यासियों की सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं का सदैव यथोचित ध्यान रखा जायेगा।

223. प्रवेश का अधिकार – धारा 222 के उपबन्धों के अधीन निरीक्षण करने के या तलाशी लेने के प्रयोजन के निमित्त प्रवेश करने के लिये प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिये यह वैध होगा कि वह किसी दरवाजे, फाटक या अन्य अवरोध को खोले या खुलवाये –

(क) यदि वह ऐसे प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिये उसका खोलना आवश्यक समझे, तथा

(ख) यदि स्वामी या अध्यासी अनुपस्थित हो, उपस्थित होने पर वह ऐसे दरवाजे, फाटक या अवरोध को खोलने से इंकार करे।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा नियोजित व्यक्तियों को रूकावट

224. [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा नियोजित व्यक्तियों को रूकावट के लिये दण्ड – जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन [1][जिला पंचायत] द्वारा या [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के साथ हुई किसी संविदा के अधीन नियोजित हो, उसके कर्तव्यों के पालने करने में संविदा को पूरा करने में रूकावट डाले या व्यथित कर या इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किसी निर्माण–कार्य के निष्पादन के लिये आवश्यक सतह या दिशा को बतलाने के प्रयोजन से लगाये गये किसी चिन्ह को हटाये, वह दोषी पाये जाने पर तीन मास तक का कारावास या पॉच सौ रूपये तक अर्थ दण्ड दोनों का भागी होगा।

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 10

बाह्य नियन्त्रण

225. [1][जिला पंचायत] पर नियत प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट के निरीक्षण आदि के अधिकार – नियत प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट, यथास्थिति, अपने क्षेत्र या अपने जिले की सीमाओं के भीतर –

(क) [1][जिला पंचायत] या उसकी किसी सम्पत्ति या संयुक्त समिति द्वारा प्रयुक्त अथवा अध्यासित किसी चल सम्पत्ति का अथवा उनमें से किसी के निदेशाधीन किये जाने वाले किसी कार्य का निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है;

(ख) लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसी पुस्तक या लेख को जो [1][जिला पंचायत] या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति के अधिकार अथवा नियंत्रित में हों, मंगा सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है;

(ग) लिखित आदेश द्वारा [1][जिला पंचायत] या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति से उसकी कार्यवाहियों या कर्तव्यों से सम्बद्ध ऐसे विवरण, लेखे या प्रतिवेदन (जिसके अन्तर्गत मासिक प्रगति के प्रतिवेदन भी है) या लेख्यों की प्रतिलिपियॉ प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिन्हें मंगाना वह उचित समझे ; और

(घ) [1][जिला पंचायत] या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति के विचारार्थ, उसकी कार्यवाहियों अथवा कर्तव्यों के सम्बन्ध में कोई विचार हो, जो वह उचित समझे, लेखबद्ध कर सकता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त प्रत्येक अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर नियत प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग अपने विभाग पर प्रभाव डालने वाले किसी विषय में कर सकता है और विषयों के सम्बन्ध में [1][जिला पंचायत] के शासन का निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है।

226. जिला मजिस्ट्रेट के कुछ अन्य अधिकार और कर्तव्य – (1) जिला मजिस्ट्रेट, समय–समय पर, समुचित नोटिस के पश्चात् [1][जिला पंचायत] के नियोजन तथा विकास विषयक गजट अनुदान से

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

सम्बन्धित विषयों पर चर्चा करने के लिये एक बैठक बुला सकता है जिसमें वह स्वयं अध्यक्ष तथा मुख्य अधिकारी और यदि आवश्यक समझा जाये तो, वित्त अधिकारी सम्मिलित हों।

(2) जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को विकास कार्य की प्रगति का एक त्रैमासिक प्रतिवेदन भेजेगा।

227. सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों तथा संस्थाओं का निरीक्षण – [1][जिला पंचायत] के व्यय से पूर्णतः या अंशतः निर्मित या अनुरक्षित निर्माण–कार्य या संस्था का तथा तत्सम्बन्धी समस्त रजिस्टरों, पुस्तकों, लेखा या लेखों का सभी समयों पर ऐसे अधिकारियों द्वारा, जो राज्य सरकार तदर्थ नियुक्त करें, निरीक्षण किया जा सकेगाः

228. नियत प्राधिकारी का अधिनियम के अधीन कार्यवाही निलम्बित करने का अधिकार – (1) नियत प्राधिकारी अपने अधिकार–क्षेत्र की सीमाओं के भीतर लिखित आदेश द्वारा, किसी [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की समिति, या संयुक्त समिति, अथवा [1][जिला पंचायत] या संयुक्त समिति के सेवक द्वारा इस या अन्य किसी अधिनियमित के अधीन पारित या दिये गये किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध कर सकता है, यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प या आदेश स्पष्टतः अवैध हो या शक्ति–बाह्य (ultravires) हो या इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश से असंगत हो या इस प्रकार का हो कि उससे जन–साधारण के लिये या विधि के अनुसार कार्य करने वाले व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय के लिये अवरोध, क्लेश या क्षति अथवा मानव–जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिये खतरा या दंगा या हंगामा उत्पन्न हो, या उत्पन्न होने की संभावना हो और किसी व्यक्ति द्वारा उस संकल्प या आदेश के अनुसरण में या उसका आश्रय लेकर किसी काम के किये जाने या उसे जारी रखे जाने का निषेध कर सकता है।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश दिया जाये, तो उसे दिये जाने के कारणों के विवरण सहित, उसकी एक प्रतिलिपि नियत प्राधिकारी द्वारा तुरन्त राज्य सरकार को भेजा जायेगा, जो [1][जिला पंचायत] से स्पष्टीकरण मॉगने तथा उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उस आदेश को रद्द, परिष्कृत या पुष्ट कर सकती है।

(3) जब उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश द्वारा किसी संकल्प या आदेश का निष्पादन या आगे निष्पादन निषिद्ध कर दिया जाये और वह निषेधकारी आदेश तब भी

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रचलित हो तो [1][जिला पंचायत] या [1][जिला पंचायत] की समिति या संयुक्त समिति, अथवा [1][जिला पंचायत] या [जिला पंचायत] की समिति या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या कर्मचारी का, उक्त उपधारा के अधीन आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर, यह कर्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे जिसे करने का उसे उस दशा में अधिकार होता जब वह संकल्प या आदेश पारित ही न किया गया होता या दिया ही न गया होता और जो किसी व्यक्ति की उन संकल्प या आदेश का जिसका आगे निष्पादन निषिद्ध कर दिया गया हो, आश्रय लेकर किसी काम को करने या उसका करना जारी रखने से रोकने के लिये आवश्यक हो।

229. आपात के समय जिला मजिस्ट्रेट के असाधारण अधिकार – (1) आपात की दशा में जिला मजिस्ट्रेट किसी ऐसे निर्माण–कार्य के निष्पादन का अथवा ऐसे कार्य के सम्पादन की व्यवस्था कर सकता है, जिसके निष्पादन या सम्पादन का [1][जिला पंचायत] या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति को अधिकार हो और जिसका तुरन्त निष्पादन अथवा सम्पादन, उसकी राय में जनसाधारण की सुरक्षा अथवा संरक्षण के लिये आवश्यक हो और वह यह निदेश दे सकता है कि निर्माण कार्य की निष्पादित करने अथवा उस कार्य को संपादित करने के व्यय का भुगतान [1][जिला पंचायत] द्वारा तुरन्त किया जाये।

(2) यदि उक्त व्यय का इस प्रकार भुगतान न किया जाये तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे सकता है, जिसमें जिला–निधि को अपनी अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति के लिये उस निधि में से उक्त व्यय के भुगतान करने का निदेश हो और उक्त व्यक्ति ऐसे निदेश का पालन करेगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट [1][जिला पंचायत] या नियत प्राधिकारी को तुरन्त ऐसे प्रत्येक मामले का प्रतिवेदन भेजेगा जिसमें वह इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करें।

230. [1][जिला पंचायत] के चूक करने की दशा में राज्य सरकार का अधिकार – (1) यदि किसी समय, अभ्यावेदन किये जाने पर अथवा अन्यथा, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि [1][जिला पंचायत] या उसकी संयुक्त समिति, या अन्य समिति ने इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमित द्वारा उसके अधीन उस पर आरोपित कर्तव्य का संपादन करने में चूक की है तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा उस कर्तव्य का पालन किये जाने के लिये एक अवधि निश्चित कर सकती है।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि इस प्रकार निश्चित अवधि के भीतर उस कर्तव्य का सम्पादन न किया जाये तो राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को या किसी अन्य व्यक्ति को, उसका सम्पादन करने के लिये नियुक्त कर सकती है और निदेश दे सकती है कि उक्त कर्तव्य का सम्पादन करने के व्यय का, यदि कोई हो, ऐसे समय के भीतर, जो जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति निश्चित करे, [1][जिला पंचायत] द्वारा चुकाया जाये।

(3) यदि उक्त व्यय इस प्रकार चुकाया न जाये तो जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, ऐसा आदेश दे सकता है जिसमें जिला–निधि को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति के लिये उस निधि में उक्त व्यय के भुगतान का निदेश हो।

231. सदस्यों का हटाया जाना – (1) राज्य सरकार जिला पंचायत के किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर हटा सकती है –

(क) उसने किसी ऐसे विषय पर जिसमें प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः, उसका कोई निजी हित हो अथवा जिसमें वह किसी वादार्थी (client) प्रतिनियोक्ता (Principal) अथवा अन्य किसी व्यक्ति की ओर से व्यवसायिक हित रखता हो, मत देकर अथवा उसकी चर्चा में भाग लेकर जिला पंचायत के सदस्य या किसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया हो;

(ख) वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्पादन करने में शारीरिक या मानसिक दृष्टि से असमर्थ हो गया हो;

(ग) वह उक्त सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य सम्पादन में अपनी वर्तमान या पांच वर्ष के भीतर की किसी पूर्ववर्ती पदावधि में अनाचार का दोषी हो या उसने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया हो या [1][जिला पंचायत] की निधि या सम्पत्ति को हानि या क्षति पंहुचायी हो और राज्य सरकार की राय में ऐसे अनाचार, उल्लंघन अथवा हानि या क्षति पंहुचाने के कारण वह सदस्य के रूप में बने रहने के लिये अनुपयुक्त हो गया होः

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन हटाये जाने का आदेश राज्य सरकार द्वारा तब तक न दिया जायेगा जब तक कि सम्बद्व सदस्य को इस बात का कारण प्रकट करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो कि उसके विरूद्ध ऐसा आदेश क्यों न दिया जाये।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1]["(गग) उसने स्वहस्ताक्षरित किसी मिथ्या घोषणा के आधार पर जिसमें यह कथन किया गया हो कि वह, यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है, धारा 18–क के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त किया हो;

[2][(गगग) वह धारा 26 में निर्दिष्ट किसी अनर्हता से ग्रस्त हो।''

(2) यह हटाया जाना गजट में विज्ञप्ति द्वारा सम्पन्न होगा तथा उस विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगा।

(3) किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुये भी, यदि धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई सदस्य इस धारा के अधीन सदस्यता से हटाया गया हो तो वह उपधारा (2) के अधीन हटाये जाने की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से, [1][प्रमुख] के पद पर न रहेगा और यह समझा जायेगा कि उसका उक्त पद रिक्त हो गया है।

(4) [2][* * *]

(5) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ग) के अधीन [2][जिला पंचायत] की सदस्यता से हटाया गया हो, अपने हटाये जाने के दिनांक से पॉच वर्ष तक[2][जिला पंचायत] के सदस्य के रूप में चुने जाने [3][* * *] तथा [2][क्षेत्र पंचायत] का प्रमुख पंचायत [2][* * *] निर्वाचित होने के लिये अनर्हित होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी भी समय आदेश देकर इस अनर्हता को हटा सकती है।

232. राज्य सरकार का [2][जिला पंचायत] को विघटित [2][* * *] करने का अधिकार – यदि किसी भी समय, अभ्यावेदन किये जाने पर अथवा अन्यथा राज्य सरकार को यह प्रतीत हो, कि [2][जिला पंचायत] इस अधिनियम में या किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन अपने पर आरोपित किसी कर्तव्य का सम्पादन करने में चूक करती है अथवा अपने अधिकारों का अतिक्रमण या दुरूपयोग करती है तो राज्य सरकार, [2][जिला पंचायत] से स्पष्टीकरण मॉगने तथा इस धारा के

---

[1] अधिसूचना सं0 1619/ सत्रह–वि–1–1 (क)–32–1999 दिनांक 29 जुलाई, 1999 द्वारा खण्ड (गग) और खण्ड (गगग) बढ़ाया गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1963 की धारा 24 द्वारा निकाले गये।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1963 की धारा 24 द्वारा निकाले गये।

अधीन कार्यवाही की जाने के विरूद्ध उसके द्वारा की गयी किसी आपत्ति पर विचार करने के पश्चात् और अपना यह समाधान होने पर कि ऐसी कार्यवाही वांछनीय है, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा जिसमें कार्यवाही के कारण भी दिये होंगे, [2][जिला पंचायत] को विघटित कर सकती है।

233. [2][जिला पंचायत] के विघटन का परिणाम – धारा 232 के अधीन जिला पंचायत के विघटित कर दिये जाने से निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे –

(क) अध्यक्ष सहित [2][जिला पंचायत] के समस्त सदस्य, आदेश में निर्दिष्ट दिनांक पर अपने पदों को रिक्त कर देंगे, किन्तु इसके कारण [इस अधिनियम के अधीन [2][सदस्य के रूप में या अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिये उसकी पात्रता पर] कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) तत्पश्चात् तथाशक्य [1][जिला पंचायत] इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुनसंघठित की जायेगी।

(ग) ऐसे एक या अधिक व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार [1][जिला पंचायत] तदर्थ नियुक्त करे, उस समय तब जब कि जिला पंचायत पुनर्संघठित न हो जाये, [1][जिला पंचायत] के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का सम्पादन यथासम्भव करेंगे तथा सभी प्रयोजनों के लिये उसे या उन्हें [1][जिला पंचायत] समझा जायेगा।

234. परिषद् के अवक्रमण का परिणाम – [2][* * *]

235. जिला परिषद् के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट के कतिपय अन्य अधिकार – [2][* * *]

236. क्षेत्र समितियों का बाह्य नियन्त्रण – (1) धारा [1][225 से 233] तक के उपबन्ध क्षेत्र पंचायतों पर यथाशक्य प्रवृत्त होंगे मानों पदावलि [1][जिला पंचायत] ''अध्यक्ष'' ''मुख्य अधिकारी'' तथा जिला निधि को पदावली ''क्षेत्र पंचायत'' ''प्रमुख'' ''खण्ड विकास अधिकारी'' तथा ''क्षेत्र निधि'' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया हो :

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा धारा 234 और 235 निकाल दी गयी।

प्रतिबन्ध यह है कि जिला मजिस्ट्रेट उक्त धाराओं के अधीन अपने किन्हीं या सभी अधिकारों का सम्पूर्ण खण्ड या उसके किसी भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले परगना अधिकारी (सब डिवीजनल आफिसर) को प्रतिनिहित कर सकता है।

[3][(2) से (4)

अध्याय 11

नियम, विनियम तथा उपविधियॉं

237. राज्य सरकार का नियम बनाने का अधिकार – (1) राज्य सरकार किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जिसके लिये नियम बनाने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा स्पस्ष्टतः या उपलक्षित रूप में प्रदान किया गया है, इस अधिनियम से सुसंगत [गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है] [1] तथा ऐसे नियम भी बना सकती है जो अन्यथा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाया गया कोई नियम सामान्य रूप से समस्त [2][जिला पंचायतों] या समस्त [क्षेत्र पंचायतों] के लिये अथवा निर्दिष्ट किये जाने वाली किसी एक या अधिक [3][जिला पंचायतों या क्षेत्र पंचायतों के लिये विशेष रूप से हो सकता है। [* * *][4]

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित, कुल तीन दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों; किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।][2]

238. कार्य–संचालन आदि के लिये विनियम बनाने का अधिकार – [2][जिला पंचायत] विशेष संकल्प द्वारा, इस अधिनियम तथा किसी नियम और राज्य सरकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन बनाये गये किसी विनियम से सुसंगत विनियम निम्नलिखित विषयों में सभी या किसी के लिये बना सकता है –

(क) उसकी बैठकों का समय तथा स्थान;

(ख) बैठकें बुलाने तथा उनके सम्बन्ध में नोटिस देने की रीति;

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1973 की धारा 28(1) द्वारा रखे गये।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) कार्यवाहियों का संचालन, जिसके अन्तर्गत बैठकों में सदस्यों द्वारा प्रश्नों का पूछा जाना भी है, तथा बैठकों का स्थगन है;

(घ) किसी भी प्रयोजन के लिये परामर्श समितियों से भिन्न समितियों की स्थापना, तथा ऐसी समितियों के संगठन तथा उनकी प्रक्रिया से सम्बद्ध समस्त विषयों का अवधारण;

(ङ) निम्नलिखित को अधिकारों, कर्तव्यों या कृत्यों का प्रतिनिधान –

1. [1][जिला पंचायत] का अध्यक्ष या [क्षेत्र पंचायत] का प्रमुख;
2. खण्ड (घ) के अधीन संगठित समिति;
3. उक्त समिति का सभापति;
4. मुख्य अधिकारी या [1][जिला पंचायत] का अन्य कोई सेवक,

(च) [1][जिला पंचायत] द्वारा नियोजित सेवकों के, जिनके अन्तर्गत [1][क्षेत्र पंचायतों] के अधिकार में रखे गये सेवक भी है, अनुपस्थिति के भत्ते या अन्य भत्ते;

(छ) [1][जिला पंचायत] के ऐसे सेवक द्वारा – जिसके अन्तर्गत किसी [1][क्षेत्र पंचायत] के अधिकार में रखे गये सेवक भी है, जिससे प्रतिभूति की अपेक्षा करना इष्टकर समझा जाये, दी जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि तथा उसका प्रकार;

(ज) [1][जिला पंचायत] सेवकों को छुट्टी स्वीकृत करना तथा उनके छुट्टी पर रहने की अवधि में उनके स्थान पर कार्य करने के लिये नियुक्त व्यक्तियों को (यदि कोई हो), दिया जाने वाला पारिश्रमिक;

(झ) [1][जिला पंचायत] के समस्त सेवकों की, जिनके अन्तर्गत किसी [1][क्षेत्र पंचायत] के अधिकार में रखे गये सेवक भी हैं–सेवा की शर्तें, जिनके अन्तर्गत सेवा की अवधि भी है, तथा जिनके अधीन उक्त सेवकों को या उनमें से किसी को सेवा निवृत्ति होने पर अपने कर्तव्य का पालन करने के कारण असमर्थ हो जाने पर उपदाय, वार्षिकी या कारूण्य अभिदेय दिया जायेगा तथा उक्त उपदान, वार्षिकी या कारूण्य अभिदेय की धनराशि; और शर्त जिनके अधीन कोई उपदान, वार्षिकी या कारूण्य अभिदेय उक्त किन्हीं ऐसे सेवकों के, जिनकी मृत्यु अपने

---
[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

कर्तव्यों का पालन करने में हुई हो, उत्तरजीवी सम्बन्धियों को दिया जा सकता हो;

(ञ) [1][जिला पंचायत] द्वारा, [1][जिला पंचायत] के अनुमोदन से उक्त सेवकों द्वारा स्थापन पेंशन निधि या भविष्य–निधि में ऐसी दरों तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो उक्त विनियमों में नियत की जायँ, अंशदान देना;

(ट) [1][जिला पंचायत] के सेवकों की–जिनके किसी [1][क्षेत्र पंचायत] के अधिकार में रखे गये सेवक भी हैं–भर्ती के सिद्धान्त तथा रीति;

(ठ) लेखा–परीक्षण के निमित्त वित्त अधिकारी को कागज–पत्र प्राप्त कराने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उसके द्वारा की गई आलोचनाओं के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही;

(ड) अधिकारियों तथा सेवकों के पदों की आकस्मिक रिक्तियों के पूर्ति करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ढ) रीति, जिसके अनुसार धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन [1][जिला पंचायत] को सौंपे गये कृत्यों का सम्पादन किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के अधीन बनाये गये विनियम राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों अथवा अनुदेशों के समरूप होंगे;

(ण) शर्तें, जिनके अधीन [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] को देय धनराशियॉ अप्राप्य धनराशियों के रूप में बट्टे–खाते में डाली जा सकें और शर्तें जिनके अधीन अभिहरण के निमित्त लिये जाने वाले सम्पूर्ण शुल्क या उसके किसी भाग में छूट दी जा सके;

(त) खण्ड (ङ) से (ण) तक वर्णित विषयों के सदृश्य समस्त विषय या ऐसे विषय जिनके सम्बन्ध में विनियम बनाने का अधिकार इस अधिनियम में स्पष्टतः या उपलक्षित रूप में प्रदान किया गया है पर जिनके लिये इस उपधारा में अन्यथा व्यवस्था नहीं की गयी है; और

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(थ) खण्ड (क) से (घ) तक वर्णित विषयों के सदृश्य ऐसे समस्त विषय जिनके लिये इस उपधारा से अन्यथा व्यवस्था नहीं की गई है।

(2) यदि राज्य सरकार उचित समझे, तो वह उपधारा (1) के खण्ड (ङ) से (ड) तथा (ण) से (थ) तक निर्दिष्ट विषयों में से किसी के सम्बन्ध में इस अधिनियम के सुसंगत विनियम बना सकती है और इस प्रकार बनाये गये विनियम का प्रभाव यह होगा कि उससे [1][जिला पंचायत] द्वारा उक्त उपधारा के अधीन उसी विषय पर बनाया गया कोई विनियम या कोई ऐसा विनियम जो उससे असंगत हो, रद्द हो जायेगा।

239. [1]**[जिला पंचायत] को उपविधियॉ बनाने का अधिकार** – [1][जिला पंचायत] अपने प्रयोजनों के लिये और [1][क्षेत्र पंचायतों] के प्रयोजनों के लिये ऐसे विषय के सम्बन्ध में जिनका उपविधियों द्वारा शासित होना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है तथा जिले के ग्राम्य क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सुविधा की समुन्नति या अनुरक्षण के प्रयोजन से और खण्ड तथा जिले में इस अधिनियम के प्रशासन को आगे बढ़ाने की निमित्त, इस अधिनियम और किसी नियम के सुसंगत, उपविधियॉ बना सकती है जो जिले के सम्पूर्ण ग्राम्य क्षेत्र या उसके किसी भाग पर प्रवृत्त हों और राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाने पर वह अवश्य ऐसी उपविधियॉ बनायेगी।

(2) विशेषतः तथा उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, [1][जिला पंचायत] के उक्त अधिकार का प्रयोग करके निम्नांकित सूची में वर्णित कोई उपविधियां बना सकती हैं –

क–निर्माण

(क) धारा 164 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के सन्दर्भ में किसी विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन को ''महत्वपूर्ण परिवर्तन'' घोषित करना;

(ख) वह नियत करना कि तदर्थ निर्दिष्ट की गई दर से शुल्क देने पर, [1][क्षेत्र पंचायत] नक्शे तथा निर्दिष्टया (specifications) प्राप्त की जा सकेंगी;

(ग) धारा 166 के सन्दर्भ में वह अवधि निश्चित करना जिसमें स्वीकृति मान्य रहेंगी;

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र के भीतर किसी नियत क्षेत्र में उन इमारतों के, जो बनाई या न बनाई जा सकती हो, प्रकार और विवरण तथा वे प्रयोजन, जिनके लिये कोई इमारत बनाई या न बनाई जा सके, नियत करना;

(ङ) वे परिस्थितयां नियत करना जिनमें नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में कोई मन्दिर, मस्जिद, गिरजा या अन्य पवित्र इमारत निर्मित, पुनर्निर्मित या परिवर्तित की जा सके या न की जा सके।

(च) इमारतों के या उनके किसी वर्ग के निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन के सम्बन्ध में निम्नांकित विषयों में सब या कोई नियत करना –

(1) बाहरी और विभाजक दीवारों, छतों तथा फर्श के निर्माण में प्रयुक्त किये जाने वाला सामान और उनके निर्माण की रीति;

(2) अग्नि–स्थानों, चिमनियों, नालियों, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों और नलकूपों की स्थिति तथा उनके निर्माण में प्रयुक्त किया जाने वाला सामान और उनके निर्माण की रीति;

(3) ऐसी सबसे ऊपरी मंजिल की, जो मनुष्यों के रहने या भोजन पकाने के कामों के लिये, अभिप्रेत हो, छत की ऊँचाई तथा ढाल;

(4) संवातन तथा स्थान जो इमारत के चारों ओर वायु के निर्बाध संचालन तथा घर की सफाई को सुन्दर बनाने तथा आग लगाने की रोक–थाम के निमित्त छोड़ा जायेगा;

(5) नींव की सतह तथा चौड़ाई, सबसे निचली मंजिल की सतह और निर्माण का स्थायित्व;

(6) इमारत में बनाई जाने वाली मंजिलों की संख्या और ऊंचाई;

(7) आग लग जाने पर इमारत के बाहर निकलने के साधनों की व्यवस्था;

(8) कोई ऐसा अन्य विषय, जिसका इमारत में संवातन या स्वच्छता पर प्रभाव पड़े, और

(9) जल को कलुषित होने से बचाने या कुएं का उपयोग करने वाली किसी व्यक्ति के लिये पैदा होने वाले संकट का निराकरण करने के उद्देश्य से ऐसी शर्तें, जिनके

अधीन रहते हुये किसी कुएं के निर्माण या उसमें परिवर्तन करने के लिये स्वीकृति दी जा सके।

(छ) नियन्त्रित ग्राम क्षेत्र के भीतर किसी भूमि पर किसी घेरे, दीवार, मेड़, तम्बू, तिरपाल या अन्य संरचना का, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, निर्माण किसी ऐसी रीति से विनियमित करना जिसकी इस अधिनियम में विशेष रूप से व्यवस्था न की गयी हो।

ख—नालियॉं, सण्डास, मलकूप आदि

(क) किसी ऐसी रीति से जिसकी इस अधिनियम में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है, नालियों संवातन (ventilation) की नलिकाओं (shafts) तथा पाइपों, सण्डासों, जल प्रक्षालित तथा अन्य शौचालयों, मूत्रालयों, मलकूपों या अन्य जलोत्सारण कार्यों के निर्माण, परिवर्तन, अनुरक्षण, परिरक्षण, सफाई और मरम्मत का विनियमन;

(ख) नालियों में मल, कूड़ा—करकट, गन्दा पानी तथा अन्य क्षोभकर या अवरोधक पदार्थों के फेंके जाने या जमा किये जाने का विनियमन या निषेध।

ग—सड़कें

(क) धारा 176 के अधीन [1][क्षेत्र पंचायत] को दी जाने वाली सूचनायें तथा नक्शों को आधारित करना;

(ख) फेरी लगाने वाले विक्रेताओं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वस्तुऍं बेचने या कोई व्यापार करने अथवा कोई कपड़े या लकड़ी की बनाई हुई दुकान या कोई स्टाल स्थापित करने के लिये किसी या समस्त सार्वजनिक सड़कों या स्थानों के प्रयोग या अध्यासन की अनुमति देना या उसका निषेध या विनियमन तथा ऐसे प्रयोग या अध्यासन के निमित्त शुल्क उपग्रहीत करने की व्यवस्था करना;

(ग) वे शर्तें विनियमित करना जिन पर धारा 181 के अधीन [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा सड़कों और नालियों के ऊपर बनाने तथा धारा 209 के अधीन [1][जिला पंचायत] द्वारा अस्थायी रूप से सड़कों के अध्यासन की अनुमति दी जा सके।

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

घ – बाजार, वधशालायें, भोजन–विक्रय आदि

(क) [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा स्वीकृत लाइसेन्स के बिना या इस प्रकार स्वीकृत लाइसेन्स की शर्तों के अनुसरण से अन्यथा किसी स्थान को वधशाला के रूप में अथवा मानव भोजन के लिये अभिप्रेत पशुओं या मांस या मछली के विक्रय के लिये बाजार या दुकान के रूप में प्रयोग करने का निषेध;

(ख) शर्तें जिनके अधीन तथा परिस्थितियॉ जिनमें और क्षेत्र या स्थान जिनके सम्बन्ध में ऐसे प्रयोग के लिये लाइसेन्स स्वीकृत, अस्वीकृत या निलम्बित किये जा सकते हैं या वापस किये जा सकते हैं, नियत करना;

(ग) पूर्वोक्त रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान के निरीक्षण तथा उसमें व्यापार के संचालन के विनियमन की व्यवस्था करना जिससे उसमें स्वच्छता बनी रहे या कोई ऐसा हानि प्रद क्षोभकर या भयप्रद प्रभाव जो वहॉ से उत्पन्न होता हो या जिसके वहॉ से उत्पन्न होने की सम्भावना को, कम हो जाये;

(घ) बाजारों तथा वधशालाओं, अश्वशालाओं, शिविर–भूमियों, सरायों, आटा चक्कियों, नानबाई की दुकानों, निर्दिष्ट खाद्य या पेय पदार्थों की तैयारी या विक्रय के लिये स्थानों अथवा विक्रय या किराये के लिये पशुओं को, अथवा ऐसे पशुओं को जिनसे प्राप्त पदार्थ बेचे जाते हों, रखने या प्रदर्शित करने के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले स्थानों की तथा सार्वजनिक मनोरंजन या समागम के स्थानों की स्थापना के लिये और उसके विनियमन तथा निरीक्षण के लिये तथा उनमें समुचित रूप से तथा स्वच्छता से व्यापार के संचालन के लिये व्यवस्था करना; और

(ङ) शर्तें, जिनके अधीन तथा परिस्थितियां जिनमें और क्षेत्र तथा स्थान जिनके सम्बन्ध में उपशीर्षक (घ) के प्रयोजनों के लिये लाइसेन्स स्वीकृत, अस्वीकृत या निलम्बित किये जा सकें या वापस लिये जा सकें, नियत करना तथा ऐसे लाइसेन्सों के लिये देय शुल्क निश्चित करना तथा [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा स्वीकृत लाइसेन्स के बिना या इस प्रकार स्वीकृत लाइसेन्स की शर्तों के अनुसरण से अन्यथा उपशीर्षक (घ) में उल्लिखित व्यापार के स्थानों का निषेध करना।

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

ङ – क्षोभकर व्यवसाय

(क) सिवाय जब और जहां तक कोई बात पेट्रोलियम एक्ट, 1934 (एक्ट सं0 30, 1934) तथा तद्धीन बनाये गये नियमों की किसी बात में असंगत हो, [1][जिला पंचायत] द्वारा स्वीकृत लाइसेन्स के बिना या इस प्रकार स्वीकृत लाइसेन्स की शर्तों के अनुसरण से अन्यथा किसी स्थान का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये फैक्ट्री के या व्यापार के अन्य स्थानों के रूप में प्रयोग करने का निषेध करना –

1. मांसोच्छिट (offal) रक्त, हड्डियों, अंतड़ियों या चिथड़ों को उबालना या उनका संग्रह करना;
2. चमड़ा या चमड़े की वस्तुओं का निर्माण;
3. चरबी या गन्धक पिछलना;
4. ईंट, खपरैल या चौके, मिट्टी के बर्तन या चूना जलाना या पकाना;
5. साबुन बनाना;
6. तेल उबालना;
7. सूखी घास, भूसा पुआल, लकड़ी, कोयला या अन्य भयानक रूप से ज्वलनशील वस्तुओं का संग्रह करना;
8. पेट्रोलियम या किसी अन्य ज्वलनशील तेल या स्प्रिट का संग्रह रखना;
9. रूई या रूई के क्षेप्प का संग्रह करना या उसे दबाना;
10. कोई अन्य प्रयोजन, यदि ऐसे प्रयोग से लोक कंटक पैदा होने या आग लगने का भय हो।

(ख) वे परिस्थितियॉं, जिनमें और क्षेत्र या स्थान जिनके सम्बन्ध में लाइसेन्स स्वीकृत अस्वीकृत या निलम्बित किये जा सकें या वापस लिये जा सकें, नियत करना (किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे धारा 202 द्वारा [1][जिला पंचायत] को प्राप्त किसी अधिकार को अल्पीकरण हो) और

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) पूर्वोक्त रूप में प्रयोग किये जाने वाले स्थान में व्यापार के संचालन के निरीक्षण तथा विनियम की व्यवस्था करना जिससे उसमें स्वच्छता बनी रहे या कोई ऐसा हानिप्रद, क्षोभकर या भयप्रद प्रभाव, जो वहॉ से उत्पन्न होता या जिसके वहॉ से उत्पन्न होने की सम्भावना हो, कम हो जाये।

च – सार्वजनिक सुरक्षा तथा सुविधा

2[(क) सड़कों पर किसी प्रकार के यातायात के विनियमन या निषेध की व्यवस्था करना, जहॉ ऐसा विनियमन या निषेध [1][जिला पंचायत] को आवश्यक प्रतीत हो;][2]

(ख) जिले के ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किराये पर दिये जाने के लिये रखे गये अथवा किराये पर चलने वाले वाहनों (मोटर गाड़ियों को छोड़कर) नावों, या पशुओं के स्वामियों या चालकों पर अथवा बोझा ले जाने की मजदूरी करने वाले व्यक्तियों पर लाइसेन्स लेने का आधार आरोपित करना तथा ऐसे लाइसेन्सों के लिये देय शुल्क और वे शर्तें निश्चित करना जिन पर वे स्वीकृत किये जायें और वापस लिये जाये;

(ग) ऐसे स्थान निश्चित करना जहॉ पर नावें बॉधी जा सकें या भारयुक्त तथा भारमुक्त की जा सकें, और उसके प्रयोग को विनियमित करना और ऐसे स्थानों को छोड़करर जो [1][जिला पंचायत] द्वारा नियत किये जायें और कहीं नाव बॉधने या भारयुक्त या भारमुक्त करने का निषेध करना;

(घ) जिले की ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर घूमने वाले लावारिस पशुओं को पकड़ने और उनके जब्त किये जाने की व्यवस्था करना;

(ङ) सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की वृद्धि के उद्देश्य से किसी ऐसे कार्य का निषेध या विनियम, जिससे लोक कंटक पैदा होता हो या पैदा होने की सम्भावना हो, और जिसके निषेध या विनियमन के लिये इस शीर्षक के अधीन कोई व्यवस्था न की गई हो;

(च) पेय जल सम्भरण की व्यवस्था तथा विनियमन।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 24, सन् 2001 द्वारा खण्ड (क) निकाल दिया गया।

छ – रोग की रोकथाम तथा स्वच्छता

(क) कब्रिस्तानों तथा श्मशानों के प्रयोग तथा प्रबन्ध का नियन्त्रण तथा विनियमन ओर यदि ऐसे स्थानों की व्यवस्था [1][जिला पंचायत] ने की हो तो उनके निमित्त लिये जाने वाले शुल्क निश्चित करना और शवों को कब्रिस्तान या श्मशान ले जाने के लिये मार्ग नियत करना या निषिद्ध करना;

(ख) स्वच्छता तथा स्वच्छता संरक्षण का विनियमन;

(ग) पूर्वगामी उप शीर्षक के अधीन तदर्थ कोई उपविधि न बनाई जाने की दशा में, वासगृहों (Lodging house) की रजिस्ट्री तथा उनके निरीक्षण और अति भीड़ होने की रोकथाम की व्यवस्था करना, उनमें किसी संक्रामिक या संसर्गिक रोग फैलने की दशा में दिये जाने वाले नोटिस नियत करना तथा सामान्यतया वास–गृहों के समुचित विनियमन की व्यवस्था करना;

(घ) रोगों की रोकथाम या स्वच्छता के उद्देश्य से किसी ऐसे कार्य का निषेध या विनियमन जिससे लोक कंटक पैदा हो या होने की सम्भावना हो और जिसके निषेध या विनियमन के लिये इस शीर्षक के अधीन कोई व्यवस्था न की गई हो।

ज – प्रकीर्ण

(क) किसी ऐसे कार्य का निषेध या विनियमन जिससे लोक कंटक पैदा हो या होने की सम्भावना हो और जिसके निषेध या विनियमन के लिये इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यत्र कोई व्यवस्था न की गई हो;

(ख) ग्राम्य क्षेत्र के भीतर जन्म, मरण तथा विवाहों की रजिस्ट्री और जन–गणना करने और ऐसी सूचना जो उक्त रजिस्ट्री या जन–गणना को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हो, अनिवार्यतः दिये जाने की व्यवस्था करना;

(ग) ग्राम्य क्षेत्र के भीतर, किसी भी वस्तु को, सरकारी हो या [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की हो अथवा [1][जिला पंचायत] या [क्षेत्र पंचायत] के नियन्त्रण में हो, क्षति या हस्तक्षेप से बचाना;

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) जिले के ग्राम्य क्षेत्र के भीतर तथा [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के नियन्त्रण में मेलों और औद्योगिक प्रदर्शनियों आयोजन की व्यवस्था करना तथा उनमें उद्ग्रहीत किये जाने वाले शुल्क निश्चित करना;

(ङ) जिले के ग्राम्य क्षेत्र में इमारतों और भूमियों के स्वामियों द्वारा, इस अधिनियम या किसी नियम अथवा उपविधि के सभी या किसी प्रयोजन के लिये, उनके अभिकर्ता के रूप में काम करने के निमित्त ऐसे व्यक्तियों की जो उक्त क्षेत्र में या उसके निकट रहते हों, नियुक्ति की अपेक्षा करना तथा उसका विनियमन;

(च) [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के या [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के कब्जे के ऐसे अभिलेखों तथा लेख्यों को निर्दिष्ट करना जिनका निरीक्षण किया जा सकता हो या जिनकी प्रतिलिपियॉ दी जा सकती हों तथा ऐसे अभिलेखों अथवा लेखों के निरीक्षण या प्रतिलिपियों के निमित्त लिये जाने वाले शुल्क निर्दिष्ट करना तथा निरीक्षण और प्रतिलिपियों का दिया जाना विनियमित करना;

(छ) औषधीय भेषजों के विक्रय तथा औषधयोजन (dispensing) के लिये लाइसेन्स देने की व्यवस्था करना;

(ज) सार्वजनिक रूप से अपना व्यवसाय करने वाली दाइयों की रजिस्ट्री तथा उनके नियंत्रण की व्यवस्था करना;

(झ) प्रसूति–केन्द्रों तथा शिशु कल्याण–गृहों की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण के लिये व्यवस्था करना;

(ञ) शरीर–संवर्धन संस्थाओं की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण तथा सहायक अनुदान की व्यवस्था करना;

(ट) निर्धन–गृह, अनाथालय, पुस्तकालय, शरणालय, पशु–चिकित्सालय, बाजार, निरीक्षण गृह, सार्वजनिक पार्क और उद्यान तथा अन्य सार्वजनिक संस्थायें विनियमित करना;

(ठ) [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के प्राधिकार के अधीन या अन्यथा लगने वाले ऐसे मेले, पशु–बाजार, कृषि प्रदर्शन तथा औद्योगिक प्रदर्शनियॉं, जिनमें सर्वसाधारण को प्रवेश करने का अधिकार हो, विनियमित करना;

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ड) [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के नियन्त्रणाधीन किन्हीं स्त्रोतों, जलमार्गों या नालियों के अवरोध का निषेध करना तथा किसी ऐसे अवरोध को हटाने की व्यवस्था करना;

(ढ) खतरनाक इमारतों, पेड़ों या स्थानों को हटाना, गिराना या उन्हें निरापद बनाना;

(ण) लावारिस, रोगग्रस्त या पागल कुत्तों तथा हानिकर पशुओं के विनाश की व्यवस्था करना;

(त) [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की वृत्त–पुस्तिकाओं तथा जिला पंचायत की निर्धारण–सूचियों के निरीक्षण के लिये शर्त नियत करना;

(थ) किसी गन्दे पानी के गड्ढे, नाली, स्टीम इंजिन या ब्वायलर के पानी के अथवा किसी गन्दे क्षोभकर अथवा हानिप्रद पदार्थ के किसी नदी, तालाब या जल–संभरण के अन्य स्त्रोत या उसके किसी ऐसे निर्दिष्ट भाग में, जिसका पानी साधारणतया पीने या स्नान करने के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जाता हो, डाले जाने का निषेध करना।

240. नियमों तथा उपविधियों का उल्लंघन – नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियत प्राधिकारी की स्वीकृति से [1][जिला पंचायत] निदेश दे सकती है कि उसका उल्लंघन अर्थ–दण्ड से दण्डनीय होगा जो [1][एक हजार रूपये] तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ–दण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, [1][पचास रूपये] तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थ–दण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक का हो सकेगा।

241. राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों का पूर्व प्रकाशन आदि – (1) राज्य सरकार का इस अध्याय के अधीन विनियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन रहते हुये विनियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् ही बनाये जायें और वे तब तक प्रभावी न हो जब तक वे गजट में प्रकाशित न हो जायें।

(2) राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई विनियम समस्त मण्डलों या जिलों के लिये अथवा ऐसे समस्त मण्डलों या जिलों के लिये, जिन्हें स्पष्ट रूप से उसके प्रवर्तन से अपवर्जित न किया गया हो, सामान्य रूप से हो सकता है अथवा किसी एक या अधिक मंडलों या जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्र या किसी एक भाग के लिये विशेष रूप से हो सकता है, जैसा भी राज्य सरकार निर्देश दे।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

242. जिला पंचायत द्वारा बनाये गये विनियमों तथा उपविधियों की पुष्टि आदि – (1) [1][जिला पंचायत] की धारा 238 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) से (थ) तक के अधीन विनियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसे विनियम तब तक प्रभावी न होंगे जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसकी पुष्टि न हो जाये।

(2) [1][जिला पंचायत] का उपविधि बनाने का अधिकार इन शर्तों के अधीन होगा कि ऐसी उपविधियॉ पूर्व प्रकाशन के पश्चात् ही बनायी जायेगी और वे तब तक प्रभावी न होंगी जब तक कि नियत प्राधिकारी द्वारा उनकी पुष्टि न हो जाये और वे गजट में प्रकाशित न हो जायें।

(3) उपविधि की पुष्टि करने में नियत प्राधिकारी अथवा विनियम की पुष्टि करने में राज्य सरकार उसके स्वरूप में कोई ऐसा परिवर्तन कर सकती है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(4) धारा 238 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) से (थ) तक के अधीन बनाये गये विनियमों में किया गया कोई परिवर्तन या उसका रद्द किया जाना तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसकी पुष्टि न हो जाये और इसी प्रकार से [1][जिला पंचायत] द्वारा बनायी गयी उपविधि में कोई परिवर्तन या उसका रद्द किया जाना तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि नियत प्राधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि न हो जाये।

(5) राज्य सरकार अपने आशय के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् किसी ऐसे विनियम को जिसकी उसने पुष्टि की हो, अथवा उसकी प्रकार नियत प्राधिकारी किसी ऐसी उपविधि को जिसकी उसने पुष्टि की हो, रद्द कर सकता है और तदुपरान्त वह विनियम या उपविधि प्रभावी न रह जायेगी।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 12

प्रक्रिया

243. अनुपालन के लिये उचित समय का निश्चित किया जाना – जब इस अधिनियम की किसी धारा के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाना उपेक्षित हो, जिसके लिये उपधारा, नियम या उपविधि में कोई समय निश्चित न हो, तो वह कार्य करने के लिये उस नोटिस में उचित समय निर्दिष्ट कर दिया जायेगा और यह निर्णय करना न्यायालय के हाथ में होगा कि इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया समय इस धारा के अर्थ में उचित समय है या नहीं।

244. नोटिस की तामील – (1) इस अधिनियम के किसी धारा के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन जारी या तैयार किया गया प्रत्येक नोटिस या बिल, जब तक कि उस धारा, नियम या उपविधि में स्पष्टया अन्यथा व्यवस्थित न हो, निम्नलिखित प्रकार से तामील या प्रस्तुत किया जायेगा –

(क) ऐसा नोटिस या बिल उस व्यक्ति को, जिसे वह सम्बोधित हो, देकर या प्रस्तुत करके या उसके पास डाक द्वारा भेजकर, अथवा

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति न मिले तो नोटिस या बिल उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर, यदि वह [1][जिला पंचायत] या सम्बद्ध [1][क्षेत्र पंचायत], जैसी भी दशा हो, के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो, छोड़कर या उसके कुटुम्ब के किसी सदवयस्क पुरूष सदस्य या सेवक को देकर या प्रस्तुत करके अथवा नोटिस या बिल को उस इमारत या भूमि के, यदि कोई हो, जिससे उस नोटिस या बिल का सम्बन्ध हो, किसी प्रमुख भाग पर लगवा कर लिया जायेगा।

(2) जब इस अधिनियम के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन कोई नोटिस किसी इमारत या भूमि के स्वामी या अध्यासी पर तामील किया जाना, इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन अपेक्षित या अनुज्ञात हो, तो उसकी तामील उन दशाओं में जिनके लिये इस अधिनियम में अन्यथा विशेष रूप से व्यवस्था न की गयी हो –

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) नोटिस स्वामी या अध्यासी को देकर या प्रस्तुत करके या उसके पास डाक द्वारा भेजकर अथवा यदि एक से अधिक स्वामी या अध्यासी हों तो, उनमें से किसी एक को देकर या प्रस्तुत करके या उसके पास डाक द्वारा भेजकर, या

(ख) यदि ऐसा स्वामी या अध्यासी न मिले तो उसके कुटुम्ब के किसी व्यस्क पुरूष, सदस्य या सेवक को देकर या प्रस्तुत करके या नोटिस को उस इमारत या भूमि का, जिससे उसका सम्बन्ध हो, किसी प्रमुख भाग पर लगवा कर दी जायेगी।

(3) यदि वह व्यक्ति, जिस पर नोटिस या बिल तामील किया जाता हो, आवश्यक हो तो उसके कुटुम्ब के किसी व्यस्क पुरूष, सदस्य या सेवक पर उसका तामील किया जाना उस अवयस्क पर उसकी तामील समझी जायेगी।

245. दोषपूर्ण आकार – कोई नोटिस या बिल आकार में दोष होने के कारण अमान्य नहीं होगा।

246. व्यक्ति विशेष को जारी किये गये नोटिस की अवज्ञा – यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा किसी नियम या विधि के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसा नोटिस दिया गया हो जिसके द्वारा उससे किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में, चाहे वह चल हो अचल, सार्वजनिक हो या निजी, नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर, किसी कार्य के निष्पादन की, अथवा किसी वस्तु की व्यवस्था करने की या कोई कार्य करने या न करने की अपेक्षा की गयी हो, और वह व्यक्ति उस नोटिस का अनुपालन न करे तो –

(क) यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] या सम्बद्ध [1][क्षेत्र पंचायत] ऐसे कार्य को निष्पादित करवा सकती है या ऐसी वस्तु की व्यवस्था कर सकती है या उस कार्य को करवा सकती है और इसमें अपने द्वारा किये गये समस्त व्यय को उक्त व्यक्ति के अध्याय 8 में व्यवस्थित रीति से वसूल कर सकती है, तथा इसके अतिरिक्त;

(ख) उस व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा जो एक रूपये तक हो सकता है और उल्लंघन जारी रखे जाने की दशा में अतिरिक्त अर्थ–दण्ड का भागी होगा जो प्रथम दोष–सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, पॉच रूपये तक हो सकता है।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

247. अभियोजन के लिये प्राधिकार – जब तक स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्थित न हो, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन दण्डनीय अपराधों में से किसी अपराध का तब तक संज्ञान न करेगा जब तक कि [1][जिला पचांयत] या सम्बद्ध [1][क्षेत्र पंचायत] या [1][जिला पंचायत] अथवा सम्बद्ध [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभियोग प्रस्तुत न करे या [1][जिला पंचायत] या उक्त व्यक्ति से कोई सूचना प्राप्त न हो।

248. अपराधों में समझौता का अधिकार – (1) [1][जिला पंचायत] का अध्यक्ष या [1][क्षेत्र पंचायत] का प्रमुख कार्यवाहियों के प्रारम्भ के पहले या पीछे, इस अधिनियम या किसी नियम या उपविधि के विरूद्ध किये गये किसी अपराध में समझौता कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे अपराध में जो [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा या [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की ओर से जारी किये गये लिखित नोटिस का अनुपालन न करने के कारण हुआ हो, तब तक समझौता न किया जायेगा जब तक कि उस नोटिस का यथासम्भव अनुपालन न कर दिया गया हो।

(2) जब किसी अपराध में समझौता हो चुका हो तो अपराधी को, यदि वह अभिरक्षा में हो, छोड़ दिया जायेगा तथा इस प्रकार समझौता किये गये अपराध के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही न की जायेगी।

(3) इस धारा के अधीन समझौते के रूप में दी गई धनराशियॉ, जिला निधि या क्षेत्र निधि, जैसी भी दशा हो, में जमा की जायेगी।

249. [1][जिला पंचायत] में निहित सम्पत्ति की क्षति के लिये प्रतिकर – यदि किसी ऐसे कार्य, उपेक्षा या चूक से, जिसके कारण कोई व्यक्ति इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन आरोपित शास्ति का भागी हो गया हो, [1][जिला पंचायत] या किसी [1][क्षेत्र पंचायत] की किसी सम्पत्ति को कोई क्षति पहॅुची हो तो ऐसी शास्ति का भागी व्यक्ति उस क्षति को पूरा करने का तथा उस शास्ति के भुगतान करने का उत्तरदायित्व होगा और विवाद की दशा में, क्षतिपूरक की मात्रा मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जायेगी जिसके द्वारा उक्त शास्ति का व्यक्ति दण्डित किया जाय तथा मॉग की जाने पर ऐसी धनराशि का भुगतान किये जाने पर वह अभिहरण द्वारा वसूल की जायेगी तथा उक्त मजिस्ट्रेट तदर्थ अपना अधिपत्र जारी करेगा।

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

250. अपराधों के तथा [1][जिला पंचायत] तथा [1][क्षेत्र पंचायत] के प्राधिकारियों की सहायता के सम्बन्ध में पुलिस के अधिकार तथा कर्तव्य – प्रत्येक पुलिस अधिकारी अपनी जानकारी में आने वाले किसी ऐसे अपराध की, जो इस अधिनियम के विरूद्ध या किसी ऐसे अधिनियम के विरूद्ध किया गया हो जिसमें या जिसके अधीन अर्थ दण्ड के जिला निधि या क्षेत्र निधि में जमा किये जाने की व्यवस्था हो, या उक्त अधिनियमों में से किसी के अधीन बनाये गये किसी नियम के विरूद्ध किया गया हो, सूचना तुरन्त यथास्थिति [1][जिला पंचायत] या सम्बद्ध [1][क्षेत्र पंचायत] को देगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी [1][जिला पंचायत] या किसी [1][क्षेत्र पंचायत] के समस्त सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों को उनके विधिसंगत अधिकार के प्रयोग में सहायता देने के लिये बाध्य होगा।

251. [1][जिला पंचायत] के आदेश के विरूद्ध अपील – (1) कोई व्यक्ति, जो यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की धारा 165 (1), 171, 184, 191(6), 193, 202, 216, 218, 221 के अधीन या धारा 239 की उपधारा (2) के शीर्षक 'घ' के उपशीर्षक (क) तथा शीर्षक 'ङ' के अधीन बनाई गई उपविधि के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये किसी आदेश या निदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, जिसमें से वह समय निकाल दिया जायेगा जो उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये अपेक्षित हो, ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें राज्य सरकार ऐसी अपीलें या उसमें से किसी अपील को सुनने के प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, अथवा यदि ऐसा कोई पदाधिकारी नियुक्त न किये जायें तो जिला मजिस्ट्रेट को, अपील कर सकता है।

(2) यदि अपीलीय प्राधिकारी उचित समझे तो वह अपील करने के लिये उपधारा (1) द्वारा अनुज्ञात अवधि को बढ़ा सकता है।

(3) कोई अपील तब तक पूर्णतः या अंशतः खारिज या स्वीकृति न की जायेगी जब तक कि संबद्ध पक्षों को कारण बताने या सुने जाने का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

252. व्यय – (1) अपील का निर्णय करने वाले न्यायालय को स्वमति से व्यय दिलाने का अधिकार होगा।

(2) इस धारा के अधीन [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] को दिलाया गया व्यय [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानों वह अपीलकर्ता से प्राप्त किसी कर का बकाया हो।

(3) यदि [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] इस धारा के अधीन किसी अपीलकर्ता को दिलाये गये किसी व्यय का भुगतान उस दिनांक के, जिस पर उसका भुगतान करने के

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

लिये दिये गये आदेश की सूचना उसे दी गई हो, दस दिन के भीतर न करे तो व्यय दिलाने वाला न्यायालय, यथास्थिति, जिला निधि या क्षेत्र निधि की अवशिष्ट धनराशि को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को उस व्यय की धनराशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है।

253. अपीलीय प्राधिकारी के आदेश का अन्तिम होना – (1) धारा 251 में उल्लिखित किसी आदेश या निदेश पर उसमें व्यवस्थित रीति या अधिकारी से अन्यथा आपत्ति न की जायेगी।

(2) अपीलीय अधिकारी का ऐसा आदेश, जिसके द्वारा वह उक्त आदेश या निदेश की पुष्टि करे, उसे रद्द करे या उसका परिष्कार करे, अन्तिम होगा :

प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि अपीलीय अधिकारी के लिये यह वैध होगा कि प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर तथा दूसरे पक्ष को नोटिस देने के बाद, वह अपने द्वारा अपील में दिये गये किसी आदेश का पुनर्विलोकन एक ऐसे अतिरिक्त आदेश द्वारा करे जो उसके मूल आदेश के दिनांक से तीन महीने के भीतर दिया जाये :

द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि यदि धारा 251 में उल्लिखित कोई आदेश या निदेश किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकार (civil rights) का अतिलंघन करता हो तो उसे तद्विषयक क्षेत्राधिकारयुक्त किसी दीवानी न्यायालय में उक्त आदेश या निदेश पर आपत्ति करने का अधिकार होगा।

254. कुछ मामलों में निलम्बन या अभियोजन – यदि धारा 251 में निर्दिष्ट प्रकार के किसी आदेश या निदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती हो और उसके विरूद्ध अपील की गई हो, या धारा 251 के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश की विषय–वस्तु के सम्बन्ध में दीवानी वाद प्रस्तुत किया गया हो तो ऐसे आदेश निदेश को प्रवर्तित करने की समस्त कार्यवाहियॉं तथा उसके उल्लंघन के लिये किये गये समस्त अभियोजन, यथास्थिति, अपीलीय प्राधिकारी के अथवा दीवानी न्यायालय के आदेश द्वारा, अपील या वाद का निर्णय होने तक के लिये निलम्बित किये जा सकते हैं, और यदि अपील में या दीवानी न्यायालय के निर्णय द्वारा ऐसा आदेश रद्द कर दिया जाये तो उसका उल्लंघन कोई अपराध नहीं समझा जायेगा।

255. [1]**[जिला पंचायत] या** [1]**[क्षेत्र पंचायत] द्वारा देय प्रतिकर के सम्बन्ध में विवाद** – (1) यदि प्रतिकर की उस धनराशि के सम्बन्ध में, जिसका भुगतान करना इस अधिनियम द्वारा [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] से अपेक्षित है, कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसका निबटारा ऐसी रीति से किया

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

जायेगा जिसके विषय में सम्बद्ध पक्ष सहमत हो, या कोई सहमति न हो सके तो, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा या प्रतिकर पाये जाने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा कलेक्टर को प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर उसके द्वारा उसका निबटारा किया जायेगा।

(2) कलेक्टर का प्रतिकर दिलाने का कोई निर्णय, प्रतिकर पाने का दावा करने वाले व्यक्ति के इस अधिकार के अधीन होगा कि वह उसे लैन्ड एक्वीजीशन एक्ट, 1894 (एक्ट संख्या 1, 1894) की धारा 18 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जिला न्यायाधीश को अभिदिष्ट करवाये।

(3) ऐसे मामलों में, जिनमें भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा किया जाये, कलेक्टर द्वारा जिला न्यायाधीश, यथासम्भव उस प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जो उक्त अधिनियम द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त अर्जित की जाने वाली भूमि के अर्जन के लिये प्रतिकर देने के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाहियों के लिये नियत की गयी है।

256. स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवादों का निर्णय – (1) [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] तथा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच किसी ऐसे मामलों में जिसमें वे संयुक्त रूप से हित रखते हों, विवाद उत्पन्न हो तो विवाद राज्य सरकार को अभिर्दिष्ट कर दिया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

(2) राज्य सरकार [1][जिला पंचायतों] तथा [1][क्षेत्र पंचायत] और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच किसी ऐसे मामले में जिसमें वे संयुक्त रूप से स्वत्व रखते हों, रहने वाले सम्बन्धों को नियम द्वारा विनियमित कर सकती है।

257. [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के अधिकार या सेवक आदि के विरूद्ध – (1) किसी [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के विरूद्ध या [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरूद्ध कोई वाद, जो उसके द्वारा आधिकारिक स्थिति से किये गये अथवा किये गये भाषित होने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में हो, तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जब तक कि एक लिखित नोटिस [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की दशा में उनके कार्यालय में छोड़े जाने और सदस्य, अधिकारी या सेवक की दशा में उसे या उसके कार्यालय या निवास स्थान में दिये जाने के पश्चात दो महीने की अवधि व्यतीत न हो गई हो और नोटिस में वाद के कारण प्रार्थित अनुतोष के स्वरूप, अभ्यर्थित प्रतिकर की धनराशि तथा वादेच्छुवादी के नाम और निवास स्थान का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा तथा वादपत्र में यह प्राकथन भी होगा कि ऐसा नोटिस दे दिया, कार्यालय में छोड़ दिया गया है।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] या उक्त सदस्य, अधिकारी या सेवक ने कार्यवाही आरम्भ की जाने के पूर्व वादी की भूल–सुधार स्वरूप पर्याप्त धनराशि प्रस्तुत कर दी हो तो वादी इस प्रकार प्रस्तुत की गयी धनराशि से अधिक कोई धनराशि वसूल नहीं करेंगे तथा ऐसी धनराशि प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रतिवादी द्वारा किये गये समस्त व्ययों का भी भुगतान करेगा।

(3) उपधारा (1) में वर्णित प्रकार की कोई कार्यवाही, जब तक कि वह अचल सम्पत्ति की प्राप्ति या उसके आगम की घोषणा के लिये की गयी कार्यवाही न हो, वाद–कारण उत्पन्न होने के छः महीने के पश्चात् प्रारम्भ न की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे वाद पर प्रवृत्त होती है जिसमें प्रार्थित अनुतोष केवल व्यादेश (injuction) हो जिसका कि उद्देश्य नोटिस दिये जाने से या वाद अथवा कार्यवाही प्रारम्भ स्थगित किये जाने से विफल हो जायेगा।

258. दीवानी न्यायालायों द्वारा [1][जिला पंचायत] [1][क्षेत्र पंचायत] या उनके अधिकारों के विरूद्ध अस्थायी आदेश का निर्देश – किसी वाद के दौरान में कोई दीवानी न्यायालय –

(क) किसी व्यक्ति को [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की किसी समिति, उपसमिति के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी या सेवक के अधिकारों का प्रयोग करने या कृत्यों या कर्तव्यों का सम्पादन करने से इस आधार पर रोकने के लिये कि वह व्यक्ति यथोचित रूप से सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी या सेवक के रूप में निर्वाचित, अनुमेलित या नियुक्त नहीं हुआ; या

(ख) किसी व्यकित का [1][क्षेत्र पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की किसी समिति या उपसमिति के सदस्य, प्रमुख, उप–प्रमुख, अधिकारी या सेवक के अधिकारों का प्रयोग या कृत्यों तथा कर्तव्यों का सम्पादन करने से इस आधार पर रोकने के लिये वह व्यक्ति यथोक्ति रूप में ऐसे सदस्य, प्रमुख, उप–प्रमुख, अधिकारी या सेवक के रूप में निर्वाचित, अनुमेलित या नियुक्त नहीं हुआ है; या

(ग) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, या किसी [1][जिला पचांयत] या [1][क्षेत्र पंचायत] या [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की किसी समिति या उप–समिति को कोई निर्वाचन करने या किसी विशेष रीति से कोई निर्वाचन करने से रोकने के लिये कोई अस्थायी व्यादेश या अन्तरिम आदेश न देगा।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

259. राज्य सरकार द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान – राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत प्राधिकारी को किसी निर्दिष्ट [1][जिला पंचायत] या [1][जिला पंचायतों] अथवा [1][क्षेत्र पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायतों] के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा अपने में निहित किसी एक या अधिक अधिकारों को प्रतिनिहित कर सकती है।

260. वृत्त–पुस्तिकाओं तथा कर–निर्धारण सूचियों के निरीक्षण की सुविधा – [1][जिला पंचायत] या प्रत्येक [1][क्षेत्र पंचायत] की वृत्त–पुस्तिकाओं तथा [1][जिला पंचायत] की कर–निर्धारण सूचियों का निरीक्षण किसी भी कर दाता या निर्वाचक द्वारा तदर्थ प्रविधि द्वारा नियत शर्तों के अधीन निःशुल्क किया जा सकेगा।

261. नियमों, विनियमों तथा उपविधियों के प्रचार की व्यवस्था – पुस्तकें, जिनमें प्रत्येक नियम, विनियम तथा उपविधि हो, यथास्थिति, या [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के कार्यालय में रखी जायेगी तथा कार्य के साधारण घन्टों में किसी भी व्यक्ति द्वारा उनका निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकेगा तथा वे तदर्थ उपविधि द्वारा निर्दिष्ट उचित मूल्य पर जनसाधारण के हाथ विक्रय के लिये ऐसे कार्यालयों में रखी रहेगी।

262. [1][जिला पंचायत] या क्षेत्र पंचायत के अभिलेखों के सिद्धि की रीति – [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के कब्जे की रसीद, प्रार्थना–पत्र, नक्शा, नोटिस, आदेश रजिस्टर की प्रविष्टि या अन्य लेख की प्रतिलिपि, यदि वह उसके विधिक पालक या तदर्थ प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा यथावत प्रमाणित की गई हो, ऐसी प्रविष्टि या लेख के विद्यमान होने के प्रथम दृष्टया (prima facie) साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषयों तथा व्यवहारों के लिये प्रत्येक वाद में तथा उस आपत्ति तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी जिसमें और जहॉ तक मूल प्रतिष्टि या लेख्य, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता, ऐसे विषयों को प्रमाणित करने के लिये ग्राह्य होता।

263. [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] कर्मचारियों को लेख्य प्रस्तुत करने के लिये बुलाये जाने पर निर्बन्धन– [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के किसी अधिकारी या कर्मचारी से, किसी ऐसे विधिक कार्यवाही में जिसमें [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] एक पक्ष न हो, कोई ऐसा

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

रजिस्टर या लेख्य प्रस्तुत करने की, जिसकी अन्तर्वस्तु पूर्वगामी धारा के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध की जा सकती हो, अथवा उसमें अभिलिखित विषयों तथा व्यवहारों को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की, तब तक अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक कि विशेष कारण से न्यायालय ने ऐसा आदेश न दिया हो।

264. सदस्यों द्वारा [1][जिला पंचायतों] या [1][क्षेत्र पंचायतों] के निर्माण कार्यों तथा रजिस्टरों का निरीक्षण – [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] का कोई सदस्य किसी ऐसे निर्माण कार्य या संस्था का, जो यथास्थिति, पूर्णतः या अंशतः [1][जिला पंचायतों] या [1][क्षेत्र पंचायत] के व्यय से विनिर्मित या अनुरक्षित हो तथा अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से, यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के कार्यालय में किसी रजिस्टर, पुस्तक, लेखे या अन्य लेखों का निरीक्षण कर सकता है।

264–क. मानदेय और भत्ते – (1) जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और उप–प्रमुख ऐसे मानदेय और ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे, जैसा नियत किया जाये।

(2) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से भिन्न जिला पंचायत के सदस्य और प्रमुख और उप–प्रमुख से भिन्न क्षेत्र पंचायत के सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जैसा नियत किया जाये।

264–ख. निर्वाचन की रीति और संचालन – (1) जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, उप–प्रमुख या किसी सदस्य के पद पर निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा नियमों में दी गई रीति से किया जायेगा, जिनमें ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख और उप–प्रमुख के निर्वाचन से सम्बन्धित शंकाओं और विवादों के समाधान की भी व्यवस्था होगी।

(2) जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, उप–प्रमुख या किसी सदस्य के पद पर निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राजय निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

[2]["(3) उपधारा (4) में यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, किसी जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्यों या किसी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप–प्रमुख, कनिष्ठ उप–प्रमुख या सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के लिये दिनांक या दिनांकों को नियत करेगी।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] अधिसूचना सं0 1619/सत्रह–वि–1–1 (क) –32–1999 दि0 29 जुलाई, 1999 द्वारा धारा 264(ख) में उपधारा (3) और उपधारा (4) बढ़ायी गयी।

[2][(4) राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों या किसी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप–प्रमुख, कनिष्ठ उप–प्रमुख या सदस्यों के उप निर्वाचन के लिये दिनांक या दिनांकों को नियत करेगा।

[3][**264–ग. प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण आदि के कर्मचारी वृन्द को निर्वाचन कार्य के लिये उपलब्ध किया जायेगा**– (1) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुये जिला मजिस्ट्रेट जिले में इस अधिनियम के अधीन सभी निर्वाचनों के संचालन का पयवेक्षण करेगा।

(2) जिले में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक शिक्षा संस्था का प्रबन्धाधिकरण, जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये, उसे अथवा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करेगा जो ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक हो।

(3) इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य में उपर्युक्त समस्त या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से और उपर्युक्त संस्थाओं के प्रबन्धाधिकरणों से उपधारा (2) में अभिदिष्ट किसी अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करने की अपेक्षा कर सकता है जो ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक हों और वे प्रत्येक ऐसी अधियाचना का पालन करेंगे।

(4) यदि उपधारा (2) या उपधारा (3) में अभिदिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण या संस्था का कोई कर्मचारी ऐसे निर्वाचनों के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिये नियुक्त किया जाये तो वह ऐसे कर्तव्य का पालन करने के लिये बाध्य होगा।

264–घ. परिसर, यानों आदि का निर्वाचन के प्रयोजन के लिये अधिग्रहण – (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि जिले के भीतर इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के सम्बन्ध में–

(क) इस प्रयोजन के लिये कि उसका मतदान स्थल के रूप में या मतदान होने के पश्चात् मतपेटियों के रखने के लिये उपयोग किया जाये, किसी परिसर की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, अथवा

(ख) किसी मतदान स्थल से या को मतपेटियों के परिवहन के प्रयोजन के लिये या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन के या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन के लिये किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन के लिये किसी यान, जलयान या जीवजन्तु की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, तो वह ऐसे परिसर, यथास्थिति, ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर सकेगा और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगा जैसे कि अधिग्रहण के सम्बन्ध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

परन्तु ऐसा कोई यान, जलयान या जीवजन्तु, जिसे उम्मीदवार या उसकी अभिकर्ता ऐसे उम्मीदवार के निर्वाचन से संसक्त किसी प्रयोजन के लिये विधिपूर्णतः उपयोग में ला रहा है, इस उपधारा के अधीन तब तक अधिगृहीत न किया जायेगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त न हो जाये।

(2) अधिग्रहण उस व्यक्ति को सम्बोधित लिखित आदेश द्वारा किया जायेगा जिसकी बावत जिला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि वह उस संपत्ति का स्वामी है या उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति है और ऐसे आदेश की उस व्यक्ति पर तामील, जिसे वह सम्बोधित है, विहित रीति में की जायेगी।

(3) जब कभी कोई संपत्ति उपधारा (1) के अधीन अधिगृहीत की जाये तब ऐसे अधिग्रहण की कालावधि उस कालावधि से परे विस्तृत न होगी जिसके लिये ऐसी सम्पत्ति उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिये अपेक्षित है।

(4) इस धारा में —

(क) ''परिसर'' से कोई भूमि, भवन या भवन का भाग अभिप्रेत है और झोपड़ी, शेड या अन्य संरचना या उसका कोई भाग इसके अन्तर्गत आता है,

(ख) ''यान'' से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिये उपयोग में आता है या उपयोग में लाये जाने योग्य है भले ही वह यांत्रिक शक्ति से अनुमोदित हो या न हो।

264—ङ. हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर संदत्त किया जाना — (1) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट किसी परिसर को धारा प्रतिकर 264—घ के अनुसरण में अधिगृहीत करे तब हितबद्ध व्यक्तियों का संदाय

को प्रतिकर संदत्त किया जायेगा जिसकी रकम का अवधारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जायेगा, अर्थात् –

(i) परिसर की बावत देय भाटक या यदि कोई भाटक ऐसे देय न हो तो उस परिक्षेत्र में वैसे ही परिसर के लिये देय भाटक;

(ii) यदि हितबद्ध व्यक्ति परिसर के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अपने निवास स्थान या कारबार के स्थान को बदलने के लिये विवश हुआ हो तो ऐसे बदलने से आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हो)

परन्तु जहॉ कि कोई हितबद्ध व्यक्ति ऐसे प्रवधानित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुये जिला मजिस्ट्रेट से विहित समय के अन्दर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्देशित कर दिया जायें वहां दिये जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी जैसा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करें,

परन्तु यह और भी कि जहां प्रतिकर पाने के हक की बावत या प्रतिकर की रकम के प्रभाजन की बावत कोई विवाद है वहां अवधारण के लिये उसे जिला मजिस्ट्रेट अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ को निर्दिष्ट करेगा और वह विवाद ऐसे मध्यस्था के विनिश्चय के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा में ''हितबद्ध व्यक्ति'' पद से वह व्यक्ति, जो धारा 264–घ के अधीन अधिगृहीत परिसर पर अधिग्रहण के अव्यवह्नितपूर्व वास्तविक कब्जा रखता था या जहां कि कोई व्यक्ति ऐसा वास्तविक कब्जा नहीं रखता था वहां ऐसे परिसर का स्वामी अभिप्रेत है।

(2) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट कोई यान, जलयान या जीवजन्तु धारा 264–घ के अनुसरण में अधिगृहीत करे तब उसके स्वामी को प्रतिकर संदत्त किया जायेगा जिसकी रकम का अवधारण जिला मजिस्ट्रेट ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु को भाड़े पर लेने के लिये उस परिक्षेत्र में प्रचलित भाड़े या दरों के आधार पर करेगा :

परन्तु यह कि ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का स्वामी ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुये जिला मजिस्ट्रेट से विहित समय के भीतर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्दिष्ट कर दिया जाये वहां दिये जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करेः

परन्तु यह और भी कि जहां अधिगृहीत किये जाने से अव्यह्तिपूर्व यान या जलयान स्वामी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में अवक्रम करार के आधार पर था वहां अधिग्रहण के बारे से संदेय कुल प्रतिकर के रूप में इस उपधारा के अधीन अवधारित रकम उस व्यक्ति और स्वामी के बीच में ऐसी रीति से, जिसके लिये वे सहमत हो जायें, और ऐसी सहमति के अभाव में, ऐसी रीति में, जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ विनिश्चत करे, प्रभाजित की जायेगी।

264—च. जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति — जिला मजिस्ट्रेट किसी संपत्ति की धारा 264—घ के अधीन अधिगृहीत करने की या धारा 264—ङ के अधीन संदेय प्रतिकर को अवधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति से आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सम्पत्ति सम्बन्धी अपने कब्जे की ऐसी जानकारी, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे प्राधिकारी को दे जो ऐसे विनिर्दिष्ट किया जाये।

264—छ. किसी परिसर आदि में प्रवेश करने और उनके निरीक्षण की शक्तियॉ — (1) यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिये कि क्या किसी परिसर, किसी यान, जलयान या जीवजन्तु के संबंध में धारा 264—घ के अधीन आदेश किया जाये और यदि किया जाये तो किस रीति से किया जाये या इस दृष्टि से कि उस धारा के अधीन किये गये, किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये कोई व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निमित्त प्राधिकृत किया गया है, ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे परिसर और उनमें के किसी यान, जलयान या जीवजन्तु का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) इस धारा में ''परिसर'' तथा ''यान'' पदों के वहीं अर्थ हैं जो धारा 264—घ में हैं।

264—ज. अधिगृहीत परिसर से बेदखली — (1) जो कोई व्यक्ति किसी अधिगृहीत परिसर पर धारा 264—घ के अधीन किये गये किसी आदेश के उल्लंघन में कब्जा किये रहता है, उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी उस परिसर में से संक्षेपतः बेदखल कर सकेगा।

(2) ऐसे सशक्त कोई अधिकारी ऐसी किसी स्त्री को, जो लोक समक्ष नहीं आती, युक्तियुक्त चेतावनी और हट जाने के लिये सुविधा देकर किसी भवन के किसी ताले या चटखनी को हटा या खोल सकेगा और किसी द्वार को तोड़ सकेगा या ऐसी बेदखली के प्रयोजन के लिये कोई अन्य आवश्यक कार्य कर सकेगा।

264—झ. अधिग्रहण से परिसर की निर्मुक्ति — (1) जबकि धारा 264—घ के अधीन अधिगृहीत कोई परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त किये जाने हों, तब उनका कब्जा उस व्यक्ति को, जिससे परिसर के अधिगृहीत किये जाने के समय कब्जा लिया गया था, या यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था तो उस व्यक्ति को, जिसकी बावत जिला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि वह ऐसे परिसर का स्वामी है,

परिदत्त किया जायेगा, और कब्जे का ऐसे परिदान जिला मजिस्ट्रेट को उन सब दायित्वों से, जो ऐसे परिदान के बारे में हैं, पूर्णतः उम्मोचित कर देगा किन्तु उससे परिसर की बावत ऐसे किन्हीं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसे परिसर का कब्जा ऐसे परिदत्त किया गया है, विधि की सम्यक् प्रक्रिया प्रवर्तित कराने के लिये हकदार हो।

(2) जहॉं कि वह व्यक्ति, जिसे धारा 264–घ के अधीन अधिगृहीत किसी परिसर का कब्जा उपधारा (1) के अधीन दिया जाना है, पाया नहीं जा सकता या जिसका आसानी से अभिनिश्चित नहीं हो पाता या उसकी ओर से परिदान प्रतिगृहीत करने के लिये सशक्त कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट यह घोषणा करने वाली सूचना कि ऐसे परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त कर दिये गये हैं, ऐसे परिसर के किसी सहज दृश्य भाग में लगवायेगा और सूचना को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगा।

(3) जबकि उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है तब ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट परिसर ऐसे अधिग्रहण के अध्यधीन ऐसे प्रकाशन की तारीख को और से न रहेंगे और उनकी बावत यह समझा जायेगा कि वे उस व्यक्ति को परिदत्त कर दिये गये हैं, जो उन पर कब्जा रखने का हकदार है, और जिला मजिस्ट्रेट उक्त तारीख के पश्चात् किसी कालावधि के लिये ऐसे परिसर के सम्बन्ध में किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिये दायित्वाधीन न होगा।

264–ञ. अधिग्रहण सम्बन्धी किसी आदेश के उल्लंघन के लिये शास्ति – यदि कोई व्यक्ति धारा 264–घ या धारा 264–च के अधीन किये गये आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।'']

265. इण्डियन रेलवे तथा यूनाइटेड प्राविन्सेज विलेज के सम्बन्ध में व्यावृत्ति – इण्डियन रेलवे एक्ट 1890 तथा यूनाइटेड प्राविन्सेज विलेज सेनीटेशन एक्ट, 1892 के सम्बन्ध में व्यावृत्ति, इस अधिनियम की कोई बात इण्डियन रेलवेज एक्ट, 1890 (एक्ट सं0 9, 1890) के, या यूनाइटेड प्राविन्सेज विलेज सेनीटेशन एक्ट, 1892 (यू0पी0 एक्ट सं0 2, 1892) के किसी उपबन्ध पर अथवा उन एक्टों के अधीन बनाये गये किसी नियम पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अध्याय 14

संक्रमणकालीन उपबन्ध, निरसन तथा संशोधन

266. अन्य अधिनियमितियों में उल्लेख का अर्थ – (1) यू0पी0 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट, 1922 (यू0पी0 एक्ट सं0 10, 1922) या उत्तर प्रदेश अन्तरिम [1][जिला पंचायत] अधिनियम, 1958 (यू0पी0 एक्ट सं0 22, 1958) से भिन्न किसी अधिनियमिति में, जो किसी जिले में [2][इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक] से ठीक पूर्व दिनांक पर प्रचलित हो या तद्धीन निर्मित या जारी किये गये किसी नियम, आदेश या विज्ञप्ति में, जो ऐसे दिनांक पर उक्त जिले में प्रचलित हो, जब तक कि अन्य आशय प्रतीत न हो–

(क) किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के उल्लेख का अर्थ किया जायेगा कि वह जिले की [1][जिला पंचायत] का उल्लेख है और वह अधिनियमिति, नियम, आदेश अथवा विज्ञप्ति तदनुसार उक्त [1][जिला पंचायत] के सम्बन्ध में प्रवृत्त होगी।

(ख) किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से प्रेसीडेन्ट अथवा वाइस प्रेसीडेन्ट के उल्लेखों का अर्थ, यह किया जायेगा कि वे इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के उल्लेख हैं।

(ग) किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों का उल्लेख का यह अर्थ किया जायेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन उस जिले के लिये संगठित [1][जिला पंचायत] के सदस्यों का उल्लेख है।

(घ) यू0पी0 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट, 1922 (यू0पी0 एक्ट सं0 10, 1922) में किसी अध्याय या किसी उपधारा के प्रति उल्लेख या यथासम्भव यह अर्थ किया जायेगा कि वह इस अधिनियम या इसके तत्स्थानीय अध्याय या धारा का उल्लेख है।

[3]["(2) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक की ओर से, किन्हीं नियमों, विनियमों, उपविधियों, परिनियत लिखतों में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या किसी लेख या कार्यवाही में जिला परिषद् या क्षेत्र समिति के उल्लेख का अर्थ यह किया जायेगा कि वह क्रमशः जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत का उल्लेख है।]"

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4][**267. कुछ दशाओं में सम्पत्ति आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों तथा आभारों का उत्तराधिकार** – (1) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक की ओर से, धारा 102 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये –

(क) समस्त सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित और आस्तियॉ जिनके अन्तर्गत रोकड़ बाकी भी है, जहॉ कहीं भी वे स्थित हों, जो उक्त दिनांक के ठीक पहले जिला परिषद् या क्षेत्र समिति में निहित थी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत में निहित हो जायेगी और इसके अधिकार में रहेंगी, तथा

(ख) पूर्वोक्त जिला परिषद या क्षेत्र समिति के ऐसे समस्त अधिकार, दायित्व और आभार चाहे वे किसी संविदा से उत्पन्न हुये हों या अन्यथा जो उक्त दिनांक से ठीक पहले विद्यमान हों, यथास्थिति, उस जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के अधिकार, दायित्व और आभार हो जायेंगे।

(2) यदि कोई सन्देह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई सम्पत्ति, हित या आस्ति उपधारा (1) के अधीन जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत में निहित हो गई हैं या नहीं अथवा कोई अधिकार, दायित्व या आभार जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत का अधिकार, दायित्व या आभार हो गया है या नही ंतो ऐसा सन्देह या विवाद यथास्थिति मुख्य अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय जब तक कि वह किसी विधि न्यायालय के किसी निर्णय से अवक्रान्त न हो जाये, अन्तिम होगा।

268. देय धनराशियॉ – किसी जिला परिषद् या क्षेत्र समिति को देय समस्त धनराशियॉं, चाहे वे किसी कर के मद में देय हों, या किसी अन्य खाते में, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा वसूल की जायेगी और यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा कार्य करने के लिये सक्षम होगा या कोई ऐसी कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगी, जिसे उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रवृत्त न होने की दशा में उक्त [1][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] करने या प्रारम्भ करने का अधिकारी होती।

269. ऋण आभार, संविदायें तथा विचाराधीन कार्यवाहियॉं – (1) किसी [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] या उसकी ओर से धारा 267 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दिनांक के पूर्व उपगत सभी ऋणों और आभारों और की गई सभी संविदाओं के सम्बन्ध में, जो उक्त दिनांक को विद्यमान हो, यह समझा जायेगा कि वे इस अधिनियम द्वारा उसे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

करके, यथा–स्थिति [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा हुये अथवा किये गये और तदनुसार वे प्रवर्तन में बने रहेंगे।

(2) उक्त [2][जिला पंचायत] या [2] [क्षेत्र पंचायत] के किसी प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन ऐसी समस्त कार्यवाहियां, जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन [2][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] के समक्ष प्रारम्भ किया जाना अथवा उसके द्वारा सम्पन्न किया जाना अपेक्षित हो, यथास्थिति, [2][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] को संक्रमित कर दी जायेंगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेंगी, और ऐसी अन्य समस्त कार्यवाहियां भी, यथासम्भव, उस प्राधिकारी को संक्रमित कर दी जायेंगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेंगी, जिसके समक्ष अथवा जिसके द्वारा वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, प्रारम्भ या सम्पन्न की जाती।

(3) उक्त [2][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] के प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन समस्त अपीलें, यथा व्यवहार्य इस प्रकार निस्तारित की जायेंगी मानों उसके प्रारम्भ किये जाने के समय, यथास्थिति, [2][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] विद्यमान थी।

(4) उक्त [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा या उसकी ओर से चलाये गये सभी अभियोजन और उक्त [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा या उसके विरूद्ध या उक्त [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के किसी अधिकारी द्वारा या उसके विरूद्ध चलाये गये सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियॉं जो उक्त दिनांक को विचाराधीन हों, यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] या अधिकारी द्वारा या उसके विरूद्ध उसी प्रकार जारी रहेंगी मानों ऐसे अभियोजन, वाद या कार्यवाही चलाये जाने के समय [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] संघठित की जा चुकी है।

270. नियुक्तियॉं करों, बजट के तखमीनों तथा निर्धारणों का जारी रहना आदि – इस अध्याय के उपबन्धों द्वारा की गयी स्पष्ट व्यवस्था के अधीन रहते हुये –

(क) निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व यू0पी0 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट, 1922 (यू0पी0 एक्ट सं0 10, 1922) [2][या इस अधिनियम जैसा कि यह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा उसके संशोधन के पूर्व था] अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन की या बनायी गयी, जारी

की गयी, आरोपित या स्वीकृत कोई नियुक्ति, प्रतिनिधान, विज्ञप्ति, नोटिस, कर, आदेश, निदेश, योजना, लाइसेन्स, अनुज्ञा, रजिस्ट्री, नियम, उपविधि, विनियम तथा प्रपत्र जहॉ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, तब तक प्रचलित बना रहेगा जब तक कि वह [2][उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम] अथवा पूर्वोक्त किसी विधि के अधीन की या बनायी गयी, या जारी की गयी, आरोपित अथवा स्वीकृति किसी नियुक्ति, प्रतिनिधान, विज्ञप्ति, नोटिस, कर, आदेश, निदेश, योजना, लाइसेन्स, अनुज्ञा, रजिस्ट्री, नियम, उपविधि, विनियम या प्रपत्र द्वारा अवक्रांत न कर दिया जाय; तथा

(ख) यू0पी0 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट, 1922 (यू0पी0 एक्ट सं0 10, 1922) या उत्तर प्रदेश अन्तरिम [1][जिला पंचायत] अधिनियम, 1958 के अधीन [2][इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक] के पहले तैयार किये गये समस्त बजट के तखमीने, निर्धारण, मूल्यांकन, माप तथा विभाजन जहॉ तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों के उपबन्धों से सुसंगत हों, इस अधिनियम के अधीन तैयार किये गये समझे जायेंगे।

271. [1]**[जिला पंचायतों] और [क्षेत्र पंचायतों] के संघठन तक के लिये व्यवस्था** — इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, —

(क) [2][उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम, 1994 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के अधीन प्रथम जिला पंचायत] के संघठन तक की अवधि के दौरान, [1][जिला पंचायत] और उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य क्रमशः [1][जिला पंचायत] पंचायत और उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और [1][जिला पंचायत] और उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य समझे जायेंगे;

(ख) [1][उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम, 1994 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के अधीन प्रथम क्षेत्र पंचायत] के संघठन तक की अवधि के दौरान, [2][क्षेत्र पंचायत] और उसके प्रमुख, उप–प्रमुख और सदस्य क्रमशः [2][क्षेत्र

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

पंचायत] और उसके प्रमुख, उप–प्रमुख और सदस्य के अधिकारों का प्रयोग कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और [2][क्षेत्र पंचायत] और उसके प्रमुख, उप–प्रमुख और सदस्य समझे जायेंगे।

272. कठिनाइयॉं दूर करने का अधिकार – (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को, या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, तत्समय प्रचलित किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न है, तो राज्य सरकार, जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, [1][अधिसूचित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि यह अधिनियम] ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा जिन्हें वह आवश्यक तथा इष्टकर समझे।

[1][(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाये गये उपबन्ध प्रभावी होंगे, मानो इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हैं और ऐसा कोई आदेश द्वारा बनाये गये उपबन्ध प्रभावी होंगे, मानो इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हैं और ऐसा कोई आदेश किसी भूतलक्षी दिनांक से, किन्तु जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक नहीं होगा, दिया जा सकता है।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904–क धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

273. संशोधन – अनुसूची 8 में दी गई अधिनियमितियों का संशोधन उक्त सूची में उल्लिखित रूप में तथा सीमा तक किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यू0पी0 पंचायत राज्य एक्ट, 1947 (यू0पी0 एक्ट सं0 26, 1947), की धारा 36 का संशोधन उस दिनांक से प्रभावी होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे तथा विभिन्न जिलों के लिये विभिन्न दिनांक निर्दिष्ट किया जा सकते हैं।

274. निरसन – (1) उस दिनांक से जब कि जिले में [2][क्षेत्र पंचायतों] की स्थापना का कार्य पूरा हो जाये, यूनाइटेड प्राविन्सेज डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् एक्ट, 1922 (यू0पी0 एक्ट सं0 10, 1922),

तथा यूनाइटेड प्राविन्सेज लोकल रेट्स एक्ट, 1914 (यू0पी0 एक्ट सं0 1, 1914), उस जिले के सम्बन्ध में निरस्त हो जायेंगे।

[1][प्रतिबन्ध यह है कि उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिनमें आस्थान जमींदारी विनाश से सम्बद्ध किसी विधि के अधीन राज्य में निहित न हुये हों, उक्त एक्टों के उपबन्ध उस सीमा तक, जहॉ तक उनका सम्बन्ध स्थानिक कर आरोपित तथा वसूल करने से है, इस प्रकार निहित होने के दिनांक तक प्रचलित रहे समझे जायेंगे।][2]

[2][(2) उस दिनांक से जब धारा 17 के अधीन किसी जिले में [2][जिला पंचायत] स्थापित हो जाये, उस जिले के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अन्तरिम [2][जिला पंचायत] अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 32, 1958), निरस्त हो जायेगा और निरस्त रहेगा।][1]

....

[अनुसूची 1

(धारा 32 देखिये)

क्षेत्र पंचायतों के अधिकार और कृत्य

(1) कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि प्रसार भी है –

(क) कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और विकास।

(ख) सब्जियों, फलों और पुष्पों की खेती और विपणन की प्रोन्नति।

(2) भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण –

सरकार के भूमि सुधार, भूमि संरक्षण और चकबन्दी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरकार और जिला पंचायत की सहायता करना।

(3) लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध और जलाच्छादन विकास

(क) लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण और अनुरक्षण में सरकार और जिला पंचायत की सहायता करना।

(ख) सामुदायिक और वैयक्तिक सिंचाई, कार्यों का कार्यान्वयन।

(4) पशुपालन दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन –

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1965 की धारा 29 द्वारा जोड़ा गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 16, 1965 की धारा 14 द्वारा जोड़ा गया।

(क) पशु सेवाओं का अनुरक्षण।

(ख) पशु, कुक्कुट और अन्य पशुधन की नस्लों का सुधार।

(ग) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर पालन की प्रोन्नति।

(5) मत्स्य पालन –

मत्स्य पालन के विकास की प्रोन्नति।

(6) सामाजिक और फार्म वानिकी –

(क) सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण।

(ख) सामाजिक वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति।

(7) लघु वन उत्पाद –

लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास।

(8) लघु उद्योग –

(क) ग्रामीण उद्योग के विकास में सहायता करना।

(ख) कृषि उद्योगों के विकास की सामान्य जानकारी का सृजन।

(9) कुटीर और ग्राम उद्योग –

कुटीर उद्योग के उत्पादों का विपणन।

(10) ग्रामीण आवास –

ग्रामीण आवास कार्यक्रम में सहायता देना और उसका कार्यान्वयन।

(11) पेयजल –

(क) पेयजल की व्यवस्था करना तथा उसके विकास में सहायता देना।

(ख) कलुषित जल को पीने से बचाना।

(ग) ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना और अनुश्रवण करना।

(12) ईंधन और चारा भूमि –

(क) ईंधन और चारा से सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रोन्नति।

(ख) पंचायत क्षेत्र में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण।

(13) सड़क, पुलिया, पुलों, नौका घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन –

(क) गॉवों के बाहर सड़कों, पुलियों का निर्माण और उनका अनुरक्षण।

(ख) पुलों का निर्माण।

(ग) नौका घाटों और जलमार्गों के प्रबन्ध में सहायता।

(14) ग्रामीण विद्युतीकरण –

ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रोन्नति।

(15) गैर पारम्परिक उर्जा स्त्रोत –

गैर पारम्परिक उर्जा स्त्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा देना और उसकी प्रोन्नति।

(16) गरीबी उपशमन कार्यक्रम –

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(17) शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी है –

(क) प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का विकास।

(ख) प्रारम्भिक और सामाजिक शिक्षा की प्रोन्नति।

(18) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा –

ग्रामीण शिल्पकारों और व्यवसायिक शिक्षा की प्रोन्नति।

(19) प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा –

प्रौढ़ साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण।

(20) पुस्तकालय –

ग्रामीण पुस्तकालयों की प्रोन्नति और पर्यवेक्षण।

(21) खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य –

(क) सांस्कृतिक कार्यों का पर्यवेक्षण।

(ख) क्षेत्रीय लोक गीतों, नृत्यों और ग्रामीण खेलकूद की प्रोन्नति और आयोजन।

(ग) सांस्कृतिक केन्द्रों का विकास और प्रोन्नति।

(22) बाजार और मेले –

ग्राम पंचायत के बाहर मेलों और बाजारों (जिसमें पशु मेला भी सम्मिलित है) की प्रोन्नति पर्यवेक्षण और प्रबन्ध।

(23) चिकित्सा और स्वच्छता –

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालयों की स्थापना और अनुरक्षण।

(ख) महामारियों का नियन्त्रण।

(ग) ग्रामीण स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(24) परिवार कल्याण –

परिवार कल्याण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रोन्नति।

(25) प्रसूति और बाल विकास –

(क) महिलाओं और बाल स्वास्थ्य, विद्यालय स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में संगठनों की सहभागिता के लिये कार्यक्रमों की प्रोन्नति।

(ख) महिलाओं एवं बाल कल्याण के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रोन्नति।

(26) समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी है–

(क) समाज कल्याण कार्यक्रमों, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द यक्तियों का क्लयाण भी है, में भाग लेना।

(ख) वृद्धावस्था और विधवा पेन्शन योजनाओं का अनुश्रवण करना।

(27) कमजोर वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–

(क) अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति।

(ख) सामाजिक न्याय के लिये योजनायें तैयार करना और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(28) सार्वजनिक वितरण प्रणाली –

आवश्यक वस्तुओं का वितरण।

(29) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

सामुदायिक आस्तियों के परिरक्षण और अनुरक्षण का अनुश्रवण और मार्गदर्शन करना।

(30) नियोजन और आंकड़े –

(क) आर्थिक विकास के लिये योजनायें तैयार करना।

(ख) ग्राम पंचायतों की योजनाओं का पुनर्विलोकन, समन्वय तथा एकीकरण।

(ग) खण्ड तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना।

(घ) सफलताओं तथा लक्ष्यों की नियतकालिक समीक्षा।

(ङ) खण्ड योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में सामग्री एकत्र करना तथा आंकड़े रखना।

(31) ग्राम पंचायतों पर पर्यवेक्षण –

(क) नियत प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायतों को अनुदान का विवरण।

(ख) ग्राम पंचायत के क्रिया–कलाप के ऊपर नियमों के अनुसार सामान्य पर्यवेक्षण।

(32) प्राकृतिक आपदाओं में सहायता देना।''

[अनुसूची 2

भाग–क

(1) कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि प्रसार भी है –

(क) कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपायों की अभिवृद्धि।

(ख) गोदामों की स्थापना और उसका अनुरक्षण।

(2) भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबन्दी तथा भूमि संरक्षण –

सरकार द्वारा सौंपे गये भूमि सुधार, भूमि संरक्षण तथा चकबन्दी कार्यक्रमों की योजनाओं का कार्यान्वयन।

(3) लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध तथा जल विकास –

(क) लघु सिंचाई और अन्डर खण्ड जल परियोजनाओं का निर्माण और अनुरक्षण।

(ख) जल वितरण का प्रबन्ध करना।

(ग) भूमिगत जल का विकास।

(घ) जलाच्छादन विकास।

(4) पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन –

(क) पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थापना और अनुरक्षण।

(ख) नस्लों का सुधार।

(ग) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर पालन की प्रोन्नति।

(5) मत्स्य पालन –

(क) सिंचाई कार्यों में मत्स्य पालन का विकास।

(ख) मछुआरा कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(6) सामाजिक और फार्म वानिकी –

(क) सामाजिक और फार्म वानिकी, ईंधन वृक्षारोपण और रेशम उत्पादन की प्रोन्नति।

(ख) बंजर भूमि का विकास।

(7) लघु वन उत्पाद –

लघु वन उत्पाद के कार्यक्रमों की प्रोन्नति और उनका क्रियान्वयन।

(8) लघु उद्योग –

लघु उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण ईकाई की प्रोन्नति।

(9) कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग –

(क) ग्रामीण और कुटीर उद्योग में प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण।

(ख) जिला स्तर पर पंचायत उद्योगों की स्थापना।

(10) ग्रामीण आवास –

(क) ग्रामीण आवास कार्यक्रमों की प्रोन्नति और विकास।

(ख) अनावासीय क्षेत्र में ग्रामीण आवास का कार्यान्वयन।

(ग) सामुदायिक केन्द्रों और विश्रामगृहों का निर्माण।

(घ) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों द्वारा किये गये ग्रामीण आवास कार्य का अनुश्रवण।

(11) पेय जल –

(क) सार्वजनिक प्रयोग के लिये पीने के पानी का अनुरक्षण।

(ख) जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण।

(12) ईंधन और चारा भूमि –

(क) ईंधन और चारा कार्यक्रमों का अनुरक्षण और विकास।

(ख) ईंधन और चारा क्षेत्र के लिये पौधों का अनुरक्षण और विकास।

(ग) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों द्वारा विनियमित किये गये कार्यक्रमों का अनुरक्षण।

(13) सड़क, पुलिया, पुल, नौकाघाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन –

(क) जिले की ग्रामीण सड़कों, पुलियों, पुलों और जलमार्गों का विकास और अनुरक्षण।

(ख) नदी के किनारों का अनुरक्षण।

(ग) सड़कों पर दिशाओं और चिन्हों का अंकित करना।

(घ) सड़कों पर सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाने में मदद करना।

(14) ग्रामीण विद्युतीकरण –

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण में ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों की सहायता करना।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश के वितरण में मदद करना।

(15) गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत –

(क) गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों का विकास।

(ख) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के कार्यक्रमों में सहायता करना।

(16) गरीबी उपशमन कार्यक्रम –

(क) गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की योजना, अनुरक्षण और पर्यवेक्षण करना।

(ख) अन्य विभागों के साथ कार्यक्रमों का समन्वय।

(17) शिक्षा जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी है–

(क) प्रारम्भिक, सामाजिक और माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण, अनुरक्षण और पर्यवेक्षण।

(ख) जिले में सभी के लिये शिक्षा उपलब्ध कराना।

(ग) जिले में प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का सर्वेक्षण और पर्यवेक्षण।

(18) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा –

(क) तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और उनका अनुरक्षण।

(19) प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा –

प्रौढ़ साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का नियोजन और कार्यान्वयन।

(20) पुस्तकालय –

(क) खण्ड स्तर और जिले में पुस्तकालयों और वाचनालयों का निर्माण और अनुरक्षण।

(ख) कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(21) खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य –

(क) सांस्कृतिक क्रियाकलापों की प्रोन्नति।

(ख) क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद क्रियाकलापों की प्रोन्नति और पर्यवेक्षण।

(ग) विशेष अवसरों पर लोक सांस्कृतिक क्रियाकलापों की व्यवस्था।

(22) बाजार और मेले –

(क) ग्रामीण बाजारों, मेलों (जिसके अन्तर्गत पशु मेले भी हैं) का पर्यवेक्षण और अनुरक्षण।

(ख) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों द्वारा किये गये बाजारों और मेलों से सम्बन्धित कार्यों का पर्यवेक्षण और अनुरक्षण।

(23) चिकित्सा और स्वच्छता –

(क) महामारियों की रोकथाम और नियन्त्रण में क्षेत्र पंचायतों की सहायता करना, और उपयुक्त रूप से वित्त पोषण करना।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबन्ध।

(ग) पेय की सुविधायें उपलब्ध कराना।

(24) परिवार कल्याण –

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और अनुश्रवण।

(25) प्रसूति और बाल विकास –

(क) प्रसूति और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(ख) विद्यालय, स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की प्रोन्नति।

(26) समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी है–

(क) समाज कल्याण कार्यक्रमों, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी है, में भाग लेना।

(ख) वृद्धावस्था और विधवा पेन्शन योजनाओं के समाज कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति।

(27) कमजोर वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण –

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति।

(ख) ऐसी जातियों का सामाजिक अन्याय और शोषण के संरक्षण।

(ग) छात्रावासों की स्थापना और प्रबन्ध।

(घ) सामाजिक न्याय के लिये योजनायें तैयार करना और उनका कार्यान्वयन।

(28) सार्वजनिक वितरण प्रणाली –

ग्रामीण वस्तुओं के वितरण का नियोजन और अनुश्रवण।

(29) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण –

(क) विकास योजनाओं का समन्वय और एकीकरण।

(ख) सामुदायिक आस्तियों का परीक्षण और अनुरक्षण।

(30) नियोजन और आंकड़े –

(क) आर्थिक विकास के लिये योजना तैयार करना।

(ख) क्षेत्र पंचायतों की योजनाओं का पुनर्विलोकन, समन्वय और एकीकरण।

(ग) खण्ड और ग्राम स्तर पर योजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना।

(घ) सफलताओं और लक्ष्यों की नियत कालिक समीक्षा।

(ङ) जिले के भीतर योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में समस्त विषयों पर सामग्री संग्रह करना और आंकड़ों का अनुरक्षण।

(31) सहायता कार्य –

(क) दुर्भिक्ष निवारणार्थ निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सहायता कार्यों और सहायता गृहों की स्थापना और उनका अनुरक्षण और दुर्भिक्ष और दुष्प्राप्यता के समय ऐसी सहायता की व्यवस्था करना जो आवश्यक समझी जाये।

(ख) निर्धन गृहों, शरणालयों, अनाथालयों, बाजारों और विकास गृहों की स्थापना, प्रबन्ध, अनुरक्षण और निरीक्षण।]"

अनुसूची 2

भाग–ख

(1) पूर्व निर्मित अथवा अनिर्मित क्षेत्रों में नई सार्वजनिक सड़कों का विन्यास तथा तदर्थ एवं उक्त सड़कों से लगे हुये भवनों और उनके अहातों के निर्माणार्थ भूमि अर्जित करना,

(2) अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों का सुधार,

(3) स्कूलों की स्थापना तथा अनुरक्षण से भिन्न उपायों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाना,

(4) जनगणना करना और ऐसी सूचना के लिये पारितोषिक देना जिससे जन्म–मरण के ऑंकड़ों को ठीक–ठीक प्रविष्ट हो सके,

(5) ट्राम–पथों, हवाई राज–पथों तथा यातायात के अन्य साधनों का निर्माण, उन्हें आर्थिक सहायता देना या उनके विषय में प्रत्याभूति देना,

(6) कोई क्षोभकर, खतरनाक या घृणित व्यापार, व्यवसाय या कार्य करने के लिये उपयुक्त स्थान प्राप्त करना अथवा प्राप्त करने में सहायता देना,

(7) अपने क्षेत्राधिकार के भीतर नदियों और जल–सम्भरण के अन्य स्त्रोतों का संरक्षण तथा उन्हें क्षति पहुॅचाये जाने या दूषित अथवा कलुषित होने से बचाना,

(8) पर्यटन को उन्नति,

(9) जिले के भीतर अथवा बाहर कोई ऐसा कार्य करना जिस पर होने वाला व्यय, राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार की स्वीकृति से [1][जिला पंचायत] द्वारा, जिला निधि पर उपयुक्त रीति से भारित व्यय, घोषित किया गया है।

अनुसूची 3

(धारा 35 देखिये)

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज एक्ट, 1947 के अधीन अधिकार, कर्तव्य तथा कृत्य जो [1][जिला पंचायत] अथवा [1][क्षेत्र पंचायत] जैसा कि तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित है, द्वारा प्रयुक्त अथवा सम्पादित किये जायेंगे।

यू0पी पंचायत राज एक्ट, 1947 की धारा	अधिकार, कर्तव्य या कृत्य	प्राधिकारी जिसके द्वारा प्रयुक्त या सम्पादित किये जायेंगे
9	[2][* * *]	[2][* * *]
11(1)	[2][* * *]	[2][* * *]
12–(ई)	[1][ग्राम पंचायत] के प्रधान तथा न्याय पंचायतों के पंचों, सरपंचों और सहायक सरपंचों के पद की शपथ दिलाना	[1][क्षेत्र पंचायत]
12–एफ	[1][जिला पंचायत] के प्रधान, उप–प्रधान तथा सदस्यों के त्याग–पत्रों को ग्रहण करना	[1][जिला पंचायत]
17–(ई)	सिंचाई की छोटी योजनाओं को हाथ में लेने के [1][जिला पंचायतों] के प्रस्तावों को स्वीकृत करना	[1][क्षेत्र पंचायत]
20	(1) प्राइमरी स्कूल अथवा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक अथवा यूनानी अस्पताल या औषधालय स्थापित तथा अनुरक्षित करने के लिये खण्ड में स्थित पास पड़ोस की [1][जिला पंचायत] के किसी समूह को परस्पर सम्मिलित होने का निदेश देना।	[1][जिला पंचायत]
	(2) प्राइमरी स्कूल अथवा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक अथवा यूनानी अस्पताल या औषधालय स्थापित तथा अनुरक्षित करने के लिये अन्तर–खंड पास–पड़ोस की [1][ग्राम सभाओं] के किसी समूह को परस्पर सम्मिलित होने का निर्देश देना।	[1][जिला पंचायत]

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

25(1)	पंचायत द्वारा किसी ऐसे पद के सृजन का अनुमोदन करना जिसके लिये उसके गजट में व्यवस्था न हो	[1][क्षेत्र पंचायत]
25(4)	(1) पंचायत कर्मचारियों का खंड के अन्दर स्थानान्तरण करना	[1][क्षेत्र पंचायत]
	(2) पंचायत कर्मचारियों का खण्ड से बाहर स्थानान्तरण करना	[1][क्षेत्र पंचायत]
25(5)	न्याय पंचायत के अधीन सेवकों की नियुक्तियॉं स्वीकृत करना तथा उनके सम्बन्ध में स्थानान्तरण, दण्ड, पद मुक्ति तथा पदच्युति के अधिकारों का प्रयोग करना	[1][क्षेत्र पंचायत]
25–ए	(1) पंचायत सेक्रेटेरियो को नियुक्ति करना तथा उन पर पदोन्नति, पदच्युत तथा हटाये जाने सम्बन्धी प्रशासकीय नियन्त्रण अधिकार	[1][जिला पंचायत]
	(2) पंचायत सेक्रेटेरियों पर छुट्टी, स्थानान्तरण तथा अनुशासन सम्बन्धी अधिकार जिनमें नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति तथा हटाये जाने सम्बन्धी अधिकार सम्मिलित नहीं है	[1][क्षेत्र पंचायत]
27	[1][ग्राम पंचायत]के किसी धन अथवा सम्पत्ति की क्षति, बरबादी अथवा दुरूपयोग के लिये [1][ग्राम पंचायत] संयुक्त समिति या अन्य समिति के किसी सदस्य के विरूद्ध दीवानी वाद चलाने की स्वीकृति देना।	[1][जिला पंचायत]
30(2)	(1) खण्ड के अन्दर स्थित संयुक्त समिति की संघठक इकाइयों के बीच विवादों को तय करना।	[1][क्षेत्र पंचायत]
	(2) संयुक्त समिति की अन्तर खण्ड संघठक इकाइयों के बीच विवादों को तय करना।	[1][जिला पंचायत]

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

36	[1][* * * *]	[2][* * *]
37–ए (2)	गलती से छोड़े गये किसी व्यक्ति पर कर या उप शुल्क लगाने के लिये [1][ग्राम सभा] को निदेश देना	[1][क्षेत्र पंचायत]
37–बी	यदि [1][ग्राम सभा] अपने आदयों की मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल करने के लिये तीन महीने के भीतर संकल्प पारित न करे तो पंचायत करों का मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जाना प्राधिकृत करना।	[1][क्षेत्र पंचायत]
37–सी (2)	सरकार द्वारा नियत की गई परिस्थितियों में किसी कर या उपशुल्क के पूर्णतः या अंशतः छूट देना	[1][जिला पंचायत]
37–सी (3)	किसी कर या उपशुल्क में पूर्णतः या अंशतः छूट देने के [1][ग्राम सभा] के निर्णय को अनुमोदित करना	[क्षेत्र पंचायत]
39 (1)	उस अनुपात को निर्धारित करना जिसमें न्याय पंचायत के व्यय सर्कित में सम्मिलित [1][ग्राम सभाओं] की गॉव निधियों (gaon funds) पर भारित होंगे।	[1][क्षेत्र पंचायत]
41 (3)	[2][* * *]	[2][* * *]
41 (4)	[2][* * *]	[2][* * *]
41 (5)	[2][* * *]	[2][* * *]
96	किसी [2] [ग्राम सभा], [1][ग्राम पंचायत], संयुक्त समिति या उसके किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित संकल्प या दिये गये आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध करना, यदि उसकी (नियत प्राधिकारी की) राय में ऐसा संकल्प अथवा आदेश इस प्रकार का हो कि उससे जन–साधारण या विधितः	[1][जिला पंचायत]

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 द्वारा निकाला गया।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

	नियोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय के लिये अवरोध, क्लेश अथवा क्षति उत्पन्न हो अथवा होने की सम्भावना हो अथवा उसके मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिये खतरा हो या होने की सम्भावना हो अथवा दंगा या हंगामा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।	
98	पंचायत उप विधियों के शास्ति खण्ड की स्वीकृति देना।	[1][जिला पंचायत]
112 (1)(जी)	[1][ग्राम सभा] द्वारा कोई अन्य कर्तव्य या कृत्य किये जाने का निदेश देना।	[1][क्षेत्र पंचायत]
114	पंचायत राज एक्ट के अधीन संघठित किसी निकाय में हुयी किसी रिक्ति को, यदि वह 6 मास से अधिक के लिये न हो, न भरने का निदेश देना	

अनुसूची 4

(धारा 56 देखिये)

[1][जिला पंचायत] के अधिकार तथा कृत्य

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
34 (1)	इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को जिले के भीतर किसी गॉव–सभा, [1][जिला पंचायत] या भूमि प्रबन्धक समिति को प्रतिनिहित करना या इस प्रकार प्रतिनिहित किसी अधिकार को वापस करना।	
34 (2)	इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को [1][क्षेत्र पंचायत] को प्रतिनिहित करना अथवा [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा कोई अधिकार या कृत्य [1][जिला पंचायत] को प्रतिनिहित किये जाने के सम्बन्ध में सम्मति देना।	
35 (1)	[1][जिला सभाओं] के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करना	[1][कार्य समिति], अध्यक्ष या मुख्य अधिकारियों को पूर्णतः अथवा अंशतः एक को और अंशतः अन्य को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
35 (2)	जिले की किसी [1][ग्राम सभा] से अपेक्षा करना कि वह अपनी कार्यवाहियों में से किसी का समन्वय [1][क्षेत्र पंचायत] की उसी प्रकार की कार्यवाहियों से करें।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
36 (क)	कोई कर अथवा उप–शुल्क (rate) आरोपित करने के	कार्यसमिति को

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

	किसी [1][ग्राम सभा] के प्रस्ताव को अनुमोदित करना और उसे स्वीकृत करना तथा किसी [1][ग्राम सभा] के निमित्त उपविधियां बनाना और उन्हें स्वीकृत करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है
36 (ख)	[2][* * *]	
38 (क)	यह निर्णय करना कि किसी अन्य [2][जिला पंचायत] या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के साथ ऐसे कार्यों या उपक्रमों (undertaking) में सम्मिलित हुआ जाये या नहीं जिनसे उसके द्वारा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियन्त्रित समस्त क्षेत्रों को लाभ पंहुचाता हो।	
38 (ख)	यह निर्णय करना कि ऐसे किसी कार्य में या संस्था को अंशदान दिया जाये या नहीं जिससे जल को लाभ पंहुचता हो, भले ही वह कार्य जिले के बाहर किया जाये या संस्था जिले के बाहर अनुरक्षित हो या वह किसी [1][नगर निगम] [1][नगर निगम पालिका], छावनी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया के क्षेत्र में हों।	
39 (2)	धारा 39 (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों के पदों से भिन्न पदों का सृजन करना या ऐसे पद का सृजन करना जिसके सृजन का आदेश राज्य सरकार द्वारा दिया गया हो।	
39 (2) प्रतिबन्धात्मक खण्ड	राज्य सरकार के विशिष्ट आदेश पर सृजित पद को समाप्त करने के लिये सरकार की स्वीकृति लेना।	अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
39 (2) प्रतिबन्धात्मक खण्ड	राज्य सरकार के विशिष्ट निदेश पर सृजित किसी ऐसे पद को समाप्त करना जिसके समाप्त करने के लिये राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो।	
41 (1) (क)	राज्य सरकार से प्रार्थना करना कि वह अपने किसी कर्मचारियों की सेवायें [1][जिला पंचायत] को सौंप दें।	

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

43 (1)	कार्य अधिकारी, अभियन्ता और कर अधिकार के पदों पर तथा ऐसे पदों पर नियुक्तियॉं करना जिनका [1][वेतनमान ऐसा हो जैसा सरकार निर्धारित करे]।	
43 (4) (ख)	राज्य सरकार के अपेक्षानुसार किसी सरकारी कर्मचारी को [2][जिला पंचायत] की सेवा में कर लेना।	
46 (2) (घ)	किसी अधिकारी या सेवा समाप्त करना।	कार्य समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
48 (2) प्रतिबन्धात्मक खण्ड	सरकार द्वारा निदेश दिये जाने पर [3][क्षेत्र पंचायतों] में नियोजित सेवकों में किसी वर्ग के सम्बन्ध में जिला संवर्ग संगठित करना।	कार्य समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
48 (3)	प्रत्येक [1][क्षेत्र पंचायत] के लिये कर्मचारियों की व्यवस्था करना।	कार्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
51 (1)	मुख्य अधिकारी तथा अन्य विभागाध्यक्षों पर नियंत्रण रखना।	[1][जिला पंचायत] के सामान्य पथ–प्रदर्शन के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
51 (3)	[2][* * *]	[2][* * *]
57 (1)	[1][जिला पंचायत] के किन्हीं अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों को प्रतिनिहित करना।	
57 (3)	[1] [जिला पंचायत] द्वारा प्रतिनिहित अधिकार का प्रयोग करके किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध अपील का निर्णय करना या उस आदेश का पुनरीक्षण	

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

	करना।	
64 (1)	समितियॉं नियुक्त करना।	
65 (1)	विनियम द्वारा अन्य समितियॉं नियुक्त करना।	
65 (2)	संकल्प द्वारा परामर्श समितियॉं नियुक्त करना।	
77 (1)	संयुक्त समिति नियुक्त करने के लिये सहमति देने वाले एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के साथ संयुक्त होना।	
86 (7)	[2][* * *]	
93 (1)	समिति कार्यवाहियों का प्रतिवेदन या उनके उद्धरण या कोई विवरणी मॉंगना।	अध्यक्ष को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
94 (1)	अध्यक्ष अथवा मुख्य अधिकारी से कोई विवरणियां आदि देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।	
95	कतिपय सरकारी कर्मचारियों से सहायता तथा परामर्श देने की अपेक्षा करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है
100 (2)	खुले बाजार में ऋण लेना	
101 (3)	जिला निधि से धनराशि कतिपय प्रतिभूतियों में लगाना अथवा निधियों को सावधि निक्षेप (fixed deposit) में रखना।	
105 (1)	अपने प्रयोजनों के निमित्त भूमि के अर्जन के लिये राज्य सरकार से प्रार्थना करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है
107	[1][जिला पंचायत] में निहित किसी सम्पत्ति को संक्रामित करना	कार्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है

108	जिला–निधि से प्रतिकर देना।	कार्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है
110 (7)	बजट परिवर्तन करना।	
115 (2)	[1][क्षेत्र पंचायत] के बजट को नियोजन समिति के समक्ष रखना।	अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
115 (6)	बजट के बारे में [1][क्षेत्र पंचायत] तथा नियोजन समिति के बीच मतभेद पर निर्णय करना।	
122	कर की वसूली [1][ग्राम सभा] को सौंपना या कर सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर निर्णय करना या उसे परिष्कृत करना।	
131	कर के भुगतान से विमुक्त करना।	
132	राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किये जाने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना और कर के दोष को दूर करना।	
141	[1][ग्राम सभा] की निधियों में अंशदान देना [1][जिला पंचायत] में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी किसी अचल सम्पत्ति के प्रयोग या अध्यासन के लिये शुल्क लेना तथा ऐसे शुल्कों को उद्ग्रहीत तथा वसूल करना।	[1][कार्य समिति] को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
143	लाइसेन्सों, स्वीकृतियों या अनुमतियों के लिये शुल्क देना।	
144	इस धारा में वर्णित शुल्क तथा पथकर निश्चित करना तथा उद्ग्रहीत करना।	
145	[1][जिला पंचायत] द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या प्रबन्ध किये गये बाजारों में शुल्क या पथकर आरोपित करना।	

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

189	नई सार्वजनिक सड़कों का विन्यास तथा निर्माण करना और किसी वर्तमान सार्वजनिक सड़क को चौड़ी तथा लम्बी आदि करना तथा उनसे संलग्न निर्माण–स्थलों की व्यवस्था करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है
190	किसी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है
191 (1) से (3) तक	आशय को विज्ञापित करने तथा आपत्तियों को तय करने के पश्चात् सार्वजनिक सड़क के दोनों ओर इमारतों के लिये सामान्य निर्माण–रेखा परिभाषित करना।	सार्वजनिक निर्माण समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है
191 (4)	किसी ऐसी इमारत के निर्माण की स्वीकृति देना जो सड़क की नियमित निर्माण–रेखा के समानरूप न हो।	सार्वजनिक निर्माण समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
191 (5)	किसी व्यक्ति के निर्माण आदि करने से रोके जाने से होने वाली क्षति के लिये प्रतिकर।	कार्य समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
191 (6)	किसी ऐसी इमारत आदि में परिवर्तित करने या उसे गिरा देने की अपेक्षा करना जो किसी सड़क की नियमित निर्माण–रेखा का उल्लंघन करती हो।	सार्वजनिक निर्माण समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
192 (2)	किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात करने की सहमति देना जो अन्यथा धारा 192 की उपधारा (1) के अधीन [1][जिला पंचायत] द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में किये गये प्रबन्ध में हस्तक्षेप करता हो।	प्रतिनिहित किया जा सकता है
195	नाली, संडास आदि को हटाने या उसे बन्द कनने आदि की अपेक्षा करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है

196	[1][जिला पंचायत] में निहित किसी सार्वजनिक नाली, पुलिया या जल–कार्य के ऊपर किसी इमारत, दीवार या अन्य संरचना के निर्माण या पेड़ लगाने की अनुमति देने तथा उसे हटाने का आदेश देना, और ऐसा न करने पर स्वयं किसी अनधिकृत व्यक्ति से व्यय वसूल करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है
202	क्षोभकर व्यापारों को विनियमित करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है
211	धारा 211 के अधीन आदिष्ट जलोत्सारण के प्रयोजनों के लिये आवश्यक कोई भूमि या भूम्याधिकार अर्जित करना या अन्यथा उसकी व्यवस्था करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है
213 (1) (क) तथा (ख)	किसी नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में क्षोभकर पदार्थों को अस्थायी रूप से जामा करने के लिये पात्रों तथा स्थानों की व्यवस्था करना।	जन–स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
213 (1) (ग)	किसी नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में क्षोभकर पदार्थों को हटाने के समय, रीति तथा शर्तों के सम्बन्ध में निदेश जारी करना।	जन–स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
216	किसी नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में मनुष्यों के रहने के लिये अनुपयुक्त किसी इमारत के उपयोग का तब तक के लिये निषेध करना जब तक कि उसमें उपयुक्त परिवर्तन कर दिये जायें और इसका अनुपालन न करने पर उसके गिराये जाने की अपेक्षा करना।	कार्य–समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है
218	स्वास्थ्य के लिये हानिकर किसी प्रकार की फसल की खेती या किसी प्रकार की खान का प्रयोग या सिंचाई की किसी रीति का निषेध करना।	
221	किसी निर्दिष्ट कब्रिस्तान या श्मशान को बन्द करने का आदेश देना और यदि समुचित दूरी के भीतर कोई	जन–स्वास्थ्य समिति को प्रतिनिहित किया जा

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

	उपयुक्त स्थान न हो तो इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना, किसी सार्वजनिक नोटिस की व्याप्ति से निजी कब्रिस्तान को मुक्त करना तथा अनुज्ञात कब्रिस्तान या श्मशान के उपयोग की अनुमति देना।	सकता है
228 (2)	नियत प्राधिकारी के किसी ऐसे आदेश के सम्बन्ध में जिनमें किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध किया गया हो, स्पष्टीकरण देना।	
232	[1][जिला पंचायत] के विरूद्ध लगाये गये आरोपों का स्पष्टीकरण देना।	
239	उपविधियाँ बनाना	
246	यदि [1][जिला पंचायत] के नोटिस की अवज्ञा करके किसी कार्य के निष्पादन अथवा किसी वस्तु की व्यवस्था अथवा कोई कार्य करने में कोई चूक की गई हो तो ऐसे कार्य को निष्पादित करवाना या उस वस्तु की व्यवस्था करना या वह कार्य करवाना और इस सम्बन्ध में किया गया कुल व्यय वसूल करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
सामान्य	कोई अधिकार, कर्तव्य या कृत्य [1][जिला पंचायत] द्वारा प्रयोग या सम्पादन किसी नियम द्वारा अपेक्षित हो।	

अनुसूची 5

(धारा 56 देखिये)

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

मुख्य अधिकारी के अनुसूचित अधिकार तथा कृत्य

34 (1)	[1] [जिला पंचायत] द्वारा [ग्राम सभा], [1][ग्राम पंचायत] या भूमि प्रबन्धक समिति में से किसी को अपने कोई अधिकार या कृत्य प्रतिनिहित करने के लिये सम्बद्ध निकाय की सम्मति प्राप्त करेगा।
34 (2)	ऐसा अधिकार या कृत्य ग्रहण करने के लिये [1][क्षेत्र पंचायत] की सम्मति प्राप्त करना जिसे [1][जिला पंचायत] की प्रतिनिहित करने का [1][जिला का प्रस्ताव हो।
43 (1)	ऐसे पदों पर, [1][जिनका वेतनमान वैसा है, जैसा सरकार निर्धारित करे] नियुक्ति के सम्बन्ध में परामर्श के लिये आयोग को लिखना।
86 (4)	खण्ड की योजना का प्रालेख प्राप्त करना।
86 (5)	[2][* * *]
101 (3)	कतिपय प्रतिभूतियों में जिस, निधि की धनराशि लगाने के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना।
102 (2)	जिले की सीमाओं के बाहर भूमि अर्जित करने या किराये पर लेने के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना।
113	अन्तिम रूप से पारित बजट की एक प्रतिलिपि मण्डल आयुक्त तथा राज्य सरकार को भेजना।
115 (3)	[1][क्षेत्र पंचायत] के बजट के सम्बन्ध में नियोजन समिति का अनुमोदन या सिफारिश समिति को संसूचित करना।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 द्वारा निकाला गया।

123 (3)	कर सम्बन्धी प्रस्तावों तथा नियमों के प्रालेख को नोटिस सहित प्रकाशित करना।	
124 (2)	कर–सम्बन्धी परिष्कृत प्रस्तावों और नियमों के पुनरीक्षित प्रालेख को नोटिस सहित प्रकाशित करना।	
128	उस संकल्प की प्रतिलिपि भेजना जिसमें करारोपण का निदेश दिया गया हो।	
148	मॉग का बिल जारी करना।	
150	मॉग का नोटिस जारी करना	
155	जिला मजिस्ट्रेट को इस आशय का प्रार्थना–पत्र देना कि वह ग्राम्य क्षेत्र के बाहर या अन्य मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित सम्पत्ति के अभिहरण के लिये किसी अन्य मजिस्ट्रेट को अधिपत्र जारी करे।	
158	[1][जिला पंचायत] को देय धनराशियों की वसूली के लिये वाद प्रस्तुत करना।	
159	लगान या किराये के किसी बकाये को मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करने की अपेक्षा करना।	
206	[1][जिला पंचायत] के खड़न्जे, गन्दी नाली आदि को किसी व्यक्ति द्वारा हटाये या परिवर्तित किये जाने के लिये लिखित स्वीकृति देना तथा [1][जिला पंचायत] द्वारा किये गये व्यय को अपराधियों से वसूल करना।	
208	कोई इमारत, कुआं आदि गिराने या हटाने आदि की अपेक्षा करना तथा आवश्यक कार्यवाही करना।	अपील की जा सकती है।
209	ऐसी वस्तुओं के लिये अनुमति देना जिनसे अन्यथा किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र की किसी सार्वजनिक सड़क	

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

	में अवरोध पैदा हो, किसी अवरोध को हटाना और उस पर होने वाले व्यय वसूल करना।	
210	फैक्ट्रियों, स्कूलों आदि के शौचालयों और मूत्रालयों की व्यवस्था की अपेक्षा करना।	
211	किसी निजी कुएं, तालाब आदि को साफ कराने, उसकी मरम्मत कराने, उसे ढकने, भरवाने या जलोत्सारित कराने की अपेक्षा करना।	अपील की जा सकती है।
212	किसी गन्दी भूमि या इमारत को साफ कराने तथा उसे उचित दशा में करने की अपेक्षा करना।	अपील की जा सकती है।
215	किसी गन्दे पानी की मोरी या गड्ढे में मल के पानी या मलकूप (cesspool) या अन्य किसी क्षोभकर पदार्थ को किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान पर बहने देने, जलोत्सारित करने या रखे जाने की स्वीकृति देना तथा उसके सम्बन्ध में कोई शर्त आरोपित करना।	
219	हानिकर वनस्पति को साफ करने का आदेश देना।	अपील की जा सकती है।
220	खोदे गये स्थान आदि को भरने या जलोत्सारित करने की अपेक्षा करना।	अपील की जा सकती है।

अनुसूची 6

(धारा 79 देखिये)

[1][**क्षेत्र पंचायत तथा कृत्य**

11 (1)	[2][* * *] उप–प्रमुख या सदस्य के पद–त्याग का नोटिस लेगा।	खण्ड विकास अधिकारी या उसके किसी नामांकित द्वारा किया जायेगा।
34 (1)	इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं अधिकारों या कृत्यों की [1][ग्राम सभा], [1][जिला पंचायत] या भूमि प्रबन्धक समिति को प्रतिनिहित करना या उनसे इस प्रकार प्रतिनिहित किये गये किसी अधिकार आदि को वापस लेना।	
34 (2)	इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार या कृत्य को [1][जिला पंचायत] को प्रतिनिहित करना तथा [1][जिला पंचायत] द्वारा कोई अधिकार या कृत्य [1][क्षेत्र पंचायत] को प्रतिनिहित किये जाने की सम्मति देना।	
35 (1)	[1][ग्राम पंचायतों] के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करना।	[1][कार्य समिति] या प्रमुख को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
173	किसी सार्वजनिक नाली में परिवर्तन करना, उसे रोकना, बन्द करना या हटाना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
38 (क)	यह निर्णय करना कि किसी अन्य [1][क्षेत्र पंचायत] या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के साथ ऐसे कार्यों या उपक्रमों में सम्मिलित हुआ जाये या नहीं जिनसे [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा नियंत्रित समस्त क्षेत्रों को लाभ पहुँचता हो।	
38 (ख)	यह निर्णय करना कि ऐसे किसी कार्य में या संस्था को	

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 द्वारा निकाला गया।

	अंशदान दिया जाये या नहीं जिससे खण्ड को लाभ पंहुॅचता हो, भले ही वह कार्य खण्ड के बाहर किया जाये या संस्था खण्ड के बाहर अनुरक्षित हो या किसी [2][नगर निगम], [2][नगर निगम] छावनी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया के क्षेत्र में हों।	
86	खण्ड का योजना के प्रालेख पर विचार करना तथा उसे अनुमोदित करना।	
87 (1) तथा (2)	समितियॉ स्थापित करना।	
87 (3)	परामर्श समितियॉं नियुक्त करना।	
93 (1)	समिति की कार्यवाहियों का प्रतिवेदन या उनके उद्धरण आदि मांगना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
101 (3)	क्षेत्र–निधि में से धनराशि कतिपय प्रतिभूतियों में लगाना या सावधि निक्षेप (fixed deposit) में रखना।	खंड विकास अधिकारी को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
105 (1)	अपने प्रयोजनों के निमित्त भूमि का अर्जन करने के लिये राज्य सरकार से प्रार्थना करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
107 (1)	[1][क्षेत्र पंचायत] में निहित किसी सम्पत्ति को संक्रामित करना।	[कार्य समिति] को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
108	क्षेत्र–निधि में से प्रतिकर	कार्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
115 (4)	बजट के सम्बन्ध में नियोजन समिति की सिफारिशों पर विचार करना।	
142	[1][क्षेत्र पंचायत] में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गई	

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

	किसी अचल सम्पत्ति के प्रयोग या अध्यासन के लिये शुल्क लेना तथा शुल्क को उद्ग्रहीत या वसूल करना।	
143	लाइसेन्सों, स्वीकृतियों या अनुमतियों के लिये शुल्क लेना।	
144	इस धारा में वर्णित कुछ अन्य शुल्क तथा पथकर निश्चित करना तथा उद्ग्रहीत करना।	
145	[1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या प्रबन्ध किये गये बाजारों में शुल्क या पथकर आरोपित करना।	
165 (1)	किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान अथवा सरकार [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित सम्पत्ति से लगी हुई या उसके पार्श्वस्थ किसी इमारत के निर्माण अथवा कुएं की खुदाई आदि की स्वीकृति देना या देने से इन्कार करना इत्यादि।	खण्ड विकास अधिकारी को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
171	किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी को किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान अथवा सरकार, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित सम्पत्ति के पार्श्वस्थ किसी इमारत के निर्माण आदि या कोई कुऑं बनाने आदि से रोकने के निदेश लेना तथा किसी इमारत या कुएं में परिवर्तित करने या उसे गिरा देने के लिये निदेश देना।	
184 (1) तथा (2)	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी निजी सड़क को समतल करने, उसमें खड़न्जा लगाने, उसे पक्का करने या उसमें पत्थर लगाने आदि की अपेक्षा करना तथा ऐसा न किये जाने पर उस कार्य को सम्पादित करवाना और सम्बद्ध व्यक्ति से उसक व्यय वसूल करना।	खण्ड विकास अधिकारी को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
184 (3)	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी निजी सड़क को	

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

	सार्वजनिक सड़क घोषित करना।	
189	नई सार्वजनिक सड़कों का विन्यास करना तथा उनका निर्माण करना और किसी वर्तमान सार्वजनिक सड़क को चौड़ा, लम्बा आदि करना तथा उनसे संलग्न निर्माण–स्थलों का व्यवस्था करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
190	किसी निजी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित करना।	
191 (1) से (3) तक	आशय का विज्ञापित करने तथा आपत्तियों को तय करने के पश्चात् सार्वजनिक सड़क के दोनों ओर इमारत के लिये सामान्य निर्माण रेखा परिभाषित करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
191 (4)	किसी ऐसे इमारत के निर्माण को स्वीकृति देना जो सड़क की नियमित निर्माण रेखा के समरूप न हो।	[1][कार्य समिति] द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा
191 (5)	किसी सड़क का नियमित निर्माण रेखा से किसी निजी भूमि के अपवर्जन के लिये प्रतिकर के भुगतान की स्वीकृति देना।	[1][कार्य समिति] द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा
191 (6)	किसी ऐसी इमारत आदि में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने की अपेक्षा करना, जो किसी सड़क का नियमित–निर्माण रेखा का उल्लंघन करता हो।	[1][कार्य समिति] द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा
192 (2)	किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात करने की अनुमति देना जो अन्यथा धारा 192 की उपधारा (1) के अधीन [2][जिला पंचायत] द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में किये गये प्रबन्ध में हस्तक्षेप हो।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
193	किसी जलमार्ग आदि का सफाई करने तथा उसे अच्छी हालत में बनाये रखने की अपेक्षा करना और पानी पीने	प्रतिनिहित किया जा सकता है।

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

	के प्रयोजनों के लिये किसी जलमार्ग आदि के उपयोग का निषेध करना या उसे बन्द करने का आदेश देना।	
194	नाली, सण्डास आदि को हटाने या बन्द करने की अपेक्षा करना।	[1][कार्य समिति] या खण्ड विकास अधिकारी को प्रतिनिहित किया जायेगा।
196	[1][क्षेत्र पंचायत] में निहित किसी सार्वजनिक नाली, पुलिया या जलकार्य के ऊपर किसी इमारत, दीवार या अन्य संरचना के निर्माण या पेड़ लगाने की अनुमति देना तथा उसे हटाने का आदेश देना और ऐसा न किये जाने पर किसी अनाधिकृत संरचना या पेड़ को स्वयं हटाना तथा सम्बन्धित व्यक्ति से वसूल करना।	
228 (2) (धारा 236 के साथ पठित)	नियत प्राधिकारी के उस आदेश के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना जिनमें उसमें संकल्प या आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध किया होः	
236 (4)(क)	[1][* * *]	
246	यदि [1][क्षेत्र पंचायत] की नोटिस की अवज्ञा करके किसी कार्य के निष्पादन अथवा किसी वस्तु की व्यवस्था अथवा कोई कार्य करने में कोई चूक की गई हो तो ऐसे कार्य को निष्पादित करवाना, या उस वस्तु की व्यवस्था या वह कार्य करवाना, और इस सम्बन्ध में किया गया कुल व्यय वसूल करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
सामान्य	कोई अधिकार, कर्तव्य या कृत्य जिसका [1] [क्षेत्र पंचायत] द्वारा प्रयोग या सम्पादन किसी नियम द्वारा अपेक्षित हो।	

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा निकाला गया।

अनुसूची 7

(धारा 79 (3) देखिये)

खण्ड विकास अधिकारी के अनुसूचित अधिकार तथा कृत्य

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
34 (1)	इस अधिनियम के अधीन [1][क्षेत्र पंचायत] के किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को [1][ग्राम सभा] [1][ग्राम पंचायत] या भूमि प्रबन्धक समिति को प्रतिनिहित करने के लिये उसकी सम्मति प्राप्त करना।	
34 (2)	[1][क्षेत्र पंचायत] का कोई अधिकार या कृत्य [1][जिला पंचायत] को प्रतिनिहित करने के लिये उसकी [1][जिला पंचायत] सम्मति प्राप्त करना।	
101 (3)	क्षेत्र निधि का रूपया कतिपय प्रतिभूतियों में लगाने के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना।	
102 (2)	खण्ड की सीमाओं के बाहर भूमि अर्जित करने या किराये पर लेने के लिये व्यय के निमित्त सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना।	
148 (धारा 161 के साथ पठित)	मॉग का बिल जारी करना।	
150 (धारा 161 के साथ पठित)	मॉग का नोटिस जारी करना	
155 (धारा 161 के साथ पठित)	जिला मजिस्ट्रेट को इस आशय का प्रार्थना–पत्र देना कि वह खण्ड के बाहर या अन्य मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित सम्पत्ति के अभिहरण के लिये किसी अन्य मजिस्ट्रेट को अधिपत्र जारी करे।	
158 (धारा 161 के साथ पठित)	[1][क्षेत्र पंचायत] को देय धनराशियों की वसूली के लिये वाद प्रस्तुत करना।	
159 (धारा 161 के साथ पठित)	लगान या किराये के किसी बकाये को मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करने की अपेक्षा करना।	

172	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी भूमि या इमारत के स्वामी या अध्यासी को इस आशय का नोटिस देना कि [1][क्षेत्र पंचायत] की नाली या उस इमारत या भूमि में, या उसमें होकर, या उसके नीचे से निकाली जायेगी।	अपील की जा सकती है।
174 (1)	किसी निजी नाली को [1][क्षेत्र पंचायत] की नाली में गिराने की अनुमति देना।	
174 (2)	किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह [1][क्षेत्र पंचायत] की नाली से अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की नाली के जोड़ को बन्द करे, तोड़ दे आदि।	अपील की जा सकती है।
176	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में निजी सड़क के विन्यास की अनुमति देना।	अपील की जा सकती है।
180	दोषी व्यक्ति से कारण बताने या उपस्थित होने की अपेक्षा करना तथा किसी अनुमति निजी सड़क को परिवर्तित करने या तोड़ देने का आदेश देना।	अपील की जा सकती है।
181	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में सड़कों तथा नालियों की स्वीकृति देना।	अपील की जा सकती है।
183	सड़कों तथा नालियों के ऊपर अतिक्रमण करने वाले भागों (encroachment) तथा प्रक्षेपों (projections) को हटाने की अपेक्षा करना।	अपील की जा सकती है।
185	किसी ऐसे पेड़ को काटने या किसी ऐसी इमारत आदि के निर्माण या उसके गिराये जाने की अनुमति देना, जो सड़क को उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के लिये अवरोध, खतरा या क्लेश या क्लेश पैदा करती हो।	अपील की जा सकती है।
186	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में सड़क के किनारे की भूमि में उगी हुई झाड़ियों आदि के काटने या छाँटने की	अपील की जा सकती है।

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

	अपेक्षा करना।	
187	किसी मकान या पेड़ के गिरने से सड़क पर आकस्मिक अवरोध उत्पन्न हो जाने पर उसे हटाना तथा स्वामी से उसका व्यय वसूल करना।	
188	सड़क से लगी हुई इमारतों या भूमियों के स्वामियों अथवा अध्यासियों से यह अपेक्षा करना कि वे नाली का पानी निकालने के लिये पाइपों और जल प्रणालियों की व्यवस्था करें और उन्हें अच्छी दशा में रखें।	अपील की जा सकती है।
195	किसी कुएं, तालाब आदि के पचास फीट के भीतर स्थित किसी मलपात्र को हटाने या बन्द करने की अपेक्षा करना।	अपील की जा सकती है।
197	नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में पशुओं के वध के लिये भू–गृहादि निश्चित करना तथा ऐसे भू–गृहादि के प्रयोग के लिये लाइसेन्स देना तथा वापस लेना।	
201	मानव उपयोग के लिये अभिप्रेत किसी भोज्य या पेय पदार्थ या पशु को जो ऐसे उपभोग के लिये अनुपयुक्त हो, अभिग्रहीत करना तथा हटाना या नष्ट करना और इसी प्रकार कोई गत प्रभाव भेषज मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना।	
206	[1][क्षेत्र पंचायत] के खड़ंजे, गन्दी नाली आदि के व्यक्ति द्वारा हटाये या परिवर्तित किये जाने के लिये लिखित स्वीकृति देना तथा [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा किये गये व्यय को अपराधियों से वसूल करना।	

अनुसूची 8

(धारा 237 देखिये)

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

संशोधन

धारा आदि जिसका संशोधन अभिप्रेत है।

1. **युनाइटेड प्राविंसेज टाउन एरियाज एक्ट, 1914 –** यह अधिनियम उ0प्र0 नगर स्वायत्त शासन विधि संशोधन अधिनियम, 1994 (12) 1994 की धारा 163 से निरस्त कर दिया गया है। इसके सभी संशोधन को मूल पाठ से संशोधित कर दिया गया है। [देखें नगरपालिका अधिनियम, 1959 (S.N.Srivastava)
2. यू0पी पंचायत राज एक्ट, 1947 – यह अधिनियम उ0 प्र0 पंचायत राज विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 सं0 9, 1994 द्वारा संशोधित हो गया। इससे सम्बन्धित सभी संशोधन मूल पाठ में प्रतिस्थापित कर दिये गये हैं। [देखें पंचायत राज अधिनियम, 1947 (S.N.Srivastava)

....